मंगलवार, 2 अगस्त, 1995
17 श्रवण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 5.7.96

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

बुधवार, 2 अगस्त, 1995 के लोक सभा

वाद-विवाद का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	23	श्री रामचन्द्र मारोतराव धमारे	श्री रामचन्द्र मारोतराव घोगारे
विषय सूची पृ° 2	नीचे से 5	श्री रमेशवेन्नितला	श्री रमेश वेन्नितला
1	3	बजे शब्द का लोप कीजिए ।	
24	24	इम्पोर्टेंट	इम्पोर्टेंट
33	18	रिसवा	रिसाव
39	19और 20	रिस्क	रिस्क
59	अंतिम	प्रोमोद्योग	ग्रामोद्योग
60	नीचे से 11	श्री विलास मुत्तेमवार	श्री विलास मुत्तेमवार
76	21	खंडूरी	खंडूरी
104	नीचे से 9	जेसवाणी	जस्वाणी
116	नीचे से 11	श्री गुरदास कामत	श्री गुरुदास कामत
140141 और	क्रमशः 21 और नीचे से 4.	लघु उद्योग	लघु उद्योग
142	प्रथम और 1;3,6	लघु उद्योग	लघु उद्योग
164	25	श्री रमेश वेन्तिला	श्री रमेश वेन्नितला
180	18	श्री	डा॰
209	16	बी॰एम॰ सईद	पी॰एम॰ सईद
210	19	गृहण	ग्रहण
226	11 और 14	मध्याह्	मध्याह्न
229	13	समिति के लिए निर्वाचन	समिति के लिए निर्वाचन स्वीकृत
244	25	निकली	निकली
249	10	श्रीमता सरोज दुबे	श्रीमती सरोज दुबे
257	नीचे से 17	राजकाल	राजकाज

विषय सूची

दशम माला खंड : 43, चौदहवां सत्र, 1995 / 1917 (शक)

अंक : 3, बुधवार 2 अगस्त, 1995 / 11 श्रावण, 1917 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41-44	1-41
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 45-60	41-55
अतारांकित प्रश्न संख्या : 398-536	55-206
वोहरा समिति के प्रतिवेदन के बारे में मंत्री द्वारा वक्तव्य	
वोहरा समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ बातों का स्पष्टीकरण	206-226, 293-294
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	226-228
राज्य सभा से संदेश	229
समिति के लिए निर्वाचन - स्वीकृत	
केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड	229-230
अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर ध्यान दिलाना	230-254
देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	
श्री अरविन्द नेताम	230-236
श्री चन्द्र जीत यादव	236-237
श्री चित्त बसु	237-242
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	242-243
श्री जितेन्द्र नाथ दास	243-244
श्री रामचन्द्र मारोतराव धंगारे	244-254
कार्य मंत्रणा समिति	
बावनवां प्रतिवेदन - स्वीकृत	255
नियम 377 के अधीन मामले	255-259
(एक) दक्षिण पूर्व रेलवे की नौपादा-परला खामुंडी-गुनुपुर छोटी रेल लाइन को शीघ्र परिवर्तित करने की आवश्यकता	
श्री गोपीनाथ गजपति	255-256
(दो) पंजाब में नावांशेरा और राहों के बीच गाड़ियों को पुन: चलाये जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष चौधरी	256

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित *चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन)	मध्य प्रदेश में बिलासपुर और शहडोल के बीच पुनः स्थानीय रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता	
	श्री खेलन राम जांगड़े	256-257
(चार)	देहरादून में ओ.एन.जी.सी. का कार्यालय बनाये रखे जाने की आवश्यकता	
	मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	257
(पांच)	उत्तर प्रदेश में तामेश्वरनाथ, खलीलाबाद और कोपिया में ऐतिहासिक अवशेष का शीघ्रातिशीघ्र विकास किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	257-258
(छह)	बिहार में नवादा जिले में कोसी नदी से भूमि के कटाव को रोकने के लिए उस पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रेम चन्द राम	3
(सात)	बिहार को कोयले पर दी जा रही रायल्टी बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	258
(आठ)	आबूधाबी के 'लेबर कैम्प'' में निरूद्ध भारतीय श्रमिकों की शीघ्र वापसी के लिए उठाये जाने और उनको मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता।	
	श्री वी. एस. विजयराघवन	258-259

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक 259-292, 295-296

राज्य सभा द्वारा यथापारित विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जार्ज फर्नान्डीज	259-2[illegible]
श्री सी. श्रीनिवासन	268-270
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	270-277
श्री छेदी पासवान	277-279
श्री दाऊ दयाल जोशी	280-283
श्री रमेश चेन्नितला	283-287
श्री जी.एम.सी.बालयोगी	287-288
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	288-291
डा. रामकृष्ण कुसमारिया	291-292
श्री राम कृपाल यादव	295-296

लोक सभा

बुधवार, 2 अगस्त, 1995/11 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

रोग नियंत्रण

***41. श्री एन. जे. राठवा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपेदिंक, कैंसर, मलेरिया कुष्ठ, एड्स तथा पोलियो रोगों पर नियंत्रण हेतु कार्यान्वित कार्यक्रम सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन रोगों पर नियंत्रण पाने के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान क्या उपलब्धिया रही हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी सहायता दी गई?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि क्षय रोग, मलेरिया, कुष्ठ, एड्स, कैंसर और पोलियो नियंत्रण के लिए चलाए गए कार्यक्रम आंशिक रूप से सफल रहे हैं।

क्षय रोग (राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम)

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम बचपन में होने वाले क्षय रोग तथा व्यस्क व्यक्तियों में होने वाले गंभीर प्रकार के क्षय रोग की घटनाओं में कमी लाने में सफल हुआ है। क्षय रोग मृत्यु दर 1970 में 80/100,000 से कम होकर 1993 में 53/100,000 हो गई है। क्षय रोगियों की सूचित संख्या में भी मामूली कमी आई है।

मलेरिया - (राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलय कार्यक्रम)

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से मलेरिया की घटनाएं 1976 में 6.47 मिलियन से कम होकर 1904 में 2.18 मिलियन हुई हैं और तब से प्रतिवर्ष लगभग 2 मिलियन घटनाओं तक नियंत्रित है।

कुष्ठ (राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम)

पिछले तीन वर्षों 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में कुष्ठ रोगियों में क्रमशः 30, 19 और 21 प्रतिशत की कमी आई है। मार्च, 1992 में 16.73 लाख रोगियों की तुलना में मार्च 1995 के अंत में 7.40 लाख रोगी रह गए थे।

एड्स (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम)

एड्स के लिए कोई इलाज या बैक्सीन न होने के कारण इस कार्यक्रम में एच.आई.वी./एड्स के बारे में जागरूकता लाने, यौन संचारित रोग नियंत्रण, रक्त निरापट्ता और रक्त का युक्तिसंगत उपयोग तथा एच.आई.वी./एड्स रोगियों का नैदानिक उपचार करने पर बल दिया जाता है। इस बारे में अब बहुत अधिक जागरूकता पाई गई है।

कैंसर (राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम)

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान देश में रोग निवारक, रोग का आरम्भ में ही पता लगाने और उपचार सुविधाओं में वृद्धि करने पर बल दिया जाता है। 1993 में दस क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र थे जिनमें 1994 में वृद्धि कर के ग्यारह कर दिया गया है।

पोलियो (व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम)

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम से पोलियो की सूचित घटनाएं 1987 में 28257 से कम होकर 1994 में 4003 रह गई हैं।

पिछले तीन वर्षों में राज्यों को दी गई सहायता का विवरण (उपबंध 1 से 6) संलग्न है।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

1992-93, 1993-94, 1994-95 के लिए आबंटन

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992-93 आबंटन	1993-94 आबंटन	1994-95 आबंटन
1	2	3	4	5
क.	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	147.00	205.00	230.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	25.00	29.00	30.50
3.	असम	78.00	111.00	112.50
4.	बिहार	143.00	206.00	207.00
5.	गोआ	8.50	12.00	11.25
6.	गुजरात	228.00	276.00	282.00
7.	हरियाणा	77.00	89.00	100.50
8.	हिमाचल प्रदेश	49.00	56.00	67.50
9.	जम्मू व कश्मीर	32.00	77.00	80.50
10.	कर्नाटक	89.00	117.00	154.00
11.	केरल	47.00	77.00	95.00
12.	मध्य प्रदेश	280.00	350.00	395.00
13.	महाराष्ट्र	308.00	366.00	413.00
14.	मणिपुर	9.50	12.00	18.25

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	9.50	12.00	18.25
16.	मिजोरम	9.50	12.00	18.25
17.	नागालैंड	9.50	113.00	18.00
18.	उड़ीसा	79.00	113.00	155.00
19.	पंजाब	103.00	156.00	150.00
20.	राजस्थान	118.00	166.00	187.00
21.	सिक्किम	8.00	13.00	17.80
22.	तमिलनाडु	268.00	316.00	380.20
23.	त्रिपुरा	26.00	22.00	27.25
24.	उत्तर प्रदेश	374.00	450.00	560.00
25.	पश्चिम बंगाल	185.00	250.00	310.00
		2700.00	3513.00	4040.00
ख.	संघ क्षेत्र (विधान मंडल सहित)			
26.	पांडिचेरी	7.00	7.00	10.00
	संघ क्षेत्र विधान मंडल रहित)			
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.00	5.00	20.50
28.	चंडीगढ़	5.50	7.00	23.50
29.	दादरा व नागर हवेली	13.50	26.00	23.25
30.	दिल्ली	66.00	86.00	294.00
31.	दमण व द्वीव	2.00	3.00	18.25
32.	लक्षद्वीप	2.00	3.00	20.50
		93200	130.00	400.00
ग.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	100.00	100.00	150.00
घ.	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	स्वास्थ्य शिक्षा	शून्य	शून्य	-
	कुल योग	2900.00	3750.00	4600.00

अनुबंध-II

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान प्रदान की गई वास्तविक केन्द्रीय सहायता तथा वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

(लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	476.65	566.62	712.57
2. अरूणाचल प्रदेश	67.75	68.33	125.06
3. असम	161.83	435.78	540.78
4. बिहार	374.41	1099.45	305.11
5. गोवा	11.14	3.93	13.68
6. गुजरात	824.68	502.00	970.06
7. हरियाणा	90.28	188.55	341.84
8. हिमाचल प्रदेश	111.37	64.79	109.68
9. जम्मू कश्मीर	72.64	108.95	85.20
10. कर्नाटक	318.35	241.05	476.65
11. केरल	42.59	17.73	51.68
12. मध्य प्रदेश	1203.13	1422.29	1682.01
13. महाराष्ट्र	1066.13	810.94	1121.65
14. मणिपुर	45.54	58.08	105.71
15. मेघालय	86.40	51.16	84.85
16. मिजोरम	51.74	67.08	79.66
17. नागालैंड	22.28	105.73	150.11
18. उड़ीसा	297.19	190.67	236.08
19. पंजाब	396.02	468.49	377.52
20. सिक्किम	13.47	6.01	0.80
21. राजस्थान	546.53	779.38	560.59
22. तमिलनाडु	194.04	95.90	137.35
23. त्रिपुरा	43.69	178.46	114.65
24. उत्तर प्रदेश	606.13	969.46	890.78
25. पश्चिम बंगाल	172.14	236.81	449.64
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1. पांडिचेरी	8.68	8.99	10.42
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1. अंडमान निकोबार	61.99	64.90	104.96
2. चंडीगढ़	33.95	42.51	55.20
3. दा.न. हवेली	19.42	18.92	19.56
4. दमण और दीव	6.82	4.32	7.10
5. दिल्ली	50.69	79.00	91.33
6. लक्षद्वीप	3.30	2.90	3.23
कुल मुख्यालय	301.48	285.16	327.00
योग :	7780.45	9190.14	10422.71
कालाजार	000.00	1864.14	577.29
कुल योग :	9780.45	11054.28	11000.00

अनुबंध-III
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/सेक्टर	1992-93 नगद	1992-93 सामग्री	1992-93 योग	1993-94 नगद	1993-94 सामग्री	1993-94 योग	1994-95 नगद	1994-95 सामग्री	1994-95 योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क.	राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	210.00	78.38	288.38	200.00	11.34	211.34	203.00	54.02	257.02
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.50	0.30	8.80	10.00	0.42	10.42	16.00	1.77	17.77
3.	असम	18.00	3.20	21.20	18.00	1.49	19.49	20.00	16.47	36.47
4.	बिहार	110.00	28.18	138.18	112.00	19.58	131.58	112.00	68.75	180.75
5.	गोवा	0.50	0.50	1.00	0.36	0.45	0.81	0.50	3.34	3.84
6.	गुजरात	28.00	18.57	46.57	24.00	10.69	34.69	17.50	60.07	77.57
7.	हरियाणा	7.00	0.50	7.50	5.75	0.52	6.27	7.00	5.54	12.54
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00	0.58	7.58	7.00	2.18	9.18	8.86	6.53	15.39
9.	जम्मू कश्मीर	16.50	1.37	17.87	4.50	0.76	5.26	4.50	4.29	8.79
10.	कर्नाटक	100.00	37.20	137.20	100.00	3.29	103.29	96.00	34.86	130.86
11.	केरल	75.00	71.15	146.15	75.00	8.91	83.91	80.00	29.72	109.72
12.	मध्य प्रदेश	130.00	69.00	199.00	125.00	55.39	180.39	117.00	99.81	216.81
13.	महाराष्ट्र	28.00	41.51	69.51	30.00	18.95	48.95	20.25	76.86	97.11
14.	मणिपुर	1.50	1.04	2.54	3.50	4.43	3.93	3.50	2.78	6.28
15.	मेघालय	5.00	0.07	5.07	5.00	0.51	5.51	8.00	2.53	10.53
16.	मिजोरम	5.00	0.76	5.76	13.00	0.74	13.74	12.00	2.21	14.21
17.	नागालैंड	3.00	0.79	3.79	3.00	0.64	3.64	3.75	2.43	6.18
18.	उड़ीसा	132.00	35.75	167.75	125.00	109.74	234.74	125.00	98.20	223.20
19.	पंजाब	8.00	0.18	8.18	10.00	1.53	11.53	21.00	4.58	25.58
20.	राजस्थान	29.00	28.96	57.96	29.00	6.40	35.40	29.00	29.20	58.20
21.	सिक्किम	16.00	0.91	16.91	18.00	1.35	19.35	20.00	4.06	24.06
22.	तमिलनाडु	120.00	92.74	212.74	120.00	57.19	177.19	120.00	71.36	191.36
23.	त्रिपुरा	18.00	0.16	18.16	12.00	1.47	13.47	20.00	4.41	24.41
24.	उत्तर प्रदेश	179.00	185.88	364.88	190.00	77.13	267.13	177.00	177.78	354.78
25.	पश्चिम बंगाल	80.00	55.53	135.53	80.00	38.26	118.26	75.00	101.78	106.78
26.	अंडमान व निकोबार	7.50	0.07	7.57	6.50	0.46	6.96	6.50	1.88	8.38
27.	चंडीगढ़	0.50	0.58	1.08	0.50	3.35	3.85	0.50	10.50	10.55
28.	दादरा व नागर हवेली	0.50	0.06	0.56	0.50	1.01	1.51	0.50	3.04	3.54
29.	दमण व दीव	1.00	0.59	1.59	2.50	0.40	2.90	2.00	1.78	3.78
30.	दिल्ली	0.50	2.64	3.14	0.50	2.97	3.47	0.39	8.92	9.31
31.	लक्षद्वीप	1.00	0.03	1.03	1.00	1.15	2.15	1.00	3.44	4.44
32.	पांडिचेरी	2.00	6.84	8.84	0.95	2.99	3.94	2.10	8.97	11.07
	उप-योग :	1348.00	764.02	2112.02	1332.56	441.69	1774.25	1329.85	1001.43	2331.28
	केन्द्रीय क्षेत्र	0.00	0.00	1226.00	3319.81	0.00	3319.81	6578.99	0.00	6578.99
	योग :	1348.00	764.00	3338.02	4652.37	441.69	5094.06	7908.84	1001.43	8910.27

अनुबंध-IV

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए रिलिज किए गए अनुदान का विवरण

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य	1992-93 रिलीज की गई राशि	1993-94 रिलीज की गई राशि	1994-95 रिलीज की गई राशि	रिलीज किया गया कुल अनुदान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10674000	2509400	25773200	38956600
2.	अरूणाचल प्रदेश	2063000	824400	1219000	4106400
3.	असम	3482500	1243200	5037000	9762700
4.	बिहार	7025000	1669400	8700000	17394400
5.	गोवा	2691000	786900	4181700	7659600
6.	गुजरात	6341000	6583200	12929000	25853200
7.	हरियाणा	3998000	3335700	6226500	13560200
8.	हिमाचल प्रदेश	8275000	2293200	8727000	19295200
9.	जम्मू व कश्मीर	280000	3732000	1235000	5247000
10.	कर्नाटक	8924000	5308200	13832700	28064900
11.	केरल	6477500	1618900	10080000	18184400
12.	मध्य प्रदेश	7505000	6228800	21778800	35512600
13.	महाराष्ट्र	14667000	21968600	29259500	65895100
14.	मणिपुर	2953000	3172200	5250000	11375200
15.	मेघालय	200000	2197500	4029000	6426500
16.	मिजोरम	2078000	3172500	5640000	10390500
17.	नागालैंड	3170500	3000300	6733000	12903800
18.	उड़ीसा	5227500	1981900	12610000	19819400
19.	पंजाब	4075000	1199400	6450000	11724400
20.	राजस्थान	5286500	4764300	12384200	22435000
21.	सिक्किम	1780500	486900	1782600	4050000
22.	तमिलनाडु	14541500	15325300	27744000	57610800
23.	त्रिपुरा	2746000	3272500	300000	6318500
24.	उत्तर प्रदेश	10774000	2758800	12100000	25632000
25.	पश्चिम बंगाल	10104000	2285600	18563500	30953100
26.	पांडिचेरी	1915500	873700	1018000	3807200
27.	अंडमान व निकोबार	1708000	2222500	3126500	7057000
28.	चंडीगढ़	1425000	2270000	2865000	6560000
29.	दादर नगर हवेली	1100000	1795000	2515000	5410000
30.	दमण व दीव	500000	1795000	2615000	4910000
31.	दिल्ली	2743500	4870000	9773000	17386500
32.	लक्षद्वीप	700000	1847500	2751500	5299000
	योग :	155431500	117392800	287237700	560062000
	योग (करोड़ रुपये)	14.54	11.74	28.72	56.00

अनुबंध-V

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विमुक्त वित्तीय सहायता

1992-93

क. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान

	संस्थान का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	चितरंजन नेशनल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	299.00*
2.	गुजरात कैंसर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	50.00
3.	कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	50.00
4.	किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलाजी, बैंगलूर	50.00
5.	इंस्टीट्यूट रोटेरी कैंसर अस्पताल, नई दिल्ली	465.00
6.	रिजनल सैंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसायटी, कटक, उड़ीसा	50.00
7.	कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)	50.00
8.	रीजनल कैंसर सेंटर, त्रिवेन्द्रम	50.00
	*गैर योजना अनुदान के रूप में 149.00 लाख रु. सहित	
ख.	**रेडियो थिरेपी एककों के लिए सहायता**	
1.	नार्गिस दत्त मेमोरियल अस्पताल (अशिवनी सोसायटी)	
	बारिसी (शोलापुर) महाराष्ट्र	20.00
2.	मीनाक्षी मिशन अस्पताल, मदुरै, (तमिलनाडु)	20.00
3.	कर्नाटक कैंसर रिसर्च एंड थिरेपी इंस्टीट्यूट, हुबली, कर्नाटक	20.00
4.	कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद (उ.प्र.)	50.00
5.	एस.जी. कैंसर अस्पताल, इन्दौर (मध्यप्रदेश)	50.00
6.	लायंस कैंसर डिटेक्शन सैंटर, सूरत गुजरात	50.00
7.	चेरिटेबल सोसायटी ऑफ फोर्ट लायंस, जोधपुर	
	(बरैची थिरेपी एकक के लिए) राजस्थान	5.00
ग.	**जिला परियोजनाओं के लिए सहायता**	
1.	जिला बनासकांठा, गुजरात	15.00
2.	जिला पंचमहल, गुजरात	10.00
3.	जिला भटिन्डा, पंजाब	15.00
4.	जिला जालंधर, पंजाब	15.00
5.	जिला मदुरै, तमिलनाडु	15.00
6.	जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु	15.00
घ.	**अर्बुद विज्ञान खंडों का विकास**	
1.	जिपमेर, पांडिचेरी	100.00
2.	सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश)	70.00
3.	रवीन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, राज.	70.00
4.	कर्नाटक मेडिकल कॉलेज, हुबली, कर्नाटक	70.00
5.	बी.एस. मेडिकल कॉलेज, बांकुरा (पं.ब.)	70.00
6.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गोवा	70.00
7.	स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल मेडिकल कॉलेज, अम्मेजोगई, महाराष्ट्र	70.00
8.	निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईस, हैदराबाद (अ.प्र.)	30.00

1	2	3
9.	सिल्चर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिल्चर, असम	30.00
10.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर, राजस्थान	30.00
11.	नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुड़ी (पं.ब.)	30.00
ङ	स्वास्थ्य शिक्षा तथा पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	
1.	हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति, गोरखपुर (उ.प्र.)	4.25
2.	अमला कैंसर अस्पताल, त्रिचूर, केरल	5.00
3.	क्रिश्चियन कैंसर सेन्टर, अम्बीलिका, तमिलनाडु	5.00
4.	जी.के. नायडु मेमोरियल अस्पताल, कोयम्बटूर, त.ना.	5.00
5.	लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर, सूरत, गुजरात	5.00
6.	राजकोट कैंसर सोसायटी, राजकोट, गुजरात	5.00
7.	कैंसर सेन्टर एंड वेलफेयर होम, ठाकुरपुकार (पं.बंगाल)	5.00
8.	संजीवन मेडिकल फाउन्डेशन, मिराज, महाराष्ट्र	5.00
9.	बेहला बालानन्दा ब्रह्मचारी अस्पताल, कलकत्ता	5.00
1993–94		
क.	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायता अनुदान	
1.	चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	610.00*
2.	कैंसर इंस्टीट्यूट, मद्रास	55.00
3.	गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	50.00
4.	किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट, ऑफ ऑनकालोजी, बैंगलूर, कर्नाटक	50.00
5.	रिजनल सेन्टर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसायटी, कटक, उड़ीसा	25.00
6.	कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर, म.प्र.	50.00
7.	रिजनल कैंसर सेन्टर, त्रिवेन्द्रम	50.00
	*गैर योजना अनुदान के रूप में 175.00 लाख रुपये सहित	
ख.	रेडियो थिरैपी एककों के लिए सहायता	
1.	श्री साया जी जनरल अस्पताल, बड़ौदा, गुजरात	50.00
2.	मेडिकल कालेज, अस्पताल, कोट्टायम, केरल	50.00
3.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	50.00
4.	जे.के. कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर, उत्तरप्रदेश	50.00
5.	तन्जावुर मेडिकल कालेज, तन्जावुर, तमिलनाडु	50.00
6.	कलकत्ता मेडिकल कालेज, कलकत्ता	50.00
7.	एम.पी. कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति, (जवाहर लाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर) भोपाल म.प्र.	50.00
8.	परवारा मेडिकल ट्रस्ट, परवारा रूरल अस्पताल, अहमदाबाद	50.00
9.	पेरिफेरल कैंसर केन्द्र, मंडैया, कर्नाटक	50.00
10.	इंडियन कैंसर सोसायटी, दिल्ली	50.00
ग.	जिला परियोजनाओं के लिए सहायता	लाख रुपये में
1.	जिला खेडा, गुजरात	15.00
2.	जिला भरूच, गुजरात	15.00
3.	जिला पंचमहल, गुजरात	10.00
4.	जिला पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय	15.00

1	2	3
घ.	**अर्बुद विज्ञान खण्ड का विकास**	
1.	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर, राजस्थान	70.00
2.	एम.एल. मेडिकल कालेज, झांसी, यू.पी.	70.00
3.	आसाम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़, आसाम	70.00
4.	बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान (पं.बंगाल)	70.00
5.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, एंड एस.के. हास्पिटल, दिल्ली	70.00
6.	सिविल हास्पिटल, ऐजावल (मिजोरम)	70.00
7.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लम्मू, जम्मू व कश्मीर	30.00
8.	लाला लाजपत राय मेमोरियल कालेज, मेरठ (यू.पी.)	50.00
9.	रविन्द्र नाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर, राजस्थान	30.00
ङ	**स्वास्थ्य शिक्षा और शीघ्र पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठन**	
1.	कैंसर डिटेक्शन सोसायटी, दिल्ली	5.00
2.	इंडियन कैंसर सोसायटी, दिल्ली	5.00
3.	धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन एंड रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली	5.00
1994-95		
क.	**क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को सहायतानुदान**	राशि (लाख रुपये में)
	संस्थानों के नाम	
1.	चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	275.00*
2.	गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद	50.00
3.	कैंसर इंस्टीट्यूटर, मद्रास	55.00
4.	किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट, ऑफ ऑनकालोजी, बैंगलूर	50.00
5.	इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली	220.00
6.	रीजनल सेन्टर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सोसायटी, कटक, उड़ीसा	50.00
7.	कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर,	50.00
8.	रिजनल कैंसर सेन्टर, त्रिवेन्द्रम	50.00
9.	कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, इलाहाबाद	50.00
	*गैर योजना अनुदान के रूप में 175.00 लाख रुपये सहित	
ख.	**रेडियो थिरेपी के लिए सहायता**	
1.	महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस (कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी), वर्धा, महाराष्ट्र	50.00
2.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, श्रीनगर	50.00
3.	इरबिन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जामनगर, गुजरात	50.00
4.	जी.वी.एन. हॉस्पिटल कैंसर क्योर सेन्टर, त्रिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	20.00
5.	एम.बी.एस. हॉस्पिटल, कोटा, राजस्थान	38.00
ग.	**जिला परियोजनाओं के लिए सहायता**	
1.	पश्चिमी त्रिपुरा एंड उत्तरी त्रिपुरा, जिला त्रिपुरा	30.00
2.	इटावा एंड आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश	30.00
3.	कोट्टायम एंड पठानमथिट्टा जिला, केरल	20.00
4.	कटक जिला, उड़ीसा	15.00

1	2	3
घ.	**अर्बुद विज्ञान खंडों का विकास**	
1.	एम के जी जी मेडिकल कालेज, ब्रह्मपुर, उड़ीसा	70.00
2.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, एंड ऐसोसिएटिड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली	80.00
3.	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (ए एम यू). अलीगढ़ (यू.पी.)	100.00
4.	गोवा मेडिकल कालेज, बमबोलिम, गोवा	65.00
5.	एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर, राजस्थान	30.00
6.	बर्दवान मेडिकल कालेज, बर्दवान, पश्चिमी बंगाल	40.00
7.	बी.एस. मेडिकल कालेज, बंकुरा, पश्चिमी बंगाल	40.00
8.	सिविल हॉस्पिटल, आइजौल, मिजोरम	58.95
9.	पटना मेडिकल कालेज, पटना, बिहार	100.00
10.	गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश	100.00
11.	कैंसर हॉस्पिटल, अगरतला, त्रिपुरा	100.00
ङ	**स्वास्थ्य शिक्षा एंव शीघ्र पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठन**	
1.	कैंसर सोसाइटी ऑफ मध्य प्रदेश, एम जी एम मेडिकल कालेज, इंदौर, मध्य प्रदेश	5.00
2.	प्रवारा मेडिकल ट्रस्टस प्रवारा रूरल हॉस्पिटल, लोनी महाराष्ट्र	5.00
3.	कैंसर सेन्टर एंड वेल्फेयर होम, ठाकुरपुकुर (पं.बंगाल)	5.00
4.	इंडियन कैंसर सोसाइटी, सोलापुर, महाराष्ट्र	5.00
5.	बरासत कैंसर रिसर्च एंड वेल्फेयर सेन्टर, बरासत, पं. बंगाल	5.00
6.	कैंसर केअर ट्रस्ट एंड रिसर्च सेन्टर, इंदौर, मध्य प्रदेश	5.00
7.	अमाला कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, अमालानगर, त्रिचूर, केरल	5.00
8.	पी. पेरिचि मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, कोयम्बटूर (कोयम्बटूर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर) तमिलनाडु	2.50

अनुबंध-VI

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान प्रदान की गई सहायता

(लाख रुपये में)

		1992-93			1993-94			1994-95		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामग्री सहायता	नगद सहायता	योग	सामग्री सहायता	नगद सहायता	योग	सामग्री सहायता	नगद सहायता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	426.24	167.09	593.33	768.15	165.00	933.15	1355.80	165.97	1521.77
2.	अरूणाचल प्रदेश	15:15	7.17	22.32	17.06	25.56	42.62	27.73	28.00	55.73
3.	असम	291.51	75.48	366.99	421.13	103.20	524.33	1019.31	86.21	1106.12
4.	बिहार	485.57	235.53	721.01	1068.01	233.33	1301.43	2236.81	257.52	2494.33
5.	गोवा	7.63	8.22	15.85	8.64	8.90	17.54	17.17	7.81	24.98
6.	गुजरात	366.96	118.48	485.44	611.39	118.80	730.19	902.69	119.77	1022.46
7.	हरियाणा	192.16	77.58	269.74	257.22	79.70	336.92	422.66	66.81	489.47
8.	हिमाचल प्रदेश	78.83	43.52	122.45	135.8	46.20	182.00	188.47	46.68	235.15
9.	जम्मू व कश्मीर	31.43	56.61	88.04	169.45	59.50	228.95	214.76	60.00	274.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	368.83	125.19	494.02	673.63	125.00	798.63	1007.84	126.00	1133.84
11.	केरल	217.11	77.16	294.94	394.94	77.80	472.84	644.96	78.37	723.33
12.	मध्य प्रदेश	660.43	225.80	886.23	1145.17	238.00	1383.17	2319.26	199.11	2518.37
13.	महाराष्ट्र	483.25	193.15	676.4	949.25	196.70	1145.95	1440.81	197.65	1638.46
14.	मणिपुर	20.28	26.57	46.85	43.91	28.40	72.31	57.19	28.92	86.11
15.	मेघालय	22.19	18.84	41.03	25.79	20.10	45.89	36.38	20.53	56.91
16.	मिज़ोरम	11.93	12.76	24.69	11.79	13.90	25.69	16.69	12.00	28.69
17.	नागालैंड	12.7	22.63	35.33	12.12	24.60	36.72	19.16	25.08	44.24
18.	उड़ीसा	291.5	109.47	400.97	562.04	114.20	676.24	1215.17	115.20	1330.37
19.	पंजाब	184.65	78.69	263.34	3.30	74.60	404.60	428.38	63.00	491.38
20.	राजस्थान	451.48	156.66	608.14	928.14	163.10	1091.24	1912.02	164.05	2076.07
21.	सिक्किम	6.76	11.49	18.25	8.6	12.90	21.50	10.56	13.20	23.76
22.	तमिलनाडु	429.79	143.66	573.45	836.88	141.50	978.38	1132.30	142.45	1274.75
23.	त्रिपुरा	20.1	14.55	34.65	40.7	15.80	56.50	60.80	16.32	77.12
24.	उत्तर प्रदेश	1229.32	370.23	1599.55	1931.2	426.60	2357.80	4131.34	426.73	4558.07
25.	पश्चिम बंगाल	564.87	174.15	739.02	673.12	172.00	845.12	1108.91	344.11	1253.02
26.	अंडमान व निकोबार	8.6	-	8.6	6.69	-	6.69	6.07	-	6.07
27.	चंडीगढ़	4.94	-	4.94	5.85	-	5.85	11.93	-	11.93
28.	दा.न. हवेली	1.56	-	1.56	2.93	-	2.93	9.81	-	9.81
29.	दिल्ली	55.3		55.3	137.91	-	137.91	257.72	27.00	284.72
30.	दमन व द्वीव	1.81	-	1.81	14.33	-	14.33	1.28	-	1.28
31.	लक्षद्वीप	3.38	-	3.38	1.73	-	1.73	1.02	-	1.02
32.	पांडिचेरी	21.88	4.30	26.18	10.51	10.00	20.51	33.72	12.40	26.12
	योग:	6968.14	2555.08	9523.22	12204.17	2695.49	14899.66	22228.72	2651.49	24880.21

(आंकड़ें अनन्तिम)

[हिन्दी]

श्री एन. जे. राठवा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि गुजरात राज्य को राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में जो धनराशि आबंटित की गई, वह वर्ष 1992-93 में आबंटित की गई धनराशि से नागमात्र ही कुछ ज्यादा है, जबकि कुछ अन्य राज्य ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 1994-95 के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो धनराशि आबंटित की गई, वह वर्ष 1992-93 में आबंटित की गई राशि से कही ज्यादा है। इस तरह का भेद-भाव गुजरात के साथ क्यों बरता गया है? क्या सरकार दूसरे राज्यों को आबंटित की गई धनराशि की भांति गुजरात राज्य को भी उसी अनुपात में धनराशि आबंटित करने पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

डा. सी. सिल्वेरा : अध्यक्ष महोदय, यदि आप अन्य राज्यों को आवंटित धनराशि का अनुपात देखें, तो गुजरात के लिए आबंटित धनराशि राज्यों की तुलना में कम नहीं है। उक्त राशि का आबंटन राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष से संबंधित आवश्यकता की गणना के आधार पर किया गया था।

[हिन्दी]

श्री एन. जे. राठवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि देश में विशेषत: पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में तपेदिक, कैंसर, मलेरिया, पोलियो और कुष्ठ रोगों की अधिकता है। क्या सरकार देश के पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्राथमिकता देकर इन कार्यक्रमों को चलाने पर विचार करेगी और इन क्षेत्रों में और अधिक

जिला परियोजनाओं का चयन करके उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : अध्यक्ष महोदय, हमने घातक रोगों को दो श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास किया है - ये हैं संक्रामक और गैर-संक्रामक रोग। दोनों ही खतरनाक हैं। लेकिन हम अब तक कुछ रोगों जैसे क्षय रोग, जिनका उपचार किया जा सकता है, पर नियंत्रण कर रहे हैं। क्षय रोग का प्रारम्भिक अवस्था में पता लग सकता है और यदि इस रोग का प्रारम्भिक अवस्था में पता लग जाता है, तो इसका उपचार किया जा सकता है। यदि इस रोग का पता अन्तिम अवस्था में भी लगता है तो भी इस रोग का उपचार किया जा सकता है लेकिन इसके उपचार पर बहुत अधिक धनराशि खर्च होगी। अत: हम क्षय रोग का पता लगाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं। जहां तक अन्य रोगों जैसे 'एड्स' और ऐसे अन्य रोग, जो और घातक हैं, तथा जिनका उपचार नहीं किया जा सकता, का सम्बन्ध है, हम निश्चित रूप से उनको रोकने के लिये यथा सम्भव उपाय कर रहे हैं। 'एड्स' रोग के मामले में रक्त आधान एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम इस सम्बन्ध में आवश्यक अन्य उपायों पर भी विचार करेंगे। मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि इन सब रोगों का मुकाबला राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यक्रम के आधार पर किया जाना आवश्यक है। हमने पालियो उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत 8 दिसम्बर, 1995 और 20 जनवरी, 1996 को समस्त देश में एक वर्ष से तीन वर्ष की आयु के बच्चों को पोलियों की दवा पिलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अत: हम इस बारे में जागरूक हैं और निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि प्रारम्भिक अवस्था में इस रोग का कैसे मुकाबला किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रत्युत्तर दिया है और जो आज के प्रश्न के उत्तर में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, वह अत्यन्त विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बिहार में कुष्ठ रोगियों की संख्या में दिनोदिन बढ़ोतरी होती जा रही है? आपके आंकड़ों के अनुसार 1991-92 में 25,000 कुष्ठ रोगी थे और 1992-93 में 86,281 कुष्ठ रोगी हो गए। अभी भी वर्तमान में 62,952 कुष्ठ रोगी हैं। यह स्थिति कुष्ठ की है, यह स्थिति मलेरिया की है। पिछली बार भी जब मलेरिया बिहार में फैला था तो बिहार के अनेक सदस्यों ने इसकी चर्चा यहां की थी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मलेरिया फैला था, तब तो आपने 1993-94 में 1099 लाख रुपए सहायता दी थी और इस साल 1994-95 में मात्र 305 लाख रुपए सहायता दी। इसके क्या कारण हैं? आप सहायता दें या न दें, आपकी पद्धति गलत है। मैं निवेदन करता हूं कि असम में 500 व्यक्ति मलेरिया के कारण मारे गए। वहां 1993 में 161 लाख रुपए सहायता दी थी और अभी 540 लाख रुपए दी है। मेरा निवेदन है कि क्या मंत्री महोदय आयुर्वेद की इस पद्धति के आधार पर कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं? मिथ्या आहार विहाराव्यां **(व्यवधान)*** . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृप्या व्यवस्थित रूप में प्रश्न करें।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या सरकार एकांगी दृष्टि त्याग कर कृपा करके समग्र नीति अपनाएगी और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का निदेशालय अलग से स्थापित करेगी या नहीं? अगर करेगी तो कब तक?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृप्या प्रश्न के कार्यान्वयन वाले भाग का उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री ए. आर. अंतुले : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि आयुर्वेदाचार्य जी ने जो फरमाया, वह बहुत हद तक सही है और मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमारी अपनी जो इनडिजीनस सिस्टम है उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी किया जाना चाहिए, वह करने के लिए हम आतुर हैं और मेरा यकीन इस बात पर है कि जो इलाज ऐलोपैथी में नहीं हो सकता, वह आयुर्वेद में हो सकता है, यूनानी में हो सकता है और होम्योपैथी में हो सकता है। इन तीनों पद्धतियों को नये तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डिपार्टमेंट की सूरत में इस मिनिस्ट्री के तहत तैयार है। उसको बढ़ावा देने की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हम कोशिश करेंगे, इतना ही मेरा सदस्य से निवेदन है।

[अनुवाद]

डा. कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखी गई जानकारी में यह बताया गया है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार क्षय रोग, मलेरिया, कुष्ठ रोग, एड्स, कैंसर और पोलियों के नियंत्रण के लिये आरम्भ किये गये कार्यक्रम विशेष रूप से सफल रहे हैं। मैं यह जानता हूं कि गत तीन वर्षों से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने मलेरिया का मुकाबला वैसे ही किया है जैसे अपने उत्तर में उल्लेख किया है। लेकिन आज के युग में यदि लोग सेरिब्रल मलेरिया से मर रहे हैं तो इसके उन्मूलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से 'एड्स' नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी चाहूंगा। जोशी जी ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बारे में बताया है। देश में इस बारे में बड़ी जानकारी है, जबकि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय 'एड्स' नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य इस रोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। जहां तक मुझे जानकारी है, कानपुर के डा. सक्सेना ने 'इम्युनेज' नामक एक दवाई का विकास किया है जो एक नई पद्धति पर आधारित है। मेरा विचार है कि अब तक यह मंत्रालय भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों-नौकरशाही पर नियंत्रित था और इस मंत्रालय से नौकरशाही को समाप्त करने का प्रस्ताव था। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस बारे में क्या स्थिति है? मेरा यह सुझाव है कि यह मंत्रालय सचिव स्तर के एक चिकित्सक के नियंत्रणाधीन होनी चाहिये?

श्री ए. आर. अन्तुले : यह सच है कि कुल मिलाकर हम वही आंकड़े देते हैं जो हमें राज्यों से प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य डा. भोई के इस विचार से सहमत हूं कि हमारा एक गैर-नौकरशाही तंत्र होना चाहिये। हमें पूर्णतया केवल राज्यों से प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। इस मामले में दोनों सदनों के सदस्य बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं यदि वे सरकार को विश्वास में लें और यह बतायें कि उनके क्षेत्रों में मलेरिया से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है अथवा मलेरिया के कितने मामले हुए हैं। मेरा विचार है कि यदि वे इस मामले में राज्य सरकारों और अन्य सामाजिक कर्मचारियों के साथ हमारी सहायता करते हैं तो हम वर्तमान स्थिति की तुलना में और अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही कर सकते है।

डा. बी. जी. जावाली : अध्यक्ष महोदय, निसन्देह: यह एक व्यापक प्रश्न है लेकिन मैं केवल मलेरिया रोग तक ही सीमित रहूंगा और मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जो कि मेरे डाक्टर सहयोगी ने अभी अभी कहा है।

चार्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों में निश्चित रूप से कमी हुई है। लेकिन चिकित्सा व्यवसाय में एक ऐसा दिन भी था जब प्रत्येक बुखार को मलेरिया माना जाता था जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाये और उन्मूलन कार्यक्रम के कुछ दशक बाद इस मामले में कुछ राहत दिखाई दी और चिकित्सा व्यवसाय ने इस रोग के बारे में सोचना लगभग बन्द कर दिया। लेकिन गत 5-6 वर्षों से यह विचार फिर पैदा हो गया है कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। आंकड़ों से यह पता लगता है कि मलेरिया के मामलों में कमी आई है लेकिन अनुभव से यह पता लगता है कि शायद मलेरिया के मामलों में वृद्धि हुई है, चाहे वह विभिन्न रूप और प्रतिरोधी रूप में हुई हो।

अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बारे में और ध्यान देगी और यह देखेगी कि क्या मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को उसी ईमानदारी से चलाया जा रहा है जिस ईमानदारी से उसे पहले आरम्भ किया गया था। जहां तक हमारी जानकारी है मलेरिया के मामलों में कभी नहीं बल्कि वृद्धि हुई है।

श्री ए. आर. अन्तुले : जी हां, अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बारे में दो बार नहीं बल्कि तीन और चार बार ध्यान देने को तैयार है और मैं पूरी ईमानदारी से आपको और आपके माध्यम से सम्मानीय सदन को यह सूचित करता हूं कि कोई दो तीन दिन पहले माननीय सदस्य को विदित है - मैंने अन्य बातों के साथ इस विषय पर सभा के डाक्टर सदस्यों से चर्चा की थी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि यदि वे सत्र के दौरान अथवा सत्र के बाद कुछ समय निकाल सकते हैं, तो हम अपने सहयोगियों, अधिकारियों के साथ और संसद के उन सदस्यों के साथ जो सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं, बैठकर सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं ताकि वे जो इस सम्बन्ध में त्रुटियां महसूस करते हैं, उन्हें दूर किया जा सके।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : मुझे खुशी है कि सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि जो भी कार्यक्रम वह इन चार बड़ी बीमारियों के बारे में चला रही है वह आंशिक रूप से सफल रहे हैं। ये चार अथवा पांच बड़ी बीमारियों क्षय रोग, मलेरिया, कुष्ठ रोग, एड्स और कैंसर से प्रति वर्ष लाखों व्यक्ति मरते हैं और स्वतन्त्रता के 47 वर्ष के बाद भी हम यह कह रहे हैं कि हम इन बीमारियों पर नियंत्रण रखने पर आंशिक रूप से सफल हुए है। मेरे विचार से, जहां तक आधार भूत ढांचे का सम्बन्ध है, हम अभी तक अधिकांश क्षेत्रों और अधिकांश जिलों तक नहीं पहुंच पाये हैं। विभिन्न रोगों के बारे में अनेक बार सदन में चर्चा की जा चुकी है, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस बारे में स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें। डाक्टरों से सीधे विषय पर आने का अनुरोध किया गया है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल : मैं विषय पर आ रहा हूं। गत एक दशक से एक नये प्रकार का मलेरिया रोग, जिसे 'फाल्सीपारम मलेरिया' के नाम से जाना जाता है, से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 1986 में एक नई स्वास्थ्य नीति तैयार की गई थी और दिवंगत प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने भी यह कहा था कि वर्ष 2000 तक वे सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा देंगे। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि नये परिपेक्ष्य में, इन घातक रोगों के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है। सब क्षेत्र के लोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना क्या है और चिकित्सा सुविधा कब तक उपलब्ध हो जायेगी।

श्री ए. आर. अन्तुले : यह सच है कि सरकार वर्ष 2000 तक सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपनी घोषित नीति के प्रति कटिबद्ध है और हम उससे विचलित नहीं हो रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य का यह कथन भी ठीक है और मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि वर्ष 2000 तक पहुंचने में केवल चार वर्ष शेष हैं और यह चिन्ता का विषय है कि हमारे लिये यह लक्ष्य प्राप्त करना वास्तव में

सम्भव नहीं है। यद्यपि सबको चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की हमारी घोषित नीति है और हम इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। तथापि मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से माननीय सदस्य और समस्त सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इन सब मामले में पूरी सावधानी बरती जा रही है। मैं और मेरे सहयोगी इस मामले में निजी रूचि ले रहे हैं। हमें इस सदन के न केवल चिकित्सक सदस्यों बल्कि इन घातक रोगों के उन्मूलन अथवा उनको न्यूनतम करने के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से सुझाव आमंत्रित है। अतः इस सम्बन्ध में चिन्ता का कोई कारण नहीं है और इस बारे में यथा सम्भव उपाय किये जायेंगे। मैं तो केवल यही आश्वासन अध्यक्ष महोदय के माध्यम से दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष जी, इस सभा गृह में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मुम्बई से आते है और मुम्बई की भीड़ के बारे में उनको पता है। भीड़ के कारण लोगों को टी.बी. की बीमारी होती है और ओपन गटर होने के कारण मलेरिया बढ़ रहा है। मेरे क्षेत्र में और मेरे आसपास के क्षेत्र में एक लाख महिलायें, जो वेश्याएं हैं, एड्स की बीमारी से ग्रस्त हैं, यह आंकड़े मैं डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार बता रहा हूं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उनकी ट्रीटमेंट के लिये हम कोई फुल्फ्लैज्ड हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते हैं। दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि डब्ल्यू.एच.ओ. से हमें कितनी मदद आती है, उमकी फीर्गस क्या है और उसमें से कितनी यहां इस्तेमाल की गयी है?

श्री ए. आर. अन्तुले : रावले साहब ने जो सवाल पूछा वह बहुत महत्त्वपूर्ण है और बहुत हद तक उसे हम फण्डामेंटल या बेसिक समझ सकते हैं क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि भीड़ के कारण और ओपन गटर के कारण बीमारी फैलती है, अगर पानी ठीक नहीं है या हवा ठीक नहीं है, जो हम इन्हेल करते है या सांस लेते हैं तो हम हजारों करोड़ रुपये भी रोग या बीमारी की रोकथाम पर या हैल्थ केयर पर क्यों न खर्च कर दें, उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। यदि ट्रांसफ्यूशन ब्लड के अंदर कोई बीमारी हो या कंटैमिनेशन हो तो रोगी को किसी उपाय से उसका कोई फायदा नहीं होगा, आदमी फौरन मर जायेगा। इसीलिये हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से सहमति लेकर एक उच्चस्तरीय स्टडी ग्रुप तैयार करने के बारे में सोचा है तथा एन्वायरनमैंट के सिलसिले में, पानी के सिलसिले में और हैल्थ केयर के संबंध में हमें क्या क्या करना चाहिये, उसके बारे में हम ये स्टडी ग्रुप का कदम उठा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको मालूम हो जायेगा कि हम मंत्री की अध्यक्षता में कई इंडीपैन्डेंट एक्सपर्ट्स का, जिनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं हैं, एक हाई लेवल स्टडी टीम बनाने वाले हैं जो इन सारी चीजों में जायेगा। रावले साहब ने जो प्रश्न यहां किया है, उसे भी हम उसके भीतर समाविष्ट करेंगे। लेकिन जहां तक मुम्बई में हास्पीटल खोलने का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। इतना जरूर कहूंगा कि हम देखेंगे कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है क्योंकि यह भीड़ की समस्या केवल मुम्बई की ही नहीं है। यह भीड़ तो कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली एवं अन्य शहरों में भी है। यदि हम मुम्बई में इस चीज को करने की कोशिश करेंगे तो फिर दूसरों के साथ नाईसाफी होगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए यह हम देखेंगे।

श्री मोहन रावले : डब्ल्यू.एच.ओ. ने कितना धन दिया है?

श्री ए. आर. अन्तुले : डब्ल्यू.एच.ओ. से काफी मदद मिलती है। उस मदद के बारे में माफ कीजिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रोग्राम्स एक्सटर्नल एड्स के होते हैं वे सब हम स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से थ्रू इम्पलीमेंट करते हैं। इसकी वजह से हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। मेरी नजर में आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है जिसकी वजह से हमको सोचने का भी मौका मिलेगा और हम देखेंगे कि एक्सटर्नल एड जिस काम के लिये आई है, बोरोइंग्स या लोन्स हैं, उस काम के लिये ही वह इस्तेमाल हो और अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, तो कुछ न कुछ मानिटरिंग की जाए, इस बारे में भी देखेंगे। आपने यह सवाल पूछकर हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया है। इसके बारे में हम अवश्य करेंगे।

श्री मोहन रावले : डब्ल्यू.एच.ओ. से आपको 72 करोड़ रुपए मिलते हैं।

श्री ए. आर. अन्तुले : हमको इसके बारे में पता है। यह सही बात है। (व्यवधान)

मुझे उनके सवाल का जवाब देने दीजिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। वहां से हमारे पास बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट का होने के कारण पैसे देने वाले और हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ धन तो डायवर्ट भी होता है। धन किसी काम के लिए दिया जाता है और वह किसी और काम पर खर्च किया जाता है। कुछ धन लैप्स होता है। हमारी इस बारे में कोशिश है और इस प्रश्न से इस हाउस का उद्देश्य सफल हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस धन की मानिटरिंग हो और मानिटरिंग का क्या सिस्टम हो इस पर भी सोचेंगे। यानी डायरैक्ट पंचायती राज या डायरैक्ट डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हम काम करके सफलता दिला सकते है। गोया हम डायरैक्ट ग्रासरूट तक पहुंच सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत जल्द सोचेंगे।

विदेशी पूंजी निवेश

***42. श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राशि का निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों का सन्तुलित विकास नहीं हो रहा है;

(ग) सरकार को इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों के संतुलित विकास के लिए विदेशी कम्पनियों को सहमत करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) :

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) प्रत्येक राज्य का कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अलग-अलग है, जिसे अनुबंध में देखा जा सकता है।

(ख) से (घ). परियोजना के लिए स्थापना स्थल का चयन निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णयों पर निर्भर करता है। यह विद्युत, भूमि, पानी, आदि जैसी पर्याप्त व भरोसेमंद बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें भी निवेश को आकर्षित करने के लिये प्रोत्साहन व राज-सहायता मुहैया करती है क्योंकि राज्य में औद्योगिक विकास करने की जिम्मेदारी उन्हीं की हैं। कई राज्य सरकारें विभिन्न संवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से विदेशी निवेश को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों की ऐसे प्रयासों में सहायता करता है।

सरकार विदेशी निवेश के बारे में नीतिगत ढांचे की निरंतर समीक्षा करती है ताकि इसे निवेशकों के लिए अधिकाधिक अनुकूल और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा बनाया जा सके।

अनुबंध

1.8.91 से 30.6.95 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदनों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	कुल संख्या	अनुमोदित निवेश (रुपये करोड़ में)
1	2	3
महाराष्ट्र	473	5744.52
पश्चिम बंगाल	101	3701.31
दिल्ली	241	3575.19
गुजरात	143	2414.29
तमिलनाडु	288	2451.45
आंध्र प्रदेश	168	1306.29
मध्य प्रदेश	61	989.68
उड़ीसा	25	1743.62
कर्नाटक	208	783.74
पंजाब	35	513.62
राजस्थान	87	458.25
हरियाणा	148	432.08
उत्तर प्रदेश	123	820.96
पाण्डिचेरी	18	115.03
गोवा	22	90.92
चण्डीगढ़	10	72.36
बिहार	12	79.29
दादर नगर और हवेली	11	47.22
केरल	36	85.49
हिमाचल प्रदेश	16	279.69
अरूणाचल प्रदेश	2	11.06
दमन और दीव	6	5.48
अण्डमान और निकोबार	5	0.98
असम	4	1.50
त्रिपुरा	1	0.68
लक्षद्वीप	1	0.50
*अन्य राज्य (जिनका उल्लेख नहीं किया गया है)	1077	9356.13
योग :	3322	35081.38

* आवेदक द्वारा नहीं दर्शाए/अंतिम रूप दिए गए स्थान।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूंजी निवेश के सम्बन्ध में जो समझौते हुए हैं, उनके आलोक में क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ेगा कि नहीं?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जहां तक देखा गया है कि क्षेत्रीय असंतुलन नहीं बढ़ा है। हमने आंकड़े देखे हैं। हमारी नयी नीति की शुरूआत होने के पहले और उसके लागू होने के बाद, दोनों में तुलना करके देखने से मुझें कोई असंतुलन या इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं लगा है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं।

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी जो तालिका प्रस्तुत की है, उसमें ही क्षेत्रीय असंतुलन दृष्टिगोचर हो रहा है। इसमें जिन प्रदेशों में जितनी अधिक सम्पन्नता है, उन्हीं राज्यों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया है यह स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में वहां की राज्य सरकारों ने कोई पहल नहीं की है और जो विकसित नहीं है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आते हैं जिनमें विकास की गति को एक समता-संतुलन तक पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असन्तुलन के तहत जो पिछड़े राम्य हैं, उनको इसके समकक्ष बनाने क लिए क्या योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्यक्रम शुरू करेंगे?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैंने असन्तुलन की बात कही। असन्तुलन हमें आंकड़ों से नजर नहीं आता। यह कार्यक्रम राज्यों की सूची में है इसलिए बहुत कुछ पहल उनको करनी पड़ती है और अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बाहर जाने लगे हैं और बाहर से पूंजी निवेश के लिए पूरा प्रयास करने लगे हैं। यह सही है कि कुछ और राज्यों ने अभी शुरू नहीं किया है। हाल में अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए हैं क्योंकि वहां हमारे काफी साधन मौजूद हैं। इस तरह से यह एक तरीका चल पड़ा है और मुख्यमंत्रियों की दिलचस्पी बढ़ रही है तो मैं समझता हूं कि उन राज्यों में भी पूंजी निवेश बड़े पैमाने पर बढ़ने लगेगा जहां आज उसकी कमी है। हरियाणा में बहुत अच्छा हो रहा है, हिमाचल में बहुत अच्छा हो रहा है। एक-दो ऐसे राज्य है जो बहुत बड़े हैं। जरा हिलने में देर लगती है लेकिन यदि एक बार हिल पड़े तो फिर बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्षेत्रीय असंतुलन जीवन का तथ्य है क्योंकि पहले लाइसेंसिंग तंत्र था। उन दिनों लाइसेंस कुछ राज्यों तक ही सीमित थे और इस प्रकार अन्य राज्यों की वास्तव में उपेक्षा की जानी थी। उदारीकण और प्रत्यक्ष निवेश का एक उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना भी है क्योंकि निवेशक अब अपनी इच्छानुसार कहीं भी निवेश कर सकते हैं। अत: उदारीकण नीति को कार्यान्वित करने के बाद क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के कुछ सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आये हैं। लेकिन विदेशी निवेश को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता, जबकि यह तथ्य है कि अनेक राज्य विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें इस सम्बन्ध में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय असंतुलन अभी भी विद्यमान है, और उदारीकण के बाद भी उसे दूर नहीं किया जा सका है, मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों को और अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी जिनमें निवेश की कमी है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, मुझे विश्वास है कि विकास केन्द्रों के पूरा होने पर भारी विकास होने की सम्भावना है। विकास केन्द्र अभी स्थापना की प्रारम्भिक अवस्था में हैं। 70 में से 69 केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं और उनमें कार्य चल रहा है। मेरे विचार से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर भी, हमारी आदत और प्रवृत्ति ऐसे स्थानों पर उद्योग स्थापित करने की बनी रहेगी जहां मूलभूत ढांचा उपलब्ध है। इसीलिये विकास केन्द्रों का ध्यान मूलभूत ढांचे पर केन्द्रित है। मुझे आशा है कि अन्तत: असंतुलन में कमी आयेगी। अन्य रियायतें जैसे परिवहन में राज सहायता आदि दी गई है। यदि आवश्यक हुआ तो हम और कार्यवाही करने पर विचार करेंगे। लेकिन यदि माननीय सदस्य इस बारे में अपने सुझाव देते हैं, तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं उनके सुझावों पर विचार करने, उनकी जांच करने और यदि वे व्यावहारिक होंगे, तो उन्हें लागू करने के लिये तैयार हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि हमारे प्रदेशों में जो पूंजी निवेश हो रहा है, क्या यह प्रदेशों की समृद्धि बढ़ाने के लिए हो रहा है या उनकी प्राकृतिक सम्पदा का दोहन करने के लिए हो रहा है? जैसे उदाहरण के लिए बिहार में 12 इनवैस्टमेंट के आर्डर दिए गए हैं जिसमें करीब 80 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। क्या यह सिर्फ वहां की खनिज सम्पदा का दोहन करने के लिए हो रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप राय जानना चाहती हैं। जिसकी अनुमति नहीं है। यदि आप प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो पूछें।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : ओपिनियन नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या इन प्रदेशों के लोग टर्म इण्टरैस्ट को ध्यान में रखा गया है या खनिज संपदा का दोहन करके, टैनरीज खोलकर या इन्सैक्टीसाइडस की फैक्टरी खोलकर हमारे वातावरण को, पर्यावरण को दूषित करने के लिए यह हो रहा है, क्या इस बात की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है?

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, अधिकांश राज्यों में औद्योगिकीकरण इतना कम है कि इससे दीर्घावधि में राज्यों को किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न ही नहीं है। प्रचुर मात्रा में सम्पदा उपलब्ध है।

[हिन्दी]

खनिज सम्पदा मौजूद है, दूसरी सम्पदा मौजूद है, लेकिन जब आप उन पर आधारित कोई उद्योग लगाते हैं तो उनकी आवश्यकता थोड़ी बहुत होती ही है। उनको खोदना पड़ता है, उनको निकालना पड़ता है, उन्हीं पर आधारित यह होता है, उनको नहीं छूते हुए औद्योगीकरण तो हो नहीं सकता। हम इस बात की जरूर गारण्टी दे सकते हैं, आपको आश्वासन दे सकते हैं कि लम्बे समय में ऐसा शोषण नहीं होगा, जिससे इन राज्यों का कोई नुकसान हो।

[अनुवाद]

कुछ दोहन की आवश्यकता है क्योंकि इसी पर सब कुछ आधारित है। यदि हमें संसाधनों का उपयोग करना है और इन संसाधनों के आधार पर उद्योग स्थापित करने हैं, तो स्पष्टतया जब तक हम नये संसाधनों का पता नहीं लगायेंगे तो वर्तमान संसाधन घटते जायेंगे। अन्तत: संसाधनों की पूर्णतया कमी हो जायेगी। हमें इस बारे में ध्यान देना होगा। हमारे देश में उत्कृष्ट किस्म लोह-अयस्क का उत्पादन होता है। हमें यह देखना होगा कि भविष्य में यह नष्ट न हो जाये।

शायद ऐसा आगामी सौ अथवा 150 वर्ष बाद हो। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम संसाधनों का औद्योगिकीकरण के लिये कितना उपयोग कर रहे हैं और खनिज भंडार से कितनी मात्रा में खनिजों का उपयोग किया जा रहा है।

श्री किरिप चलिहा : नियंत्रित अर्थव्यवस्था के दौरान भी क्षेत्रीय असंतुलन होना हमारे लिये गम्भीर चिंता का विषय है। यद्यपि मैं आर्थिक उदारीकण के लाभों को क्षेत्रीय असंतुलन से जोड़ना नहीं चाहता तथापित तथ्य यह है कि विभिन्न राज्यों में विदेशी पूंजी निवेश भिन्न-2 है। इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर में आसाम जैसे राज्यों में यह सामान्य भावना है कि वहां कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारतीय विकास और भारतीय आर्थिक समृद्धि के आदर्श बन गये हैं जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय सभ्यता पूर्णतया नष्ट हो गई है। ऐसी भावना वहां पहले ही विद्यमान है। वास्तव में वियोजन का मुख्य विषय यही है। अब स्वार्थी लोगों द्वारा इस पर बल दिया जा रहा है। मुझे पता है कि प्रधान मंत्री आसाम और अन्य राज्यों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद यह तथ्य है कि राज्यों को विदेशी निवेश प्राप्त नहीं हो रहा है। भारतीय उद्योगपति राज्यों में निवेश करने से हिचकते है। आधारभूत ढांचे संबंधी कठिनाईयां इस सम्बन्ध में मुख्य बाधा हैं।

क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार की है जिससे स्थिति का मुकाबला किया जा सके और स्थिति को और खराब होने से बचाया जा सके?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हमें कुचक्र का सामना करना पड़ता है। यदि आधारभूत ढांचा नहीं है तो वहां उद्योग स्थापित नहीं किये जायेंगे। अत: आपका आधारभूत ढांचा उद्योग स्थापित करने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। पूर्वोत्तर के मामले में हम ऐसा ही कर रहे है। उदाहरण के लिये हमारे पास गैस के भंडार हैं। हमने हाल ही में वहां गैस पर आधारित परियोजनाएं आरम्भ की हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष हैं? अत: न केवल पूर्वोत्तर राज्यों में बल्कि सर्वत्र आधारभूत ढांचा उद्योग स्थापित करना हमारी पहली प्राथमिकता है क्योंकि औद्योगिकीकरण के और विकास के लिये इसकी बहुत आवश्यकता है।

अत: इस कुचक्र को समाप्त करना होगा। देश में बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम आरम्भ कर हम इस कुचक्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूर्वोत्तर राज्यों की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यह सर्वविदित है कि बड़ी परियोजनाओं के पूरा होने में समय लगता है। ये बड़ी परियोजनाएं हैं। इनके पूरा होने में समय लगता है। कुछ नीति सम्बन्धी निर्णय हैं जिनसे हमें कठिनाई हो रही है। इन कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। एक बार कार्य आरम्भ हो जाता है तो मेरे विचार से देश के आधारभूत उद्योगों की स्थापना आरम्भ हो जायेगी। लेकिन हमें कठिनाईयों के आरम्भिक दौर से गुजरना पड़ रहा है। मुझे आशा है कि आगामी कुछ महीनों में हमारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और सब कार्य सुचारू रूप से होना आरम्भ हो जायेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं संतुलित विकास के बारे में प्रश्न नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है कि इस सम्बन्ध में हमारी बहुत योजनाएं हैं और हम निर्दिष्ट योजना की ओर अग्रसर हुए हैं और इस बारे में काफी चिंता व्यक्त की जा चुकी है।

मैं संसाधनों का भी उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैलाडेला आदि का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मेरे प्रश्न का भाग (क) यह है कि स्वीकृत की गई कितनी परियोजनाएं वास्तव में सफल रही हैं? मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव अस्वीकार किये गये और उन्हें किन कारणों से अस्वीकार किया गया? क्या उनको अस्वीकार करने के पर्याप्त कारण थे। मेरे प्रश्न का भाग (ग) यह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इन प्रस्तावों में कितने प्रस्ताव प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित थे? इनका कितना भाग प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित था? कितना भाग प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित नहीं था लेकिन ऐसी कम्पनियों के अधिग्रहण से सम्बन्धित था जिनके विदेशी होने के परिणामस्वरूप हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। मैं यह सब जानना चाहता हूं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना कि प्रत्येक उद्योग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी तथा पूंजी कितनी है, कठिन है। हम सब बातों की जांच करते हैं। इस कार्य के लिये एक तंत्र है। यह इन सब बातों की ओर ध्यान देता है और यह देखता है कि क्या यह हमारे और हमारे देश के लिये आवश्यक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इस बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हम ऐसा करते हैं। हम इन बातों को शामिल करते हैं। इसीलिये मैं सदन को एक बार फिर जानकारी देता हूं, मेरे विचार से मैं इस बारे में पहले भी सदन को अनेक बार सूचित कर चुका हूं कि विदेशियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले 80 प्रतिशत से अधिक उद्योग आधारभूत ढांचे पर आधारित हैं। वे केवल आधारभूत उद्योग हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कितने प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और किन कारणों से?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मेरे पास अस्वीकृत किये गये प्रस्तावों की वास्तविक सूची नहीं है। मेरे विचार से केवल एक प्रस्ताव परसों अस्वीकृत किया गया था। लेकिन इससे पूर्व अनेक प्रस्ताव मेरे स्तर तक पहुंचने से पूर्व अस्वीकार किये गये होंगे। यह सम्भव है और मैं इसकी संख्या और इस बारे में विस्तृत जानकारी दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री

जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जो विदेशी निवेशकर्ता हैं उनकी वाणिज्यिक सुविधा के हिसाब से पूंजी निवेश राज्यों में हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहा है।

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हमने कहा है वाणिज्यिक निर्णय।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : शुरू में कहा है। निवेशकों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है, यह कहा है। जो मध्य भारत है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी भी निवेशकर्ता के लिए वह सुविधाजनक स्थान हो सके। यहां से जितना समय पटना जाने में लगता है, उतने समय में आप विमान द्वारा वाशिंगटन जा सकते है। पटना में कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरकार्गो नहीं है और न ही वहां आप इंटरनेशनल पोर्ट बना सकते हैं। आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए जिस रूप में मुख्य मंत्रियों की सारी कोशिशों के बावजूद जो हमारे तटवर्ती इलाके हैं वहां जितना पूंजी निवेश होगा, मध्य भारत में उसकी सम्भावना कम है। इसीलिए आंकड़े सिद्ध करते हैं कि महाराष्ट्र में जहां 5744 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है वहीं पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में क्रमशः 820 करोड़ रुपये और 79 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आने वाले दिनों में विदेशी पूंजी निवेश के ऊपर यदि हम औद्योगिक विकास करेंगे तो जो पिछड़े राज्य हैं वे लाजिमी तौर पर और पिछड़े होंगे। इस परिस्थिति में मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राज्य विदेशी पूंजी को उस मात्रा में आकर्षित करने में पिछड़ जाते है क्या उनको भी अगड़े राज्यों के समतुल्य बनाने के लिए राष्ट्रीय पूंजी निवेश करने की कोई योजना भारत सरकार की है?

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि जो राज्य देश के मध्य स्थित हैं वे निश्चित रूप से पिछड़ जायेंगे। अतः मेरा इसे स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सच नहीं है। पहले भी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित किये गये हैं। यह सम्भव है कि कुछ अवधि में ऐसा नहीं हुआ हो। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश अथवा बिहार अथवा हरियाणा में औद्योगिकीकरण सम्भव नहीं है। इस बारे में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने भी असहमति प्रकट की है। अतः मैं मात्र कल्पना के आधार पर किसी बात का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, देश के भविष्य के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशी पूंजी निवेश के सिलसिले में प्रधान मंत्री जी सहमत होंगे कि यह विदेशी कंपनियां आने के बाद देशी इंडस्ट्री को निगल रही हैं। मैं कह रहा हूं कि सौफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री के बारे में प्रधान मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशी पूंजी निवेश के तहत जब देशी इंडस्ट्रीज का आध्यात्मिक खात्मा होता जा रहा है तो फिर इंडस्ट्रिएलाईजेशन का क्या होगा। दूसरे यह कि 35 हजार करोड़ रुपया 1991 से अभी तक विदेशी पूंजी निवेश का आया है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान जैसे गरीब देश को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है। 35 हजार करोड़ रुपया खर्च होने के बाद क्या प्रधान मंत्री जी ने कोई स्टडी की है कि इसका रोजगार के ऊपर क्या असर है। कितने रोजगार बढ़े हैं, यह भी हमारा सवाल है। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. वी. नरसिंह राव : स्वीकृत विदेशी निवेश लगभग 35,081 करोड़ रुपये है और इसी अवधि में देशीय निवेश 4,04,277 करोड़ रुपये हैं। अतः मैं यह नहीं समझता कि कोई एक दूसरे को निगल रहा है। कुल 2,078 आशय पत्र जारी किये गये हैं। इनसे निजी क्षेत्र में जहां लाइसेंस आवश्यक हैं, इनसे 58,149 करोड़ रुपये का कुल निवेश होने का अनुमान है। अतः कुल ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : प्रधान मंत्री जी ने सौफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का उदाहरण दिया है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : उन्होंनें 5 लाख करोड़ लगाये हैं और हम बाहर से 35 हजार करोड़ ले आये हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई किसी को निगल नहीं रहा है, हमारे लोग बड़े खुश हैं और जब कभी मिलते हैं, वे अपनी खुशी का इजहार भी करते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

रोजगार के बारे में कुछ गणना की गई है। हमने कुछ आंकड़े निकाले है....

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विश्व बैंक ने निवेश के प्रवाह के बारे में कुछ टिप्पणी की है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : निवेश सम्बन्धी निर्णय के परिणामस्वरूप लगभग 41 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और इससे ही हमने ये आंकड़े निकाले हैं।

रेडियोधर्मी जल का रिसाव

*43. + **श्री लोकनाथ चौधरी :**

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को विश्व के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने से पूर्व तारापुर में हो रहे रेडियोधर्मी जल के रिसाव की जानकारी एक माह से भी अधिक समय से थी;

(ख) यदि हां, तो इस जानकारी को गोपनीय रखने के क्या कारण थे;

(ग) क्या भारत और अमरीका परमाणु सुरक्षा पहलुओं पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस दुर्घटना के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल के रिसाव और इसके कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों/विस्थापित किसानों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) :

(क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को उस घटना की जानकारी थी जिसमें तारापुर स्थित अपशिष्ट अचलीकरण संयंत्र में से कुछ रेडियोधर्मी जल का रिसवा हो गया था परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने इस घटना की सूचना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को दे दी थी।

(ख) इस घटना का प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से किए गए मापन ने स्पष्टत: यह स्थापित कर दिया था कि इस घटना के परिणामस्वरूप लोगों की आबादी वाले क्षेत्र में विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि यह इस संयंत्र के परिसर के भीतर ही उन्मुकत हुई थी।

(ग) और (घ) जुलाई, 1994 और फरवरी, 1995 में ऊर्जा सचिव सुश्री हेजल ओ लियरी की भारत-यात्रा के दौरान भारत और अमरीका ने नाभिकीय सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया था और यह सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष नाभिकीय प्रौद्योगिकी, विशेषकर नाभिकीय सुरक्षा, के क्षेत्र में सहकार करने के क्षेत्रों का पता लगाएं।

(ङ) यह एक छोटी सी घटना है और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के अन्तर्राष्ट्रीय नाभिकीय घटना पैमाने के अन्तर्गत इसे निम्नतम स्तर, अर्थात, नम्बर 1 पर वर्गीकृत किया गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड गठित स्थाई सुरक्षा समितियों द्वारा किए जाने की एक मानक पद्धति है। इसके स्वरूप को देखते हुए इसे किसी व्यक्ति विशेष की गलती नहीं माना जा सकता।

(च) जैसे ही इसका पता लगा, वैसे ही प्रभावित क्षेत्र, जो कि इस संयंत्र के परिसर के भीतर ही है, के साथ-साथ रिसाव के स्रोत को पृथक कर दिया गया। थोड़े से क्षेत्र की संदूषित मृदा को हटा दिया गया। इस घटना की वजह से कोई क्षति नहीं हुई है।

(छ) चूंकि, की गई जांच से स्पष्टत: पता चल गया कि यह एक छोटी सी घटना थी औ पूर्णत: तारापुर परमाणु बिजलीघर के अपवर्जन क्षेत्र के भीतर ही घटित हुई है, अत: मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता। विकिरण का स्तर इतना था कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ सकता था। इस घटना की वजह से किसी भी व्यक्ति को विस्थापित करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपवर्जन क्षेत्र के भीतर जन-आबादी नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में रिसाव कब हुआ और कितने समय बाद इसका पता लगा। यदि इसका पता लग गया था तो विदेशी समाचार पत्रों में इस घटना को क्यों प्रकाशित किया गया? यदि सहमति के अनुसार इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना था तो देश में समाचार पत्रों में इस घटना के प्रकाशित होने से पहले विदेशों में इस घटना के बारे में प्रचार कैसे किया गया?

अध्यक्ष महोदय : आप समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर सरकार को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा हूं। शायद सरकार ने यह सोचा होगा कि इस घटना का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस घटना की जानकारी कैसे प्राप्त हुई?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : घटना की सूचना 22 मई, 1995 को दी गई। पूर्ण सत्यता और जांच के बाद इस घटना की जानकारी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी को जुलाई के प्रथम सप्ताह में दी गई। मैं यह कैसे कह सकता हूं कि विश्व प्रेस ने इस घटना को इस प्रकार क्यों लिया। लेकिन हमारा यह कथन है कि इस घटना का इस क्षेत्र के जीवन और जल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा हैं

श्री लोकनाथ चौधरी : ऐसी सूचना मिली है कि संदूषण रोकने के लिए 3.5 टन मिट्टी को हटा दिया गया है। यह भी कहा गया है कि कुओं को भी अलग कर दिया गया है। दूसरी बात यह कि सरकार कहती है कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन डाक्टरों की यह राय है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट का तत्काल प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव 35 वर्ष बाद एक लम्बी अवधि के बाद भी पड़ सकता है, अत: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को इस बात का पूरा विश्वास कैसे है कि इसका जनता के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : परमाणु ऊर्जा आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा जांच किये जाने पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि घटना क्षेत्र में नहीं हुई। जो भी घटना हुई वह, कैम्पस के भीतर ही हुई।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने दूसरे सदन में इस बात के

लिए आश्वस्त किया था कि इस बात की कोई संभावना नहीं है हम पूरी तरह से नियंत्रण किये हुए हैं, किसी प्रकार से कोई रिसाव संभव नहीं है। आपके नियंत्रण बोर्ड के सर्टिफिकेट के बावजूद भी इस प्रकार का रिसाव हुआ और उसके कारण खतरा पैदा हो गया था। अब जैसा कि आपने कहा कि यह इस परिसर में हुआ था इसलिए दूर तक उसके परिणाम आने स्वाभाविक नहीं थे, लेकिन इस प्रकार की त्रासदी भोपाल में भी हुई थी और आज तक लोग उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। क्या इस बात की संभावना से इंकार किया जा सकता है कि इस तरह के दुष्परिणाम की संभावना नहीं बची है? क्या अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है या अमेरिका के साथ आपका जो संबंध है उस एजेंसी के द्वारा इसका कोई परीक्षण किया जा चुका है अथवा नहीं किया गया है तथा उसके परिणाम क्या है?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष जी, अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इसके दुष्परिणाम नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उत्तर में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह एक मामूली घटना थी। लेकिन यदि ऐसी ही घटनाएं विभिन्न परमाणु स्टेशनों पर होती हैं तो कभी न कभी बड़ी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि गत 7 अथ्वा 8 वर्षों में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगी कि हाल ही में ऊर्जा रिएक्टरों में कितनी दरारें आईं।

अध्यक्ष महोदय : आप आंकड़े बाद में भेज सकते हैं।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य को इस बारे में विस्तृत जानकारी भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, तारापुर एटोमिक एनर्जी प्लांट मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। जिस समय मुझे इस बात का पता चला मैंने तुरंत इसकी जानकारी एटोमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन को दी। मुझे इस बात का गर्व है कि अपने देश में वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार की प्रगति की है उसके कारण विदेशों के कई अखबार हमसे जलते हैं, अखबारों में गलत-सलत प्रकार के वृत्त चित्र देते हैं। प्रधान मंत्री जी नहीं थे तो मैंने स्वयं इस घटना के बारे में चतुर्वेदी जी को बताया था। उन्होंने भी कहा था कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। मैंने प्रार्थना की थी कि आप उस क्षेत्र में विजिट करिए जिससे लोगों का विश्वास बढ़े। अब मेरा सवाल यह है कि इस बारे में जो सिक्योरिटी की बात कर रहे है, क्या उसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे और साथ ही साथ वहां जो सिक्योरिटी जोन में ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य अभी सभा में दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सिक्योरिटी जोन में 1300 परिवार आज भी हैं। क्या आप उनको वहां से दूसरी जगह लेकर उनका पुनर्वास जल्दी करने की कोशिश करेंगे, यह मेरा सवाल है?

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : मेरा निवेदन यह है कि सिक्योरिटी जोन में इनहेबीटेंट्स नहीं हैं, सिक्योरिटी जोन के बाहर हैं और उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। वहां किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

एड्स नियंत्रण

*44. + **श्री अन्ना जोशी :**

डा. लाल बहादुर रावल ;

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एड्स के रोगियों की संख्या कितनी है तथा परीक्षण के बाद कितने लोगों में एच.आई. वी. पाजिटिव पाया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) देश में कौन-कौन से राज्य अभी तक एड्स रोग से मुक्त हैं; और

(घ) एड्स के फैलने को कारगर ढंग से रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) 30 जून, 1995 को समाप्त अवधि का अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ख) अनुबंध-2 संलग्न हैं।

(ग) अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों और संघ शासित प्रदेश दमन और द्वीव से एच.आई.वी. एड्स के कोई मामले सूचित नहीं किये गए हैं।

(घ) एड्स को रोकने और नियंत्रित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक विस्तृत कार्यक्रम वर्तमान में पूरे देश में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की रणनीतियों में आम जनता को उच्च जोखिम कदहार और एच.आई.वी. एड्स के बारे में जागरूक करना, सैक्स से योन संचारित बीमारियों का नियंत्रण, रक्त निरापदता और रक्त का युक्ति युक्त उपयोग, बेहतर निगरानी और एच.आई.वी. एड्स के मामलों का निदान और नैदानिक प्रबंधन शामिल हैं।

अनुबन्ध - I

एच.आई.वी. संक्रमण के लिए सीरम जांच

सूचना की अवधि 30 जून, 1995 (अनंतिम)

क्र.सं.	नाम	जांच की गई	पोजिटीव	एड्स के मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	39157	214	1
3.	असम	9982	6	4
4.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह सं. शा.	360	1	-
5.	बिहार	8401	3	-
6.	दिल्ली	307522	978	82
7.	दादर व नगर हवेली सं शा.	सूचना उपलब्ध नहीं है		1
8.	दमन व द्वीव सं. शा.	सूचना उपलब्ध नहीं है		-
9.	गोवा	55906	594	12
10.	गुजरात	369960	517	18
11.	हरियाणा	116510	134	1
12.	हिमाचल प्रदेश	12848	13	9
13.	जम्मू व कश्मीर	7009	10	2
14.	कर्नाटक	350415	1736	26
15.	केरल	40058	448	76
16.	लक्ष्यद्वीप	537	5	-
17.	मध्य प्रदेश	64456	189	21
18.	महाराष्ट्र	238694	5482	1041
19.	मणिपुर	33291	3184	91
20.	मिजोरम	14948	59	-
21.	मेघालय	14013	53	-
22.	नागालैंड	1466	112	2
23.	उड़ीसा	51935	127	2
24.	पंजाब/चंडीगढ़ सं.शा.	54019	165	71
25.	पांडिचेरी	58956	1336	6
26.	राजस्थान	33462	43	3
27.	सिक्किम	116	-	-
28.	तमिलनाडु	573156	2766	372
29.	त्रिपुरा	सूचना उपलब्ध नहीं है		
30.	उत्तर प्रदेश	74040	475	8
31.	पश्चिम बंगाल	102081	251	39
	योग :	2631202	18901	1888

अनुबंध - II

एड्स के कारण हुई मृत व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1992	वर्ष 1993	वर्ष 1994	जून तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	-	1	-	3
2.	असम	-	1	-	24
3.	दिल्ली	10	23	12	8
4.	गुजरात	2	3	-	-
5.	हरियाणा	4	3	-	1
6.	जम्मू व कश्मीर	-	1	-	40
7.	केरल	-	40	-	-
8.	कर्नाटक	2	9	2	-
9.	मध्य प्रदेश	-	14	-	-
10.	महाराष्ट्र	18	37	35	67
11.	मणिपुर	4	6	13	-
12.	हिमाचल प्रदेश	2	-	1	2
13.	गोवा	-	8	1	-
14.	पांडिचेरी	5	6	-	3
15.	पंजाब	5	30	-	20
16.	तमिलनाडु	17	10	23	40
17.	उत्तर प्रदेश	-	6	-	4
18.	पश्चिम बंगाल	-	12	2	10
19.	उड़ीसा	-	-	1	2
20.	नागालैंड	-	-	1	-
	योग :	69	210	91	224

श्री अन्ना जोशी : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ राज्य एड्स से पूर्णतया मुक्त हो गये हैं जबकि कुछ राज्य इस रोग से थोड़ा सा प्रभावित हैं। लेकिन कुछ राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और महाराष्ट्र इस रोग से बुरी तरह प्रभावित हैं। गत तीन वर्षों में, इन राज्यों में इस रोग से प्रभावित तथा मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इन राज्यों में इतने अधिक एड्स के रोगियों की संख्या होने के क्या विशेष कारण हैं? मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि एड्स से प्रभावित लोगों की तुलना में अनाथ और रोगग्रस्त बच्चों की समस्या अधिक गम्भीर है। उनकी देखभाल करने के लिये कोई नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2000 तक भारत में प्रतिदिन 20,000 अनाथ एड्स से प्रभावित होंगे। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इन विशेष क्षेत्रों और इन विशेष मामलों में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है जिन राज्यों से एड्स के मामलों की सूचना नहीं मिली है वह अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, तथा दमन और दियु जैसे छोटे राज्य हैं।

मेरे विचार से माननीय सदस्य यह जानते हैं कि विशेषकर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर तथा दिल्ली में ऐसे मामलों की संख्या अधिक क्यों है। मणिपुर में एड्स के मामले अन्य तीन राज्यों से कुछ भिन्न हैं क्योंकि मणिपुर में इंजेक्शन से औषध का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक है और रोगग्रस्त सुइयों के प्रयोग के कारण मणिपुर में अन्य तीन राज्यों की तुलना में एड्स रोग का अधिक प्रकोप है।

जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है इन में यौन रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है तथा अन्य जोखिम वाले ग्रुप हाई रिसक ग्रुप हैं जिनके कारण एड्स के मामलों में वृद्धि हुई है। भारत सरकार एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इन हाई रिसक ग्रुपों की जांच करने के लिये यथा संभव उपाय कर रही है जिससे देश में एड्स का प्रसार रोका जा सके।

श्री अन्ना जोशी : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। जानकारी यह मिली है कि वर्ष 2000 तक एड्स से प्रतिदिन प्रभावित अनाथों की संख्या भारत में 20,000 तक हो जायेगी। अत: इस बारे में आपको क्या सम्भावना है? इस पर नियंत्रण करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है। मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का यह दूसरा भाग था।

मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न भी पूछूंगा, यदि आप इसकी अनुमति देंगे। माननीय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र रायगढ़ में एक एड्स अस्पताल परियोजना आरम्भ की जा रही है। भारतीय स्वास्थ्य संगठन के डा. आई. एच. गिलाडा, इस परियोजना के लिये कार्य कर रहे हैं। यह भी सुनने में आया है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार इस कार्य में सहयोग दे रही हैं। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : यह सच है कि डा. गिलाडा, जिन्होंने इस रोग के उन्मूलन के लिये त्याग पत्र दिया था इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। यह भी सच है कि उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से लगभग 26 अथवा 24 एकड़ भूमि राजगढ़ जिले में इस प्रयोजनार्थ चार अथवा पांच वर्ष पूर्व खरीदी थी। यह केवल एड्स का अस्पताल ही नहीं होगा बल्कि इसमें अन्य विभिन्न रोगों का भी इलाज होगा और विभिन्न रोगों के लिये उपचारात्मक उपायों की भी व्यवस्था होगी।

माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले लगभग एक महीने और इससे अधिक समय से जबसे मैं इस मंत्रालय में हूं मैं अपने सहयोगियों, अधिकारियों और इस क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से विचार विमर्श करता रहा हूं। जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है विदेशी संगठनों से भारी धनराशि प्राप्त हो रही है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इस धनराशि का उचित रूप से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। वास्तव में योजना अवधि के दौरान, जिसके अब केवल दो वर्ष शेष रह गये हैं, 25 से 30 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं की गई हैं। यही वास्तविक स्थिति है। मैं सम्मानीय सदन से कोई भी जानकारी नहीं छिपाऊंगा।

अब हम इस प्रयोजनार्थ सुधार समिति का गठन कर रहे हैं। इस में समस्त देश के ऐसे न केवल अधिकारी शामिल होंगे बल्कि गैर-सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ प्रशंसनीय कार्य किया है। इस में डा. गिलाडा के अतिरिक्त अन्य इस कार्य में संलग्न व्यक्ति भी शामिल होंगे। इस समिति की पहली बैठक आगामी सप्ताह होगी क्योंकि इस रोग पर नियंत्रण और इसका पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल घातक रोग है बल्कि संक्रामक भी है। दुर्भाग्यवश, यह कैंसर से भिन्न है, जो कि गैर-संक्रामक और घातक हैं, यहां तक कि यह मलेरिया से भी भिन्न, जो संक्रामक है और घातक है लेकिन इतना अधिक घातक नहीं है और क्षय रोग से भी भिन्न है, जो इतना घातक नहीं है। एड्स के मामले में सामाजिक बाधा है। दुर्भाग्यवश, यदि कोई व्यक्ति एड्स रोग से पीड़ित हो जाता है तो वह इसे छिपाता है और उसके परिवार के सदस्य भी इस रोग को छिपाते हैं और उसके परिवार के सदस्य भी इस रोग को छिपाते हैं। अब हम इस बारे में समस्त देश में सार्वजनिक जागरूकता अभियान आरम्भ कर रहे हैं कि इस मामले में किसी का दोष नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस रोग को किसी भी व्यक्ति से ग्रहण कर सकता है और इस रोग का कोई भी व्यक्ति शिकार हो सकता है। अत: यह कहना ठीक नहीं है कि एक विशेष वर्ग अथवा किसी विशेष श्रेणी के व्यक्ति ही इस रोग का शिकार हो सकते हैं। अन्य उपायों के साथ हम इस प्रयोजनार्थ सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य इच्छुक हों, तो मुझे उन्हें इस विशेष समिति से सम्बद्ध करने में बहुत प्रसन्नता होगी क्योंकि इस क्षेत्र में स्वेच्छा से काम करने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी है। **(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी : यह एक गम्भीर समस्या है। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, एड्स को रोकने के लिए दूरदर्शन और समाचारपत्रों में बहुत से विज्ञापन और स्लोगन दिए जाते हैं जोकि बहुत ही फूहड़ से लगते हैं। उनको परिवार के साथ बैठकर नहीं देखा जा सकता है। उनको एड्स रोकने के लिए कम बल्कि व्यभिचार को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा जाना जाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विज्ञापनों की भाषा को बदलने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। अभी तीन-चार दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने टेलीफोन पर जानकारी देने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है वह बहुत ही अच्छा है। उससे अगर कहीं कोई प्रभावित बच्चे हैं या और कोई हैं वे प्रभावित नहीं होंगे। क्या ऐसे कार्यक्रम दूसरे विश्वविद्यालयों में भी शुरू करने की कोई योजना है? साथ ही इसको रोकने के लिये जो राजनीति से काम करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं या अभिजात्य-वर्ग के लोग हैं उनकी अनिवार्य परीक्षण करने की कोई योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अत्यधिक आत्मविश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : एड्स का कोई उपचार नहीं है। इस मामले में हमें अधिकांश सूचना, शिक्षा और संचार पद्धति पर निर्भर करना पड़ता है। यह बहुत भावनात्मक विषय है। हमने इस विषय पर सलाहकार समिति में भी चर्चा की थी और उसकी राय ली गई थी। विषय के भावनात्मक होने के कारण हमें जनता को इसके बारे में जानकारी देनी होती है। यह तथ्य है कि अधिकांश एड्स के मामले शारीरिक सम्पर्क से उत्पन्न होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न का यह भाग बहुत तर्क संगत है। इस बारे में अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। इस पद्धति का दुरूपयोग भी किया जा सकता हैं। लोगों को कैसे बचाया जाये?

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमारा मंत्रालय उन लोगों की राय ले रहा है जो जन सम्पर्क क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं ताकि उचित रूप से इस समस्या को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके।

दिल्ली परियोजना के बारे में टेलीफोन पर जानकारी दी जाती है। इस योजना का विस्तार अन्य स्थानों पर भी करने का हमारा विचार है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*45. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** :

श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक मंत्री के नेतृत्व में कोई संर्वेक्षण दल हाल ही में वहां गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दल ने सरकार को इस विषय पर अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ङ) प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल ने जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यो तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति सहित समग्र स्थिति का जायजा लेने के लिए 1 से 4 जुलाई, 1995 के दौरान वहां का दौरा किया था। इस कार्यक्रम में श्रीनगर, लंगधार (जिला कुपवाडा) अनन्तनाग, डोडा और जम्मू का दौरा करना सम्मिलित था। अधिकारियों से मिलने के अलावा यह दल उपरोक्त सभी स्थानों पर राजनैतिक दलों के नेताओं और जनता के प्रतिनिधियों से मिला। इस दल ने जम्मू में दो प्रवासी शिविरों का दौरा भी किया।

इस दल का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार से है :-

(1) विकास प्रशासन को पुर्नजीवित किया गया है और इसे सम्पूर्ण योजना परिव्यय को लाभप्रद रूप से प्रयोग करने के लिए सक्रिय किया गया है। उप-आयुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित निरीक्षण समितियों से राज्य सरकार विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक दक्षता और जिम्मेवारी लागू कर सकेगी।

(2) राज्य में अशांत स्थिति के परिणामस्वरूप भारी बजट घाटे को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से राज्य सरकार को वित्तीय कठिनाईयां दूर करने में मदद मिली है। इससे प्रशासन की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद मिली है।

(3) चरार-ए-शरीफ की घटना के बाद, कानून और व्यवस्था की स्थिति धीरे-धीरे, चरार की घटना से पहले की स्थिति के स्तर पर आ रही है। तथापि बंदूक का भय अभी भी बना हुआ है और सुरक्षा अभियानों को और तेज किए जाने की आवश्यकता है। भाड़े के विदेशी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है।

(4) समग्र कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा की कुल स्थिति को नियंत्रणाधीन आंका जा सकता है। हालांकि उग्रवादी राज्य के विभिन्न भागों में चोरी-छुपे छुटपुट आतंकवादी कार्य कर सकते हैं। लोगों की मनस्थिति बेहतर है और कुछ महीनों में और अधिक गुणात्मक सुधार हो सकता हैं। तथापि राजनीतिक प्रक्रिया को निष्फल करने के लिए भाड़े के विदेशी सैनिकों

द्वारा हिंसा में बढ़ोत्तरी किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(5) प्रमुख राजनैतिक दलों ने, कश्मीर घाटी सहित राज्य में अपनी राजनैतिक गतिविधियों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया है, हालांकि बंदूक के भय के कारण जनता से उनके संबंध अभी भी सीमित है। आम जनता अब तेजी से यह महसूस करने लगी है कि वे उग्रवादी गतिविधियों से उत्पीड़ित है और वे सामान्य हालात की बहाली के लिए इच्छुक हैं।

(6) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए मूल सामग्री की स्थिति संतोषजनक पायी गयी।

उपर्युक्त सम्पूर्ण आंकलन के अलावा, इस दल ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उन मुद्दों का पता लगाया है, जिन पर कार्रवाई की जानी है। उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इन्हें सरकार को भेजा गया है।

प्रतिरक्षण संबंधी स्थाई समिति

*46. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षण के उपरांत होने वाली गंभीर प्रतिक्रियाओं की जांच के लिए राज्य सरकारों से स्थाई समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने स्थाई समितियां गठित कर दी हैं और इन समितियों ने अब तक क्या-2 सिफारिशें की हैं; और

(घ) अन्य राज्यों में भी ऐसी समितियां गठित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) से (ग). जी, हां। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से रोग प्रतिरक्षण के उपरांत होने वाली गंभीर प्रतिक्रियाओं की जांच के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल करके समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है। ये समितियां अपने पर्यवेक्षणों तथा मौतों के संभावित कारण, यदि कोई हों, के आधार पर उस क्षेत्र में रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित विशिष्ट सिफारिशें करती हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जहां समितियां गठित की गई हैं, की सूची विवरण के रूप में सभा पटल पर रखी गई है।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने समितियां गठित नहीं की हैं, से शीघ्र विशेषज्ञ समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

प्रतिरक्षण के उपरांत होने वाली गंभीर प्रतिक्रियाओं की जांच के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में जहां पर, जुलाई 1995, से स्थाई समितियां गठित की गई हैं।

1. अरूणाचल प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गोवा
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र
11. मणिपुर
12. मेघालय
13. मिजोरम
14. उड़िसा
15. पंजाब
16. सिक्किम
17. राजस्थान
18. तमिलनाडु
19. पश्चिमी बंगाल

केन्द्र शासित प्रदेश

1. अंडमान निकोबार आईसलैंड
2. चंडीगढ़
3. दिल्ली
4. पांडिचेरी

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों का अपहरण

*47. **डा. पी. वल्लल पेरुमान :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा विदेशी पर्यटकों का अपहरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन पर्यटकों का ब्यौरा क्या है, और वे किन-किन देशों के नागरिक हैं;

(ग) इस अपहरण में कौन कौन से उग्रवादी संगठन शामिल हैं और उनकी मांगें क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन पर्यटकों की रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या निवारक उपाय करने का विचार है;

(च) उग्रवादियों ने पिछले चार महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने व्यक्तियों का अपहरण किया; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान कितने उग्रवादी पकड़े गये/ मारे गये?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विदेशी पर्यटकों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता इस प्रकार है :-

(i)	श्री डी.एफ. हुचिंम्स	-	अमेरिकी राष्ट्रिक
(ii)	श्री जॉन चाइल्डस	-	-वही-
(iii)	श्री पी.एस. वेल्स	-	ब्रितानी राष्ट्रिक
(iv)	श्री के.सी. मेंगन	-	-वही-
(v)	श्री डर्क हेजर्ट	-	जर्मनी का नागरिक
(vi)	श्री ओस्ट्रो हैंस क्रिश्चियन	-	नार्वे का नागरिक

उपर्युक्त व्यक्तियों में से अमेरिकी राष्ट्रिक जॉन चाइल्डस किसी प्रकार से अपहर्ताओं के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हो गया और बाद में उसे राज्य प्राधिकारियों द्वारा बचा लिया गया।

(ग) "अल फरान" नामक एक उग्रवादी संगठन ने अपहरण की जिम्मेदारी ली है और गिरफ्तार किए गए 22 उग्रवादियों की रिहाई की मांग की है जिनमें भाड़े के कुछ विदेशी सैनिक भी हैं (22 उग्रवादियों में से एक उग्रवादी तो पहले से ही जमानत पर छूटा हुआ है)।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी एहतियात बरतते हुए अपहृत विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने हेतु सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी को लगाया गया है कि तलाशी अभियानों के कारण बंधकों की सुरक्षा पर कोई आंच न आए।

(ङ) घाटी के संवेदनशील क्षेत्रों तथा पर्यटक रिजोर्टों में गश्त बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों के कार्मिकों को पिकेटों पर लगाया गया है ताकि वे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने दें। पुलिस और सुरक्षा बलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्यटकों को सभी संभव मदद और सहायता प्रदान करें।

(च) 1.3.95 से 30.6.95 तक की अवधि के दौरान उग्रवादियों द्वारा 174 व्यक्तियों का अपहरण किया गया।

(छ) 1.3.95 से 30.6.95 तक की अवधि के दौरान पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या - 1142

इसी अवधि के दौरान मारे गए आतंकवादियों की संख्या - 540

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

***48. श्री राम निहोर राय :**

श्री राज नारायण :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विकास के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है और गत दो वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या इस समिति ने सोसाइटियों और अनुसूचित जाति के उद्यमियों महिला उद्यमियों के लिए सीधे ही धन उपलब्ध कराने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी कोई सरल प्रक्रिया बनाई गई है जिससे कि सोसाइटियॉं/उद्यमी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरण) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

1. आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में 20 लाख नये रोजगार पैदा करना।
2. खादी का उत्पादन योजना के आखिरी वर्ष तक वर्तमान 100 मिलियन वर्ग मीटर से 200 मिलियन वर्ग मीटर स्तर तक बढ़ाना।

पिछले दो वर्षों में आबंटित धन-राशि इस प्रकार है :-

1993-94	-	208 करोड़ रुपये
1994-95	-	216 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) समिति ने सिफारिश की है कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा केवल महिलाओं, अनुसूचित जाति, अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों और अल्प संख्यक समुदाय के लोगों द्वारा निर्मित संस्थानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) खादी और ग्रामोद्योग संस्थान बैंक से धन पाने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र को संस्थानों से धन देना सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना घोषित की है जिसके तहत बैंक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को कंसर्शियम के आधार पर 1000 करोड़ रुपया प्रदान करेगा जिसे या तो सीधे अथवा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से क्रम से जीवित खादी और ग्रामोद्योग की इकाइयों को कर्ज के रूप में दिया जायेगा। केन्द्र सरकार के.वी.आई.सी. को बैंक कंसर्शियम द्वारा दिये गये ऋण की गारंटी देगा। राज्य सरकार की के.वी.आई.सी. द्वारा राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को दिये गये बैंक ऋण के लिए गारंटी होगी। राज्य सरकारों द्वारा जितनी राशि की गारंटी दी जायेगी, उस रकम के लिए केन्द्र सरकार की गारंटी काउंटर गारंटी के रूप में होगी।

लोक पाल विधेयक

***49. श्री प्रमथेश मुखर्जी :**

श्री मुहीराम सैकिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मंत्रियों और नौकरशाहों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोकपाल की नियुक्ति से पूर्व विभिन्न राजनैतिक नेताओं के विचार जान लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लोकपाल की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी और यह कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) लोकपाल विधेयक से संबंधित मामले में 49 संसद सदस्यों को पत्र भेजे गए थे, उनमें से दिनांक 27.7.95 तक 5 सदस्यों ने जवाब भेजे हैं।

(घ) लोकपाल की स्थापना उन संसद सदस्यों के जवाब पर निर्भर करती है जिन्हें इस मामले के संबंध में पत्र भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

जनसंख्या परियोजना के लिए धनराशि

***50. श्री अरविन्द त्रिवेदी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने जनसंख्या परियोजनाओं के लिए दी गई धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त धनराशि का उपयोग करने के लिए संबंधित राज्यों को दिशा-निर्देश दिए हैं;

(ग) किन-किन राज्यों को यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा उन राज्यों को पर्याप्त मात्रा में निधियां जारी की जाती हैं जिनमे भारत जनसंख्या परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। परियोजनाओं की प्रगति और उसके उद्देश्यों के अनुसार निधियों का उपयोग करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति माह मानिटरिंग की जाती हैं। सभी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के उपयुक्त स्तरों पर समय-समय पर पत्राचार किया जाता है ताकि परियोजनाओं की गतिविधियों की प्रगति में तेजी आए और निधियों का उपयोग करने में तत्परता बरती जाए।

[अनुवाद]

वाहनों में ईंधन की कम खपत

***51. श्री जॉर्ज फर्नान्डीज :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार, स्कूटर, ट्रक, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और जलपोत जैसे वाहनों में ईंधन की खपत कम करने हेतु सुधार लाने के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 और 1994 के बीच ईंधन तेलों की खपत में कितनी कमी हुई हैं;

(ग) पेट्रोल/डीजल और अन्य ईंधन की कितनी मात्रा में बचत हुई; और

(घ) बचत किए गए ईंधन तेलों का कुल मूल्य कितना है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करुणाकरन) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मोटरगाड़ी विनिर्माता संघ द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 1973 की तुलना में 1994 में दुपहियों/तिपहियों के मामले में ईंधन क्षमता में 21 प्रतिशत से 57 प्रतिशत तक, कारों/जीपों के मामले में 18 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक और ट्रक व बस चेसिस के मामले में 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।

(ग) और (घ) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि मोटरगाड़ियों के मामले में 1983-94 की अवधि में कुल 1815 मिलियन लीटर पेट्रोल/डीजल की बचत हुई है जो मुद्रा के रूप में लगभग 1875 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

अमरनाथ तीर्थयात्रा

***52. श्री दत्ता मेघे :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने अमरनाथ तीर्थ यात्रा को रोकने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) पाक समर्थित एक गुट हरकत-उल-अन्सार (एच.यू.ए.) द्वारा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरकत-उल-अन्सार ने नागरिक प्रशासकों, (सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स) ठेकेदारों, दुकानदारों तथा मजदूरों को यात्रा से अलग रहने को कहा है।

(ग) राज्य प्रशासन सुरक्षा बलों की सहायता से यात्रा का सुचारू रूप से आयोजन करने के लिए सभी प्रबंध कर रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा तीर्थ यात्रियों की यात्रा के शुरू होने के स्थान से ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सुरक्षा बल, सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने तथा विभिन्न कैम्प स्थलों पर तम्बू इत्यादि लगाने में भी राज्य प्रशासन की मदद कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। रास्ते में ऊंचे स्थानों पर लगे शिविरों के लिए हवाई जहाज से राशन तथा अन्य सामग्री ले जाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

परमाणु रिएक्टर

*53. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री राम पूजन पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कार्यरत सभी परमाणु रिएक्टर सुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने रिएक्टरों को अमरीका द्वारा तैयार किया गया है;

(घ) क्या कुछ दिनों पहले ऐसे दस रिएक्टरों में दरारें पड़ गई थीं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) भारत में प्रचालनरत सभी परमाणु विद्युत सुरक्षित हैं और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो इन रिएक्टरों के प्रचालन की शर्तें निर्धारित करता है. की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ग) भारत के परमाणु विद्युत रिएक्टरों में से दो रिएक्टर नामत: तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिट 1 और 2 जो कि क्वथन जल रिएक्टर हैं, का निर्माण अमरीकी फर्म ने किया था।

(घ) और (ङ) समाचार-पत्रों में ऐसी रिपोर्टें छपी हैं कि विदेश में कुछ क्वथन जल रिएक्टरों के अंदरूनी हिस्से नामत: क्रोड श्राउड में दरारें आ गई हैं। यह योजना बनाई गई है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के यूनिट 1 और 2 को उनके आगामी पुनईधन-भरण के समय बन्द रखे जाने के दौरान इनके क्रोड श्राउडों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि ये सही-सलामत हैं और यदि आवश्यक हो तो दोष दूर करने संबंधी कार्रवाई की योजना भी बनाई जाए।

[अनुवाद]

प्लेग विषाणु

*54. **श्री रूपचन्द पाल :**

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 जुलाई, 1995 के "द इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है, जिसमें कहा गया है कि सूरत में प्लेग जैनेटिकलो इंजीनियर्ड विषाणु से फैला था, जो भारत में बाहर से लाया गया और जान-बूझकर इस क्षेत्र में छोड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच आरंभ की है; और

(ग) देश में विरोध शक्तियों अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से अन्य व्यक्तियों द्वारा इस जैनेटिकली इंजीनियर्ड विषाणु को देश में लाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) और (ग) सरकार ने प्लेग के फैलने और अन्य संबंद्ध मामलों के लिए जिम्मेदार पहलुओं का पता लगाने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

*55. **श्री हरिन पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वित्तीय वर्ष 1994 के अन्त तक स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या वर्ष 1993 में इस मामले को बी.आई.एफ.आर. को भेजने के बाद इसका पुनरूद्धार करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) इसके कर्मचारियों के भविष्य संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री के. करूणाकरन) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को 31.3.1994 तक 480.96 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई।

(ख) और (ग) एक पुनरूद्धार योजना औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

औषधेय युक्त जड़ी-बूटियां

*56. श्री जनार्दन मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की हिमालय पर्वतमाला में जड़ी-बूटियों का भारी भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये जड़ी-बूटियां लुप्तप्राय होती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन जड़ी-बूटियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वस्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की हिमालय पर्वतमाला के जंगलों में जड़ी-बूटियों का पर्याप्त भंडार है। उत्तर प्रदेश हिमालय पर्वतमाला के क्षेत्र में शाकीय पेड़-पौधों की एक हजार से अधिक विदित प्रजातियां हैं। ज्ञात हुआ कि इनमें से 200 से 300 प्रजातियों में कुछ औषधीय गुण हैं। वितपापड़ा, एल्लियम,

कोलचिकम, वालेरियाला, एकोनाइट, आरचिस, बरबेरिस, स्वरटिया चिरेटा आदि जैसे कुछ सुविदित औषधीय पादपों की प्रजातियों के औषधीय और निर्यात प्रयोजनों के लिए अत्यधिक एकत्रण और वर्तमान में हो रहे विकासशील कार्यकलापों के लिए काटे जाने के कारण कम होकर नाजुक स्तरों तक पहुंच जाने का पता चला है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय औषध और सुगंधित पादप संस्थान, लखनऊ और उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न अभिकरणों ने उत्तर प्रदेश के हिमायल क्षेत्र के जंगलों में वनरोपण और ऐसे पादपों को अत्यधिक दोहन से बचाने दोनों के लिए कुछ उपाए किए हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने औषधीय और सुगंधित पादपों के सरंक्षण के लिए जेने बैंक की स्थापना करने हेतु पहल की है। इस कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय पादप जेनेटिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली, केन्द्रीय औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान, लखनऊ और उष्णकटिबंधीय वान्सपतिक उद्यान अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम द्वारा तीन राष्ट्रीय जेने बैंकों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसमें से राष्ट्रीय पादप जेनेटिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली और केन्द्रीय औषधीय और सुगंधित पादप संस्थान, लखनऊ को हिमालय पर्वतमाला के औषधीय पादपों के संरक्षण का कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने प्रयोग के लिए औषधीय पादपों का एकत्रण करने हेतु अल्मोड़ा जिले में ताड़ीखेत और टिहरी जिले में चम्बा में यूनिट स्थापित की है।

[अनुवाद]

विश्व विज्ञान में भारत का योगदान

***57. श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के दशक में विश्व विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो 1985 से 1989 के बीच भारतीय योगदान में उत्तरोत्तर कमी आने के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी नहीं। विश्व विज्ञान में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में चुनाव

***58. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने संबंधी कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्थिति अनुकूल हो गई है;

(ग) क्या यह मामला निर्वाचन आयोग के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जम्मू और कश्मीर में प्रैस को स्वतंत्रता है; और

(च) राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). सरकार का उद्देश्य राज्य में लोकतान्त्रिक और जन प्रतिनिधित्व संस्थानों की बहाली के लिए शीघ्रतिशीघ्र आवश्यक माहौल पैदा करना है। यद्यपि चरार-ए-शरीफ में आतंकवादियों के कायरतापूर्ण कृत्य के द्वारा वहां धीरे-धीरे स्थिति में सुधार लाने की प्रक्रिया में कुछ बाधा आई थी, फिर भी सरकार द्वारा पीड़ितों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तुरंत की गई कार्रवाई से तथा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करने के साथ-साथ सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन द्वारा असाधारण चौकसी रखे जाने से सरकार को इस घटना के कारण आई बाधा से शीघ्रता से उबरने में मदद मिली है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा जब कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अनुकूल माहौल बनेगा तो इस बारे में चुनाव आयोग के साथ परामर्श करके कोई निर्णय लिया जाएगा। चुनाव आयोग के साथ सरकार लगातार सम्पर्क बनाए हुए है।

(ङ) जी हां, श्रीमान्, राज्य में प्रैस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय तथा विदेशी, दोनों ही पत्रकारों और संवाददाताओं के लिए राज्य में कहीं भी आने जाने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। सम्पूर्ण राज्य में स्वदेशी मीडिया से संबंधित लोगों की स्वतंत्र आवा-जाही के अलावा, वर्ष 1994 से 119 विदेशी पत्रकारों तथा वर्ष 1995 में (जून 1995 तक) 63 विदेशी पत्रकारों द्वारा राज्य का भ्रमण किया गया। तथापि, प्रैस को सदैव उग्रवादियों की धमकियां मिलती रहती हैं तथा उन्हें उग्रवादियों की बात मानने को मजबूर किया जाता है।

(च) सरकार निकट से निगरानी रख रही है तथा स्थिति की निरंतर पुनरीक्षा कर रही है। सरकार ने राजनैतिक प्रक्रिया की बहाली और ऐसा माहौल तैयार करने जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव हो, के लिए पहले ही अनेक उपाय शुरू किए हैं। इन उपायों में बन्दूक का भय कम करने और उग्रवादियों की गतिविधियों को काबू करने के लिए निरंतर तथा लक्षित अभियान चलाना, नागरिक प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाना, जनता के साथ राजनीतिज्ञों द्वारा बातचीत करने के लिए राज्य में उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, इत्यादि शामिल है। चुनावों से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं और निर्वाचन क्षेत्रों के

परिसीमांकन, मतदाता सूचियों में संशोधन आदि का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

***59. श्री सूर्य नारायण यादव :**

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नए रोजगार सृजित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों के अनुसार, 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अनुमानतः रोजगार के 18.78 मिलियन अतिरिक्त अवसर जुटाये गये हैं जो 2.03 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हैं। योजना आयोग के अनुसार, पिछले सात वर्ष (1985-92) के दौरान रोजगार की वार्षिक औसत वृद्धि (1.78 प्रतिशत) की तुलना में रोजगार की औसत वृद्धि दर अधिक रही है। सृजित किए गए अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का ग्रामीण/शहरी वर्गीकरण नहीं दिया गया है। तथापि, प्राक्कलनों के अनुसार, अनुमान है कि अतिरिक्त रोजगार में से आधा कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सृजित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, गरीबी, उन्मूलन कार्यक्रमों के भाग के रूप में, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय कार्यकमों अर्थात (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों अर्थात (1) जवाहर रोजगार योजना और (2) सुनिश्चित रोजगार योजना की मार्फत अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सब्सिडी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण के रूप में लाभार्थियों को सहायता दी जाती है ताकि वे स्वरोजगार के काम शुरू कर सकें। ट्राइसेम भी एक केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को बुनियादी तकनीकी और प्रबंधकीय हुनर प्रदान करना है ताकि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार शुरू करने में समर्थ हो सके।

इसी प्रकार, जवाहर रोजगार योजना एक प्रमुख मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करना है। पिछड़े जिलों, जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की बहुतायत है, की ओर विशेष ध्यान देने के लिए 1993-94 से गहन जवाहर रोजगार योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। इन कार्यक्रमों के अलावा सरकार ने 2 अक्तूबर, 1993 से सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों, जिन्हें रोजगार की जरूरत है और जो रोजगार चाहते हैं, को 100 दिन का अकुशल श्रमिक कार्य मुहैया कराना है।

(ग) और (घ) रोजगार 8 वीं योजना का प्रमुख कार्यक्षेत्र है। योजना में क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों जिनमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से रोजगार की अधिक सम्भावयता है के तीव्र विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 8 वीं योजना की रोजगार नीति के मुख्य घटक है : (1) कृषि का भौगोलिक और फसल-वार तीव्र और विविधीकृत विकास (2) कृषि से सम्बद्ध और कृषि आधारित उद्योगों का तीव्र विकास (3) बंजर भूमि का विकास और उत्पादक उपयोग (4) गैर कृषि क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियां (5) छोटे तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र के विकास की ओर विशेष ध्यान (6) ढांचों और आवासीय मकानों का बड़े पैमाने पर विस्तार और निर्माण (7) बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाना और (8) सेवाओं और अनौपचारिक क्षेत्र गतिविधियों का अधिक सुगम प्रवेश और उपयुक्त समर्थन प्रणाली की मार्फत तीव्र विकास।

उपरोक्त सुझाए गए उपायों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना है। इन प्रयासों को ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा पहले से कार्यान्वित किए जा रहे विशेष रोजगार कार्यक्रमों से सहायता मिलेगी। इन रोजगार कार्यक्रमों में से ट्राइसेम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए है।

(ङ) और (च) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना जैसे प्रमुख रोजगार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को नियमित रोजगार की बजाय अतिरिक्त रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। रोजगार के अधिकाधिक अतिरिक्त अवसर मुहैया कराने के लिए सरकार इन कार्यक्रमों की कवरेज को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि इन कार्यक्रमों के लाभ ग्रामीण गरीबों को मिल सकें जिससे वे अपने रहन-सहन के स्तर में सुधार ला सकें।

[हिन्दी]

मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भारत-अमरीका सहयोग

***60. श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का आदान-प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) और राष्ट्रीय समुद्री और वायु मण्डलीय प्रशासन (एन.ओ.ए.ए.) ने पृथ्वी विज्ञान और संबद्ध आंकड़ों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग की संभावना पर विचार किया है। इन विचार विमर्शों के आधार पर विशिष्ट वैज्ञानिक क्रिया-कलापों और संबंधित आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए संबंधित सरकारों के विचारार्थ सहयोगी करार तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ग) दोनों पक्षों द्वारा तैयार की गयी अस्थायी सूची में वैज्ञानिक सहयोग को पारिभाषित करने और अक्तूबर 1995 के अन्त तक करारों पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। सहमत परियोजनाओं को पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जायेगा।

[अनुवाद]

सैनिक विद्यालय की स्थापना

398. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एक सैनिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्कूल की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

399. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत इस समय कितने खादी और ग्रामोद्योग/संस्थान कार्यरत हैं;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान खादी और ग्रामोद्योगों के कुल उत्पादन का मूल्य कितना था; और

(ग) खादी और ग्रामोद्योग से राज्यवार कितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं/इसमें कितने व्यक्ति कार्यरत हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) खादी के अलावा, 96 ग्रामोद्योग खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 30 राज्य के.वी.आई. बोर्डों, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत 3500 पंजीकृत संस्थानों और 30039 सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। राज्य के.वी.आई. बोर्ड निजी कारीगरों की भी सहायता करते हैं।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादनों का मूल्य संबंधी विवरण इस प्रकार हैं :-

(रुपये करोड़ में)

	1993-94	1994-95 (अनंतिम)
खादी	357.28	467.44
ग्रामोद्योग	2876.58	3300.00
कुल :	3233.86	3767.44

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में 1993-94 के दौरान 53.28 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया किया गया था। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। 1994-95 के दौरान, इस क्षेत्र में कुल 55.28 लाख व्यक्तियों (अनंतिम) को रोजगार मुहैया किया गया है।

विवरण

1993-94 के दौरान के.वी.आई. क्षेत्र में रोजगार

(लाख व्यक्ति)

क्र.सं.	राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1	2	3	4	5
(1)	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	0.32	3.05	3.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
3.	असम	0.22	0.80	1.02
4.	बिहार	2.27	1.18	3.45
5.	गोवा	--	0.06	0.06
6.	गुजरात	0.57	0.44	1.01
7.	हरियाणा	0.42	0.41	1.01
8.	हिमाचल प्रदेश	0.08	0.53	0.61
9.	जम्मू और कश्मीर	0.35	0.57	0.72
10.	कर्नाटक	0.40	1.32	1.72

1	2	3	4	5
11.	केरल	0.19	1.69	1.88
12.	मध्य प्रदेश	0.16	0.76	0.92
13.	महाराष्ट्र	0.19	4.62	4.81
14.	मणिपुर	*	0.39	0.39
15.	मेघालय	*	0.12	0.12
16.	मिजोरम	*	0.05	0.05
17.	नागालैंड	*	0.05	0.05
18.	उड़ीसा	0.03	1.28	1.31
19.	पंजाब	0.75	0.74	1.49
20.	राजस्थान	1.62	3.21	4.83
21.	सिक्किम	0.01	0.05	0.06
22.	तमिलनाडु	0.85	9.49	10.34
23.	त्रिपुरा	*	0.44	0.44
24.	उत्तर प्रदेश	4.90	5.38	10.28
25.	पश्चिम बंगाल	0.51	2.51	3.02
	योग-1	13.61	38.92	52.73
(2)	केन्द्र शासित क्षेत्र			
		खादी	ग्रामोद्योग	योग
1.	अंडमान और निकोबार आइसलैंड	-	*	*
2.	चंडीगढ़	-	0.01	0.01
3.	दादर और नगर हवेली	-	-	-
4.	दिल्ली	0.02	0.18	0.20
5.	दमन व द्वीव	-	-	-
6.	लक्षद्वीव	-	*	*
7.	पांडिचेरी	0.01	0.03	0.04
	योग-2	0.03	0.22	0.25
	कुल योग 1+2	13.87	39.41**	53.28**

*500 से कम

**0.05 राज्य सरकार के अन्तर्गत बायोगैस के तहत शामिल है।

रक्षा कर्मियों को आवास

400. डा. जयन्त रंगपी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात रक्षा कर्मियों के परिवारों को अवास उपलब्ध कराने के लिए असम के कार्बी अंगलोंग जिले में आवासीय परिसर विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यह बताया गया है कि एक सैन्य स्टेशन स्थापित करने के लिए असम के कार्बी ऐंगलोंग जिले में डीफू में कुछ भूमि अधिगृहीत किए जाने का एक प्रस्ताव सेना मुख्यालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोगी

401. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने कुष्ठ रोगी हैं;

(ख) राज्य में कितने कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र हैं तथा वे कहां-कहां हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता राशि मंजूर एवं जारी की गई?

स्वस्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) मार्च, 1995 के अंत तक उत्तर प्रदेश में 1,23,269 कुष्ठ रोगी थे।

(ख) उत्तर प्रदेश में 1336 कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र हैं। इन एककों के स्थानों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) चालू वर्ष (1995-96) के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से इन केन्द्रों को आबंटित की गई सहायता की धनराशि इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

नकद	सामग्री	कुल
177.00	336.40	513.40

[अनुवाद]

नारियल जटा से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन

402. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य वार नारियल-जटा से निर्मित वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) नारियल जटा की वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) पिछले तीन सालों के दौरान देश में नारियल जटा और नारियल जटा से विनिर्मित वस्तुओं के राज्यवार उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखितनुसार है :

(माल टनों में)

	1992-93	1993-94	1994-95
केरल	1,38,800	1,40,000	1,43,000
तमिलनाडु	55,500	60,000	63,000
कर्नाटक	18,140	20,000	23,000
आंध्र प्रदेश	9,500	11,800	13,000
उड़ीसा	2,000	2,200	2,500
अन्य	4,960	5,100	5,800

(ख) नारियल जटा से विनिर्मित वस्तुओं की गुणवता को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

1. नारियल जटा से संबंधित श्रमिकों को गुणवत्ता सुधार का महत्व बताने के लिए कायर बोर्ड ने अक्टूर 93 से सितम्बर 94 तक गुणवत्ता वर्ष मनाया है।
2. नारियल जटा के उत्पादों के विनिर्माण के लिये प्रयुक्त होने वाले नारियल जटा रेशेदार धागों के रंगने और श्वेत करने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना।
3. नारियल जटा उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन संबंधी मूलभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए लूम शैडों के निर्माण के लिये सहायता देगा।
4. कायर यार्न और कायर मैटिंग्स की गुणवत्ता को सुधारने के लिये मोटर से युक्त शट्स और सेमी-आटोमेटिक लूमों का विकास और प्रचालन करना।

ग्रामीण विकास योजनाएं

403. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री महेश कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने मंत्रिमंडल - सचिव को रोजगार और ग्रामीण विकास में हुई प्रगति का आकलन करने तथा विभिन्न गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों की जांच करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के क्या परिणाम निकले हैं और क्या प्रगति का आकलन वास्तविक लक्ष्य और धनराशि के आबंटन की दृष्टि से किया गया है;

(ग) क्या सरकार का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में विगत में किए गये मूल्यांकनों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजी भाई पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन और उसकी निगरानी राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों एवं अन्य तरीकों की मार्फत नियमित रूप से प्रतिमाह की जाती है। ऐसी प्रगति रिपोर्टो, मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों की दौरा रिपोर्टों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों आदि के साथ हुई समीक्षा बैठकों के आधार पर कार्यक्रमों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है तथा ऐसी समीक्षा टिप्पणियों को समय-समय पर प्रधान मंत्री कार्यालय, व मंत्रीमंडल सचिवालय को भेजा जाता है।

(ग) और (घ) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ख्याति प्राप्त एवं स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों/संगठनों की सहायता से समय समय पर समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन करवाता है। इन मूल्यांकन अध्ययन में का मूल उद्देश्य इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु उपाय करने में मंत्रालय को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की मजबूतियों एवं कमियों का पता लगाना है।

मंत्रालय ने अब तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निम्नलिखित समवर्ती मूल्यांकन करवाये हैं :-

प्रथम दौर - सितम्बर, 1985 से अक्तूबर, 1986 के दौरान
द्वितीय दौर- जनवरी से दिसंबर, 1987 के दौरान
तृतीय दौर- जनवरी से दिसंबर, 1989 के दौरान
चतुर्थ दौर- सितम्बर, 1992 से अगस्त, 1993 के दौरान

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन का 5 वां दौर देश भर में सभी जिलों में जुलाई, 1995 से आरंभ किया गया है। नमूना आकार में जिले में 10 नमूना गांवों के 100 लाभार्थी परिवार शामिल हैं। इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर 5 वें दौर के दौरान लगभग 50,000 परिवारों को कवर किया जायेगा।

[हिन्दी]

जनसंख्या में वृद्धि

404. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और दक्षिण भारत की तुलना में जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सरकार को बहुत कम सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर भारत के किन-किन राज्यों में जनसंख्या बढ़ रही है और उसकी जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई विशेष प्रयास करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

स्वस्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) 1993 की नमूना पंजीयन पद्धति के आंकड़ों के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

सामाजिक रवैयों और विश्वासों, महिला साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, परिवार इत्यादि का आर्थिक स्तर जैसे घटक जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रभाव डालते हैं।

(ग) और (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट कार्यनीतियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है और सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक जन्म दर वाले अभिज्ञात जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विवरण

जनांकिकीय संकेतक – नमूना पंजीयन प्रणाली (1993)

जन्म-दर, मृत्युदर और वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य	जन्म दर	मृत्यु दर	वृद्धि दर (प्रतिशत)
I.	**उत्तरी राज्य**			
1.	राजस्थान	34.0	9.1	2.49
2.	उत्तर प्रदेश	36.2	11.6	2.46
3.	हरियाणा	30.9	7.9	2.30
4.	मध्य प्रदेश	34.9	12.6	2.23
5.	बिहार	32.0	10.6	2.14
6.	हिमाचल प्रदेश	26.7	8.6	1.81
7.	पंजाब	26.3	7.9	1.84
II.	**दक्षिणी राज्य**			
1.	कर्नाटक	25.5	8.0	1.75
2.	आंध्र प्रदेश	24.3	8.6	1.57
3.	केरल	17.4	6.0	1.14
4.	तमिलनाडु	19.5	8.2	1.13

स्त्रोत : महापंजीयक, भारत।

[अनुवाद]

चिकित्सा अनुसंधान

405. **श्री भोगैन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राजेन्द्र मेमोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेंज, पटना अनुसंधान कार्यक्रम शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में इस संस्थान की अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) क्या संस्थान द्वारा खरीदे गए वैज्ञानिक उपकरण बेकार पड़े हुए है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन उपकरणों के समुचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). जी हां। राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना, कालाजार के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधार करता रहा है। इस संस्थान के अनुसंधान प्रयासों का लक्ष्य बहुविषयक अध्ययनों, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं, के माध्यम से रोग पर नियंत्रण करने के लिए शीघ्र निदान तथा बेहतर कार्यनीतियों का विकास करना है।

(ग) और (घ) कुछ उपकरणों की, जो चालू हालत में नहीं हैं, संस्थान की उपकरण समिति की सिफारिशों के अनुसार मरम्मत की जा रही है।

मस्तिष्क-ज्वर

406. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ: माह के दौरान किन-किन राज्यों से मस्तिष्क - ज्वर से होने वाली मौतों की सूचना मिली थी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या, मरने वालों में बच्चों की संख्या अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इस बीमारी के फैलने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस घातक बीमारी को फैलने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वस्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान जापानी एनसिफलाइटिस के राज्य-वार सूचित रोगियों और इससे हुई मौतों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्य	रोगी	मौतें
आंध्र प्रदेश	15	6
बिहार	8	2
तमिलनाडु	33	12
पश्चिम बंगाल	12	6
	68	26

(ख) तमिलनाडु राज्य से मिली सूचना के अनुसार मरने वालों में अधिकतर बच्चे थे।

(ग) यह रोग मच्छर के काटने से होता है जो जापानी एनसिफलाइटिस विषाणु का वाहक होता है। सुअर तथा घोड़े जैसे पशु-प्रजातियों में भी यह विषाणु होता है।

(घ) जापानी एनसिफलाइटिस को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :-

- रोगियों का आरम्भावस्था में पता लगाना तथा उनका उचित उपचार

- रोग के पता लगाए गए क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव/फागिंग से वेक्टर नियंत्रण
- जापानी एनसिफलाइटिस से पीड़ित रोगियों को टीके लगाना
- महामारी रोग विज्ञान प्रवृत्तियों की नियमित निगरानी, जांच तथा प्रशिक्षण
- रोग का आरम्भावस्था में पता लगाने तथा निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए सूचना शिक्षा और संचार क्रियाकलाप।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर हेतु धन

407. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 हेतु जम्मू और कश्मीर की वार्षिक योजना हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर द्वारा कितने वित्तीय संसाधन जुटाए गए हैं और योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जम्मू और कश्मीर में कृषि और बागवानी का उत्पादन कितना रहा है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को वर्ष-वार खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

(घ) विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

जम्मू व कश्मीर के लिए वार्षिक योजना अनुमान तथा योजनाओं के लिए धन व्यवस्था हेतु संसाधनों का अद्यतन अनुमान

(रुपये करोड़ों में)

	जम्मू व कश्मीर योजना के लिए धन	1993-94 वा.यो.अ.	1993-94 स.अ.	1994-95 वा.यो.अ.	1994-95 अ.अ.	1995-96 वा.यो.अ.
	1	2	3	4	5	6
क.	**राज्य के संसाधन**	639.18	1288.29	656.77	1408.67	451.50
1.	चा.रा. से बकाया	406.51	276.53	327.38	534.97	236.50
2.	रा.लो.उ. का अंशदान (1 से)	178.22	208.08	221.54	195.11	203.00
	1) रा.वि.बो.	159.04	182.52	199.34	176.35	181.00
	2) रा.स.प.नि.	19.18	25.56	22.20	18.76	22.00
3.	भ.नि.	80.00	36.06	86.00	94.04	100.00
4.	वि.पूं.प्रा.(कुल)	179.45	355.43	243.85	298.03	197.00
5.	लघु बचत	45.00	45.00	50.00	80.00	85.00
6.	मु.मं./राज्यपाल की सहमति से अ.सं.सं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	राज्य के कुल संसाधन	639.18	758.98	656.77	854.07	451.50
8.	प्रारंभिक बकाया राशि	0.00	529.31	0.00	554.60	0.00
9.	राज्य के कुल संसाधन	639.18	1288.29	656.77	1408.67	451.50
10.	योजना के लिए उपलब्ध संसाधन	0.00	1288.29	0.00	1408.67	451.50
ख.	**केन्द्रीय सहायता**	880.00	886.03	950.00	1843.39	1501.51
11.	बाजार से लिया गया कर्ज(कुल)	51.98	51.98	57.98	57.98	66.00
12.	समझौता ऋण	29.91	31.69	36.04	36.04	40.00
13.	योजना राजस्व घाटा अनुदान(कुल)	3.06	3.06	3.72	3.72	0.00
14.	(क) साधारण केन्द्रीय सहायता(कुल)	782.81	787.06	835.55	761.55	1339.50
	(ख) वि.स.प्रा.परि.	12.24	12.24	15.00	11.10	10.00

1		2	3	4	5	6
15.	विशेष केन्द्रीय सहायता/योजना	0.00	0.00	0.00	973.00	44.00
16.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	0.00	0.00	1.71	0.00	2.00
17.	कुल योजना संसाधन	880.00	402.26	950.00	434.72	1050.00
18.	योजना परिव्यय/राजस्व परिव्यय	880.00	684.00	950.00	868.00	1050.00
19.	योजना खर्च		684.05		868.00	
20.	अत: शेष	0.00	554.60	0.00	554.60	554.60

जम्मू व कश्मीर

वा.यो.अ. - वार्षिक योजना अनुमान, सं.अ. - संशोधत अनुमान

चा.रा. से बकाया - चालू राजस्व से बकाया, श.लो.उ. - राज्य लोक उद्यम

रा.वि.बो. - राज्य विद्युत बोर्ड, रा.स.प.नि. - राज्य सड़क परिवहन निगम

भ.नि. - भविष्य निधि, वि.पूं.प्रा. - विविध पूंजी प्राप्ति

अ.सं.सं. - अतिरिक्त संसाधन संचयन, वि.स.प्रा.परि. - विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

विवरण-II

जम्मू व कश्मीर में कृषि तथा बागवानी के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(क) कृषि (हजार टन में)

		1991-92	1992-93	1993-94
1.	खाद्यान्न	1405.2	1383.8	1383.8
2.	दालें	20.6	18.1	18.1
3.	तिलहन	45.9	47.7	47.7
4.	गन्ना	11.9	11.2	11.2
(ख)	**बागवानी**			
1.	फल	700.8	786.9	शून्य
2.	सब्जियां	745	745	शून्य

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर को आबंटित तथा लिए गए खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख टनों में)

वर्ष	आबंटित चावल	उठाया गया (अ.)	आबंटित गेहूं	उठाया गया (अ.)
1992-93	4.32	2.00	2.40	1.15
1993-94	4.34	1.63	2.40	1.26
1994-95	5.20	1.54	3.50	1.10

(अ) अनन्तिम

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रणाली में परिवर्तन

408. **डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रणाली में परिवर्तन के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम विस्फोट

409. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या मई, 1995 में पुलगांव (जिला - वर्धा महाराष्ट्र) स्थित केन्द्रीय गोला-बारूद डिपो में रखे हुए कुछ बम फट गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसमें जान-माल की हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विस्फोट के क्या कारण हैं और इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पुलगांव स्थित केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो के भंडार गृह सं. 78 में 25 मई 1995 को 17.05 बजे एक विस्फोट हुआ था।

(ख) इस विस्फोट में जन-जीवन की कोई हानि नहीं हुई। इसमें

10.48 करोड़ की संपत्ति का नुकसान आंकलित किया गया है जिसमें 8.66 करोड़ रुपए के गोलाबारूद/फ्यूज आदि और 1.62 करोड़ रुपए का इमारत का नुकसान शामिल है।

(ग) इस संबंध में एक स्टाफ जांच अदालत बिठाई गई है और विस्फोट के संभावित कारणों का पता जांच अदालत की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद चलेगा। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है।

[हिन्दी]

बंजर भूमि का क्षेत्रफल

410. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और देश में उक्त भूमि के कुल क्षेत्रफल में से राजस्थान में बंजर भूमि कितने प्रतिशत है;

(ख) बंजर भूमि के विकास के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राजस्थान को कितनी सहायता प्रदान की गई और इससे कितने क्षेत्रफल बंजर भूमि का विकास किया गया?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग ने राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी की सहायता से राष्ट्रीय बंजरभूमि पहचान परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अन्तर्गत देश में भौगोलिक क्षेत्र का 5 प्रतिशत से अधिक बंजरभूमि वाले 237 जिलों की पहचान की गई है। इसलिए समूचे देश में बंजरभूमि के विस्तार के बारे में सही सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक अनुमान के अनुसार देश में बंजरभूमि का फैलाव 129.5 मिलियन हैक्टेयर है जिसमें से 19.934 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि राजस्थान में है जो देश में कुल बंजरभूमि का 15.4 प्रतिशत है।

(ख) वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियां बंजरभूमि सहित विभिन्न श्रेणियों की भूमि पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र सं. 16 के अन्तर्गत चलायी जाती हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं. 16 के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत वनरोपण एवं पारिस्थितिक विकास कार्यक्रम, बागवानी के लिए रोजगार गारंटी योजना आदि सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनायें कार्यान्वित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड भी निम्नलिखित योजनाओं की मार्फत देश में वनेतर बंजरभूमि का विकास कर रहा है :-

1. एकीकृत बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम।
2. निवेश संवर्द्धन योजना।
3. बंजरभूमि विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।
4. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण।
5. बंजरभूमि विकास कार्यदल।

(ग) बंजरभूमि सहित विभिन्न श्रेणियों की भूमि पर वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियां चलाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं. 16 के अन्तर्गत राजस्थान को 36472.61 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है और 2.21 लाख हैक्टेयर भूमि क्षेत्र का विकास किया गया है तथा निजी भूमि पर रोपण हेतु 1204 लाख पौधे वितरित किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 आबंटन	1993-94 आबंटन	1994-95 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2510.52	3324.70	2579.47
2.	अरूणाचल प्रदेश	434.55	511.00	1324.00
3.	असम	1520.00	1217.00	267.69
4.	बिहार	2112.46	3381.46	4715.60
5.	गोवा	156.95	150.80	154.66
6.	गुजरात	6713.93	6684.04	6881.12
7.	हरियाणा	4576.57	3777.40	3669.10
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	6063.13	एन.आर.
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1795.95	1108.02	एन.आर.
10.	कर्नाटक	6157.87	7548.06	11513.51
11.	केरल	1215.00	695.05	330.00
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	7350.68	5800.98
13.	महाराष्ट्र	7624.11	8936.45	9525.86
14.	मणिपुर	573.65	284.49	542.61
15.	मेघालय	1164.07	1084.20	एन.आर.
16.	मिजोरम	870.00	906.09	927.44
17.	नागालैंड	155.38	150.11	744.00
18.	उड़ीसा	4208.00	4069.50	978.35
19.	पंजाब	1159.50	1672.70	908.35
20.	राजस्थान	9583.00	12550.44	14339.17
21.	सिक्किम	383.87	364.82	एन.आर.
22.	तमिलनाडु	4640.70	5199.39	8868.00
23.	त्रिपुरा	1158.04	1163.63	861.67
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9043.33	12983.49

1	2	3	4	5
25.	पं. बंगाल	2880.00	2098.30	3057.27
26.	अ.नि. द्वीप समूह	116.25	114.85	127.50
27.	चंडीगढ़	30.00	170.00	45.00
28.	दा.न. हवेली	97.20	200.00	146.87
29.	दमन व द्वीव	13.00	13.00	22.50
30.	दिल्ली	281.00	197.00	193.00
31.	लक्षद्वीप	16.00	16.50	एन.आर.
32.	पांडिचेरी	91.33	131.00	92.00
	योग :	79288.02	90177.14	91599.21

[अनुवाद]

छोटी पनबिजली योजनाएं

411. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में छोटी पनबिजली योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) इससे कुल कितनी बिजली का उत्पादन किया जायेगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) मंत्रालय के लघुपन बिजली कार्यक्रम के अंतर्गत केवल राज्य से अब तक कुल 5.85 मे.वा. की चार परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 5.5 मेगावाट के दो प्रस्तावों को वित्तीय सहायता हेतु सिद्धांत रूप में स्वीकृति दी गई है।

(ग) मंत्रालय द्वारा स्वीकृत लघुपन बिजली परियोजनाओं से 5.5 मेगावाट बिजली उत्पादन की परिकल्पना है।

[हिन्दी]

पुदीने की नई किस्म

412. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई 1995 के राष्ट्रीय सहारा में ''पुदीने की नई किस्म विकसित" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बाजारों में पुदीने के तेल और पुदीने की इस प्रकार की नई किस्म की भारी मांग है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुदीने के तेल का निर्यात करने का है; और

(ङ) पुदीने का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी हां। सीएसआइआर की घटक यूनिट केन्द्रीय औषधीय और संगध पौधा संस्थान (सिमैप), लखनऊ द्वारा हाल ही में ''गोमती'' नामक जापानी पुदीने की नई किस्म का विकास किया गया है। इस नई किस्म से पहले विकसित की गई उन्नत किस्मों से अधिक तेल प्राप्त होता है।

(ग) से (ङ) भारत पहले से ही जापानी पुदीने से प्राप्त तेल और मेन्थॉल का निर्यात कर रहा है। तथापि, नयी उन्नत किस्मों के विकास से तेल और मेन्थॉल को और अधिक मात्रा में निर्यात किए जाने की आशा है। सिमैप पुदीने की अधिक लाभ वाली किस्मों के विकास पर कार्य कर रहा है और विभिन्न प्रशिक्षणों तथा प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी खेती को प्रचलित भी कर रहा है।

[अनुवाद]

परिवार न्यायालय

413. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने और किन-किन राज्यों ने परिवार न्यायालयों की स्थापना की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन न्यायालयों में अभी भी अनेक मामले लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या उपराचात्मक उपाय करने का विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 को अधिनियमित किए जाने के पश्चात अभी तक 11 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में 52 कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए हैं। वे इस प्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-11, राजस्थान-5, महाराष्ट्र-13, उड़ीसा-2, कर्नाटक-4, तमिलनाडु-1, केरल-5, बिहार-2, असम-1, मणिपुर-1, आंध्र प्रदेश-6 और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र-1

(ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मेडिकल शिक्षा

414. **श्री वी. श्रीनिवासन प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1995 के ''द स्टेट्समैन''

में "सी.एम.ई. प्रोग्राम लाइकली फार इंडियन डाक्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह कार्यक्रम किस प्रकार शुरू किया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिकागो में 29 जून से 2 जुलाई, 1995 को भारतीय मूल के डाक्टरों के अमेरिकन संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श में यह निर्णय किया गया है कि भारत में सतत् चिकित्सा शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में संघ के अनिवासी भारतीय डाक्टरों की भूमिका बढ़ाई जाए। इस बैठक को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने संबोधित किया था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारत में सतत् चिकित्सा शिक्षा योजना के समन्वयन में एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित चिकित्सा कालेजों/अस्पतालों में अल्पावधि कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

[हिन्दी]

मनोचिकित्सा संस्थान, रांची

415. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रांची स्थित केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में कथित अनियमितताएं किए जाने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में शक्ति कार्यालय तंत्र और वित्तीय अनियमितताओं के कथित दुरूपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) कथित वित्तीय तथा अन्य अनियमितताओं की जांच तथा अंकेक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भेजने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

अन्तरिक्ष कार्यक्रम

416. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु अन्तरिक्ष कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) ग्रामीण जनता के लाभार्थ अन्तरिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम मूल रूप में "उपयोग अभिमुख" है तथा इसके स्वदेशी सुदूर संवेदन तथा संचार कार्यक्रम, विशेष रूप में ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए राष्ट्रीय विकास, से सीधे संबद्ध विशिष्ट मामलों की ओर निर्देशित हैं। अन्तरिक्ष परियोजनाओं और कार्यक्रमों का लगातार मॉनीटरन और समीक्षा की जाती है।

(ख) दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन (आई.एम.एस.डी.) की हाल ही में की गयी समीक्षा के आधार पर, ग्रामीण विकास विभाग ने देश में ऐसे 92 ब्लॉकों का विशेष रूप में निर्धारण किया है, जो सूखे द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हैं, ताकि अन्तरिक्ष सुदूर संवेदन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए भूकर अधिचित्र सहित समाकलित भूमि और जल संसाधनों के प्रबंध के लिए स्थानिक विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की जा सकें। देश के 174 जिलों में शुरू किए गए आई.एम.एस.डी. कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य बल देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म जलविभाजक विकास कार्यक्रम पर दिया गया है। आई.एम.एस.डी. के अन्तर्गत तैयार की गयी कार्य योजनाओं को केन्द्र/राज्य सरकारों की आवश्यक वित्तीय सहायता से जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय स्तर पर स्वयं लाभभोगियों की सक्रिय भागीदारी से क्रियान्वित किया जाता हैं।

(ग) भारत निर्धारित राष्ट्रीय विकासात्मक कार्यों के लिए आत्मनिर्भर अन्तरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना में सतत अग्रसर है। इन्सैट-2ए उपग्रह (जुलाई, 1992 में प्रमोचित) और इन्सैट-2बी उपग्रह (जुलाई, 1993 में प्रमोचित) सहित स्वदेशी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली जनसंचार, ग्रामीण टेलीग्राफी, शिक्षा, आपदा चेतावनी तथा मौसम के पूर्वानुमान कार्यों में सहायता के लिए दूरसंचार, दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण तथा कार्यक्रम वितरण, मौसमविज्ञानीय प्रतिबिम्बन तथा आंकड़ों का संग्रहण और खोज तथा बचाव कार्यक्रम के क्षेत्रों में प्रचालनात्मक सेवाएं प्रदान कर रही है। इनमें से अनेक उपयोग कार्यक्रम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं और ग्रामीण जनता के लाभ के लिए लगातार सेवा प्रदान करते हैं। विशेष अभिरूचि वाले समूहों के लिए गहन, अन्योन्यक्रियाशील और दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए इन्सैट-2 उपग्रह चैनलों में से एक चैनल को फरवरी, 1995 में समर्पित किया गया था। इस चैनल ने पहले ही ग्रामीण विकास, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्रों के लिए विकास तथा प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इसके साथ ही, आई.आर.एस.1बी. (अगस्त, 1991 में प्रमोचित) तथा आई.आर.एस.पी.2 (अक्तूबर, 1994 में प्रमोचित) नामक भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रहों को भूमिजल की खोज, वनरोपण कार्यक्रमों, परती भूमि विकास, मत्स्य भण्डारों का आकलन और सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं का मानीटरन जैसे अनेक प्रचालनात्मक उपयोग के क्षेत्रों के लिए प्रभावी रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सुविधाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र

417. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री बलराज पासी :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र को व्यापक तौर पर सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) से (ग). स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत ढांचे की साझेदारी के आधार पर तथा भुगतान एवं नि:शुल्क सेवा प्रदान करने के आधार पर संयुक्त प्रयासों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नए औद्योगिक एकक

418. श्री काशीराम राणा :
श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री छेदी पासवान :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने औद्योगीकीकरण और नए उद्योगों की स्थापना हेतु कुछ विशेष कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है और वास्तव में कितने उद्योगों की स्थापना की गई है और इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगदार दिया गया है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(घ) क्या सरकार ने चीनी बनाने हेतु फिलहाल किसी औद्योगिक लाइसेंस को मंजूरी प्रदान न करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को उन्हें अपने राज्यों में नई औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण मुहैया करने के लिए स्वयं अपनी नीतियां बनाने की सलाह दी गई है। इसलिए, राज्य तेजी से औद्योगीकरण करने के बारे में कोई भी कार्यक्रम बनाने हेतु स्वतंत्र हैं। अनुमोदित विशेष योजनाओं के तहत, जहां लागू हो, देय सहायता के अलावा, इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है।

(घ) और (ङ) फिलहाल, चीनी के विनिर्माण के लिए कोई किसी औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी न दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

धनराशि का अन्यत्र उपयोग

419. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को दी गई धनराशि का उपयोग रंगीन टेलीविजन सेट, कैसेट प्लेअर, फर्नीचर और टैंट खरीदने के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते है।

जवाहर रोजगार योजना राशि का दुरूपयोग

420. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किये गये सभी लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान कराने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई धनराशि को खर्च नहीं किए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार जवाहर रोजगार-योजना राशि के दुरूपयोग के कितने मामले प्रकाश में आए है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजी भाई पटेल) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अल्प रोजगार वाले लोगों को शारीरिक श्रम वाले मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना 1989-90 से कार्यान्वित की जा रही है। 1989-90 से 1994-95 तक 5,318.93 मिलियन श्रमदिनों के लक्ष्य की तुलना में 5,307.80 श्रमदिनों को सृजित किया गया जो 99.79 प्रतिशत है, और इसे संतोषजनक माना जा सकता है।

(ग) जवाहर रोजगार योजना की पहली किश्त को सामान्य रूप से बिना पूर्व-शर्त के रिलीज किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा निधियों की उपयोगिता को समय पर सुनिश्चित करने के लिए, निधियों की दूसरी किश्त को केवल उस समय कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज किया जाता है जब वे 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपलब्ध निधियों अर्थात वर्ष का आदिशेष और वर्ष के दौरान प्राप्त राशि सहित का इस्तेमाल कर लें। जवाहर रोजगार योजना के वर्तमान चल रहे कार्यक्रम के रूप में होने से इसके सुचारू कार्यान्वयन हेतु निधियों के 15 प्रतिशत को आगे ले जाना अनुमेय है। योजना के अंतर्गत निधियों की उपयोगिता संतोषजनक है।

(घ) से (ङ) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग के कुछ मामले भारत सरकार के ध्यान में आए है। 1992-93 से 1994-95 के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में इस योजना के कार्यान्वयन में पंचायतों की भागीदारी से अधिक अपेक्षित पारदर्शिता आई है और इसकी तुलना में जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरूपयोग के संबंध में बहुत कम शिकायतें हैं। निःसन्देह ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों की, उपयुक्त जांच और उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों/संरपचों को निलंबित कर दिया है। उन अधिकारियों/संरपचों जिन्होंने जवाहर रोजगार योजना निधियों के उपयोग में अनियमितताएं करती हैं, के विरूद्ध फौजदारी मुकदमें भी दायर किए गए हैं। दोषियों को दंड देने के सभी प्रयास किए जाते है।

विवरण

1992-93 से 1994-95 के दौरान जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरूपयोग के बारे में प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	3	2
2.	असम	-	-	-
3.	बिहार	67	161	102
4.	गुजरात	-	1	-
5.	हरियाणा	1	-	2
6.	जम्मू व कश्मीर	2	-	-
7.	केरल	2	1	1
8.	मध्य प्रदेश	1	14	8
9.	महाराष्ट्र	1	-	-
10.	उड़ीसा	4	12	13
11.	पंजाब	-	2	-
12.	राजस्थान	-	3	2
13.	तमिलनाडु	-	-	2
14.	उत्तर प्रदेश	74	88	64
15.	पश्चिम बंगाल	1	-	3
	कुल :	158	285	200

[हिन्दी]

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा औषधियों की खोज

421. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री सत्यदेव सिंह :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडुरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने हिन्द महासागर में ऐसे औषधि स्त्रोतों की खोज की है जो कई रोगों के उपचार में रामबाण सिद्ध हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य में प्रगति धनाभाव के कारण अवरूद्ध हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों को इस संबंध में अनुसंधान शुरू करने हेतु कोई सहायता प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अन्य देशों में भी ऐसा अनुसंधान और अध्ययन शुरू किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत सरकार ने ऐसे अन्य देशों के साथ इस क्षेत्र में परस्पर सहायता हेतु क्या कदम उठाये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) महासागर विकास विभाग द्वारा प्रायोजित तथा केन्द्रीय

औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा समन्वित की जा रही "महासागर से संभावित औषधियों के विकास पर राष्ट्रीय परियोजना" के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रदेशों से 10 प्रमुख प्रयोगशालाओं द्वारा (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, संस्थान, विश्वविद्यालय और चिकित्सा संस्थान) औषधियों के रूप में जैव सक्रिय मिश्रणों को प्राप्त करने के लिए समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात की छान-बीन की जा रही है। प्राथमिकता वाले नीचे लिखे क्षेत्रों में सक्रियरूप से अनुसंधान किया जा रहा है।

(1) एन्टीफर्टिलिटी, (2) एन्टीवायरल, (3) एन्टीपैरासाइटिक (विशेष रूप से मलेरिया रोधी), (4) एन्टी एमीबिक, (5) सी.वी. एस. एण्ड सी.एन.एस. (कार्डियोवस्कुलर और नर्वस सिस्टम) सक्रिय, (6) मधुमेह-रोधी और (7) इसेक्टीसाइडल/पेस्टीसाइडल एजेन्ट्स।

अब तक भिन्न-2 तटीय प्रदेशों से 460 से भी अधिक समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात में से लगभग 100 नमूने एकत्र किए गए और उपर्युक्त बीमारियों के लिए उनसे सार (एक्सट्रेक्ट्स) की छानबीन की जा रही है। लगभग 10 समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात किसी न किसी रोग के लिए जैव सक्रिय पाए गए। आगे भी अन्वेषण किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां श्रीमान।

(घ) जी हां श्रीमान।

(ङ) महासागर विकास विभाग द्वारा, हिन्द महासागर से संभावित औषधियां विषय पर राष्ट्रीय परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था की जा रही है जिसमें 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और संस्थान भाग ले रहे हैं, यह राष्ट्रीय परियोजना दूसरे चरण में है, जिसकी समय अवधि 1993-1996 तक है। इस परियोजना के पहले चरण (1990-93) की वित्त व्यवस्था भी महासागर विकास विभाग द्वारा की गई थी।

(च) जी हां, श्रीमान्।

(छ) संभावित औषधि के लिए समुद्री संसाधनों का अन्वेषण, मुख्यतया अमरीका, पश्चिम यूरोपीय देशों और जापान में किया जा रहा है। कैंसर रोधी प्रयोग के लिए संभावित मिश्रण की खोज करना, उनके अन्वेषणों का प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। अब तक इन देशों की प्रयोगशालाओं/वैज्ञानिकों के साथ इस क्षेत्र में कोई औपचारिक पारस्परिक बात-चीत नहीं हुई है।

अनुसंधान तथा विकास हेतु निवेश

422. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान तथा विकास कार्य पर कुल कितना खर्च किया गया और इसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का अलग-अलग कितना हिस्सा था;

(ख) अन्य विकासशील देशों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की गई कुल राशि में से अनुसंधान तथा विकास कार्य को बढ़ावा देने हेतु नियत राशि में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में अनुसंधान व विकास कार्यों में किया गया कुल निवेश 5141 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है; जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों का हिस्सा क्रमश 11.4 प्रतिशत और 15 प्रतिशत है।

(ख) देश में अनुसंधान व विकास कार्य के लिए औद्योगिक क्षेत्र में निवेशित राशि अन्य विकासशील देशों की 5-25 प्रतिशत राशि की तुलना में 26.5 प्रतिशत है।

(ग) अनुसंधान एवं विकास में निवेशों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन एवं अन्य समर्थित तरीके निकाले हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

423. श्री जगमीत सिंह बरार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋणों की सीमा 1000 करोड़ रुपये नियत कर दी है;

(ख) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस सुविधा के लाभों को अपने एककों को देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों में विभिन्न इकाइयों को कुल कितना ऋण दिया गया और अगस्त, 1995 तक कितने एककों को राज्य-वार ऋण दिया गया?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस क्षेत्र के विकास के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र को समय से और पर्याप्त मात्रा में ऋण मुहैया कराना बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, वित्त मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 के अपने बजट अभिभाषण में एक नयी योजना की घोषणा की है जिसके तहत बैंक कंसर्शियम खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को जीव्यक्षम के.वी.आई. एककों को सीधे अथवा राज्य के.वी.आई. बोर्डों के माध्यम से कर्ज देने के लिए 1000 करोड़ रुपया मुहैया करेंगे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें क्रमशः खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग खादी तथा ग्रामोद्योग

बोर्डों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये इन ऋणों के प्रति गारंटी देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को प्रमुख कंसर्शियम के रूप में निर्दिष्ट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न बैंकों का हिस्सा निर्धारित किया है। बैंक कंसर्शियम द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को दिये गये ऋण की गारंटी केन्द्र सरकार की होगी। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य के के.वी.आई. बोर्डों को दिये गये ऋण के लिए गारंटी राज्य सरकारों की होगी। राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी काउंटर गारंटी के रूप में होगी।

(घ) क्योंकि यह स्कीम हाल ही में तैयार की गई है, वास्तविक राशि अभी जारी की जानी है।

[अनुवाद]

भारत में संयुक्त उद्यम

424. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
डा. मुमताज अंसारी :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1994-95 और 1995 96 के दौरान अब तक विदेशी निवेश के कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों में से विद्युत, इस्पात, सीमेंट इत्यादि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी प्रस्तावों का प्रतिशत कितना है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित विदेशी निवेश के अधिक से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1994-95 और 1995-96 (जून तक) की अवधि में 1065 और 327 विदेशी निवेश के प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं।

(ख) 1993 से 1995 (जून तक) तक पिछले तीन वर्षों की अवधि में विद्युत, इस्पात, सीमेंट आदि जैसे बुनियादी क्षेत्रों सहित स्वीकृत विदेशी निवेश के क्षेत्रवार प्रतिशत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी नीतिगत उपायों के विवरण 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में दिये गये हैं। सरकार ने हाल ही में वित्तीय नीतियां घोषित की हैं जैसे बुनियादी परियोजनाओं में निवेश के लिए अवकाश और विद्युत में निवेश के लिए उदार आवमूल्यन मानदंड। सरकार विदेशी निवेश संबंधी नियमों की निरंतर समीक्षा करती है ताकि इसे निवेशकों के अधिकाधिक अनुकूल बनाया जा सके और बुनियादी सुविधाओं का विकास करके देश का औद्योगीकरण किया जा सके।

विवरण

1.8.91 से 30.6.95 तक की अवधि में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामलों के उद्योगवार विवरणों की सूची।

(रुपये मिलियन में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	वित्तीय	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मी उद्योग			
	लौह	55	17491.41	4.99
	अलौह	28	7620.95	2.17
	विशेष मिश्र धातु	13	255.15	0.07
	विविध (अन्य मद) धातुकर्मी	5	435.13	0.12
	योग :	101	25802.64	7.36
2.	ईंधन			
	बिजली	15	56554.40	16.12
	तेलशोध शाला	42	36832.89	10.50
	अन्य (ईंधन)	31	6214.57	1.77
	योग :	88	99601.85	28.38
3.	बायलर तथा भाप जल नियंत्रण संयंत्र	16	922.03	0.26
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत के अलावा)	6	141.93	0.04
5.	विद्युत उपकरण			
	विद्युत उपकरण	250	10978.35	3.13
	कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	216	7565.45	2.16
	इलेक्ट्रानिक्स	99	4187.91	1.19
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	9	88.12	0.02
	योग :	574	22799.82	6.50
6.	दूरसंचार			
	दूर संचार	49	4380.07	1.25
	रेडियो पेजिंग	30	3997.35	1.14
	सेल्लूलार मोबाइल टेलीफोन सर्विस	24	4040.81	4.00
	योग :	103	22418.23	6.39
7.	परिवहन उद्योग			
	आटोमोबाइल उद्योग	69	6636.49	1.89
	वायुयान/समुद्री परिवहन	31	11333.99	3.23
	अन्य (परिवहन)	9	437.31	0.12
	योग :	109	18407.78	5.25

1	2	3	4	5
8.	औद्योगिक मशीनरी	195	8753.42	2.50
9.	मशीनी औजार	35	433.12	0.12
10.	कृषि मशीनरी	4	1613.46	0.46
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	11	129.69	0.04
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	109	1941.20	0.55
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	17	815.67	0.23
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	15	184.81	0.05
15.	औद्योगिक उपकरण	35	600.28	0.17
16.	वैज्ञानिक उपकरण	18	419.56	0.12
17.	उर्वरक	3	36.45	0.01
18.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	280	29314.09	8.36
19.	फोटाग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	4	206.32	0.06
20.	रंजक सामग्री	5	59.55	0.02
21.	औषध तथा भेषज	57	3026.73	0.86
22.	वस्त्र (रंजग, मुद्रित सहित)	171	13710.87	3.91
23.	कागज तथा लुगदी कागज उत्पाद सहित	28	3945.72	1.12
24.	चीनी	2	535.00	0.15
25.	फर्मेन्टेशन उद्योग	25	6944.67	1.98
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग			
	खाद्य उत्पाद	234	20044.57	5.71
	मेराइन उत्पाद	63	788.43	0.22
	विविध (खाद्य उत्पाद)	2	80.00	0.02
	योग :	299	20912.99	5.96
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	18	288.84	0.08
28.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट पप्रिपेशन	14	830.70	0.24
29.	रबड़ की वस्तुएं	31	1003.26	0.29
30.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	75	1068.24	0.30
31.	कांच	15	2479.30	0.71
32.	सिरेमिक्स	73	3133.94	0.89
33.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	19	3977.61	1.13
34.	टिम्बर उत्पाद	2	13.71	0.00
35.	सुरक्षा उद्योग	0	0.00	0.00
36.	परामर्शदायी सेवाएं			
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं	62	445.03	0.13
	प्रबंध सेवाएं	11	92.37	0.03
	विपणन	10	26.12	0.01
	निर्माण	3	42.49	0.01
	अन्य (परामर्शदायी सेवाएं)	9	79.18	0.02
	योग :	95	685.20	0.20
37.	सेवा क्षेत्र			
	वित्तीय	74	9654.25	2.75
	गैर-वित्तीय सेवाएं	122	9535.89	2.72
	बैंकिंग सेवाएं	8	1138.80	0.32
	अन्य सेवाएं	9	6539.80	1.86
	योग :	213	26868.74	7.66
38.	होटल तथा पर्यटन			
	होटल तथा रेस्तरां	61	17160.81	4.89
	पर्यटन	16	26.41	0.01
	योग :	77	17187.22	4.90
39.	ट्रेडिंग कंपनी	137	926.49	0.26
40.	विविध उद्योग			
	बागवानी	13	143.00	0.04
	कृषि	27	544.25	0.16
	पुष्पखेती	54	558.97	0.16
	अन्य (विविध उद्योग)	149	7426.45	2.12
	योग :	243	8672.66	2.47
	योग :	3322	350813.80	

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी

425. श्री महेश कनोडिया : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अत्यंत गरीबी कितने गांवो में है और राज्य-वार ऐसे गांवों में रह रहे परिवारों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : योजना आयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गए पारिवारिक उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण पर आधारित प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार राज्यवार आधार पर गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाले निर्धनता अनुपात के प्राक्कलन तैयार करता है। इसलिए देश में अत्यधिक निर्धनता वाले गांवों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

चरार-ए-शरीफ का पुनर्निर्माण

426. श्री देवी बक्स सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चरार-ए-शरीफ के आसपास रहने वाले लोगों को मकानों के पुनर्निर्माण हेतु भारी धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सकरार ने चरार-ए-शरीफ की घटना के बाद गिराए गए मन्दिरों का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ). चरार-ए-शरीफ में आग लगने की घटना से प्रभावित हुए परिवारों और उन्हें राहत देने हेतु प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

राज्य सरकार अपने नियमों के अधीन, अचल सम्पत्ति के नुकसान के लिए 50 प्रतिशत की दर से राहत उपलब्ध कराती है जो कि एक मामले में, अधिक से अधिक, एक लाख रुपये तक हो सकती है। धार्मिक भवनों को हुए नुकसान के लिए भी इन्हीं नियमों के अधीन राहत दी जाती है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात

427. डा. परशुराम गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के मुक्त रूप से आयात की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नीति उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए सहायक होने की संभावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) आयात तथा निर्यात नीति (1992-97) के अंतर्गत उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को छोड़कर इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आमतौर पर मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। ऐसी चुनिन्दा उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक वस्तुओं का भी विशेष आयात लाईसेंस (एसआईएल) पर मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी गई है, जो भारत में नहीं बनाई जाती है।

(ख) और (ग) इस नीति से उपभोक्ता भारत में चुनिंदा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यह उद्योग की प्रतिवर्ती इंजीनियरी में तथा इसके उत्पादों की रेंज में विविधता लाकर नए बाजार तैयार करने में भी सहायता करती है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

428. डा. मुमताज अंसारी :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और अप्रैल-जून, 1995-96 के दौरान "भेल" का एकक-वार कारोबार कितना रहा;

(ख) "भेल" के उन एककों का पृथक-2 ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों से मुनाफे में चल रहे हैं अथवा घाटे में चल रहे हैं;

(ग) इस घाटे के एकक-वार कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक एकक में कार्यरत श्रमिकों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विगत तीन वर्षों (1992-93, 1993-94 तथा 1994-95) के दौरान तथा अप्रैल, 1994 - जून, 1994 की अवधि की तुलना में अप्रैल, 1995 - जून, 1995 के दौरान भेल का कारोबार निम्नवत् है :-

करोड़ रुपये

वर्ष	कारोबार
1992-93	3508
1993-94	3554
1994-95	4093*
अप्रैल, 94 - जून, 1994	540
अप्रैल, 95 - जून, 1995	784

*सरकार की लेखा परीक्षाधीन

(ख) ब्यौरे अनुलंग्नक में दिए गए हैं।

(ग) भेल की केवल एक इकाई नामतः इन्सुलेटर संयंत्र, जगदीशपुर पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रही है। संयंत्र के घाटे में चलने के कारण इस प्रकार हैं :

यह संयंत्र इन्सुलेटरों का निर्माण करता है जिनकी क्षमता देश में मांग से कहीं अधिक हैं। परिणामस्वरूप बाजार सीमित है और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इनकी कीमतें लाभकारी नहीं हैं।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भेल की विनिर्माणकारी इकाईयों में कारोबार, कर पूर्व लाभ तथा जनशक्ति के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

इकाइयां	(लाख रुपये) कारोबार				(लाख रुपये) कर पूर्व लाभ			जनशक्ति		
	92-93	93-94	94-95*	अप्रैल-जून95	92-93	93-94	94-95*	92-93	93-94	94-95
हेवी इलेक्ट्रिकल्स संयंत्र, भोपाल	47874	76348	83052	15320	5566	6839	7834	17115	16679	16158
ट्रांसफार्मर संयंत्र, झांसी	21521	22689	22461	2474	2140	2142	2476	1926	2008	1995
हेवी इलेक्ट्रिकल्स उपकरण संयंत्र, हरिद्वार	45828	39039	51324	8285	1528	726	2699	10484	10387	10195
हेवी पावर उपकरण संयंत्र, हैदराबाद	63007	73540	82937	13815	4605	6612	12383	10139	9971	9810
हाई प्रेशर बॉयलर संयंत्र तथा सीमलैस स्टील ट्यूब संयंत्र, त्रिची	83161	68128	85164	18302	4163	6804	8510	14987	14666	14402
बॉयलर आक्सिलियरीज संयंत्र, रानीपेट	17585	14902	23148	7274	553	520	1342	2640	2617	2592
इलेक्ट्रानिक्स प्रभाग, बंगलौर	20484	26638	27298	4313	1654	2401	5659	2834	2755	2672
इलेक्ट्रोपोर्सिलेन प्रभाग, बंगलौर	3823	4027	4209	902	249	269	339	1513	1440	1406
इन्सुलेटर संयंत्र, जगदीशपुर	1517	1832	2314	437	-843	-692	-579	622	608	608

* सरकार की लेखापरीक्षाधीन

खनिजों का दोहन

429. **श्री वी. एस. विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए गये मोनोजाइट, इल्मेनाइट और अन्य खनिजों के दोहन हेतु किसी विदेशी सरकार अथवा एजेंसी के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई आर ई) ने केरल के क्विलोन जिले के निदंकरा स्थान पर एक एकीकृत खनन और खनिज पृथक्करण संयंत्र तथा संश्लेषित स्टाइल संयंत्र इसलिए लगाने के लिए ताकि उस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज युक्त पुलिन बालू का दोहन किया जा सके, एक संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने के वास्ते एक भारतीय फर्म मैसर्स चैमप्लास्ट और मैसर्स रेनीसंस गोल्डफील्डस कनसॉलिडेटिड लिमिटेड (आर जी सी), आस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त उद्यम की स्थापना आई आर ई, केरल सरकार, चैमप्लास्ट और आर जी सी की इक्विटी भागीदारी सहित की जाएगी।

[हिन्दी]

जीन संबंधी वैज्ञानिक प्रगति

430. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या "जीन और उनकी प्राकृतिक बनावट प्रणाली" पर वैज्ञानिकों ने पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की है;

(ग) जीन और उनकी प्राकृतिक बनावट प्रणाली का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या लाइलाज आनुवंशिक रोगों से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या कोई अमरीकी संगठन मानव समूह के दुर्लभ जीन एकत्रित कर रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रकार की तकनीक के विकास के फलस्वरूप होने वाले जोखिम के संबंध में सूचना एकत्रित कर ली है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जीनों की बनावट एक बहुत ही जटिल विषय है। वैज्ञानिकों ने उनकी बनावट पर पूरा नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है।

(ख) भारतीय वैज्ञानिकों ने जीन संरचना को समझने में अच्छी विशेषज्ञता विकसित कर ली है, इसलिए आनुवंशिक दोषों को पहचानना सम्भव होगा।

(ग) जीन डी एन ए से बने होते हैं। प्रत्येक जीन में भिन्न बेस-अनुक्रम होते हैं। प्रत्येक अनुक्रम में कोडित जानकारी होती है जिससे अन्ततः एक विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन होता हैं। ये अणु अनेक जीवन-प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।

(घ) और (ङ) ये क्षेत्र अभी भी अनुसंधान के स्तर पर है। कुछ चुनिंदा आनुवंशिक विकृतियों के मामले में विशिष्ट क्लिनिकीय परीक्षण चल रहे हैं। जीन चिकित्सा केवल आखिरी मामलों में अथवा वहां जहां जिंदा रहने का कोई अन्य रास्ता न हो, आजमाई जा रही है। आशा है कि जीन-चिकित्सा लगभग 5 से 10 वर्षों में एक गम्भीर विकल्प हो जाएगा।

(च) अमरीका में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ के अंतर्गत नेशनल सेन्टर फार ह्यूमन जीनोम रिसर्च मानव जीनोम पर अनुसंधान कर रहा है।

(छ) विश्व में दूसरी जगह जोखिमों तथा विकसित नई तकनीकों के बारे में सरकार द्वारा संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कई नई तकनीकों का भी विकास किया है।

दस्तकारों को उपकरण

431. **श्री गुमान मल लोढा :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दस्तकारों को उपकरण" योजना सभी राज्यों में कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) 1995-96 के लिए आबंटित धनराशि तथा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां। ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना सभी राज्यों में कार्यान्वित कर दी गयी है।

(ख) विगत तीन वर्षों (1992-93 से 1994-95) के दौरान योजना के अन्तर्गत राज्यवार वर्षवार आबंटित निधियां विवरण में दी गयी हैं।

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए राज्यवार निर्धारित आबंटन एवं लक्ष्य विवरण-2 में दिये गये हैं।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना के अन्तर्गत आबंटन/रिलीजे

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93 आबंटन	1993-94 आबंटन	1994-95 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	72.00	145.800	265.986
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.00	23.400	9.00
3.	असम	72.00	93.600	36.00
4.	बिहार	108.00	117.000	216.990
5.	गोवा	18.00	9.000	1.80
6.	गुजरात	72.00	93.600	180.00
7.	हरियाणा	72.00	93.600	27.00
8.	हिमाचल प्रदेश	36.00	44.622	18.86
9.	जम्मू व कश्मीर	72.00	70.200	90.00
10.	कर्नाटक	72.00	93.600	144.00
11.	केरल	36.00	187.200	108.00
12.	मध्य प्रदेश	144.00	232.200	343.892
13.	महाराष्ट्र	144.00	167.778	180.00
14.	मणिपुर	36.00	23.400	4.50
15.	मेघालय	8.00	9.000	9.00
16.	मिजोरम	36.00	27.000	54.000
17.	नागालैंड	18.00	9.000	54.486
18.	उड़ीसा	36.00	46.800	108.00
19.	पंजाब	36.00	70.200	90.00
20.	राजस्थान	108.00	140.400	144.00
21.	सिक्किम	36.00	9.000	35.986
22.	तमिलनाडु	72.00	117.000	126.00
23.	त्रिपुरा	36.00	18.000	9.90
24.	उत्तर प्रदेश	180.00	366.000	504.000

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	72.00	93.600	126.00
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	18.00	9.000	0.00
27.	दादर व नगर हवेली	3.15	0.000	0.00
28.	दमन व द्वीव	18.00	9.000	0.00
29.	लक्षद्वीप	18.00	9.000	0.00
30.	पांडिचेरी	18.00	9.000	4.500
	अखिल भारत	1685.25	2322.000	2900.00

विवरण-II

1995-96 के दौरान ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना के अन्तर्गत आबंटन/लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल प्रस्तावित आबंटन (रुपये लाख में)	लक्ष्य (संख्या में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	181.87	10104
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.71	539
3.	असम	138.03	7668
4.	बिहार	565.13	31396
5.	गोवा	0.77	43
6.	गुजरात	98.40	5467
7.	हरियाणा	57.87	3215
8.	हिमाचल प्रदेश	31.20	1733
9.	जम्मू व कश्मीर	8.01	445
10.	कर्नाटक	151.94	8441
11.	केरल	89.63	4979
12.	मध्य प्रदेश	364.84	20269
13.	महाराष्ट्र	222.02	12334
14.	मणिपुर	19.21	1067
15.	मेघालय	19.08	1060
16.	मिजोरम	0.43	24
17.	नागालैंड	18.78	1044
18.	उड़ीसा	334.33	18574
19.	पंजाब	63.15	3508
20.	राजस्थान	202.80	11267
21.	सिक्किम	0.32	18
22.	तमिलनाडु	212 87	11826
23.	त्रिपुरा	6.68	321
24.	उत्तर प्रदेश	490.50	27250
25.	पश्चिम बंगाल	211.73	11763
26.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	0.19	10
27.	दादर व नगर हवेली	0.13	7
28.	दमन व द्वीव	0.06	3
29.	लक्षद्वीप	0.02	1
30.	पांडिचेरी	0.30	17
	अखिल भारत	3500.000	194444

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी

432. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी, उटकमंड ने पालिस्टर आधारित अपनी मेडिकल एक्स-रे, इंडस्ट्रियल एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट्स फिल्मस परियोजनाएं शुरू कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस कंपनी के भारत में जरूरतमंद कंपनियों के लिए कितने लाभकारी होने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लिमिटेड की पालिएस्टर आधारित एक्स रे फिल्म्स परियोजना का 98 प्रतिशत यांत्रित कार्य पूरा हो चुका हैं।

(ग) और (घ) यह संत्रंय मुख्य रूप से तीन उत्पादों अथांत पालिएस्टर आधारित चिकित्सा एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे और ग्राफिक आर्ट्स फिल्मों का उत्पादन करेगा। उपर्युक्त तीन उत्पादों के लिए सृजित क्षमता देश की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध मामले

433. **श्री सुकदेव पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने मामले उच्चतम न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने ऐसे मामले न्यायालयों में दायर किए गए तथा निपटाए गए;

(ग) क्या सरकार लम्बित मामलों के निपटान हेतु न्यायिक प्रणाली में सुधार करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) न्यायालयों में लंबित मामलों के आंकड़े जाति/जनजाति के आधार पर नहीं रखे जाते है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इससे यथासंभव शीघ्र निपटने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी सम्मेलन में अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। मामलों के बकाया और प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा मामलों के निपटारे के लिए विहित किए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती रही है। इसके अलावा, मामलों के शीघ्र निपटारे के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से न्याय प्रशासन को, केन्द्र द्वारा प्रायोजिक स्कीम के रूप में योजना मद बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने भी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपाय किए हैं, जिनके अंतर्गत एक समान मामलों को एक साथ समूहबद्ध करना और सूचीबद्ध करते समय बड़े समूहों को पूर्विकता देना, नियमित सुनवाई वाले मामलों के लिए सप्ताह में अलग से तीन दिन नियत करना और विशेषज्ञता प्राप्त न्यायपीठों का गठन करना, आदि है। उच्चतम न्यायालय के कार्य घंटों में भी आधे घंटे की वृद्धि की गई है।

[अनुवाद]

कापार्ट

434. श्री एस.एम. लालजान बाशा :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री सैय्द शहाबुद्दीन :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "कापार्ट" का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गैर-सरकारी सदस्यों के नामनिर्दिष्ट करने हेतु क्या मानदंड अपनाये जायेंगे;

(ग) क्या "कापार्ट" के सदस्यों तथा संबंधित विभागों ने धन एकत्रित करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दिया है;

(घ) "कापार्ट" द्वारा अपनायी गयी निगरानी (मानीटरिंग) प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या "कापार्ट" ने अनेक गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया है;

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उन गैर सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें "कापार्ट" द्वारा मान्यता और सहायता प्रदान करना जारी है;

(ज) 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कुल कितना सहायता अनुदान दिया गया;

(झ) क्या सरकार ने इन गैर-सरकारी संगठनों के लिये आदर्श उपनियम बनाये हैं; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) और (ख) कापार्ट के नियमों और विनियमों के अनुरूप इसके पुनर्गठन का मामला विचाराधीन है। इन नियमों और विनियमों के अनुसार कापार्ट की जनरल बाडी के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। जनरल बाडी में सदस्यों का अनुपात मुख्य रूप से निम्नलिखित दर से होता है :-

(1)	स्वयंसेवी एजेंसियां	40 प्रतिशत
(2)	अन्य संस्थाएं	25 प्रतिशत
(3)	पदेन	25 प्रतिशत
(4)	वैयक्तिक	10 प्रतिशत

कापार्ट के सामान्य निकाय की सदस्यता की पात्रता के लिए योग्यताएं निम्नानुसार है :

स्वयंसेवी एजेंसियां :

पंजीकृत स्वयंसेवी निकाय ग्रामीण विकास/प्रौद्योगिकी अथवा समाज की अन्य गतिविधियों की गतिविधि से संलग्न होनी चाहिए।

अन्य संस्थाएं :

पंजीकृत निकायों के साथ अन्य स्वयंसेवी एजेंसियां ग्रामीण विकास/प्रौद्योगिकी अथवा समाज के अन्य उद्देश्य के कार्यकलाप में जुड़े रहने के लिए वचनबद्ध है।

पदेन :

केन्द्र और राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण के प्रतिनिध।

वैयक्तिक :

गैर सरकारी लोगों के पास समाज के उद्देश्यों के प्रोत्साहन के संबद्ध में विशेष सुविज्ञता, योग्यता और/अथवा अनुभव है। प्रतिनिधित्व नाम अथवा पदनाम द्वारा, जैसा उपयुक्त हो, हो सकता है।

(ग) पात्र गैर सरकारी संगठनों की परियोजना प्रस्तावों पर कापार्ट द्वारा उसकी मार्गदर्शिकाओं के अनुसार विचार और अनुमोदन किया जाता है।

(घ) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कापार्ट परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए जब विचार करना आवश्यक हो, परियोजना मूल्यांकन, नियुक्त कर सकता है। परियोजना की समाप्ति पर, इसका अंतिम मूल्यांकन किया जाता है और प्रलेख तैयार किया जाता है।

(ङ) और (च) 31.7.1995 तक कापार्ट द्वारा 359 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) कापार्ट द्वारा पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा संबंधित राज्य अधिनियम, अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट के रूप में अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1920 की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार मुहैया कराई जाती है।

(ज) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कापार्ट द्वारा गैर सरकारी संगठनों को रिलीज की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :-

वर्ष	रिलीज की गई राशि (रुपये करोड़ में)
1993-94	54.73
1994-95	48.54
1995-96 (31.7.95 तक)	13.24

(झ) और (ञ) प्रश्न के भाग (छ) के उत्तर में दर्शाये अनुसार, कापार्ट द्वारा पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा सूचित राज्य अधिनियम अथवा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट के रूप में अथवा धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1920, की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार मुहैया कराई जाती है। गैर-सरकारी संगठन संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने उपनियम तैयार करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	31.7.95 की स्थिति के अनुसार कापार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	असम	4
2.	आंध्र प्रदेश	72
3.	बिहार	71
4.	दिल्ली	19
5.	गुजरात	13
6.	हरियाणा	6
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	केरल	4
9.	कर्नाटक	16
10.	मध्य प्रदेश	14
11.	महाराष्ट्र	14
12.	मणिपुर	2
13.	उड़ीसा	7
14.	राजस्थान	27
15.	तमिलनाडु	7
16.	उत्तर प्रदेश	74
17.	पश्चिम बंगाल	8
	कुल :	359

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विदेशी पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी

435. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सीधे पूंजी-निवेश और प्रौद्योगिकी लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई नीति तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) योजनाएं कब तक लागू हो जाएंगी?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) विदेशी कम्पनियों को लघु उद्योग एकक की इक्विटी का 24 प्रतिशत तक लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति है। रायलटी अदायगियों और विदेशी मुद्रा निकास के सामान्य नियमों के तहत प्रौद्योगिकी पर विदेशी कम्पनियों और लघु उद्योगों के बीच समझौतों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी मांगने वाले इच्छुक लघु उद्योग एककों को परामर्श और सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न संस्थाओं एवं अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाती है। उद्यम से उद्यम स्तर पर सम्पर्क विचारगोष्ठीयों, संविवादों, व्यापार मेलों और सूचना प्रसार के माध्यम से विकसित किये जाते हैं। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

धनराशि का दुरुपयोग

436. श्री राम विलास पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर को विकास हेतु प्रति वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर को आबंटित की गई धनराशि का दुरूपयोग किए जाने संबंधी कोई शिकायतें मिली है; और

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु आबंटित धनराशि के मूल्यांकन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) से (ग) राज्य में विकास गतिविधियों के लिए प्रदत्त निधियों के दुरूपयोग के बारे में समय-समय पर आरोप लगाए जाते रहे हैं। जब कभी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उचित जांच पड़ताल की जाती है जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा जांच पड़ताल भी शामिल है। राज्य सरकार से, सतर्कता विभाग को और मजबूत बनाने तथा इसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों और कार्यक्रमों के निरीक्षण और सत्यापन के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निरीक्षण समितियां गठित की हैं जो प्रतिवर्ष निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। उनकी सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक होता है, तो उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वार्षिक योजना परिव्यय तथा उसे आबंटित/जारी की गई योजनागत केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

		1992-93		1993-94		1994-95	
		मूलत: अनुमोदित	संशोधित	मूलत: अनुमोदित	संशोधित	मूलत: अनुमोदित	संशोधित
1.	योजना परिव्यय	820.00	623.00	880.00	684.00	950.00	868.00
2.	केन्द्रीय सहायता	आबंटित	वस्तुत: जारी की गई	आबंटित	वस्तुत: जारी की गई	आबंटित	वस्तुत: जारी की गई
	i) सामान्य केन्द्रीय सहायता	725.26	785.70	782.81	769.39	835.55	734.48
	ii) विशेष केन्द्रीय सहायता	-			-	-	973.00
	iii) अग्रिम योजना सहायता	-		-	234.00	-	-
4.	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	12.24	7.16	12.24	7.87	15.00	11.10
5.	योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	2.59	2.59	3.06	3.06	3.72	3.72
6.	सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	-	-	14.00	14.00	17.50	17.50
7.	राज्य को हस्तांतरित केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं (सी.एस.एस.) के लिए केन्द्रीय सहायता		-	0.63	0.63	-	-

[अनुवाद]

रेडियोग्राफी कार्य

437. डॉ. रमेश चन्द तोमर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर सरकारी कंपनियों को औद्योगिक रेडियोग्राफी कार्य करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि ये कंपनियां विकिरण से बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग

तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) रेडियोग्राफी कंपनियाँ बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में केन्द्रित हैं। 24 जुलाई, 1995 को प्राइवेट कम्पनियों की राज्यवार सूची निम्नानुसार है :

1.	आसाम	04
2.	आंध्र प्रदेश	15
3.	बिहार	09
4.	दिल्ली	13
5.	गुजरात	17
6.	हरियाणा	05
7.	कर्नाटक	13
8.	केरल	06
9.	मध्य प्रदेश	13
10.	महाराष्ट्र	76
11.	उड़ीसा	03
12.	राजस्थान	03
13.	तमिलनाडु	30
14.	उत्तर प्रदेश	08
15.	पश्चिम बंगाल	41

(ग) कंपनी स्थलों का आवधिक रूप से निरीक्षण किया जाता है। जब भी कमियां पाई जाती हैं तभी उन्हें दूर करने की कार्रवाई की जाती है, उदाहरणार्थ परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नियामक निरीक्षण और प्रवर्तन निदेशालय विकिरण बचाव नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर रहा है। नियामक निरीक्षण और प्रवर्तन निदेशालय के और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विकिरण बचाव सेवा प्रभाग के अधिकारियों ने उन स्थलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जिनका संचालन इनमें से कुछ कम्पनियों द्वारा किया जाता है। इन कम्पनियों की उन उदभामन युक्तियों जिनमें गंभीर उल्लंघन होना पाया गया, को स्थल पर ही सील कर दिया गया। इन कंपनियों को रेडियोग्राफी कार्य करने से तीन माह के लिए रोक दिया गया। उन कंपनियों को जिन्होंने कम गंभीर उल्लंघन किए थे, इस बारे में वचनबद्धता-पत्र, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया कि वे विकिरण बचाव नियम, 1971 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड औद्योगिक रेडियो-ग्राफी में सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। विशेषज्ञों की एक शीर्ष समिति कर्मकारों पर एक सीमा से अधिक स्तर तक पड़े विकिरण के प्रभावों की पुनरीक्षा करती है। यह समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिनके अन्तर्गत ये प्रभाव पड़े हैं ताकि वे इन प्रभावों की यथार्थता अथवा विपरीत स्थिति के बारे में निर्णय कर सकें।

[हिन्दी]

परमाणु ईंधन उत्पादन

438. श्री सत्यदेव सिंह :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश परमाणु ईंधन के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) भारत प्राकृतिक यूरेनियम को काम में लाने वाले दाबित भारी पानी रिएक्टरों के लिए ईंधन का उत्पादन करने में पूर्णत: आत्म-निर्भर है। यूरेनियम और जर्कोनियम अयस्क के खनन से लेकर रासायनिक और धात्विक संसाधन तथा तैयार ईंधन को अंतिम रूप से उत्पादित करने तक, सभी कार्य देश में ही किए जाते हैं। तारापुर स्थित दो क्वथन जल रिएक्टरों (टीपीएस 1 और 2) के लिए जहां कम समृद्ध यूरेनियम का आयात किया जाता है, वहीं इसे और संसाधित करने तथा ईंधन असेम्बलियों के रूप में परिवर्तित करने का काम देश में ही किया जाता है।

[अनुवाद]

धनराशि का उपयोग न किया जाना

439. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1994 95 में ग्रामीण विकास हेतु दी गई वित्तीय सहायता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है; और

(ख) 1995-96 के लिए इस प्रयोजनार्थ दी गई वित्तीय सहायता का समुचित और पूरी तरह उपयोग किए जाने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना एवं (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के प्रतिशत उपयोग को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) 1995 96 के लिए निधियों का उचित एवं पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, निश्चित शर्तें जिनमें राज्यों को निधियां रिलीज करते समय दण्ड के रूप में कटौती भी सम्मिलित है पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों/उपलब्धियों की नियमित निगरानी की जाती है और निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए राज्यों को समझाया जाता है।

विवरण

1994-95 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु निधियों का प्रतिशत उपयोग

क्रं. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना उपलबध संसाधनों का प्रतिशत उपयोग	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आबंटन का प्रतिशत उपयोग	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम आबंटन का प्रतिशत उपयोग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	86.57	135.27	86.02
2.	अरूणाचल प्रदेश	59.76	65.08	95.97
3.	असम	79.10	82.21	140.65
4.	बिहार	68.34	51.42	15.44
5.	गोवा	68.97	81.16	159.78
6.	गुजरात	88.64	106.43	64.60
7.	हरियाणा	80.69	183.60	105.14
8.	हिमाचल प्रदेश	70.26	166.88	93.94
9.	जम्मू व कश्मीर	77.63	50.62	117.45
10.	कर्नाटक	83.41	77.71	64.58
11.	केरल	100.86	117.82	44.07
12.	मध्य प्रदेश	83.95	97.20	84.85
13.	महाराष्ट्र	77.41	83.30	67.45
14.	मणिपुर	44.98	69.06	90.05
15.	मेघालय	40.91	73.65	98.24
16.	मिजोरम	95.14	66.25	100.00
17.	नागालैंड	65.08	46.31	0.00
18.	उड़ीसा	69.38	85.11	94.11
19.	पंजाब	47.31	232.53	105.75
20.	राजस्थान	79.77	105.32	101.86
21.	सिक्किम	67.19	82.13	100.00
22.	तमिलनाडु	112.93	111.60	49.95
23.	त्रिपुरा	94.68	53.05	52.57
24.	उत्तर प्रदेश	87.03	95.08	81.25
25.	पश्चिम बंगाल	83.92	82.86	113.70
26.	अंडमान निकोबार	105.61	28.23	0.00
27.	दादर व नगर हवेली	97.93	108.07	0.00
28.	दमन व द्वीव	34.68	27.04	0.00
29.	दिल्ली	-	-	0.00
30.	लक्षद्वीप	83.41	138.43	5.50
31.	पांडिचेरी	34.32	68.78	48.85
	अखिल भारत	82.34	90.63	78.81

[हिन्दी]

ग्रामीण लघु उद्योग

440. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण लघु उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले उद्योग कच्चे माल और ईंधन की कमी के कारण रुग्ण हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन रुग्ण उद्योगों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) अन्य कारकों के साथ, निश्चित कच्चे मालों जैसे कि रबड़, पैराफीन मोम और अल्यूमिनियम धातुपिण्डों की उपलब्धता की समस्या ही कई बार लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्णता में सहायक है।

(ख) सभी लौह, अलौह और प्लास्टिक कच्चे माल का आयात निःशुल्क हैं। लोहे और इस्पात् के लिए कोई वितरण संबंधी नियंत्रण नहीं है। इस समय लघु उद्योग क्षेत्र लोहे और इस्पात के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा लोहे और इस्पात के वितरण में लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता है। कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार समय-समय पर आयात शुल्क घटाती है और रबड़ जैसे अत्यधिक अभाव वाले मामलों में शून्य प्रतिशत आयात शुल्क पर भी आयात की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. दूषित रक्त

441. श्री रवि राय :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1995 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "चिल्ड्रन गिवन एच.आई.वी. टैनटेड ब्लड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस रक्त की सप्लाई "बाम्बे रेड क्रास ब्लड बैंक" द्वारा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ब्लड बैंक, बम्बई का केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (प. अंचल) तथा खाद्य एवं औषध प्रशासन, महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा 10 जुलाई, 1995 को संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था। जिससे यह पता चला कि रक्त बैंक ने बम्बई अस्पताल को 10.10.1992 को एक यूनिट एच.आई.वी. नेगेटिव रक्त की आपूर्ति की थी। जिसको बम्बई अस्पताल ने पुनः परीक्षण करने पर एच.आई.वी. पाजिटीव पाया और उसका उपयोग नहीं किया तथा उसे इंडियन रेड क्रास सोसाइटी ब्लड बैंक बम्बई को लौटा दिया।

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी ब्लड बैंक बम्बई का लाईसेंस 11 जुलाई, 1995 को निलम्बित कर दिया गया है और खाद्य एवं औषध प्रशासन, महाराष्ट्र द्वारा इस ब्लड बैंक के विरूद्ध 21 जुलाई, 1995 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

[हिन्दी]

कागज का उत्पादन

442. डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कागज का कुल कितना उत्पादन हुआ और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कागज का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) देश में बढ़ती हुई मांग को देखते हुये सरकार ने कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

1. लकड़ी की लुग्दी और रद्दी कागज के आयात को बिना किसी आयात लाइसेंस की बाध्यता के 10 प्रतिशत की सीमा शुल्क की निम्न दर पर आयात की छुट दी गई है।
2. ऐसे कागज एकक जो कम से कम 75 प्रतिशत गैर-परम्परागत कच्चे माल से प्राप्त लुग्दी पर आधारित है, उन्हें स्थानीय नीति को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य लाइसेंस से छूट दी गयी हैं।
3. धान गेहूं के डंठलों, जूट, मेस्टा या खोई और अन्य गैर-परंपरागत कच्ची सामग्री से निर्मित 75 प्रतिशत से कम लुग्दी मात्रा वाले लिखाई व छपाई तथा कोट रहित क्राफ्ट कागज 5 प्रतिशत मूल्यानुसार कम उत्पादन शुल्क दर के दायरे में आते हैं।
4. लघु तथा बड़ी कागज मिलें जो कृषि-अवशेष तथा गैर-परम्परागत कच्चे माल का कम से कम 50 प्रतिशत तक प्रयोग करती है, उनमें 20 प्रतिशत के नियमित शुल्क के स्थान पर क्रमशः

10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क वसूल किया जायेगा।

5. कागज के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया है जिसका अभिप्राय है कि अब ये आसानी से आयात किया जा सकता है।

6. कागज के आयात पर सीमा शुल्क को 65 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कम किया गया है।

विवरण

कागज तथा गत्ते का राज्यवार उत्पादन

क्र.सं.	राज्य का नाम	1992 93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	304016.0000	307019.0000	352612.0000
2.	असम	116869.0000	118685.0000	137153.0000
3.	बिहार	2804.0000	3056.0000	8544.0000
4.	गुजरात	187983.0000	21145.0000	248663.0000
5.	हरियाणा	111608.0000	108839.0000	106199.0000
6.	हिमाचल प्रदेश	27233.0000	31462.0000	33866.0000
7.	जम्मू और कश्मीर	0.0000	150.0000	888.0000
8.	कर्नाटक	134951.0000	149132.0000	184435.0000
9.	केरल	00.0000	626.0000	2035.0000
10.	मध्य प्रदेश	111203.0000	124870.0000	128015.0000
11.	महाराष्ट्र	393852.0000	418024.0000	425842.0000
12.	मणिपुर	0.0000	0.0000	0.0000
13.	मेघालय	0.0000	0.0000	0.0000
14.	नागालैंड	1128.0000	0.0000	0.0000
15.	उड़ीसा	140999.0000	145732.0000	155179.0000
16.	पंजाब	99742.0000	112437.00000	127131.0000
17.	राजस्थान	9264.0000	9764.0000	10014.0000
18.	तमिलनाडु	186930.0000	240621.0000	244634.0000
19.	त्रिपुरा	0.0000	0.0000	0.0000
20.	उत्तर प्रदेश	245854.0000	258330.0000	255042.0000
21.	पश्चिम बंगाल	67906.0000	85152.0000	86751.0000
22.	सिक्किम	0.0000	0.0000	0.0000
23.	अंडमान और निकोबार	0.0000	0.0000	0.0000
24.	अरूणाचल प्रदेश	0.0000	0.0000	0.0000
25.	चंडीगढ़	339.0000	1356.0000	565.0000
26.	दादरा और नगर हवेली	0.0000	0.0000	0.0000
27.	दिल्ली	0.0000	0.0000	0.0000
28.	गोवा, दमन और द्वीव	0.0000	0.0000	0.0000
29.	लक्षद्वीव मिनिकाय	0.0000	0.0000	0.0000
30.	मिजोरम	0.0000	0.0000	0.0000
31.	पांडिचेरी	750.0000	2937.0000	2687.0000
	योग :	2143431.0000	2329337.0000	2510255.0000

[अनुवाद]

रक्त-आधान

443. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एण्ड इम्यूनिओं हाइकोरोलोजी ने सभी रक्त बैंकों को भेजे अपने परिपत्र के द्वारा बिना जांच के रक्त आधान न करने के निर्देश दिए थे;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या देश में विभिन्न रक्त बैंकों के पास रक्त जांच के लिए आवश्यक उपकरण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन रक्त बैंकों को उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) इंडियन सोसाइटी ऑफ इम्यूनोहेमेटोलोजी द्वारा ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों में रक्त संचरणीय रोगों के लिए रक्त के अनिवार्य परीक्षण की व्यवस्था है। भारत सरकार सभी 608 सरकारी रक्त बैंकों में परीक्षण सुविधाओं की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। रक्त बैंकों के लाइसेंसों का कब तक नवीकरण नहीं किया जाता जब तक अनिवार्य अपेक्षाएं पूरी न हो जाएं।

मेडिकल कालेज

444. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेसवाणी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र के विभिन्न मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार का कोटा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कालेज कौन-कौन से हैं और प्रत्येक कालेज में कितनी सीटें निर्धारित हैं;

(ग) इन सीटों हेतु पात्रता के मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इन सीटों को भरे जाने में कुप्रबंध तथा

अनियमितताओं के संबंध में बहुत सी शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) चालू वर्ष 1995-96 के दौरान भारत सरकार को उपलब्ध कराई गई महाराष्ट्र राज्य में एम.बी.बी.एस. सीटों की कालेज-वार संख्या इस प्रकार है :-

क्र.सं.	कालेजों का नाम	एम.बी.बी.एस. सीटों की संख्या
1	2	3
1.	ग्रांट्स मेडिकल कालेज, बंबई	2
2.	बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे	2
3.	राजकीय मेडिकल कालेज, नागपुर	2
4.	इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज, नागपुर	1
5.	राजकीय मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	1
6.	एस.आर.टी.आर. मेडिकल कालेज, अम्बाजोगोई	1
7.	डा. वी. एम. मेडिकल कॉलेज, शोलापुर	1
8.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, मिराज	1
9.	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम वर्धा	4

1995-96 सत्र के दौरान गुजरात राज्य में भारत सरकार को 10 (दस) एम.बी.बी.एस. की सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। जहां पर सीटें उपलब्ध हैं, गुजरात सरकार ने उन कालेज के नामों की सूचना नहीं दी है।

(ग) इन सीटों के लिए पात्र श्रेणियों की सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है और संलग्न विवरण-II में निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उनका चयन किया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार की आरक्षित सीटों के पात्र छात्रों की श्रेणियां तथा संबंधित प्राधिकारी।

	श्रेणी	प्राधिकारी जिसे आवेदन पत्र भेजे जाने हैं
1.	उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्र जहां कोई मेडिकल/डेंटल कालेज नहीं हैं।	स्वास्थ्य सचिव, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार
2.	रक्षा कार्मिकों के आश्रित	संपर्क अधिकारी, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लाक-II/विंग नं.5 आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66
3.	अर्द्ध सैनिक कार्मिकों के बच्चे i) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल इत्यादि कार्मिकों के लिए	गृह मंत्रालय, एफ पी-1 अनुभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
	ii) एस.एम.बी./आर. एंड ए.डब्ल्यू/ एस.एफ.एफ./ए.पी.सी. कार्मिकों के लिए	मंत्रिमंडल सचिवालय ई.ए.-II अनुभाग बीकानेर हाउस एनेक्सी शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
4.	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में सेवारत/भारतीय मूल के स्टाफ के बच्चे	विदेश मंत्रालय, कल्याण सेल, अम्बर, भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
5.	राजनयिक/द्विपक्षीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए	विदेश मंत्रालय, छात्र सेल अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
6.	तिब्बती शरणार्थी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग यू.टी.-II अनुभाग ए-2/डब्ल्यू 4, कर्जन रोड, बेरेक्स, नई दिल्ली-1
7.	राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चे	भारतीय बाल कल्याण परिषद 4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-2

विवरण-II

पी.पी. चौहान	सं.यू. 14014/84/86-एम ई(यू.जी.)
संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
	निर्माण भवन, नई दिल्ली
	दिनांक 9 दिसम्बर, 1986

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको विदित है हम आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए पात्र उम्मीदवारों के चयन और मनोनयन के लिए एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटें आबंटित करते रहे हैं। कुछ ऐसे मामले हमारे ध्यान में आए हैं कि हमारे द्वारा आबंटित सीटों पर उम्मीदवारों का चयन और मनोनयन करते समय ग्राही एजेंसियां भारत सरकार द्वारा जारी संगल अनुदेशों का पालन नहीं कर रही हैं।

2. इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के बच्चे ही इसके लिए पात्र होंगे : (1) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थाई निवासी (2) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी (3) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी और (4) संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में तथा वहां स्थित मुख्यालय में तैनात केन्द्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी।

3. ऊपर उल्लिखित केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों को स्थानीय निवासियों के समान माना जाएगा। भारत सरकार की सहमति से जारी किसी अन्य विशेष आदेश को छोड़कर उम्मीदवारों का शैक्षणिक मेरिट ही चयन का एकमात्र मानदंड होगा।

4. संबंधित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित सीटों का 22 प्रतिशत आरक्षण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए होगा। इस आरक्षण का ब्यौरा इस प्रकार होगा :-

(क) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत का पृथक से आरक्षण।

(ख) ऊपर उप पैरा(क) में उल्लिखित आरक्षा में परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए यदि उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो उसे अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों में से भरा जा सकता है। यही बात विपरीत स्थिति में भी लागू होगी और

(ग) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उपलब्ध संख्या सीटों के 22 प्रतिशत से कम है तो शेष सीटें गैर अनुसूचित जाति/गैर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जा सकती हैं।

5 भारत सरकार के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने अर्हक परीक्षा, प्रो-मेडिकल/तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/तीन वर्षीय बी.एस.सी. (आनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्रो-डिग्री (दो वर्षीय पाठ्यक्रम/प्रो-यूनिवर्सिटी) (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)/10+2+3 के नए पैटर्न के अंतर्गत 10+2 परीक्षा अंग्रेजी भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में कुल अंकों के 50 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत) अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा यथासमय निर्धारित समकक्ष परीक्षा पास की हो। प्रो. के लिए पात्र परीक्षाओं के परिणामों को 80 प्रतिशत महत्व दिया जायेगा और 20 प्रतिशत महत्व मैट्रिक अथवा स्कूल लीविंग परीक्षा को दिया जायेगा। जब किसी उम्मीदवार ने बी.एस.सी. और एम.एस.सी. परीक्षा पास की हो तो पात्र परीक्षा को 80 प्रतिशत महत्व दिय जाना है। 10 प्रतिशत मैट्रिक अथवा जीविंग परीक्षा के परिणाम को तथा 10 प्रतिशत बी.एस.सी. या एम.एस.सी. परीक्षाओं को दिया जाना है।

6. यह भी नोट किया जाए कि :-

(क) जिन उम्मीदवारों ने अर्हक परीक्षा दूसरे प्रयास में पास की है, उनके मैरिट का निर्धारण करने के लिए कुल में से 2 प्रतिशत अंक कम कर लिए जाएं।

(ख) जिन उम्मीदवारों ने दो से अधिक प्रयासों में अर्हक परीक्षा पास की हो उन्हें सामान्यतया मेडिकल की पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाना चाहिए।

7. अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार के लिए आरक्षित एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों पर चयन और मनोनयन के लिए उपर्युक्त मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। मंत्रालय में केन्द्रीय चयन समिति भी इस प्रक्रिया का पालन करेगी।

8. इस पत्र की पावती भेजने के लिए मैं कृतज्ञ होऊंगा।

आपका,

ह0/-

(पी.पी. चौहान)

सेवा में,

बिना मेडिकल कालेजों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रतिलिपि-सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :-

1. रक्षा मंत्रालय (आई.एस.एस.ए. बोर्ड) नई दिल्ली।
2. गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग) जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, नई दिल्ली।
3. गृह मंत्रान्लय (श्री पी. विजयवर्धन, उपसचिव) नई दिल्ली।

4. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली।
5. कमार्डेट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
6. निदेशक एस.एस.पी., ईस्ट ब्लाक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
7. विदेश मंत्रालय (छात्र सेल) श्री जी. पी. कपूर, अवर सचिव)
8. विदेश मंत्रालय (कल्याण कक्ष) श्री जे.आर. बाला, उपसचिव) नई दिल्ली।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय (श्री आर.के. गैंगर, उपसचिव) बीकानेर हाउस, एनेक्सी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, दीवाने गालिब मार्ग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
11. उपमहानिदेशक (एम) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, (एम.ई. अनुभाग)

ह0/-
(पी. पी. चौहान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[हिन्दी]

हवाई परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण

445. श्री रामपाल सिंह :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेना द्वारा हवाई परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. के लिए अंशदान

446. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के अंशदान की दरों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन दरों में संशोधन करने से पहले लाभार्थियों द्वारा लिया जाने वाला अंशदान योजना की कुल वार्षिक लागत का कितना प्रतिशत था और दरों में संशोधन और वृद्धि करने के बाद यह कितना प्रतिशत है;

(घ) क्या सरकार ने लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले पेसमेकर्स तथा श्रवण-यंत्र को अधिकतम मूल्य सीमा में भी वृद्धि कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां।

(ख) पिछले चार दशकों के दौरान जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में अनेक बार ऊर्ध्वगामी पुनरीक्षण हुआ है लेकिन 1954 में इसकी शुरूआत से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंशदान की दर में कोई संशोधन नहीं किया गया। औषधियों की लागत तथा सेवाओं की लागत में भी कई गुणा वृद्धि हो गई है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रति परिवार लागत वर्ष 1981-82 में 326 रुपये थी, जो वर्ष 1994-95 के दौरान प्रति परिवार 1,944 रुपये तक वृद्धि हो गई जिसका अर्थ है कि दस वर्ष की अवधि में योजना व्यय में कम से कम पांच गुना वृद्धि हुई है।

(ग) चूंकि इस दर में संशोधन 1.4.94 से लागू हुए हैं इसलिए तुलनात्मक प्रतिशतता तत्काल उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का अंशदान संबंधित मंत्रालय, विभागों द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन से प्रत्यक्ष रूप से काट लिया जाता है और वर्ष 1994-95 के विनियोजन लेखों को लेखा महानियंत्रक के कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा अभी तैयार किया जाना है और उसे अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ब्लड बैंक

447. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रक्त दान करने, इसके भंडारण एवं इसके प्रयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इन ब्लड बैंकों में बड़े पैमाने पर व्याप्त अनियमितताओं तथा सुरक्षा उपायों का अभाव होने के बारे में जानकारी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार रक्त दान करने, इसके संग्रहरण, भंडारण तथा इसे उपलब्ध कराने के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी स्वयंसेवी संस्था अथवा गैर सरकारी संगठनों से विचार-विमर्श किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद द्वारा बनाई गई रक्त बैंक और रक्ताधीन सेवाओं के बारे में नीति के ढांचे में इस बात का उल्लेख हैं - "आज की चिकित्सा परिचर्या सेवाओं में रक्त एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसकी अत्यधिक कमी हमारी सेवाओं की प्रभावकारिता पर बाधा डाल रही हैं, संयुक्त सम्मेलन सिफारिश करता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए।

1. प्रशिक्षित/अर्हता प्राप्त जनशक्ति के प्रावधान समेत राज्य/जिला स्तर पर पर्याप्त रक्त बैंक सेवाएं बनाना। इस दृष्टव्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
2. स्वैच्छिक आधार पर रक्त दान के बारे में लोगों को शिक्षित और प्रेरित करना।
3. स्वैच्छिक रक्त दाताओं को पर्याप्त प्रोत्साहन देना।
4. संग्रहण, वितरण और भंडारण के इसके सभी स्तरों पर रक्त गुणवत्ता नियंत्रण लागू करना।

इस समय कार्यान्वयन किए जा रहे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का रक्त निरापदता संघटक उपर्युक्त दिशानिर्देशों पर आधारित है।

(घ) जब भी कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आती है उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में बताया गया है।

(च) और (छ) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए गैर सरकारी संगठनों के दिशानिर्देश में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सरकार की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता हो।

सेना-मीडिया के संबंधों पर आयोजित सेमिनार

448. श्री के. प्रधानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 1994 में शिलाँग में सेना-मीडिया के संबंध में एक सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ग) इसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई; और

(घ) इन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। सैन्य अफसरों के बीच मीडिया जागरूकता में वृद्धि करने और वर्तमान प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मेघालय स्थित अमरोई छावनी में नवम्बर, 1994 में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।

(ग) सेमिनार में इस बात को स्वीकार किया गया था कि हमारे विरोधियों द्वारा किए जा रहे प्रचार के विरूद्ध जवाबी कार्रवाई करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मौजूदा नियमों व विनियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की सीमाओं में रहते हुए अधिक खुलापन बरतने की सिफारिश की गई थी। रक्षा संवाददाताओं के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया।

(घ) सेना मुख्यालय को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे रक्षा मंत्रालय के जन सम्पर्क निदेशक को सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराते रहें ताकि गैर-तथ्यात्मक मीडिया रिपोर्टों के कारण उत्पन्न होने वाली आशंकाओं को दूर किया जा सके। संवाददाताओं को रक्षा संबंधी समाचारों को कवर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर भी ले जाया जाता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संबंधी नीति पर श्वेतपत्र

449. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1995 के "बिजनिस स्टेंडर्ड" में "एक्सपर्ट्स वान्ट व्हाइट पेपर ऑन पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग पॉलिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक विशेषज्ञों और अन्य प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों ने सरकार से सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाले उद्योगों से संबंधित सरकारी नीति पर श्वेत पत्र जारी करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सरकार को 27 मई, 1995 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" में छपी खबर के बारे में जानकारी है और यह भी सच है कि कुछ अर्थशास्त्रियों के बारे में श्वेत पत्र तैयार करने का सुझाव दिया है। बहरहाल, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 21 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में सरकारी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति के बारे में श्वेत पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

एच.आई.वी. से ग्रस्त सैनिक

450. श्री श्रीकान्त जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में कार्य करके लौटने वाले सैनिक परीक्षण के बाद एच.आई.वी. से ग्रस्त पाये गये; और

(ख) यदि हां, तो सैनिकों में एड्स फैलने से रोकने के लिए सेना द्वारा क्या एहतियाती उपाय किये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कम्बोडिया में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन से वापस आने पर 25 कार्मिक एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए।

एड्स की बीमारी समस्त विश्व में पाई जा रही है इसलिए किसी भी देश को इस बीमारी से पूर्णतः मुक्त नहीं कहा जा सकता। तथापि, सशस्त्र सेनाओं में एच.आई.वी. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) विभिन्न साधनों और जनसंचार माध्यमों से सभी रैंकों तथा उनके परिवारों को प्राकृतिक इतिहास संबंधी गहन शिक्षा दी गई है एवं एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के तरीके बताए गए हैं।

(2) रक्तदाता की एच.आई.वी. संबंधी जांच किए जाने के बाद ही रक्ताधान किया जाता है।

(3) विसंक्रमित सुइयों, सिरिंजों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

(4) सभी यूनिटों में निरोध मुफ्त तथा सुलभ रूप में उपलब्ध करा दिए गए हैं।

[हिन्दी]

नई चीनी मिलों के लिए लाइसेंस जारी करना

451. श्री अमर पाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को देश में नई चीनी मिलों के लिए लाइसेंस जारी किए जाने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या मऊ खास (जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश) में एक नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 30.6.1995 तक उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अंतर्गत देश में चीनी मिलों की स्थापना के लिए कुल 448 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) फिलहाल यह निर्णय लिया गया है कि चीनी के विनिर्माण के लिए कोई भी औद्योगिक लाईसेंस स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इसलिए, इस समय इस क्षेत्र के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

मियाद समाप्त औषधियां

452. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों (सी.जी.एच.एस.) में मियाद समाप्त औषधियों के स्टॉक का आंकलन करने हेतु निरीक्षण किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान ऐसे कितने निरीक्षण किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में मियाद समाप्त औषधियां पाई गई;

(घ) मियाद समाप्त औषधियों का भारी स्टॉक रखे रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाने का विचार है कि ये औषधियां सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को न दी जाएं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

453. श्री रामसिंह कस्वां : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या थीं;

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान ऐसी हड़तालें कितनी बार हुई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी हड़तालों को रोकने के लिए सोची गई दीर्घावधि रणनीति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी हां। यह हड़ताल 25.5.94 से 1.6.95 तक हुई।

(ख) मुख्य मांगों में प्रतिमास 60/- रुपये तक धुलाई भत्ता बढ़ाना, समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों को आपरेशन थियेटर भत्ते का भुगतान; और अधिक पदोन्नति के लाभों का सृजन और रिक्त पदों को पुनः बनाने/भरने; और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी की मंजूरी देना शामिल है।

(ग) धुलाई भत्ता 60/- रुपये प्रतिमास तक बढ़ा दिया गया है। छोड़ी गई श्रेणियों को वर्दी प्राप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाना भी शुरू कर दिया गया है।

(घ) किसी अन्य हड़ताल की सूचना नहीं दी गई।

(ङ) संघ के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई। अस्पताल के कर्मचारियों की मांगों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें हल करने के लिए अस्पताल सलाहकार समिति और कार्यालय परिषद की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है।

कश्मीरी विस्थापित

454. **श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कश्मीर से दिल्ली में विस्थापित लोगों के एक शिष्टमंडल ने मई, 1995 में सरकार को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) दिल्ली के कश्मीरी प्रवासियों के एक प्रतिनिध मंडल ने मई, 1995 को एक मांग-पत्र दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कश्मीर में जलाए गए मकानों से संबंधित राहत मामलों का तुरंत निपटान करने, उन्हें अपनी आजीविका कमाने लायक बनाने के लिए उपाय करने, राहत में बढ़ोत्तरी करने, प्रवासी कर्मचारियों के पेंशन मामलों का निपटान आदि करने की मांग की गयी है। उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। सरकार की नीति, प्रवासियों को तब तक भरण-पोषण सहायता उपलब्ध कराने की है, जब तक उनकी वापसी के लिए अनुकूल माहौल पैदा नहीं हो जाता है उन्हें कश्मीर से बाहर स्थायी रूप से बसाने का कोई विचार नहीं है। सरकार प्रवासियों की दी गयी राहत सुविधाओं की निरन्तर समीक्षा कर रही है और उनके हालात सुधारने के लिए उपाय कर रही है।

रक्त बैंक

455. **श्रीमती गिरिजा देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने रक्त बैंकों के कार्यकरण को समझने और इनके सुधार हेतु सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान रक्त बैंकों में कितना निवेश किया है; और

(घ) जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा संचालित रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने रक्त बैंकों के लाइसेंस और रक्तदान प्राप्त करने के बारे में मौजूदा ढांचे को और आगे सुदृढ़ करने के प्रश्न की जांच करने के लिए अपने 11 फरवरी, 1995 के आदेश में एक समिति का गठन किया था जिसमें अपर सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, जो निदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का प्रभार ग्रहण किए गए हैं; औषध नियंत्रक, भारत और श्री एच.डी. शौमरी थे। समिति ने 15 मई, 1994 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में भारतीय रेडक्रास सोसायटी को रक्त बैंक के समन्वय और स्वैच्छिक रूप से रक्त दान देने, औषध संगठनों को विनियामक पहलू और राष्ट्रीय जैव-पदार्थ संस्थान को गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य सौंपने की सिफारिश की थी।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के रक्त निरापदता संघटक के बारे में सरकार द्वारा विमुक्त किया गया अनुदान इस प्रकार है :-

वर्ष	धनराशि (लाख रुपये में)
1993-94	321.58
1994-95	603.32

(घ) सभी 608 सरकारी रक्त बैंकों को रक्त बैंक के उपकरण और आकस्मिक अनुदान प्रदान करके चरणों में आधुनिक बनाया जा रहा है।

मेडिकल कॉलेज

456. **श्री गुरदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई महत्वपूर्ण मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पेयजल

457. श्री साइमन मरांडी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में पेयजल की कुव्यवस्था के कारण रोग फैल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कोई नियोजित कार्यक्रम शुरू करेगी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्रतिवर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस शीर्ष के अन्तर्गत कितना खर्च किया गया?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी नहीं। तथापि, रासायनिक और जैविक संदूषण वाले असुरक्षित पेयजल से और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं।

(ख) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम उप मिशनों और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के चल रहे कार्यक्रमों के अन्तर्गत उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल स्वच्छ पेयजल सप्लाई किया जाए।

(ग) स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान गांवों/बसावटों की कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धि और किया गया वर्षवार खर्च नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	गांवों/बसावटों की कवरेज (संख्या)	खर्च (केन्द्र और राज्यों, दोनों के अन्तर्गत)(करोड़ रुपये में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	33533	34360	1282.85
1993-94	40212	41488	1461.37
1994-95	58916	70968	1597.12

[अनुवाद]

किसान बही खाता

458. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार उत्तर प्रदेश सरकार को किसान बहीखातों की सप्लाई करता है;

(ख) यदि हां, तो यह सप्लाई कब से की जा रही है और कितने मूल्य के खाते अब तक सप्लाई किए गए है; और

(ग) केन्द्रीय भण्डार इन बहीखातों को कहां से खरीदता है और खरीद के लिए किस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथ पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 93 से 1096.30 लाख रुपये मूल्य के बही खाते सप्लाई किए गए हैं।

(ग) यह कार्य किसी एक मुद्रक (प्रिंटर) को, केन्द्रीय भण्डार के पंजीकृत प्रिंटरों तथा दिल्ली प्रिंटर्स एसोसिएशन के सदस्यों से लिए गए प्रतियोगी टेंडरों के आधार पर, सौंपा जाता है।

रक्षा उत्पादन एकक

459. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एक नया बड़ा रक्षा उत्पादन एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या कुछ वर्तमान रक्षा उत्पादन एककों का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बोलगीर में आयुध निर्माणी को पूरा करने के सिवाय किसी अन्य रक्षा उत्पादन यूनिट की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पहले से ही उपलब्ध पर्याप्त उत्पादन सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए, मौजूदा उत्पादन यूनिटों के विस्तार का कोई विचार नहीं है किन्तु नए उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए संतुलित किस्म का कुछ निवेश करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

निवेशकों की शिकायतें

460. श्री बलराज पासी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खास कम्पनियों के खिलाफ निवेशकों द्वारा कई तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(ग) निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कारगर उपाय करने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय

प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में निवेशकों की कई तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। वर्ष 1994 95 के दौरान कम्पनी कार्य विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड में प्राप्त ऐसी शिकायतों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम थी।

(ग) कम्पनी कार्य विभाग में, इन शिकायतों पर कार्रवाई कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के जरिए की जाती है और निवारण के लिए इन्हें संबंधित कम्पनियों को भेजा जाता है। कम्पनी द्वारा की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं को भी सूचित किया जाता है। दोषी कम्पनियों के विरुद्ध अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समय-समय पर दंड संबंधी कार्रवाई भी की जाती है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड भी निवेशक शिकायत एवं मार्गदर्शन प्रभाग के जरिए शिकायतों के निवारण के लिए उपाय करता है। शिकायतों के समाधान के लिए कम्पनियों की तरफ से अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अभियोजना शक्तियां प्रदत्त की गई हैं और इसने कुछ कम्पनियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड कम्पनी और इसकी समूह की कम्पनियों की निवेशक शिकायतों के बारे में कार्य संपादन का पुनरीक्षण भी करता है जब वे सेबी के पास अपने प्रोस्पेक्टस की जांच करवाने के लिए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अतिरिक्त कर्मचारी

461. **श्री लाल बाबू राय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है तथा 1992 से 1994 की अवधि के दौरान वर्ष वार कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक उपक्रम को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितना लाभ/घाटा हुआ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम तथा 31.3.94 तक उनमें अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 1992 से वर्ष 1994 के दौरान नियुक्त कर्मचारियों की वर्ष वार व श्रेणी-वार संख्या संलग्न विवरण II में दी गयी है।

(ख) विगत तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि से संबंधित वर्ष वार ब्यौरा 22.3.1995 को संसद में प्रस्तुतलोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 के खण्ड 1 के विवरण पृष्ठ 32 से 41 तक पर दिया गया है।

विवरण-I

वर्तमानतः सरकारी उपक्रमों में अतिरिक्त कर्मचारी से संबंधित विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	(अतिरिक्त कर्मचारी) 31.3.1994 तक संख्या
1	2	3
1.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	400
2.	भारत कोकिंग कोल लि.	2551
3.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	283
4.	भारत गोल्ड माइन्स लि.	1440
5.	भारत लेदर कारपो. लि.	26
6.	भारत ऑपथॅल्मिक ग्लास लि.	80
7.	भारत प्रोसेस एण्ड मिकेनिकल इंजीनियर्स लि.	1043
8.	भारत पम्पस एण्ड कॉम्प्रैशर्स लि.	150
9.	भारत रिफैक्ट्रीज लि.	353
10.	बीको लारी लि.	94
11.	ब्रेथवेट एण्ड क. लि.	444
12.	बर्न स्टैण्डर्ड क. लि.	2861
13.	कानपुर टेक्सटाइल्स लि.	774
14.	सीमेण्ट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	665
15.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	1078
16.	इर्स्टन कोलफोल्ड्स लि.	11022
17.	इलेक्ट्रानिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	97
18.	एल्गिन मिल्स कम्पनी लि.	5216
19.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	88
20.	एच.एम.टी. (इण्टरनेशनल) लि.	19
21.	एच.एम.टी. लि.	1390
22.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.	755
23.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	224
24.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	2092
25.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.	3609
26.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.	140
27.	हिन्दुस्तान प्रोफैब लि.	368
28.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	20
29.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	1600
30.	एच.एम.टी. बियरिंगस लि.	87
31.	हुगली प्रिण्टिंग क. लि.	5
32.	आई.टी.आई.लि.	500
33.	इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्स्यूलेशन क.लि.	109
34.	इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन	81
35.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	3300

1	2	3
36.	इण्डियन ऑयरन एण्ड स्टील क.लि.	2122
37.	इन्स्ट्रूमेण्टेशन लि.	500
38.	जेसप एण्ड क.लि.	181
39.	खनिज गवेषण निगम लि.	74
40.	माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो. लि.	192
41.	मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि.	79
42.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	500
43.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.	20
44.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपो. लि.	5102
45.	राष्ट्रीय बीज निगम लि..	573
46.	एन.टी.सी. (गुजराज) लि.	2925
47.	एन.टी.सी. (मध्य प्रदेश) लि.	6956
48.	एन.टी.सी. (महाराष्ट्र नॉर्थ) लि.	3824
49.	एन.टी.सी. (साउथ महाराष्ट्र) लि.	5514
50.	एन.टी.सी. (तमिलनाडु एंड पांडिचेरी) लि.	96
51.	एन.टी.सी. (पं. बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.	2523
52.	प्रागा टूल्स लि.	400
53.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	3248
54.	रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972)	101
55.	सांभर साल्टस लि.	40
56.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	91
57.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	198
58.	तुगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	9
59.	टायर कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि.	488
60.	वेवर्ड (इण्डिया) लि.	192
	जोड़ :	78972

विवरण-II

वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान नियुक्त कर्मचारियों की संख्या

	(कर्मचारियों की सं.)	
श्रेणी	1992-93	1993-94
प्रबंधकीय एंव पर्यवेक्षकीय	-	1976
लिपिकीय	27765	16608
अर्द्ध कुशल	-	138018
अकुशल	44272	

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा के लाभ

462. डा. आर. मल्लू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि, कृषि, उद्योग तथा अनुसंधान के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा से प्राप्त फायदों का किस हद तक उपयोग किया गया है;

(ख) इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में विकसित देशों के स्तर की तुलना में हमारी स्थिति क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भारत में परमाणु ऊर्जा के लाभदायी उपयोग चिकित्सा, उद्योग, कृषि और अनुसंधान के क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। नाभिकीय चिकित्सा का उपयोग देश में 200 से अधिक चिकित्सा संस्थानों में किया जाता है और 300 अन्य संस्थान रेडियोइम्यूनोऐसे की सेवा उपलब्ध कराते हैं। रेडियो भेषजों को काम में लाकर भारत में प्रति वर्ष 6,00,000 से भी अधिक रोगियों की जाँच की जाती है। यहां पर कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट-60 टेलीथैरापी यूनिटें लगभग 130 हैं।

भारतीय उद्योगों द्वारा रेडियोआइसोटोप अनुज्ञापक प्रौद्योगिकी, न्यूक्लिऑनिक आमापन और रेडियोग्राफी का इस्तेमाल दोष दूर करने के लिए, अ-विनाशकारी परीक्षण के लिए तथा ऑन-लाइन प्रक्रम नियंत्रण के लिए किया जाता है। रेडियो आइसोटोप तकनीकों का इस्तेमाल भू-पृष्ठ जल और भौम-जल संबंधी जल-विज्ञान, बांधों, नहरों और सुरंगों में रिसाव की जांच करने तथा पत्तनों और बन्दरगाहों में तल भार परिवहन के बारे में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने अब इन-हाउस अनुप्रयोगों के लिए अपने खुद के अनुज्ञापक वर्ग स्थापित कर लिए है। देश में लगभग 500 संगठन औद्योगिक आइसोटोप रेडियोग्राफी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगभग 42,000 न्यूक्लिऑनिक नियंत्रण प्रणालियों को भारतीय उद्योग में प्रक्रम नियंत्रण के लिए काम में लाया जा रहा है। विकिरण और रेडियोआइसोटोपों के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग कृषि अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। गामा विकिरण को काम में लाकर खाद्य परिरक्षण की प्रौद्योगिकी को विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं के लिए भारत में अच्छी तरह से विकसित कर लिया है।

कार्बन-14 के चिन्हित यौगिकों और फास्फोरस-32 से चिन्हित ट्राइटियम और जैव अणुओं का इस्तेमाल जैव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग परियोजनाओं, फेलोशिम और संगोष्ठियों के लिए नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड के माध्यम से सहायता देता है। चिकित्सा कृषि और उद्योग में रेडियो-आइसोटोपों के इस्तेमाल के बारे में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड विभिन्न प्रकार के रेडियोआइसोटोप और विकिरण स्त्रोत सप्लाई करता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सहायता मांगने वाले कृषि विश्वविद्यालयों के लिए उत्परिवर्तक तैयार करने संबंधी कार्यक्रम हेतु बीजों और अन्य सामग्री को किरणित करने का कार्य करता है।

(ग) परमाणु ऊर्जा और इसके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं की तुलना विकसित देशों से अनुकूलत: की जा सकती है।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

463. **श्री के.जी. शिवप्पा :**

श्री ए. वैंकटेश नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के विषय को केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत लाने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों की अधिकांश समस्याएं राज्य सरकारों के कार्य-क्षेत्र में आती हैं। अत: यदि उनके कल्याण संबंधी कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही चलाती रहें तो यह भूतपूर्व सैनिकों के हित में होगा।

त्रिवेन्द्रम स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र का स्थानान्तरण

464. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र की उपक्रम यूनिट को आंध्र प्रदेश में स्थानान्तरित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस यूनिट के स्थानान्तरण से किन-किन यूनिटों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और त्रिवेन्द्रम में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष में कौन-कौन सी यूनिट रहेगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.) की किसी यूनिट के अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, प्रमोचक राकेटों और उपग्रहों के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी रहने वाली प्रक्रिया के भाग के रूप में विभिन्न इसरो केन्द्रों का उपयुक्त संवर्धन और पुनसंरचना कार्य किया जाता है।

[हिन्दी]

लोक अदालतें

465. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितनी लोक अदालतें स्थापित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन लोक अदालतों द्वारा राज्य-वार कितने मामले स्वीकार किए गए तथा निपटाए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में तथा विशेष रूप से जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक संख्या में लोक अदालतें स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ङ). लोक अदालतें नियमित रूप से गठित विधि न्यायालय नहीं हैं बल्कि सुलह कराने और समझाने बुझाने की रीति से विवादों का समाधान करने के लिए स्वैच्छिक प्रयास है। जब भी आवश्यक होता है, लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

26 राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा, जो कि लोक अदालतें आयोजित कर रहे हैं, वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या और निपटाए गए मामलों की संख्या संबंधी जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक अदालतों द्वारा ग्रहण किए गए मामलों की संख्या वही है जो निपटाए गए मामलों की है।

विवरण

(गत तीन वर्षों अर्थात् 1992, 1993 और 1994 के दौरान राज्यवार आयोजित लोक अदालतों की संख्या और निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण)

(राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य बोर्ड का नाम	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामले
1	2	3	4
*1.	आंध्र प्रदेश	318	34,978
2.	असम	15	2,720
		(10/94 तक)	

1	2	3	4
*3.	बिहार	9	1,828
4.	गोवा	10	1,084
		(6/94 तक)	
5.	गुजरात	287	42,580
6.	हरियाणा	210	65,871
		(6.8.94 तक)	
7.	हिमाचल प्रदेश	138	16,012
		(5/94 तक)	
8.	जम्मू-कश्मीर	3	139
9.	कर्नाटक	971	1,06,882
*10.	केरल	23	14,363
11.	मध्य प्रदेश	229	1,09,823
		(6/94 तक)	
*12.	महाराष्ट्र	281	19,532
13.	मणिपुर	1	329
		(7/94 तक)	
*14.	मेघालय	-	-
15.	मिजोरम	3	27
16.	उड़ीसा	686	1,82,798
*17.	पंजाब	108	24,929
		(6/94 तक)	
18.	राजस्थान न्यायालय में प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को एक मासिक लोक अदालत आयोजित की जाती है।		1,84,098
*19.	सिक्किम	-	-
20.	तमिलनाडु	862	84,757
21.	त्रिपुरा	-	-
*22.	उत्तर प्रदेश	890	8,64,110
23.	पश्चिमी बंगाल	4	227
24.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन	2	3,005
25.	दिल्ली	9	2,440
		(8/9/94 तक)	
26.	पांडिचेरी	7	614
		(6/7/94 तक)	

*वित्तीय वर्ष के आधार पर अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95

[अनुवाद]

केरल में ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना

466. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 17 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना केरल में कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक स्वास्थ्य गाइड योजना कार्यान्वित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) केरल राज्य ने ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना लागू नहीं की है।

जम्मू और कश्मीर में विकास कार्यक्रम

467. श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में विकास कार्यों के मूल्यांकन हेतु कोई दल भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के बेहतर प्रबंधन और इनका सुचारू ढंग से कार्य-निष्पादन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) राज्य में विकास कार्यों का जायजा लेने और विभिन्न विकास आवश्यकताओं और विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अपेक्षित केन्द्रीय सहायता का आंकलन करने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय वरिष्ठ अधिकारियों के अनेक अन्तर्-मंत्रालयीय दलों को वहां भेजा था। इन दलों ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को तेज करने और जवाबदेही इत्यादि के लिए अपेक्षित प्रशासनिक उपायों के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के अनुसरण में किए गए उपायों के परिणामस्वरूप, विकास प्रक्रिया को पुर्नजीवित किया गया है और सम्पूर्ण योजना परिव्यय को लाभप्रद रूप से इस्तेमाल करने के लिए विकास प्रशासन को सक्रिय बनाया गया है।

भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पद

468. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक प्रत्येक राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मंजूर संवर्ग पद कितने हैं;

(ख) इनमें प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य-वार कितने पद शामिल हैं;

(ग) 31 मार्च, 1995 तक संवर्ग-वार और राज्य-वार कितने

अधिकारियों की केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की गई; और

(घ) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकारी लेते समय विभिन्न राज्यों में संवर्ग अधिकारियों के अनुपात में संतुलन बनाए रखती है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमों के तहत प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ डयूटी पदों का 40 प्रतिशत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति निर्दिष्ट अवधि के लिए की जाती है और कार्यावधि समाप्त होने पर अधिकारी अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किए जाते हैं। यद्यपि, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि सभी राज्यों को अपने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो फिर भी ऐसी प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की वास्तविक संख्या प्रत्येक राज्य के बारे में अलग-अलग होती है क्योंकि हर राज्य विभिन्न संख्याओं में अधिकारियों के नामों को संस्तुत करते हैं तथा अधिकारियों का अंतिम चयन विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा

(31.3.1995 की स्थिति)

क्र.सं.	संवर्ग	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	कुल प्राधिकृत पद संख्या	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	64	314	35
2.	अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र	50	232	43
3.	असम-मेघालय	44	207	44
4.	बिहार	85	392	60
5.	गुजरात	46	236	40
6.	हरियाणा	40	205	25
7.	हिमाचल प्रदेश	28	131	24
8.	जम्मू और कश्मीर	24	112	15
9.	कर्नाटक	51	253	33
10.	केरल	37	171	29
11.	मध्य प्रदेश	82	377	63
12.	महाराष्ट्र	72	348	53
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	43	198	32
14.	नागालैण्ड	11	51	07
15.	उड़ीसा	43	199	21
16.	पंजाब	40	190	18
17.	राजस्थान	53	252	26
18.	सिक्किम	11	53	02
19.	तमिलनाडु	63	324	25
20.	उत्तर प्रदेश	100	527	73
21.	पश्चिम बंगाल	63	292	41
	योग	1058	5064	709

कश्मीरियों की आयु-सीमा में छूट

469. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए कश्मीरियों को आयु-सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से भी यह कहने का विचार है कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंक सेवाओं में भर्ती के लिए कश्मीरियों को आयु-सीमा में ऐसी ही छूट प्रदान की जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के उपक्रमों की सेवाओं में उनके लिए आयु-सीमा में ऐसी ही छूट की सुविधा पहले से उपलब्ध है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ङ). जी, हां। इस संबंध में 28 जून, 1995 को जारी अधिसूचना की एक प्रति सदन के पटल पर विवरण के रूप में रखी जाती है।

(च) और (छ) जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 1995

अधिसूचना

सा.का.नि. (अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चांत, केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर नियुक्ति के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में कश्मीर प्रभाग के निवासियों के पक्ष में आयु सीमा में छूट को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अवधि :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रभाग के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवा और पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये 31 दिसंबर, 1996 तक प्रवृत्त रहेंगे।

2. **लागू होना :**

ये नियम उन सभी केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों को लागू होंगे जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अथवा अन्यथा भर्ती की जाती हैं

3. **अधिकतम आयु सीमा में छूट :**

जहां की नियम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और पदों पर कोई भर्ती की जाती है, वहां पांच वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय होगी जो 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रभाग के साधारणत: अधिवासी रहे थे।

परन्तु किसी परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट, सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम अवसरों की संख्या के अधीन रहते हुए होगी।

4. **निवास स्थान के सबूत की बाबत प्रमाणपत्र :**

नियम 3 के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति----

(क) ऐसे जिला मजिस्ट्रेट का, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह साधारणतया निवास करता था, या

(ख) जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अन्य प्राधिकारी का, इस आशय का कि वह 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रभाग का साधारणत: अधिवासी था, एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

5. **निर्वचन :**

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा।

6. **भर्ती नियमों का संशोधन :**

केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों, जिसके अन्तर्गत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्ति भी हैं, पर व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने वाले सभी नियम तथा उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं शासित करने वाले नियम, इन नियमों में उपबंधित सीमा तक संशोधित किए गए समझे जाएंगे।

ह0/-

(जेम्स के. जोसफ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

470. डा. पी. वल्लल पेरुमान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में, विशेषत: तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना लागू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि से धन प्राप्त हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि से कितनी सहायता मिली और अब तक इस कार्य की कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) स्कूल जाने की आयु के बच्चों के लिए स्कूलों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा;

(2) उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा;

(3) प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा; और

(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा।

(ग) और (घ) स्कूलों और प्रशिक्षण केन्द्रों में पाठयचर्या पाठय पुस्तकों और प्रशिक्षण सामग्री में जनसंख्या शिक्षा घटक को समाविष्ट कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि से प्राप्त हुई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख रुपये में)

	1992-93	1993-94	1994-95
(1) स्कूल जाने की आयु के बच्चों के लिए स्कूलों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में जनसंख्या शिक्षा	67.95	75.00	47.00
(2) उच्चतर शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा	1992 से मार्च, 1995 के दौरान कोई सहायता नहीं।		
(3) प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा	92.00	92.00	95.00
(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा	परियोजना का दूसरा चरण 1995-96 में शुरू हो गया है।		

मलेरिया नियंत्रण

471. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से मलेरिया पर नियंत्रण पाने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 30 जून, 1995 तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) मलेरिया नियंत्रण की एक ऐसी परियोजना तैयार की जा रही है। जिसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो सके। यह परियोजना आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों के उन जिलों को कवर करती हैं जिनमें आदिवासियों की जनसंख्या सर्वाधिक हो/परियोजना को तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्यशालाएं शुरू कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

472. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मई, 1995 तक पुनर्वासित किए गए भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 मई, 1995 तक पुनर्वास महानिदेशालय के पास भूतपूर्व सैनिकों के कितने आवेदन लंबित थे; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया उनके संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं

(ख) ओर (ग) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार रोजगार सहायता के लिए विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों के पास 2,93,577 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे। भूतपूर्व सैनिकों का रोजगार उनके लिए आरक्षित पदों में से रिक्त पदों की उपलब्धता और उन रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों की संख्या पर निर्भर करता है। भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एक सतत् प्रक्रिया है और इसीलिए इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

विवरण

वर्ष 1993 और 1994 के दौरान जिन भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया उनके संबंध में।

	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	
	1993	1994
(क) जिनका पुनर्वास किया गया		
(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत	4,849	4,977
(2) राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत	5,871	5,268
(3) निजी क्षेत्र में	6,016	5,802
(ख) जिन्हें स्वःरोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी गई।	426	660
(ग) स्वःरोजगार के लिए अन्य सहायता हेतु प्रायोजित किए गए।	491	321

टिप्पणी :

मई 1995 की स्थिति के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

473. डा. लाल बहादुर रावल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गत तीन महीनों के दौरान कितने आतंकवादी तथा घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए;

(ख) घुसपैठियों से कितनी मात्रा में विदेशी हथियार तथा तस्करी के सामान जब्त किए गए; और

(ग) इस अवधि के दौरान हताहत हुए आतंकवादियों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) पिछले तीन महीनों अर्थात अप्रैल, मई तथा जून 1995 के दौरान जम्मू व कश्मीर में 752 उग्रवादी/घुसपैठिये गिरफ्तार किए गए थे।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान घुसपैठियों से भारी संख्या में विदेशी हथियार और तस्करी का सामान जब्त किया गया था। ब्यौरे इस प्रकार से हैं :

ए.के. राईफलें	528
ए.के. गोलाबारूद	115418+147 बक्सें
पिस्तौल/रिवाल्वर	250
गोली बारूद-तदैव	4034
गोले/हथगोले/स्टिक हथगोले	812
यू.एम.जी.	25
टेटोनेटर्स	874
राकेट	46
राकेट प्रक्षेपक/बूस्टर	11
आर.पी.जी.	19
जी.पी.एम.जी.	2
एल.एम.जी.	1
स्नाईपर राईफलें	6
ए.पी./ए.टी. सुरंगे/बारूदी सुरंगें	137
विस्फोटक पदार्थ	580 कि.ग्रा. + 105 छडें
आई.ई.डी.	37
आर.डी.एक्स.	2.5 कि.ग्राम

(ग) ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर में 457 उग्रवादी मारे गए थे।

महाराष्ट्र सरकार की ओर रक्षा विभाग की बकाया राशि

474. श्री दत्ता मेघे :

डा. मुमताज अंसारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलिकॉप्टरों को किराये पर लेने के संबंध में महाराष्ट्र, बिहार और अन्य राज्य सरकारों की ओर कोई धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस धनराशि की वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है;

(घ) इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(ङ) शेष धनराशि की वसूली के लिए अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 1.7.92 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों की ओर बकाया धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ). सरकार द्वारा किए गए गहन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों से 1994-95 के दौरान 43,21,87,105/- रुपये की धनराशि की वसूली की गई है। बकाया धनराशि का जल्दी ही भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों को अनुस्मरण करा दिया गया है।

विवरण

1.	आंध्र प्रदेश	39,41,014
2.	अरूणाचल प्रदेश	2,05,03,746
3.	असम	81,51,412
4.	दिल्ली	4,58,385
5.	गुजरात	24,97,917
6.	हिमाचल प्रदेश	2,79,61,026
7.	जम्मू और कश्मीर	3,04,18,685
8.	केरल	60,40,660
9.	महाराष्ट्र	59,363
10.	मणिपुर	46,00,171
11.	मेघालय	18,13,809
12.	मिजोरम	14,43,980
13.	आंध्र प्रदेश	2,66,292
14.	नागालैंड	34,65,871
15.	उड़ीसा	7,88,554
16.	पंजाब	4,85,011
17.	सिक्किम	24,68,076
18.	तमिलनाडु	14,82,174
19.	त्रिपुरा	5,00,084
20.	उत्तर प्रदेश	10,92,721
21.	अंडमान और निकोबार	19,91,912
	योग :	12,04,30,863

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों का निजी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम

475. श्री रूपचन्द पाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ सरकारी उपक्रमों ने निजी कम्पनियों के साथ मिल कर संयुक्त उद्यम लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयुक्त उद्यमों के संबंध में वर्तमान मार्ग-निर्देश तथा नियम क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) नीतियों एवं दिशानिर्देशों से संबंधित विवरण जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में दिया गया है।

आयुध फैक्टरी का क्षमता उपयोग

476. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इटारसी स्थित आयुध फैक्टरी कब स्थापित की गई थी;

(ख) वर्ष 1988-89 और 1992-93 में इस फैक्टरी का कितना क्षमता उपयोग रहा;

(ग) क्या इस फैक्टरी का निष्पादन इसकी अधिस्थापित क्षमता से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) इटारसी में कतिपय रसायनों/प्रणोदकों की "युद्ध एवं अपव्यय" आवश्यकताओं के स्तर की क्षमता वाली आयुध निर्माणी की स्थापना मार्च, 1983 में इस बात को अनुभव करते हुए की गई थी कि शांति काल में इसका वास्तविक उत्पादन संस्थापित क्षमता से वास्तव में कम रहे। यह ऐसा दृष्टिकोण है जिसे सामान्यत: प्रणोदकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है। वर्ष 1988-89 में फैक्टरी का क्षमता उपयोग मुख्य रूप से प्रशिक्षण आवश्यकता की व्यवस्था करने के लिए 42.31 प्रतिशत था। वर्ष 1992-93 तक कुछ श्रेणियों के गोलाबारूद को हटा दिए जाने से क्षमता-उपयोग घटकर 15.11 प्रतिशत रह गया। अब उभरती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ प्रणोदक विकसित किए गए हैं और फैक्टरी का क्षमता-उपयोग वर्ष 1994-95 में बढ़कर 39.05 प्रतिशत हो गया है। इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि अब निर्माणी की अतिरिक्त क्षमता से सिविल बाजार के लिए रसायनों का उत्पादन करने हेतु भी कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

477. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

श्री रामपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर-सरकारी क्षेत्र की किन-किन कम्पनियों से इस प्रकार की परियोजनाएं लगाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ग) इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) उक्त परियोजनाएं कब तक स्थापित कर दी जाएंगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की नई कार्यनीति और कार्य योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी से पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया जा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए कई संवर्द्धनात्मक और राजकोषीय प्रोत्साहनों के फलस्वरूप पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र में पर्याप्त रूचि मौजूद है। संभावित राज्यों में निजी क्षेत्र कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए समग्र 1500 मे.वा. से अधिक के प्रस्ताव इन कंपनियों और संबंधित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों के बीच विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) राष्ट्रीय पवन संसाधन आंकलन कार्यक्रम के अंतर्गत 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 18 कि.मी./प्रति घं. या उससे अधिक वार्षिक औसत पवन गति वाले 80 संभावित स्थलों का पता लगाया गया है जिन्हें पवन से विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। इन स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) संबंधित पवन विद्युत विकास कर्त्ताओं द्वारा संसाधनों को जुटाए जाने और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विद्युत निकासी सुविधाओं पर इन परियोजनाओं की स्थापना का कार्य निर्भर करेगा।

विवरण

18 कि.मी. प्रति घं. से अधिक की औसत वार्षिक पवनगति वाले पवन मानीटरिंग स्टेशन

क्र.सं.	स्टेशन	औसत वार्षिक पवन गति	क्र.सं.	स्टेशन	औसत वार्षिक पवन गति
1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु :				**गुजरात :**	
1.	अलगियापंडीयापुरम	20.88	1.	बामनबोर	20.72

क्र.सं.	स्टेशन	औसत वार्षिक पवन गति	क्र.सं.	स्टेशन	औसत वार्षिक पवन गति
1	2	3	4	5	6
2.	अंडीपट्टी	18.96	2.	धांक-I	24.53
3.	अर्समपलायम	20.18	3.	धांक-II	25.32
4.	अयिकुडी	21.35	4.	हरपद	20.02
5.	इडयारपलायम	22.43	5.	कल्याणपुर	22.21
6.	इन्नौर	19.18	6.	कुकमा	19.19
7.	कट्टाडीमलाई	23.66	7.	मुंद्रा	10.54
8.	कयाथार	20.29	8.	नविबंडर	19.46
9.	केथानूर	21.91	9.	ओखा	19.43
10.	मूपपंडाल	25.48	10.	ओखामाधि	19.05
11.	ओट्टापिदरम	18.22	11.	सूरजबाड़ी	19.53
12.	पोगलूर	19.43	12.	लिम्बाड़ा	20.02
13.	पूलावाडी	21.16	13.	नावादरा	21.33
14.	पुलियामकलूम	18.93	14.	भांडरिया	20.18
15.	रामेश्वरम	23.91	15.	जामनवादा	20.20
16.	समबगरामनपुदूर	21.69	16.	लाम्बा	19.47
17.	सुल्तानपेट	18.96	महाराष्ट्र :		
18.	तलयाथु	20.51	1.	चालकेवाडी	20.17
19.	कुमारपुरम	24.61	2.	पंचगनी	18.39
20.	नेतुर	20.89	3.	विजयदुर्ग	19.61
21.	ओनमकलम	20.40	4.	गुदेपंचगनी	20.01
22	पसारिपत्ती	20.39	आंध्र प्रदेश :		
लक्षद्वीप :			1.	भीमूनिपटनम	19.11
1.	अगाथी	18.22	2.	काकुलाकोंडा	23.08
2.	कडमट	18.00	3.	एम.पी.आर. डैम	19.85
3.	मिनीकोय	18.29	4.	मुस्तिकोवाला	20.16
कर्नाटक :			5.	नरसिंहा कोंडा	20.08
1.	बी.बी. हिल्स	26.78	6.	पायलकुंतला	20.09
2.	बोमानहल्ली	18.06	7.	रामगिरि-1	19.52
3.	गोकाक	18.93	8.	रामगिरि-2	18.36
4.	हनासागर	20.23	9.	तिरूमाला	20.43
5.	हनुमानहट्टी	20.08	10.	जमालमदुगे	18.81
6.	जोगीमट्टी	29.85	11.	सिगानामला	23.40
7.	मालगट्टी	19.32	12.	कडावल्लू	23.08
8.	संगगुंडी	18.56	केरल :		
9.	चिकोडी	24.00	1.	कांजीकोड	22.32
10.	हरडनहल्ली	18.16	2.	कोटामाला	18.41
11.	होर्ती	21.05	3.	कोटाटहारा	19.40
12.	खामरहट्टी	21.49	4.	पोनमुडी	18.10
13.	गोडेकरे	19.66	5.	पुलियाकनम	18.53
14.	खांडेरयनहल्ली	20.51	6.	रामकलमेदू	30.02
मध्य प्रदेश :			7.	पंचलीमेडू	20.61
1.	जमगोदरानी	18.44			
2.	खेडा	18.60			

[अनुवाद]

एच.एम.टी. लिमिटेड

478. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.एम.टी. लिमिटेड अपने मशीन टूल्स डिवीजन के लिए यूरोप, जापान और अमरीका में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीगत माल वाली फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम समझौते करने पर विचार कर रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एच.एम.टी. लिमिटेड ने ऐसे सहयोग की जांच-पड़ताल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ कोई बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) एच. एम.टी. ने मशीन टूल समूह के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम भागीदारों का पता लगाने हेतु वाशिंगटन के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सेवाएं लीं। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, एच.एम.टी. के समस्त मशीन टूल प्रभाग के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदार का पता लगाने में असमर्थ रहा तथा उसने सुझाव दिया कि एच.एम.टी. को अपने मशीन टूल समूह की अलग-अलग इकाइयों के लिए स्थानीय संयुक्त उद्यम भागीदारों का पता लगाना चाहिए।

[हिन्दी]

नई आर्थिक नीति

479. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आर्थिक नीति को लागू करने के पश्चात बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए;

(ख) उनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक रूप से कितने उद्योग स्थापित किए गए, खरीदे गए और भागीदारी की गई;

(ग) प्रत्येक उद्योग में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(घ) क्या उदारीकृत नई आर्थिक नीति के कारण कई लघु कुटीर उद्योग बंद कर दिए गए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) लघु एककों को बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(छ) स्वदेशी उद्योगों और उद्योगपतियों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और

(ज) स्वदेशी उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद अर्थात 24 जुलाई, 1991 से जून 1995 तक विदेशी निवेश से संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु 3322 प्रस्ताव सरकार द्वारा मंजूर किए गए हैं।

(ख) और (ग) सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) उदारीकृत आर्थिक नीति के कारण लघु औद्योगिक एककों के बंद हो जाने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) से (ज) लघु क्षेत्र के संरक्षण के लिए किए गए उपायों में लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण हेतु मदों का आरक्षण, सरकारी खरीददारी के लिए लघु क्षेत्र द्वारा विनिर्मित मदों का आरक्षण, राजकोषीय रियायतें, प्रौद्योगिकीय सहायता, गुणवंता विकास सहायता, उद्यमिता विकास हेतु सहायता, ऋण सहायता अवसंरचनात्मक सहायता आदि शामिल है। रक्षात्मक उपायों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है।

लघु उद्योगों हेतु नई योजनाएं

480. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री राजेश कुमार :

श्री राजवीर सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा लघु उद्योगों हेतु तैयार की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इन योजनाओं के द्वारा हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों सहित इन नई योजनाओं हेतु तैयार की गई कार्यकरण संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू वर्ष के बजट से लघु उद्योग क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का लघु उद्योगों की शिकायतों पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) संघ सरकार द्वारा तैयार की गई नई योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिये काफी

संख्या में आगामी योजनायें हैं। लघु, अतिलघु और ग्रामीण उद्योगों को विकसित और मजबूत बनाने के लिए 06 अगस्त, 1991 को घोषित नीतिगत उपायों को कार्यान्वित करने के लिये नई योजनायें विस्तृत रूप से बनाई गई हैं।

(ग) से (ङ). लघु उद्योगों के फायदे के लिये 1995-96 के बजट में कई उपाय किए गये हैं। इन उपायों में केन्द्रीय उत्पाद छूट के अन्तर्गत पात्रता सीमा से 300 लाख रुपये के वार्षिक उत्पादन में से लघु उद्योग क्षेत्र को राहत देना, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई. डी.बी.आई.) के द्वारा नवीकरण और प्रौद्योगिकी विकास कोष की स्थापना करना और राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना के क्षेत्र को बढ़ाना शामिल है। इस संबंध में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि चालू वित्त वर्ष के बजट से लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी, सरकार लघु उद्योगों और उनकी संस्थानों के निरंतर सम्पर्क में है और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

विवरण

संघ सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिये बनाई गई नई योजनाओं की सूची

1. नये औजार कक्ष।
2. उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना करना।
3. उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के लिये, जूते और चमड़ा वस्तु उद्योग के लिए डिजाइन सैल की स्थापना करना।
4. लघु औजार कक्ष।
5. ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों का एकीकृत रूप से मूल भूत विकास।
6. सी.ए.डी./सी.ए.एम. केन्द्र, मद्रास।
7. सी.एफ.टी.सी. मद्रास और आगरा का आधुनिकीकरण।
8. उद्योग संस्थाओं के लिये परीक्षण केन्द्र।
9. नीति अभिमुख अनुसंधान अध्ययन।
10. एन.जी.ओ. इत्यादि द्वारा बेयर फुट मैनेजर के लिये प्रशिक्षण।
11. प्रधान मंत्री रोजगार योजना।
12. निर्यात विकास केन्द्र।
13. उत्पादन केन्द्र का विकास।
14. सीडो सूचना और संसाधन केन्द्र।
15. ग्रामीण उद्योगों के विस्तृत विकास के लिये योजना।
16. प्रौद्योगिकी विकास।
17. ऊर्जा संरक्षण।
18. सीडो लाईब्रेरी का आधुनिकीकरण।
19. लघु उद्योग एककों के तकनीकी दौरे और उन्हें परामर्श देना।
20. लघु और मझौले उद्यमों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
21. लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के नीति संबंधी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र।
22. राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान, गुवाहाटी।
23. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई योजनायें निम्नलिखितनुसार हैं :-
    (1) वित्तीय सेवाएं।
    (2) त्रिचूर में स्थित उच्च-तकनीकी।
    (3) नई दिल्ली में ओखला स्थित उत्पाद डिजाइन उप-केन्द्र।
    (4) साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क।

आयुध कारखानों की स्थापना

481. श्री महेश कनोडिया :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत नए आयुध कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन हेतु गैर-सरकारी कंपनियों को सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी समितियां गठित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बोलंगीर में आयुध निर्माणी का निर्माण-कार्य पूरा करने के सिवाय नई आयुध निर्माणियां स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित विषयों से संबंधित आठ तकनीकी समितियां हैं जो रक्षा उपस्करों और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के स्वदेशीकरण का कार्य करती हैं :-

वैमानिकी
आयुध
वाहन
इंफेंट्री युद्धक वाहन
इलेक्ट्रॉनिकी
इंजीनियरी उपस्कर
सामान
समुद्री सामान

उक्त तकनीकी समितियां रक्षा उपस्करों और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों

के प्रारंभिक विकास के लिए आपूर्ति आदेश देने के अलावा औद्योगिक यूनिटों को डिजाइन, ड्राइंगों एवं विनिर्दिष्टियों, जहां संभव हो नमूनों के रूप में तकनीकी सहायता देने तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन का कार्य भी करती हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक यूनिटों को उनके द्वारा देश में निर्मित किए जा रहे सामान की गुणात्मक आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। प्रति वर्ष लगभग 260 करोड़ रुपये के आर्डर दिए जाते हैं।

हाल ही में, स्वदेशीकरण प्रक्रिया में लघु औद्योगिक इकाइयों की सहभागिता में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया गया है। लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में नौ कार्यशालाओं एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था जिनमें भावी उद्यमियों के लिए अनेक मदों का प्रदर्शन किया गया। भावी उद्यमियों के पंजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया गया। इन कार्यशालाओं में लघु औद्योगिक ईकाइयों ने काफी उत्साह दिखाया और 300 से अधिक नई फर्मों का पंजीकरण किया गया। इस संबंध में समयबद्ध रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ताकि पंजीकृत नई फर्मों को आर्डर दिए जा सकें।

अपर श्रेणी लिपिकों के वेतनमान का पुनरीक्षण

482. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

डा. पी. वल्लल पेरूमान :

क्या **प्रधान मंत्री** 29 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2446 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचाट बोर्ड ने मई-जून, 1995 को अपनी सुनवाई में अपर श्रेणी लिपिकों के वेतनमान के पुनरीक्षण के संबंध में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अपर श्रेणी लिपिकों के वेतनमान के पुनरीक्षण होने की कब तक संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस विषय के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिनांक 14 जून, 1995 को हुई अंतिम सुनवाई में कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विवाचन बोर्ड से अनुमति मांगी थी और बोर्ड ने उन्हें छः सप्ताह के भीतर इन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। बोर्ड अगली सुनवाई के लिए नई तारीख निर्धारित करेगा। सरकार द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई बोर्ड का अवार्ड प्राप्त होने पर की जाएगी।

आंत्रशोथ

483. **श्री देवी बक्स सिंह :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में आंत्रशोध तथा हैजे के कई मामलों का पता चला हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान कितने मामलों का पता चला हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) कुछ राज्यों से मिली सूचना अतिसारीय रोगों के संबंध में है जिसमें जठरांत्र रोग शामिल है। अप्रैल, 1995 के दौरान 364667 रोगी सूचित किए गए थे। पिछले तीन महीनों के दौरान हैजा के 805 रोगी सूचित किए गए थे।

(ग) इस रोग पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं :-

1. सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था।
2. बेहतर भोजन और निजी सफाई।
3. मानव मलमूत्र का सुरक्षित निपटान।
4. उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा।
5. निगरानी और अनुवीक्षण।
6. क्लोरीन की गोलियों और ओ.आर.एस. पैकटों का संवितरण।

मलेरिया नियंत्रण

484. **डा. परशुराम गंगवार :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से मलेरिया के नये मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत छह माह के दौरान प्रत्येक राज्य से कितने मामलों की रिपोर्ट मिली हैं;

(ग) इन मामलों में मृतकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि उपलबध की है; और

(ङ) सरकार ने मलेरिया नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) केन्द्र सरकार कीटनाशियों, लार्वानाशियों और औषधों की सप्लाई के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता करती है। चालू वर्ष में होने वाला व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) मलेरिया नियंत्रण हेतु किए गए उपाय इस प्रकार हैं :-

- रोग का शुरू में पता लगाना और शीघ्र उपचार करना।
- संचरण रोकने के लिए उपयुक्त कीटनाशकों से वेक्टर नियंत्रण।
- मच्छर पनपनें के स्त्रोतों को समाप्त करने हेतु लार्वानाशियों से लार्वारोधी उपाय।
- मलेरिया निवारण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को तेज करना।

विवरण-I

1995 के दौरान (जून तक) मलेरिया के रोगियों पी. फाल्सीपेरम के रोगियों और मलेरिया से हुई मौतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मलेरिया के कुल रोगी	पी.फाल्सीपेरम के रोगी	मौतें
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24848	9911	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	4778	466	शून्य
3.	असम	82682	42577	300*
4.	बिहार	1542	1124	6
5.	गोवा	666	32	शून्य
6.	गुजरात	13962	9340	शून्य
7.	हरियाणा	4751	314	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	385	1	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	410	3	शून्य
10.	कर्नाटक	50291	2512	2
11.	केरल	1530	102	2
12.	मध्य प्रदेश	54985	27812	शून्य
13.	महाराष्ट्र	73470	18813	1
14.	मणिपुर	447	276	1
15.	मेघालय	1822	1245	8
16.	मिजोरम	2500	1245	28
17.	नागालैंड	308	94	शून्य
18.	उड़ीसा	94844	80533	33
19.	पंजाब	2119	13	शून्य
20.	राजस्थान	69918	13763	21
21.	सिक्किम	122	2	0
22.	तमिलनाडु	21384	2845	शून्य
23.	त्रिपुरा	3097	2701	11
24.	उत्तर प्रदेश	7539	446	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	11750	2379	42
	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	556	109	शून्य
2.	चंडीगढ़	1410	3	शून्य
3.	दादरा व नगर हवेली	1581	143	शून्य
4.	दमण व दीव	253	11	शून्य
5.	दिल्ली	1212	5	शून्य
6.	लक्षद्वीप	-	-	शून्य
	कुल :	575261	218811	457*

*165 मौतें नैदानिक रूप से मलेरिया की संदिग्ध मौतें है।

विवरण-II

केन्द्रीय सहायता 1995-96 (बजट अनुमान)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुपये लाख में 1995-96
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	730.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	182.55
3.	असम	1301.22
4.	बिहार	408.47
5.	गोवा	16.75
6.	गुजरात	1035.92
7.	हरियाणा	360.90
8.	हिमाचल प्रदेश	197.26
9.	जम्मू व कश्मीर	106.90
10.	कर्नाटक	398.36
11.	केरल	73.21
12.	मध्य प्रदेश	1397.53
13.	महाराष्ट्र	995.20
14.	मणिपुर	194.34
15.	मेघालय	179.44

1	2	3
16.	मिजोरम	151.08
17.	नागालैंड	171.29
18.	उड़ीसा	338.22
19.	पंजाब	429.39
20.	सिक्किम	9.23
21.	राजस्थान	848.20
22.	तमिलनाडु	334.72
23.	त्रिपुरा	307.17
24.	उत्तर प्रदेश	1084.82
25.	पश्चिम बंगाल	344.37
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र		
1.	पांडिचेरी	54.84
2.	दिल्ली	63.16
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	100.38
2.	चण्डीगढ़	59.46
3.	दादरा व नागर हवेली	21.33
4.	दमण और दीव	8.77
5.	लक्षद्वीप	4.06
	कुल योग :	11545.00
	कुल हेड क्वार्टर शीर्ष	355.00
	काला अजार	2000.00
	महायोग :	13900.00

अन्तरिक्ष यात्रा

485. **डा. मुमताज अंसारी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राकेश शर्मा की अन्तरिक्ष यात्रा के बाद अन्तरिक्ष में किसी वैज्ञानिक को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) इस समय सरकार के अन्तरिक्ष कार्यक्रम का जोर भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) और भारतीय सुदूर संवेदन (आई. आर.एस) उपग्रहों के निर्माण और प्रमोचन के माध्यम से संचार, दूरदर्शन प्रसारण, रेडियो नेटवर्क, आपदा चेतावनी, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबन्ध तथा मौसम विज्ञान जैसे राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्तरिक्ष उपायोग को जारी रखने और इसके संवर्धन पर है। जहां तक भावी योजनाओं का संबंध हैं, किसी भी अन्तरिक्ष यात्रा के लिए अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

486. **श्री वी. एस. विजयराघवन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को पुन: चालू करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के पलक्कड एकक को स्वायत्ता देने या इसका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ विलय के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रचालन एजेन्सी - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक - की अनुशंसाओं पर निर्णय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

487. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम को भली-भांति चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इन अभ्यावेदनों के कब तक निपटाये जाने की संभावना हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) केरल में केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अच्छी प्रगति कर रहा है।

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 9781 और 20733 स्वच्छता शौचालयों का निर्माण किया गया था।

(ग) (घ) एवं (ङ). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. स्कूल शिक्षा की मार्फत ग्रामीण स्वच्छता - जिला मालापुरम में तनूर पंचायत के लिए परियोजना प्रस्ताव - स्कूल शिक्षा के मार्फम ग्रामीण स्वच्छता पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव में योजना की मात्र सैद्धान्तिक रूपरेखा है। राज्य सरकार से मालापुरम जिले में तनूर पंचायत के अंतर्गत किसी विशेष स्कूल को चयनित करते हुए एक विशेष प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

2. त्रिवेनी (साबरीमाला के नजदीक) एवं पम्पा के तट के साथ-साथ 5.50 करोड़ रुपये की लागत के 5,000 शौचालयों के निर्माण के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है।

3. सर्वश्री जी. तेहन्नाला बालकृष्णा पिल्ले एवं के. एम. मैथ्यू, संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए मांडल स्वच्छता गांवों के रूप में केरल में तीन गांवों जिनका नाम सूरानव उत्तर (जिला कोलम) पश्चिम कालाडा (जिला कोलाह) एवं वांदनमेड् (जिला इड्क्की) है के विकास हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है और 6.288 करोड़ रुपये की प्रथम किस्म को पहले ही रिलीज कर दिया गया हैं।

लघु उद्योगों के लिए चंदन की लकड़ी

488. **श्री एस. एम. लालजान वाशा :**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग एककों के पास अपने उपयोग के लिए पर्याप्त चंदन की लकड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान किया गया है अथवा किये जने का प्रस्ताव हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में लघु उद्योग एककों द्वारा प्रतिवर्ष कितनी कितनी चंदन की लकड़ी उपयोग में लाई गई; और

(घ) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त ''ख'' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

प्रौद्योगिकी का विकास

489. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध विभाग ने ''प्रोग्राम एम्ड एट टेक्नॉलाजिकल सेल्फ रिलायन्स (पेस्टर)'' नामक एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं.

(ग) उन विभिन्न उपयोगों का ब्यौरा क्या है जिसके लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा;

(घ) कितने औद्योगिक घरानों ने इस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने में अपनी रुचि दिखाई है; और

(ङ) इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कब तक शुरू हो जायेगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). ''प्रोग्राम एम्ड एट टेक्नॉलाजिकल सेल्फ रिलायन्स'' (पेस्टर) योजना के मुख्य उद्देश्य हैं : (i) प्रौद्योगिकी विकास एवं विदेशी प्रौद्योगिकी के समावेशन हेतु उद्योग की सहायता करना; (ii) उत्तम प्रभाव के समकालीन उत्पादों तथा प्रक्रमों के विकास व वाणिज्यीकरण हेतु स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना; और (iii) उद्योग के साथ संयुक्त परियोजनाओं में राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों की भागीदारी।

योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह विभाग उद्योग द्वारा निम्नलिखित (i) घरेलू एवं निर्यात बाजारों के विशिष्ट पूंजीगत सामानों की प्रक्रम प्रौद्योगिकियों सहित नवीन या उन्नत उत्पाद के विकास व प्रदर्शन : और (ii) आयतित प्रौद्योगिकी का समावेशन तथा उन्नयन क्षेत्रों में शुरू की गई अनुसंधान, विकास, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी (आरडीडीई) परियोजनाओं को चयनात्मक आधार पर आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उक्त क्षेत्रों में डीएसआइआर द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रोटोटाइप विकास एवं पायलट संयंत्र कार्य, ऐसे अनुसंधान व विकास से प्राप्त उत्पादों का परीक्षण एवं मूल्यांकन, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य अनुसंधान संगठन एवं उपभोक्ता परीक्षण अनुसंधान सहायता सम्मिलित हैं। परियोजना लागत का अधिकतर खर्च उद्योग द्वारा वहन किया जाता है। पेस्टर योजना के अधीन समर्थित परियोजनाओं के माध्यम से विकसित एवं वाणिज्यीकृत की जा रही प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य अच्छी मांग वाले उत्पादों, प्रक्रमों तथा विशिष्ट पूंजीगत सामानों का उन्नयन या पूर्ण विकास करना है। इन परियोजनाओं में धातुकर्म, इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रोनिक्स, यांत्रिक अभियांत्रिकी, भूमि खुदाई एवं औद्योगिक मशीनरी, रसायन, पैट्रोरसायन तथा विस्फोटक जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पाद एवं प्रक्रम आते हैं।

इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग एवं लाभों में उद्योग का प्रौद्योगिकी स्तर बढ़ाना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित नए या उन्नत उत्पादों एवं प्रक्रमों का वाणिज्यिकरण करना, महत्वपूर्ण उत्पादन बिक्री तथा उद्योग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं अन्य अनुसंधान संगठनों में संबंध मजबूत करना शामिल हैं।

लगभग 60 औद्योगिक इकाइयों ने अब तक डीएसआइआर द्वारा समर्थित 104 अनुसंधान, विकास, डिजाइन एवं अभियांत्रिकी (आरडीडीई) परियोजनाओं पर कार्य किया है। इन परियोजनाओं में लगभग 30 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं तथा अन्य संगठन भी उद्योग के साथ सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में, लगभग 40 औद्योगिक इकाइयां तथा 20 सहयोगी अनुसंधान संगठन, ''पेस्टर'' योजना के तहत 55 जारी परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

डीएसआईआर द्वारा समर्थित इन परियोजनाओं के फलस्वरूप कुछ प्रौद्योगिकियों का पहले ही वाणिज्यिकरण हो चुका है तथा उद्योग द्वारा उनका उपयोग हो रहा है। पेस्टर योजना के तहत जारी परियोजनाओं में उद्योग एवं उनके सहयोगी अनुसंधान संगठनों द्वारा विकसित की जा रही अन्य प्रौद्योगिकियों को 1996-97 से वाणिज्यीकृत किए जाने तथा उपयोग में लाने की आशा है।

[हिन्दी]

टिटनस से हुई मौतें

490. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष टिटनस से कितने बच्चों की मौत हुई; और

(ख) इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) 1992-93 और 94 के दौरान नवजात टेटनस के कारण क्रमशः 815, 1384 और 778 मौतें सूचित की गई हैं।

(ख) 1985 में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू करने के साथ देश में गर्भवती महिलाओं का टेटनस टाक्साइड प्रतिरक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। दाइयों का प्रशिक्षण और डिसपोजेबल प्रसव किटें प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

[अनुवाद]

सतत् उपलब्ध ऊर्जा संबंधी नीति

491. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सतत् ऊर्जा संबंधी एक व्यापक नीति बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति और इसके मुख्य उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में विभिन्न स्त्रोतों से कुल कितनी अपारंपरिक ऊर्जा उपलब्ध है;

(घ) अपारंपिक ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करके विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु विधेयक पुनः स्थापित करने का भी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सतत् उपलब्ध ऊर्जा संबंधी नीति और संसद में तत्संबंधी विधाई उपाय कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अपारंपिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने एक व्यापक अक्षय ऊर्जा नीति को तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य उद्देश्यों सहित इस नीति के ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है।

(ग) देश में खाना पकाने, जल तापन, प्रकाश जल पम्प आदि सहित विभिन्न प्रकार के लिए विद्युत व ऊर्जा उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार के अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों व युक्तियों की स्थापना की जा रही है। इन संस्थापनाओं की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) विशेषतः पिछले चार वर्षों के दौरान अक्षय ऊर्जा स्त्रोत के दोहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तथापि अपारंपिक ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी कुछ बाधाओं को सुलझाना है, जिसमें अन्य के अलावा अपारंपरिक स्त्रोतों का पारंपिक स्त्रोतों की तुलना में समान स्थिति लाना, अपारंपिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, विशेषतया उनकी उच्च प्रारम्भिक लागत/निवेश और राज्यों तथा निम्न स्तरों पर अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों की स्थापना, प्रचालन और रख रखाव के लिए अवसंरचना के उन्नयन हेतु पर्याप्त वित्त प्रावधान की आवश्यकता है।

(ङ) से (छ) एक व्यापक अक्षय ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है इसकी घोषणा सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन हेतु नये नियमों तथा अन्य उपायों की घोषणा बाद में की जाएगी।

संचयी वास्तविक उपलब्धियां एक नजर में

क्र.सं.	कार्यक्रम	यूनिट	आरंभ से लेकर मार्च, 1995 तक*
1	2	3	4
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	लाख सं.	21.88

1	2	3	4
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	संख्या	1600
3.	उन्नत चूल्हा	लाख सं.	196.06
4.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	ब्लॉक	552
5.	सौर तापीय प्रणालियां	वर्ग मी. क्षेत्र	3,10,971
6.	सौर कुकर	संख्या	3,66,642
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय		
क.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत एकक	केडब्ल्यूपी	625.86
ख.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/ टी.वी. और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	954
ग.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां	संख्या	29,889
घ.	प्रकाशवोल्टीय लालटेन	संख्या	36,121
ङ.	प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी	संख्या	32,871
च.	प्रकाशवोल्टीय पम्प और प्रकाशवोल्टीय सिंचाई पम्प	संख्या	1,354
8.	पवन पम्प	संख्या	3,091
9.	पवन बैटरी चार्जर	संख्या	145
10.	पवन फार्म	मेवा.	350
11.	मिनी-माइक्रो हाइड्रो	मेवा.	119.86
12.	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं	संख्या	306
13.	बायोमास आधारित विद्युत का सह-उत्पादन	मेवा.	16
14.	बायोमास कम्बस्टन आधारित विद्युत	मेवा.	10
15.	बायोमास स्टैंडलोन गैसीफायर	मेवा.	20
16.	शहरी एवं औद्योगिक ऊर्जा परियोजनाएं	संख्या	4
17.	बैटरी चालित वाहन	संख्या	194
18.	एल्कोहल चालित वाहन	संख्या	148

* आंकड़ें सुनिश्चित किए जा रहे है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश

492. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं संबंधी आरक्षण नीति की गलत व्याख्या के कारण देश विदेशी मुद्रा अर्जन से वंचित रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों/निगमों का विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रवेश रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिनमें देश की घरेलु मांग को लघु और मंझोले उद्योग आसानी से पूरा करने में सक्षम हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी एक मद लघु उद्योग क्षेत्र में विशेष विनिर्माण के लिए आरक्षित कर दी जाती है तो किसी भी मंझौले/बडे़ पैमाने के उपक्रमों और बहुराष्ट्रीय उपक्रमों को 75 प्रतिशत दायित्व के अलावा इस मद के निर्माण की अनुमति नहीं है। (जिन निर्यात अभिमुख तैयार कपड़ों के एककों की निवेश सीमा 3 करोड़ रुपये है उनके लिये यह दायित्व 50 प्रतिशत है)। लघु औद्योगिक उपक्रम से भिन्न आरक्षित वस्तु का विनिर्माण औद्योगिक उपक्रम और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस शर्त पर जारी रखने दिया जाना चाहिए कि वह इस मद का विनिर्माण मद आरक्षण से पूर्व से और कार्य जारी रखने का लाइसेंस प्राप्त करने से कर रहे है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाएं

493. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 के दौरान और 1995-96 में जून माह तक ग्रामीण विकास योजनाओं पर राज्य-वार प्रत्येक योजना पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं में हुई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी और किस-किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई;

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना (3) सुनिश्चित रोजगार योजना (4) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम हैं। 1993-94 से 1995-96 (मई 95/जून 95 तक) की अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च की गई राशि संलग्न विवरण-I से IV में दी गई है।

(ख) और (ग) जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधियों के दुरूपयोग के कुछ मामले भारत सरकार के ध्यान में आए हैं। देश में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायतों की

भागीदारी से अधिक अपेक्षित पारदर्शिता आई है और इसकी तुलना में जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरूपयोग के संबंध में बहुत कम शिकायतें है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को, उपयुक्त जांच और उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने जवाहर रोजगार योजना निधियों के दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों/सरपंचों को निलंबित कर दिया है। उन अधिकारियों/सरपंचों जिन्होंने जवाहर रोजगार योजना निधियों के उपयोग में अनियमितताएं बरती है, के विरूद्ध मुकदमें भी दायर किए गए है।

विवरण-I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार/वर्षवार खर्च

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	के दौरान खर्च 1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8813.75	11287.12	134.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	523.65	405.47	18.60
3.	आसाम	2532.34	2258.23	
4.	बिहार	10873.59	8346.98	573.33
5.	गोवा	77.48	115.25	
6.	गुजरात	3354.85	3259.82	211.02
7.	हरियाणा	1318.31	1351.32	104.91
8.	हिमाचल प्रदेश	378.02	400.52	18.13
9.	जम्मू व कश्मीर	426.67	506.20	
10.	कर्नाटक	4026.36	4354.35	90.53
11.	केरल	1973.75	2401.23	60.13
12.	मध्य प्रदेश	10040.21	10273.75	387.06
13.	महाराष्ट्र	7329.26	7577.07	279.13
14.	मणिपुर	175.91	310.79	
15.	मेघालय	158.33	352.05	7.15
16.	मिजोरम	282.09	133.17	3.63
17.	नागालैंड	310.79	156.08	3.45
18.	उड़ीसा	6263.38	5760.78	243.53
19.	पंजाब	1471.24	1216.11	58.85
20.	राजस्थान	4213.30	4626.81	172.66
21.	सिक्किम	40.96	45.99	1.86
22.	तमिलनाडु	7269.39	8418.21	189.98
23.	त्रिपुरा	540.29	341.13	28.20
24.	उत्तर प्रदेश	20197.02	19335.12	728.62
25.	पश्चिम बंगाल	2959.40	6196.36	351.85
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	38.10	20.04	
27.	चंडीगढ़	14.89	16.21	0.40
28.	दादरा व नगर हवेली			
29.	दमन व द्वीव	18.74	7.57	0.55
30.	दिल्ली			
31.	लक्षद्वीप	6.59	9.69	0.34
32.	पांडिचेरी	36.29	39.89	6.57
	अखिल भारत	95664.95	99526.31	3678.96

विवरण-II

1993-94 से 1995-96 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर खर्च की गई राशि।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	जवाहर रोजगार योजना (प्रथम चरण)			जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय चरण)			सुनिश्चित रोजगार योजना		
		1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	28568.86	28367.54	1047.28	1246.73	7896.84	228.02	2566.02	13786.40	824.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	191.60	222.32	6.18	0.00	0.00	0.00	136.17	862.81	38.12
3.	असम	7911.51	10386.94	1237.03	0.00	0.00	0.00	963.09	4115.25	376.57
4.	बिहार	60445.49	37889.63	9700.06	3078.50	12841.86	2034.77	1608.36	9639.54	1287.19
5.	गोवा	353.83	372.24	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	10533.51	10686.33	1194.43	182.44	3479.73	562.04	146.21	1809.97	459.86
7.	हरियाणा	2164.35	2583.42	168.16	0.00	0.00	0.00	993.85	2901.53	335.03
8.	हिमाचल प्रदेश	1303.08	1150.10	90.37	0.00	0.00	0.00	2.47	115.02	0.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1259.41	2832.17	61.26	147.50	981.06	41.05	133.75	2338.55	294.88
10.	कर्नाटक	17567.06	18333.34	729.88	690.62	5413.68	413.31	678.26	8024.38	411.31
11.	केरल	7788.38	7234.60	235.09	0.00	0.00	0.00	171.20	1901.38	207.07
12.	मध्य प्रदेश	36260.38	31237.99	1876.97	917.89	19265.17	1386.78	2503.49	17959.01	1978.30
13.	महाराष्ट्र	25626.40	25927.08	2559.12	388.61	10833.25	1509.60	430.10	7617.01	529.80
14.	मणिपुर	301.82	370.54	15.65	0.00	0.00	0.00	116.89	1327.52	एन.आर.
15.	मेघालय	359.46	407.31	50.46	0.00	0.00	0.00	-	65.88	34.53
16.	मिजोरम	350.70	336.36	2.60	0.00	0.00	0.00	470.98	2206.36	एन.आर.
17.	नागालैंड	668.66	410.70	-	0.00	0.00	0.00	975.15	1124.87	एन.आर.
18.	उड़ीसा	19562.43	18739.89	2803.32	1911.22	6803.07	988.26	1280.35	11655.94	1032.91
19.	पंजाब	1922.31	1673.48	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	14247.06	13951.90	1093.0	1628.85	5957.13	549.21	926.99	10876.32	1230.16
21.	सिक्किम	273.07	189.21	21.9	0.00	0.00	0.00	20.27	243.04	9.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	तमिलनाडु	26530.04	29642.51	3604.5	792.98	4339.84	783.14	319.48	4409.34	367.97
23.	त्रिपुरा	838.66	1131.61	99.1	0.00	0.00	0.00	659.35	2335.65	17.25
24.	उत्तर प्रदेश	69531.24	66649.57	3480.8	1979.92	7957.31	951.55	647.68	8908.28	338.42
25.	पश्चिम बंगाल	24031.32	24780.70	4117.0	1884.00	5076.29	385.76	2621.00	9220.22	827.31
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	107.20	161.26	9.3	0.00	0.00	0.00	2.41	42.11	0.42
27.	दादर व नगर हवेली	80.68	91.41	7.0	0.00	0.00	0.00	1.51	3.16	2.97
28.	दमन व द्वीव	25.94	27.36	5.4	0.00	0.00	0.00	-	3.46	0.47
29.	लक्षद्वीप	73.58	80.27	4.2	0.00	0.00	0.00	-	10.94	3.39
30.	पांडिचेरी	122.53	121.21	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		359020.56	335987.91	34356.8	28850.26	90845.23	9833.49	18375.03	123543.94	10726.70

1995-96 के लिए जून, 95 तक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

विवरण-III

1993-94 और 1995-96 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत खर्च की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दौरान राशि खर्च की गई 1993-94	1994-95	1995-96 (मई, 1995)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4124.00	4065.00	1092.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	517.60	8080.08	21.90
3.	असम	1812.00	2000.00	एन.ए.
4.	बिहार	2221.70	3840.30	एन.ए.
5.	गोवा	82.70	206.12	4.20
6.	गुजरात	1858.40	4104.80	434.60
7.	हरियाणा	1581.70	2111.30	411.90
8.	हिमाचल प्रदेश	804.10	1126.20	109.20
9.	जम्मू व कश्मीर	2868.60	3940.80	एन.ए.
10.	कर्नाटक	3679.10	4058.40	290.40
11.	केरल	1316.50	1086.40	68.00
12.	मध्य प्रदेश	4973.00	4940.00	184.40
13.	महाराष्ट्र	4374.10	5943.40	311.32
14.	मणिपुर	296.20	374.50	21.00
15.	मेघालय	578.70	412.60	20.10
16.	मिजोरम	210.00	236.00	83.00
17.	नागालैंड	90.90	21.20	0.00
18.	उड़ीसा	2162.50	2770.90	444.20
19.	पंजाब	1130.60	962.40	139.10
20.	राजस्थान	6473.80	8375.30	815.80
21.	सिक्किम	372.00	372.00	128.40
22.	तमिलनाडु	3090.80	2777.10	एन.ए.
23.	त्रिपुरा	394.40	766.20	19.20
24.	उत्तर प्रदेश	6965.20	7406.00	703.20
25.	पश्चिम बंगाल	2234.40	3781.72	242.30
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
29.	दमन व द्वीव	109.30	0.00	0.00
30.	दिल्ली	11.70	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	35.00	0.60	0.00
32.	पांडिचेरी	26.00	19.00	0.00
	कुल			

एन.ए. : सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-IV

सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एवं मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार/वर्षवार किया गया कार्य

(लाख रुपये में)

राज्य	खर्च 1993-94	खर्च 1994-95	खर्च** 1995-96 (जून 1995 तक)
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम			
1. आंध्र प्रदेश	2405.17	2354.86	7.09
2. बिहार	880.28	631.87	असूचित
3. गुजरात	1193.91	1190.74	79.96
4. हरियाणा	203.75	224.25	4.90
5. जम्मू व कश्मीर	403.84	502.73	10.42
6. कर्नाटक	1608.81	1718.74	66.53
7. मध्य प्रदेश	1339.18	1065.34	39.23
8. महाराष्ट्र	1825.91	2382.51	82.29
9. उड़ीसा	1125.74	889.83	141.32
10. राजस्थान	729.92	1013.03	83.84
11. तमिलनाडु	1074.30	1396.35	72.99
12. उत्तर प्रदेश	1943.94	1933.67	असूचित
13. पश्चिम बंगाल	432.17	671.58	असूचित
अनुसंधान एवं विकास		9.50	
कुल :	15166.92	15985.00	588.37
मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
1. गुजरात	370.75	534.45	43.79
2. हरियाणा	663.56	725.85	1057
3. हिमाचल प्रदेश	283.30	293.82	असूचित
4. जम्मू व कश्मीर	388.23	536.41	असूचित
5. राजस्थान	4679.77	6127.16	417.78
अनुसंधान एवं विकास		18.35	
कुल :	6385.61	8236.04	472.14

** अनंतिम

नए उद्योग लगाना

494. डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए कितनी धनराशिा आबंटित की है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 2.10.93 को प्रधान मंत्री रोजगार योजना आरंभ की गयी थी। यह योजना महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे देश में चल रही है। 1993-94 से महाराष्ट्र (राज्य के आदिवासी क्षेत्रों सहित) में प्रधान मंत्री रोजगार योजना की उपलब्धियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या
1.	1993-94	4630	4850
2.	1994-95	20500	2655
3.	1995-96	35900	(योजना प्रगति पर है)

(ग) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन केन्द्र सरकार 15 प्रतिशत की दर से पूंजीगत राज सहायता उपलब्ध कराती है, जिसकी अधिकतम सीमा 7,500 रूपये है। देश में कार्यान्वयनकारी बैंकों को राज सहायता निधियों के वितरण का प्राधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। इसलिए, महाराष्ट्र को पूंजीगत राज सहायता के रूप में दी गयी निधियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। केन्द्र, सरकार लाभार्थियों के प्रशिक्षण, परियोजना रूप रेखाएं तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण आदि के लिए भी निधियां जारी करती है। इन श्रेणियों में आने वाली निधियां राज्य सरकार को दी जाती है। इस श्रेणी के अधीन महाराष्ट्र सरकार के लिए जारी की गयी निधियां इस प्रकार है :-

क्र.सं.	वर्ष	महाराष्ट्र को दी गयी निधियां (रुपये लाख में)
1.	1993-94	43.20
2.	1994-95	265.92

इसके अतिरिक्त, उद्योग निदेशालय; महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1995-96 के महाराष्ट्र के राज्य बजट में विभिन्न आदिवासी विकास योजनाओं के लिए 18.52 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

495. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष की सम्पूर्ण धनराशि विभिन्न कारणों से खर्च नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों की सहायता के लिए खर्च नहीं की गई धनराशि को जारी करने के लिए वित्त विभाग से कहा है;

(ग) यदि हां, तो वित्त मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष द्वारा जारी सहायता, वित्त मंत्रालय द्वारा संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों के प्रशासनिक प्रभार मंत्रालयों/विभागों के बजटों में आबंटित की जाती है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष इसे सार्वजनिक लेखा में रखती है और यह उपयोग न किये जाने के मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खत्म नहीं होती है। हालांकि, राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अधीन स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना सहायता की खर्च न की गई राशि को किसी भी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए, उपयोग करने का कोई प्रावधान नहीं है।

नौसेना अकादमी

496. श्री रमेश चेन्तिला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के एजिमाला में प्रस्तावित नौसेना अकादमी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मूल योजना के अनुसार इसे कब तक पूरा किया जाना था;

(ग) अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है;

(घ) क्या कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केरल में एजिमाला में 166.94 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से एक स्थायी नौसेना अकादमी स्थापित करने के लिये मार्च, 1995 में मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। विभिन्न प्रकार की प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(ख) 2002 के मध्य तक।

(ग) पानी, बिजली और सड़कों के निर्माण-चरण की आवश्यकता जैसी आधारभूत सुविधाएं केरल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अक्तूबर, 1993 में और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मार्च 1995 में पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

(च) लागू नहीं होता।

क्षयरोग पर नियंत्रण

497. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्षयरोग पर तैयार की गई रिपोर्ट और भारत के संबंध में उसकी टिप्पणियों की जानकारी है;

(ख) इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) देश के कितने जिलों में क्षयरोग अस्पताल हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन क्षयरोग अस्पतालों में उपलब्ध सेवाएं तथा औषधियां पुरातन तथा पूर्णत: अप्रचलित, अपर्याप्त और निष्प्रभावी हैं; और

(ङ) इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कार्यक्रम की संयुक्त समीक्षा 1992 में की तथा संशोधित कार्यनीति इस समीक्षा की रिपोर्ट और सिफारिशों पर आधारित है।

(ख) समीक्षा रिपोर्ट 1992 के मुख्य निष्कर्ष हैं :

1. बजट में अपर्याप्त परिव्यय और औषधों की कमी।
2. निदान हेतु थूक परीक्षण की बजाय एक्स-रे पर अनावश्यक जोर देना।
3. सूक्ष्मदर्शिकी की घटिया गुणवत्ता।
4. रोगमुक्त करने की बजाय नये रोगियों का पता लगाने पर जोर देना।
5. क्षयरोग का कमजोर संगठनात्मक ढांचा और अपर्याप्त सहायता।
6. उपचार विधानों के संबंध में चिकित्सा करने वाले व्यावसायियों में मतैक्य का अभाव होना।

(ग) देश में क्षयरोग के 764 अस्पताल हैं। 55 जिलों में क्षयरोग के लिए कोई पलंग नहीं हैं।

(घ) कार्यक्रम के तहत क्षयरोगियों के लिए निर्धारित उपचार विधान पर्याप्त तथा कारगर होते हैं यदि निर्धारित अवधि में नियमित रूप से उन पर अमल किया जाता है।

(ङ) सरकार ने क्षयरोग नियंत्रण हेतु एक ऐसी संशोधित कार्यनीति का विकास किया है जिसमें गुणवत्ता वाली स्पूटम काइक्रोस्कोपी के माध्यम से निदान कर और प्रेक्षित अल्पावधि केमोथिरेपी के जरिए स्पूटम पॉजिटिव क्षयरोग रोगियों में 85 प्रतिशत ठीक करने की दर हासिल करने पर बल दिया जाता है।

घेघा रोग

498. **श्री. के प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घेघा रोग की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसे मामलों का पता चला है; और

(घ) उड़ीसा में घेघा रोग के उन्मूलन की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) देश में किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि तकरीबन 54 लाख लोग घेघे से पीड़ित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक रूप से नमक के आयोडीनकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नांकित कार्यों के लिए धन प्रदान किया जाता है :-

(क) आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण सेल की स्थापना करना।

(ख) प्रचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा।

(ग) आयोडीन अल्पता विकृति का सर्वेक्षण/पुनसर्वेक्षण करना।

(घ) आयोडीन अल्पता विकार मानिटरिंग प्रयोगशाला की स्थापना करना।

(ङ) आयोडीकृत नमक की गुणवत्ता की मानिटरिंग करना।

कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु विनिवेश कोष

499. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :
क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "डाइवेस्टमेंट फंड्स में बी यूज्ड टु रिहेबीलिटेट स्टाफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों के पुनर्वास संबंधी योजनाओं पर खर्च हेतु विनिवेश कोष का उपयोग करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा अब तक कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं से वार्षिक आधार पर औसतन कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विनिवेश से प्राप्त धनराशि भारत की समेकित निधि में डाली जाती है। इस राशि का उपयोग बजटीय आबंटन की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसका निर्णय योजना गत प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए इस प्रकार किए गए बजटीय आबंटन में कर्मचारियों के पुर्नस्थापन का ध्यान रखा जाता है। कर्मचारियों के पुर्नस्थापन हेतु केन्द्र राज्य और एकक के स्तर पर अनेक योजनाएं विद्यमान हैं। इस संबंध में केन्द्रीय स्तर पर किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

मेनिन्जाइटिस

500. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में "मेनिन्जाइटिस" रोग ने महामारी का रूप ले लिया है;

(ख) देश में गत वर्ष के दौरान इस महामारी से कितने लोग प्रभावित हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोग की रोकथाम के लिए कोई स्थाई उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) मेनिनजाइटिस भारत में स्थानिकमारी है और इसके होने की सूचना देश के विभिन्न भागों से मिली है।

(ख) 1994 के दौरान कुछ राज्यों द्वारा मेनिनजाइटिस (मेनिनगोकोक्कल) के 6826 रोगी सूचित किए गए हैं।

(ग) और (घ) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सक्रिय, निगरानी, रोगियों का शीघ्र निदान और उपचार, पर्यावरणिक स्वास्थ्य में सुधार करने के प्रयास, बेहतर निजी सफाई को बढ़ावा देना कुछ उपाए हैं।

प्रकोप के दौरान इस रोग को फैलने से रोकने हेतु मेनिनजाइटिस से बचाव के लिए टीका भी निर्धारित किया जाता है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

501. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना की प्रगति और सफलता पर विचार करने हेतु जून, 1995 में राज्यों के उद्योग मंत्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में की गई स्पष्ट टिप्पणियों और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में कुछ टिप्पणियां एवं सुझाव महिला लाभार्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए उम्र में छूट, आय की उपरी सीमा को बढ़ाने, व्यापार उद्यमों पर उपरी सीमा बढ़ाने, आबंटित लक्ष्य को पूरा करने वाले राज्य के लिए अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित करने और बैंकों को आवेदनों की जांच एवं संवीक्षा की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, के बारे में है।

(ग) कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

बेरोजगार युवक

502. श्री रामपूजन पटेल :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या इन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजी भाई पटेल) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43 वें दौर (1987-88) के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा शिक्षा स्तर के अनुसार 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के बेरोजगार लोगों के अनुमान तैयार किए गए हैं। 1.1.1988 की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के लोगों की अनुमानित प्रक्षेपित जनसंख्या के सर्वेक्षण अनुपातों के आधार पर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया था। केवल बड़े

राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों के अनुमानों का विवरण संलग्न हैं क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर लगाए गए अनुमान प्रत्येक राज्य के संबंधित अनुमानों के योग के बराबर नहीं हो सकते क्योंकि अलग-अलग राज्यों के अनुमानित आंकड़े देते समय छोटे-छोटे राज्यों को छोड़ दिया गया है। अखिल भारतीय अनुमानों में नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि वहां राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 43 वां दौर (1987-88) नहीं चलाया गया था।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना ट्राइसेम (स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण (के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के ग्रामीण युवाओं को संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने का प्रावधान है जिससे वे स्व/मजदूरी रोजगार कर सकें। प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्थानों/प्रवीण कारीगरों द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा दिया जाता है और मास्टर कारीगरों/प्रशिक्षण संस्थानों को मानदेय दिया जाता है। 1995-96 के लिए वित्तीय परिव्यय 45 करोड़ रुपये है। आठवीं योजना प्रस्ताव के अनुसार 1996-97 के लिए वित्तीय परिव्यय लगभग 88 करोड़ रुपये होगा।

विवरण

1987-88 के दौरान बड़े राज्यों में प्रत्येक सामान्य शिक्षा श्रेणी में (15 वर्ष और उसके ऊपर) बेरोजगार लोगों (00 में) की अनुमानित संख्या : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (43 वां दौर)

राज्य/अखिल भारत	ग्रामीण			
	अशिक्षित	शिक्षित और प्राथमिक स्तर तक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक और उससे अधिक
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4134	775	604	1540
असम	565	718	665	1354
बिहार	1421	1028	660	1978
गुजरात	823	476	219	541
हरियाणा	240	603	353	895
हिमाचल प्रदेश	45	139	86	296
जम्मू व कश्मीर	21	20	73	190
कर्नाटक	428	192	293	950
केरल	799	3210	4256	5731
मध्य प्रदेश	960	276	267	350
महाराष्ट्र	900	776	448	1204
उड़ीसा	1341	1762	898	1224
पंजाब	90	205	279	795
राजस्थान	1770	602	339	489
तमिलनाडु	2990	1157	1034	2001
उत्तर प्रदेश	1589	845	715	2288
पश्चिम बंगाल	2221	919	901	1826
अखिल भारत	19413	12386	11781	23435

सैन्य पाठ्यक्रम में संशोधन

503. **श्री गुरुदास कामत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवानों के लिए शैक्षिक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सेना ने हल्के संघर्ष वाली स्थितियों में कार्यरत सैन्य टुकड़ियों के लिए मागदर्शी सिद्धान्तों के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए "दस कमान आदेश" जारी किए है।

सेना मुख्यालय में मानवाधिकार सेल का गठन सितंबर 1993 में किया गया था। मानवाधिकारों के संबां में एक सेना प्रशिक्षण टिप्पणी जनवरी, 1995 में प्रकाशित की गई थी तथा इसे प्रशिक्षण स्थापनाओं, विरचनाओं तथा यूनिटों में वितरित कर दिया गया था। मानवाधिकार का विषय अफसरों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है तथा इसे अफसरों की पदोन्नति परीक्षा में भी शामिल किया जा रहा है।

विवरण

सेनाध्यक्ष के दस कमान आदेश

1. बलात्कार कभी नहीं।
2. औरतों से छेड़खानी कभी नहीं।
3. अमानुषिक क्रूरता कभी नहीं।
4. मुंह काला होने से मरना भला।
5. सिविलियों की नंबरदारी मत करो।
6. कंपनी/पलटन टैक्टिक्स में निपुणता।
7. जनता को राहत पहुंचाओ।
8. पत्रकारों के साथ सही संबंध रखो।
9. मानविक अधिकारों की इज्जत करो।
10. सिर्फ भगवान से डरो, धर्म का रास्ता पकड़ो और खुश होकर देश सेवा करो।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

504. श्री साइमन मरांडी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करने में गहरी रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनसे अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार ने इन आवेदन पत्रों पर क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू किए जाने से 30 जून, 1995 तक अनिवासी भारतीयों से प्राप्त 19 प्रस्तावों में से अस्पताल/नैदानिक केन्द्र खोलने हेतु 5757.39 लाख रुपये के पूंजी निवेश के 14 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

दमा रोग

505. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अत्यधिक प्रदूषण के कारण दमा, हृदय रोग तथा अन्य श्वास संबंधी रोगों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इन रोगों से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं;

(ग) सरकार ने इन रोगों पर नियंत्रण पाने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(घ) दिल्ली में ऐसे कितने रोगी हैं;

(ङ) क्या सरकार ने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) कोई वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे पता चलता हो कि दिल्ली में दमा तथा हृदय रोगों के मामलों में वृद्धि हो रही है। इन रोगों के होने के कारणों में एक कारण वायु प्रदूषण हो सकता है।

(ख) और (घ) इन रोगों की घटनाओं को आंकने के लिए कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं क्योंकि ये अधिसूचनीय नहीं हैं।

(ग) इन रोगों पर नियंत्रण रखने के उपायों में स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे कुछ उपाय शामिल हैं।

(ङ) और (च) इस विषय पर एक नोट संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम

दिल्ली में वायु तथा पानी को प्रदूषित करने वाले मुख्य उद्योगों का पता लगा लिया है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण लगाकार निस्सारी तथा उत्सर्जन छोड़ने संबंधी निर्धारित मानदण्ड को पूरा करना है। अत्यधिक औद्योगिक तथा वाहनों वाले क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर वायु तथा पानी की गुणवत्ता की मानीटरिंग की जाती है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मोटर वाहन नियम, 1994 के अन्तर्गत सकल तथा व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने प्रदूषण में कमी लाने तथा बसों और दूसरे वाहनों से धुआं निकलने को रोकने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना भी शुरू की है।

केन्द्रीय भण्डार

506. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डार द्वारा सरकारी विभागों को सप्लाई की गई खराब किस्म की लेखन-सामग्री, फर्नीचर तथा अन्य वस्तुओं के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकारी विभागों में देय धनराशि से अधिक राशि के बिल बनाने की शिकायतें की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देय धनराशि से अधिक राशि के बिल बनाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सरकारी विभागों द्वारा केन्द्रीय भंडार के साथ उठाई गई शिकायतों के ब्यौरे, तथा उन पर की गई कार्यवाही एक विवरण के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भंडार के बिक्री कर्मचारियों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि आपूर्ति ग्राहकों के मांग पत्रों के अनुरूप की जाए। सरकारी विभागों से अधिक धनराशि लेने के प्रकरणों के मुख्य कारण हैं (i) किसी खास उत्पाद का उपलब्ध न होना तथा उपभोक्ता को उसकी बराबरी के उत्पाद की, जिसे वह स्वीकार करता है, आपूर्ति किया जाना; तथा (ii) कम्प्यूटर सेल द्वारा बनाए गए बिल का स्टेशनरी काउंटर द्वारा वास्तव में की गई आपूर्ति से मेल न खाना। प्रबंधकों की नजर में यदि कोई अधिक राशि की वसूली का मामला आता है तो फिर तत्काल रिफंड की व्यवस्था कर दी जाती है।

विवरण

केन्द्रीय भंडार के साथ सरकारी विभागों द्वारा उठाई गयी शिकायतें, तथा प्रत्येक पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा

क्र.सं.	विभाग	जिस मास में शिकायत की गई	सामान	की गई कार्यवाही
1992-93				
1.	भारतीय मानक ब्यूरो	जून, 92	प्रिंटिंग पेपर	सामान बदल दिया गया।
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)	जून, 92	पैन, रिफिल कैलक्यूलेटर, इत्यादि	चूंकि शिकायत में कोई विशिष्ट बात नहीं उठाई गयी थी, अत: ग्राहक को स्थिति से अवगत करवा दिया गया।
3.	बिक्री कर विभाग, दिल्ली।	जून, 92	कम्प्यूटर स्टेशनरी	विभाग को उत्तर देकर बताया गया कि इस स्टेशनरी की आपूर्ति केन्द्रीय भंडार द्वारा नहीं की गई थी।
4.	बी.आई.सी.पी.	जुलाई, 92	स्टैपल मशीन, कप तथा प्लेट (बोन चाइना)	सामान बदल दिया गया।
5.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	दिसंबर, 92	फर्नीचर	सामान उठवा कर आपूर्तिकर्त्ता को वापिस भिजवा दिया गया।
1993-94				
1.	आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय) आर.के.पुरम	दिसंबर, 93	सी.वी.टी.	सामान बदल दिया गया।
2.	एल.बी.एस. अस्पताल दिल्ली सरकार	अक्तूबर, 93	फर्नीचर	सामान बदल दिया गया।
1994-95				
1.	सी.ई.ओ. दिल्ली का कार्यालय	अप्रैल, 94	कार्बन पेपर	चूंकि केन्द्रीय भंडार ने सामान ग्राहक की मांग के अनुसार सप्लाई किया था और जैसा कि केन्द्रीय भंडार के बिल में इसे दर्शाया गया है, ग्राहक को उपयुक्त रूप से इस बारे में स्थिति से अवगत करवा दिया गया।
2.	कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग	जनवरी, 95	फर्नीचर	सामान बदल दिया गया।
3.	रेलवे बोर्ड	फरवरी, 95	डुप्लीकेटिंग इंक	सामान वापस ले लिया गया तथा ग्राहक को रिफंड की व्यवस्था कर दी गई।
4.	लोकसभा सचिवालय	फरवरी, 95	फुल मार्का रिबन	ग्राहक से खराब रिबन वापिस लौटाने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

*इस समय कोई शिकायत लंबित नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

507. **श्री बलराज पासी :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम रुग्ण हैं;

(ख) इनमें से सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों में बिल्कुल भी उत्पादन नहीं हो रहा हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रुग्ण हो रहे एककों को कार्य करने संबंधी स्वायत्ता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त दो श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने श्रमिक हैं;

(च) क्या उनके पुनर्वास/पुनः प्रशिक्षित करने के लिए कोई नीति बनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

508. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) के प्रमुख कार्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार के पास जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के क्रियाकलापों की पुनः संरचना और उसके विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजी भाई पटेल) : (क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियां हैं। वे जिले में कार्यक्रम की आयोज़ना, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन की समग्र प्रभारी है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :-

(1) कार्यक्रम के बुनियादी मानदंडों एवं आवश्यकताओं तथा इन सभी एजेंसियों द्वारा निष्पादन किये जाने वाले कार्यों के बारे में जिला और खण्ड स्तर एजेंसियों को सूचना देना।

(2) सर्वेक्षणों, खंडों की भावी एवं वार्षिक योजनाओं की तैयारी का समेकन एवं पर्यवेक्षण करना तथा अंतिम रूप से जिला योजना तैयार करना।

(3) प्रभावी उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी करना एवं मूल्यांकन करना।

(4) अन्तर्क्षेत्रीय एवं अर्न्तविभागीय समन्वय एवं सहयोग स्थापित करना।

(5) कार्यक्रम के अंतर्गत हुई उपलब्धियों का प्रचार करना तथा जानकारी का प्रचार-प्रसार करना और कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(6) राज्य सरकारों को निर्धारित प्रपत्रों में आवधिक विवरणियां भेजना।

(ख) और (ग) संविधान के 73 वें संशोधन के पश्चात् जिला स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता महसूस की है और तदनुसार, निम्नलिखित सुझाव राज्य सरकारों को दिये गये हैं :

(1) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को जिला परिषद के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए।

(2) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार क्षेत्रों में एक स्पष्ट कार्यात्मक अंतर होना चाहिए।

(3) ग्रामीण रोजगार कार्यों के लिए कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता आदि जैसे अतिरिक्त परियोजना निदेशक तथा तकनीकी/सहायक स्टाफ होना चाहिए।

(4) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय में पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व।

(5) यदि आवश्यक हो, योग्य परामर्शदाताओं को शामिल करके परियोजना तैयार करने की क्षमता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(6) जिला स्तर पर कार्यक्रम के पर्यवेक्षण और निगरानी में खंड आयुक्त को शामिल करना।

इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात लिया जाना है।

अधसीसी (माइग्रेन) की बीमारी

509. **डा. आर. मल्लू :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोग अधसीसी (माइग्रेन) से पीड़ित हैं;

(ख) क्या इस बीमारी के लिए कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) माइग्रेन की व्याप्तता संबंधी आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) माइग्रेन के लिए अनेक रोग-निरोधक और लाक्षणिक चिकित्साएं उपलब्ध हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

510. **श्री के. जी. शिवप्पा :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं दिया गया हैं.

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण कोटा को आगे नहीं बढ़ाया जाता है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बिहार, केरल और मेघालय राज्यों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था नही की हुई है।

(ग) से (ङ) निम्नलिखित राज्यों की सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अग्रेनीत करने की व्यवस्था नहीं की हुई है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे आरक्षित रिक्त पदों को अग्रेनीत करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

कम्प्यूटर उद्योग

511. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर की कीमतों में कमी करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे इन्हें वहन योग्य बनाया जा सके और बौद्धिक पूंजीवाद के इस युग में कम्प्यूटर उद्योग का टिकाऊपन सुनिश्चित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कम्प्यूटर के कल-पुर्जो, संघटक पुर्जो, तैयार कम्प्यूटर प्रणालियों तथा सार्फ्टवेयर पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बना दिया है तथा कम कर दिया है। शुल्क में इस कमी के परिणामस्वरूप कम्प्यूटर प्रणालियों के मूल्यों में 15-20 प्रतिशत की कमी आई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय बाजार में कम्प्यूटर प्रणालियों के मूल्यों में कमी लाना था।

पेयजल

512. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 तक उन गांवों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी थी जिनमें पेयजल के पर्याप्त स्त्रोत हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1995 तक उन गांवों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी थी जिनमें पेयजल के कोई स्त्रोत नहीं हैं अथवा अपर्याप्त स्त्रोत हैं;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने गांवों में पेयजल के स्त्रोत उपलब्ध किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन में कुल कितने परिवार हैं और ऐसे परिवारों की कुल संख्या कितनी है जिनकी पेयजल की आवश्यकता को वर्तमान तक प्रस्तावित स्त्रोतों से पूरा किया जा सकता हैं;

(ङ) पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पेयजल उपलब्ध करने हेतु कुल कितना योजनागत आबंटन किया गया और इसमें से कितनी धनराशि वास्तव में खर्च की गई; और

(च) पूरे देश में समग्र रूप से परिवारों को उपलब्ध कुल पेयजल तथा पेयजल की अपर्याप्त सप्लाई वाले गांवों में उपलब्ध पेयजल की पृथक-पृथक प्रतिशतता कितनी हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) और (ख) मानदंडों के अनुसार पेयजल के पर्याप्त स्त्रोतों वाली बसावटों के साथ-साथ बिना जल स्त्रोत वाली अथवा अपर्याप्त जल स्त्रोत वाली बसावटों के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1995-96 के दौरान 86746 बसावटों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य है।

(घ) केन्द्र सरकार के स्तर पर उपरोक्त बसावटों में रहने वाले परिवारों की संख्या नहीं रखी जाती है। तथापि, 1995-96 के दौरान उपरोक्त बसावटों में 261.20 लाख ग्रामीण जनसंख्या के लाभान्वित होने की संभावना है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल योजना परिव्यय केन्द्रीय क्षेत्र में 5100.00 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में 4954.23 करोड़ रुपये है। योजना के पहले तीन वर्षों में खर्च क्रमश: राज्य क्षेत्र में 1769.24 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र में 2572.10 करोड़ रुपये रहा है।

(च) देश में ग्रामीण जनसंख्या बसावटों के रूप में समग्र प्रतिशत निम्नानुसार है :

श्रेणी	कवर की गई ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत
पूर्ण रूप से कवर की गई	76.68
आंशिक रूप से कवर की गई/ कवर न की गई	23.32

विवरण

1.4.95 की स्थिति के अनुसार कवर नहीं की गई, आशिंक रूप से कवर की गई और पूर्णतया कवर की गई बसावटों की संख्या

क्र.सं. राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.4.95 तक कवर की गई बसावटों की स्थिति कवर नहीं की गई	आंशिक रूप से कवर की गई	पूर्णतया कवर की गई	कुल
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	1536	19314	46807	67684
2. अरुणाचल प्रदेश	317	710	1419	2446
3. असम	12860	23726	34083	70669
4. बिहार	21542	17157	166737	205436
5. गोवा	60	78	267	405
6. गुजरात	1281	8554	20434	30269
7. हरियाणा	0	2575	3909	6484
8. हिमाचल प्रदेश	5864	12616	25302	43781
9. जम्मू व कशमीर	1271	3988	2504	7763
10. कर्नाटक	6078	16577	34027	56682
11. केरल	1140	8278	301	9719
12. मध्य प्रदेश	12855	25823	88406	127083
13. महाराष्ट्र	202	18932	57990	77124
14. मणिपुर	522	1021	1272	2815
15. मेघालय	1283	1874	4719	7876
16. मिजोरम	42	402	476	919
17. नागालैंड	358	787	159	1304
18. उड़ीसा	5364	21083	47784	74231
19. पंजाब	5687	345	6766	12797
20. राजस्थान	15528	17348	48897	81773
21. सिक्किम	80	1111	488	1679
22. तमिलनाडु	548	41655	24412	66615
23. त्रिपुरा	1263	2750	3399	7412
24. उत्तर प्रदेश	19531	106405	148704	274641
25. पश्चिम बंगाल	2205	29822	48350	80377
26. अंडमान व निकोबार	11	80	413	504
27. दादर व नगर हवेली	-	-	-	-
28. दमन व द्वीव	-	-	-	-
29. दिल्ली	1	61	138	200
30. लक्ष्यद्वीप	0	8	3	11
31. पांडिचेरी	-	-	-	-
कुल :	117429	383106	818164	1318699

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली और पांडिचेरी के संबंध में सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

औद्योगिक एककों की स्थापना

513. **श्री एन. जे. राठवा :**
श्री अरविंद त्रिवेदी :
श्री हरिन पाठक :
श्री जनार्दन मिश्र :
श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में सरकारी/निजी क्षेत्रों में और विदेशी सहयोग से नए उद्योगों की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार कितना धन आबंटित किया गया और कितना उपयोग किया गया; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव के अभाव में बढ़ती हुई बेरोजगारी को किस प्रकार कम किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में आधारिक स्तर पर नए उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगस्त, 1991 से जून, 1995 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय पत्रों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। अगस्त, 1991 से जून 1995 की अवधि के दौरान सभी प्रदेशों द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इस विवरण में प्रस्तावित निवेश और प्रस्तावित रोजगार को भी दर्शाया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में वर्षवार आबंटित और उपयोग की गई राशि विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

औद्योगिक पूंजीनिवेश प्रस्ताव

अगस्त, 1991 जून, 1995

राज्य	कुल प्रस्ताव (आई.ई.एम.+ एल.ओ.आई.)	प्रतिशत	औद्योगिक उद्यमियता ज्ञापन दाखिल संख्या	प्रतिशत	प्रस्तावित पूंजीनिवेश (करोड़ रुपये)	प्रतिशत	प्रस्तावित रोजगार (संख्या)	प्रतिशत	आशय पपत्र निर्गम संख्या	प्रतिशत	प्रस्तावित पूंजीनिवेश (करोड़ रुपये)	प्रतिशत	प्रस्तावित रोजगार (संख्या)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
महाराष्ट्र	4215	18.80	3872	19.03	77813	19.23	653865	17.32	343	16.51	4650	8.00	60772	14.74
गुजरात	3318	14.80	3000	14.75	75164	18.57	533014	14.12	318	15.30	15048	25.88	43856	10.64
उत्तर प्रदेश	2223	9.91	2032	9.99	43313	10.70	373633	9.90	191	9.19	4783	8.23	47319	11.48
तमिलनाडु	2808	6.96	1695	8.33	23496	5.81	296715	7.88	313	15.06	7424	12.77	63340	15.36
हरियाणा	1443	6.44	1391	6.48	14365	3.55	222472	5.89	124	5.97	2302	3.96	31546	7.65
आंध्र प्रदेश	1433	6.39	1210	5.95	29407	7.27	2290784	6.07	223	10.73	5347	9.20	45929	11.14
मध्य प्रदेश	1341	5.98	1245	6.12	37631	9.30	306249	8.11	96	4.62	930	1.60	18847	4.57
राजस्थान	1232	5.49	1164	5.72	19522	4.82	231314	6.13	68	3.27	1385	2.38	11985	2.91
पंजाब	1175	5.24	1112	5.47	14417	3.56	303577	8.04	63	3.03	2536	4.36	20842	5.06
कर्नाटक	815	3.63	715	3.51	16430	4.06	107045	2.84	100	4.81	3824	6.58	24708	5.99
पश्चिम बंगाल	778	3.47	735	3.61	11448	2.83	153731	4.07	43	2.07	1372	2.36	7000	1.89
दादर एवं नगर हवेली	487	2.17	477	2.34	7890	1.90	66383	1.76	10	0.48	56	0.10	1231	0.30
दिल्ली	426	1.90	412	2.03	6050	1.49	43777	1.16	14	0.87	29	0.05	1177	0.29
दमन एवं द्वीव	236	1.05	223	1.10	2073	0.51	18793	0.50	13	0.63	48	0.08	2517	0.61
हिमाचल प्रदेश	134	1.04	210	1.03	5148	1.27	57763	1.53	24	1.15	317	0.55	4059	0.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
केरल	229	1.02	189	0.93	4600	1.14	31951	0.85	40	1.92	1317	2.26	8116	1.97
बिहार	201	0.90	181	0.89	4726	1.17	30581	0.81	20	0.96	514	0.88	4860	1.18
गोवा	168	0.75	140	0.69	2709	0.67	17618	0.47	28	1.35	102	0.18	2621	0.64
पांडिचेरी	167	0.74	160	0.79	999	0.25	16905	0.45	7	0.34	352	0.61	921	0.22
उड़ीसा	149	0.66	137	0.67	4215	1.04	53047	1.41	12	0.58	3626	6.24	2566	0.62
जम्मू व कश्मीर	36	0.16	34	0.17	160	0.14	12488	0.33	2	3.10	6	0.08	765	0.19
चंडीगढ़	13	0.06	12	0.06	121	0.03	3104	0.10	1	0.05	0	0.00	9	0.00
सिक्किम	10	0.04	9	0.04	25	0.01	780	0.02	1	0.05	5	0.01	204	0.05
अरुणाचल प्रदेश	4	0.02	1	0.00	35	0.01	23	0.00	3	0.14	1	0.00	380	0.09
अंडमान एवं निकोबार	4	0.02	4	0.02	261	0.06	2180	0.06	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
नागालैंड	3	0.08	2	0.08	53	0.08	252	0.01	1	0.05	0	0.00	0	0.00
मेघालय	3	0.08	3	0.01	38	0.01	482	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
त्रिपुरा	3	0.01	3	0.01	1038	0.26	1345	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
लक्ष्यद्वीप	1	0.00	1	0.00	4	0.00	278	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	11	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	0.53	322	0.56	1766	0.43
आशामा	55	0.25	46	0.23	1776	0.44	5724	0.15	9	0.43	1852	3.18	4128	1.00
	22421	100.00	20343	100.00	404727	100.00	3774673	100.00	2878	100.00	58149	100.00	412264	100.00

विवरण-II

अगस्त, 1991 से जून, 1995 तक सभी प्रदेशों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश संबंधी अनुमोदित मामलों की राज्य-वार रिपोर्ट

राज्य	अगस्त, 1991 जून, 1995 संख्या	पूंजीनिवेश (करोड़ रुपये)
अन्य	1077	9356.14
महाराष्ट्र	473	5744.52
पश्चिम बंगाल	101	3701.31
दिल्ली	241	3575.19
तमिलनाडु	288	2451.45
गुजरात	143	2414.29
उड़ीसा	25	1743.62
आंध्र प्रदेश	168	1306.30
मध्य प्रदेश	61	909.68
उत्तर प्रदेश	123	820.97
कर्नाटक	208	783.75
पंजाब	35	513.62
राजस्थान	87	458.25
हरियाणा	148	432.09
हिमाचल प्रदेश	16	279.69
पाण्डिचेरी	18	115.03
गोवा	22	90.92
केरल	36	85.49
बिहार	12	79.29
चंडीगढ़	10	72.36
दादर एवं नगर हवेली	11	47.22
अरुणाचल प्रदेश	2	11.06
दमन एवं द्वीव	6	5.48
असम	4	1.50
अण्डमान व निकोबार	5	0.98
त्रिपुरा	1	0.68
लक्ष्यद्वीप	1	0.50
	3322	35500.38

विवरण-III

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की परियोजनाओं के लिए आठवीं योजनावधि के दौरान आबंटित एवं व्यवहृत निधि का वर्षवार विवरण।

(करोड़ रुपये में)

आठवीं योजना हेतु अनुमोदित परिव्यय	35,195.00
1992-93	
बजट अनुमान	7,589.92
वास्तविक व्यय	5,647.83
1993-94	
बजट अनुमान	9,138.23
वास्तविक व्यय	6,261.23
1994-95	
बजट अनुमान	9,674.00
संशोधित अनुमान	8,990.73
1995-96	
बजट अनुमान	10,829.22

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं

514. **श्री अन्ना जोशी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब शुरू किया गया;

(ग) इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए क्या औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं;

(घ) वर्तमान समय में कितने भूतपूर्व सैनिक इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन सुविधाओं के लिए मंत्रालय द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को 1966 से चिकित्सा सुविधाएं पाने की पात्रता प्रदान की गई है।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं पाने के लिए अपनी पहचान बताने संबंधी पहचान-पत्र/सेवामुक्ति संबंधी कागजातों को लेकर किसी सैन्य चिकित्सा स्थापना में जाना होता है।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के आंकड़े नहीं जुटाए गए हैं।

(ङ) सैन्य चिकित्सा स्थापनाओं के भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधाएं रक्षा बलों के लिए निर्धारित सामान्य बजट के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि भूतपूर्व सैनिकों के उपचार के लिए

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

1992-93	10 लाख रुपए
1993-94	20 लाख रुपए
1994-95	60.49 लाख रुपए

रक्त बैंक

515. **डा. पी. वल्लल पेरूमान :**

डा. मुमताज अंसारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा औषध प्रशासन ने भारतीय औषध नियंत्रक के साथ परामर्श से भारतीय रेडक्रास सोसायटी को अपना रक्त बैंक बंद करने का निर्देश दिया है तथा इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) औषध नियंत्रक (भारत) तथा खाद्य एवं औषध प्रशासन, महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के परिणामस्वरूप लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय रेडक्रास सोसाइटी के बम्बई स्थित रक्त बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संयुक्त आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन, महाराष्ट्र द्वारा रक्त बैंक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसी बीच रक्त बैंक ने रक्त घटकों के एकत्रीकरण, भंडारण, आधान, वितरण तथा तैयार करने संबंधी कार्यकलाप बंद कर दिए है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में इलैक्ट्रॉनिक्स का विकास

516. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के लिए महाराष्ट्र के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में शुरू की जाने वाली/की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र के लिए इस क्षेत्र में मंजूर किए गए विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) योजना आयोग राज्यों को इलेक्ट्रॉनिकी के लिए उप-क्षेत्रवार आबंटन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है :

आठवीं योजना परिव्यय	588 करोड़ रुपये*
1995-96	
सकल बजटीय सहायता	147 करोड़ रुपये

*इसके अतिरिक्त, वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में अन्य परियोजनाओं के लिए 163.68 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

इस केन्द्रीय परिव्यय का इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए राज्वार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस केन्द्रीय परिव्यय से विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आबंटन करता है जिनका निर्धारण इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों और समितियों द्वारा किया जाता है। ऐसी परियोजनाएं और कार्यक्रम मूल संरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करने या विशिष्ट प्रौद्योगिकी के लिए प्रायोजित परियोजनाओं या जनशक्ति विकास की प्रकृति के होते हैं।

(ख) महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सहायता से चल रही विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान (जून, 1956 तक) हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीसी) योजनाओं, शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजनाओं तथा घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत सॉफ्टवेयर, सीडी में निपुणता, यंत्रीकरण फैक्स मशीनों, के विनिर्माण के लिए महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिकी इकाईयों से संबंधित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के 23 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं की सूची

1. क. इलेक्ट्रोसिरैमिक ग्रेड बेरियम कॉर्बोनेट तथा स्ट्रोन्टियम कार्बोनेट, पोलीअनीलिन पर आधारित गैस संवेदक, प्रक्रिया अनुकूलन तथा मुद्रित परिपक्ष बोर्डो के लिए स्वदेश में ही विकसित शुष्क-फिल्म फोटो प्रतिरोधी का दर्जा बढ़ाने तथा यूवी और/अथवा ताप उपचार योग्य एकीलेटस का दर्जा बढ़ाने तथा प्रकाशीय तंतु लेपन के लिए सूत्र के विकास की मिशन मोड परियोजनाओं को पुणे स्थित इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी-मेट) में प्रायोजित किया गया।

1. ख. मुद्रित परिपथ बोर्डो के लिए शुष्क-फिल्म फोटोप्रतिरोधी की परियोजना को भी राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे में प्रायोजित किया गया।

2. उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डेक) का दूसरा मिशन

शुरू किया गया है। उन्नत संचार सह-संसाधक के डिजाइन तथा विकास की मिशन मोड परियोजना को उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डेक), पुणे में प्रायोजित किया गया।

3. अंग्रेजी समाचारों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक मानव साधित मशीनी अनुवाद परियोजना राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनसीएसटी), बम्बई में शुरू की गई है।

4. मराठी, गुजराती तथा सिंधी में मूलपाठ के विकास की परियोजनाएं पुणे स्थित डब्ल्यूआरएलसी दक्कन कॉलेज को दी गई है।

5. उत्पादकता में सुधार तथा भिन्न-2 सेमीकण्डक्टर युक्तियों की विश्वसनीयता पर मिशन मोड परियोजना नासिक स्थित मेल्ट्रॉन सेमीकंडक्टर लिमिटेड को दी गई है।

6. एमओएस युक्ति सिमूलेटर के विकास की परियोजना बंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को दी गई हैं

7. स्टेप्स मैकेन का खर्चा 1 डी से बढ़ाकर 2 डी सिमूलेटर करने की परियोजना बम्बई विश्वविद्यालय को दी गई है।

8. इलैक्ट्रॉन एवं ऑयन किरणन द्वारा सेमीकण्डक्टर युक्ति के पैरामीटरों के नियंत्रण की परियोजना पुणे स्थित पूना विश्वविद्यालय को दी गई है।

9. इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रौद्योगिकी प्रणाली का विकास समीर, बम्बई को दिया गया है।

10. बेसलाइन पेट्रोल कार इंजर की इलेक्ट्रॉनिक ईंधन अंत:क्षेपण प्रणाली के लिए इंजन नियंत्रण इकाई परियोजना एआरएआई/ईआरएण्डडीसी, पुणे को दी गई है।

11. 16 चैनल वाले आडियो-मिक्सर उत्पाद के विकास की प्रौद्योगिकी विकास परिषद (टीडीसी) की एक परियोजना मेल्ट्रॉन, बम्बई को दी गई।

12. चाकू प्रौद्योगिकी में ज्ञान पर आधारित प्रणाली के विकास की एक टीडीसी परियोजना टीआईएफआर, बम्बई को दी गई।

13. सचल रेडियो (सिटिजन बैंड रेडियो) के विकास की एक टीडीसी परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, पुणे को दी गई।

14. डिजिटल बहुभाषी डबिंग सुविधा के विकास की एक टीडीसी परियोजना सी-डैक, पुणे को दी गई।

15. सोल्डर पेस्ट के विकास की एक टीडीसी परियोजना सी-मेट, पुणे को दी गई है।

16. सीएनसी मशीनों की प्रक्रिया आयोजना के लिए एक विशेषज्ञ प्रणाली के विकास की एक टीडीसी परियोजना आईआईटी, बम्बई को दी गई।

17. लाल एवं श्वेत सेल प्रवाहमापी की एक टीडीसी परियोजना आईआईटी, बम्बई को दी गई।

18. प्रकाशीय तंतु ग्रेड की एसआईसी 14 तैयार करने की एक फोटॉनिकी परियोजना सी-मेट पुणे को दी गई।

19. एमओबीपीई तकनीकी द्वारा दीर्घ तरंग वैर्ध्य साधनों एवं संसूचकों के लिए प्रकाशइलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विकास की एक फोटॉनिकी परियोजना टीआईएफआर, बम्बई को दी गई।

20. तंतु प्रकाशिकी प्रणाली तथा उत्पादों पर एक टीडीसी परियोजना सी-डैक, पुणे को दी गई।

21. मोराठ योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में 100 महिलाओ को कम्प्यूटर के प्रचालन में प्रशिक्षित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 8 लाख रुपए निर्धारित किए गए है।

22. ग्राम स्तरीय आयोजना के लिए वर्षा-जल की सिंचाई को अनुकूलतम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉगर प्रणाली के अनुप्रयोग की एक टीडीसी परियोजना, रालेगान, सिद्धि, महाराष्ट्र स्थित श्री अन्ना हजारे के संत यादवबाबा शिक्षण प्रसारक मंडल को दी गई।

23. पीसी-सीआईएस पर आधारित बाटरशेड आयोजना में गैर सरकारी संगठनों की सहायता के लिए भौगोलिक सूचना संसाधन केन्द्र की निर्माणा की एक परियोजना पुणे स्थित बीएआईएफ विकास अनुसंधार को दी गई।

24. ग्रामीण एवं सामाजिक विकास के अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन योग्य दीर्घावधि एवं अल्पावधि दृष्टिकोण तैयार करने की दृष्टि से ग्रामीण विकास की प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए परिणात्मक अनुसंधान केन्द्र, पुणे को ग्रामीण आवश्यकताओं के सर्वेक्षण की एक परियोजना दी गई। इस सर्वेक्षण में महाराष्ट्र स्थित कतोल एवं करवीर ब्लॉक के गांवों को शामिल किया गया, जिसके लिए समुचित इलेक्ट्रॉनिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधान निकाले जाने हैं तथा उनका महराष्ट्र सहित 7 अन्य राज्यों में क्षेत्रीय परीक्षण किया जाना है, जहां सर्वेक्षण किया गया है।

[अनुवाद]

क्षय रोग पर नियंत्रण

517. **श्री रूपचन्द पाल :**

श्री राम कापसे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1996 को द इंडियन एक्सप्रेस में ''द स्कॅज आफ टी.बी.'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भयानक क्षय रोग को, जो भारत के सभी भागों में व्याप्त है, नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार और स्वयंसेवी संगठनों को अतिरिक्त धनराशि दी गई है ताकि वे क्षय रोग के उन्मूलन के लिए विशेष रूप से कार्य कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने भयंकर क्षय रोग का नियंत्रण करने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं कुछेक उपाय इस प्रकार है :-

(i) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

(ii) बजट आबंटन को बढ़ा दिया गया है।

(iii) स्पूटम पॉजिटिव रोगियों के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

(iv) औषधों की शीघ्र खरीद तथा वितरण।

(v) राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण प्रदर्शन केन्द्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(vi) स्पूटम पॉजिटिव रोगियों में 85 प्रतिशत से अधिक उपचार दर प्राप्त करने के लिए संशोधित नीति अपनाई गई है। उक्त नीति विश्व बैंक सहायता से चरणवार ढंग से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) से (ङ) राज्यों अथवा स्वैच्छिक संगठनों को नकद सहायता का कोई प्रावधान नहीं रहा है तथापि, क्षय रोग रोधी औषधों, एक्स रे सामग्रियों, एक्स रे फिल्मों, माइक्रोस्कोपों तथा वाहनों की सप्लाई हेतु सहायता दी जाती है।

मिग विमानों का सुधार

518. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री राजेश कुमार :
श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा विमानों का अन्य देशों में सुधार कराये जाने पर रूसी लड़ाकू विमान निर्माता द्वारा अपने मिग सीरीज के विमानों की सर्विस और कलपुर्जो की गारण्टी रद्द कर दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिग-29 विमान के सुधार की अनुमानित लागत कितनी हैं;

(ग) विमानों का इनके निर्माता से सुधार, न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले को किस प्रकार से हल किये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मिग-21 बी आई एस वायुयान का दर्जा बढ़ाए जाने का कार्य रूसी एजेंसियों के साथ मिलकर किए जाने का निर्णय लिया गया है जो इसके डिजाइन, विकास तथा उड़ान परीक्षण के लिए मुख्य संविदाकार के रूप में होगी। इस वायुयान के उन्नत रूपांतर का उत्पादनीकरण देश में ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में किए जाने का विचार है। इस दिशा में आगे कार्य करने की इच्छा रूसी एजेंसी को मार्च, 1994 में सूचित कर दी गई है और अंतिम लागत सुनिश्चित किए जाने के लिए बातचीत चल रही है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए रूस द्वारा मिग श्रेणी के वायुयानों के संबंध में सर्विस तथा हिस्से-पुर्जो की गारंटी को रद्द किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मिग-29 वायुयान को उन्नत बनाया जाना मिग-21 वायुयान का दर्जा बढ़ाए जाने के कार्यक्रम में होने वाली प्रगति तथा उसकी सफलता पर निर्भर करेगा।

भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

519. **श्री महेश कनोडिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान भारतीय वायुसेना के कितने विमान दुर्घटना ग्रस्त हुए;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने पायलट और नागरिक हताहत हुए; और

(ग) प्रत्येक मामले में मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई अथवा दी जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1 अप्रैल, 1995 से 27 जुलाई, 1995 तक भारतीय वायुसेना के 6 वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए।

(ख) 3 पायलट/सह पायलट तथा 2 सिविलियन मारे गये और 2 पायलट घायल हुए।

(ग) सिविलियनों को जन-जीवन की हानि तथा सम्पत्ति के नुकसान के बदले मुआवजे की राशि की अदायगी के संबंध में कार्रवाई चल रही है।

अखिल भारतीय सेवाएं

520. **श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं में 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने अधिकारियों की भर्ती की गई;

(ख) उपरोक्त तीन वर्षों के लिए भर्ती का सेवा-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती में निरंतर कमी आती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित तथा आबंटित उम्मीदवारों का विवरण

परीक्षा का वर्ष		संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित			आबंटित उम्मीदवार	
	भा.प्र.से.	भा.प्र.से.	भा.वन.से.	भा.प्र.से.	भा.प्र.से.	भा.वन.से.
1992	80	78	49	80	78	49
1993	80	98	49	80	98	49
1994	80	98	49	80	98	49

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले तीनों वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सेवा के एक-एक उम्मीदवार का परिणाम रोका गया।

[हिन्दी]

अधिकारियों की कमी

521. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थलसेनाध्यक्ष ने सेना में अधिकारियों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विभागों में कितने-कितने अधिकारियों की कितने समय से कमी है; और

(ग) युवा अधिकारियों को सैन्य सेवा की ओर आकृष्ट करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार सेना में 12,742 अफसरों की कमी थी। इस प्रकार की कमी होना कोई नई बात नहीं है क्योंकि यह सेना के लगभग प्रत्येक अंग और सेवा में विद्यमान रहती है। इन कमियों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना की शुरूआत किया जाना, अधिक संख्या में स्थायी कमीशन प्राप्त अफसरों और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों को शामिल किया जाना और महिलाओं को सेना में अफसरों के पद पर भर्ती किए जाने जैसे उपाय किए गए हैं।

अब सरकार ने पांचवे वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक विषय सशस्त्र सेनाओं से संबंधित कार्मिकों की कुल परिलब्धियों और सेवा शर्तों के वर्तमान ढांचे की, उन्हें मिलने वाले कुल लाभों को ध्यान में रखते हुए, जांच करना तथा उसमें वांछनीय एवं व्यवहार्य परिवर्तनों का सुझाव देना हैं

जम्मू-कश्मीर में पुलिस की मुठभेड़ें

522. श्री राम विलास पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ों में कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) इनमें से कितने विदेशी थे;

(ग) क्या सरकार को राज्य में निर्दोष लोगों के मारे जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई जांच कराई गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 994 सिविलियनों, 3499 उग्रवादियों और 226 भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित 4719 व्यक्ति, पिछले तीन वर्षों के दौरान मुठभेड़ों तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई में मारे गए। वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	मुठभेड़ों/दोनों और से गोलीबारी/कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में मारे गए व्यक्तियों की संख्या			
	सिविलियन	उग्रवादी	भाड़े के विदेशी सैनिक	योग
1992	435	805	14	1254
1993	310	1220	90	1620
1994	249	1474	122	1845
योग :	994	3499	226	4719

(ग) और (घ) विभिन्न मानवाधिकार ग्रुपों से 1062 हत्याओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 1048 की जांच की गई। इनमें से 948 शिकातयें झूठी पाई गईं। 7 व्यक्तियों की संलिप्तता वाले 3 मामलों की राज्य पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आज तक 93 व्यक्तियों की संलिप्तता वाले 4 मामलों का न्यायालय में चालान कर दिया गया है। 14 मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य सेवाएं

523. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाओं की अब तक दी जा रही राज-सहायता में कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज सहायता में कितनी कमी की जा रही है; और

(ग) देश में वैकल्पिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) "स्वास्थ्य" चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य परिचर्या मेवाएं प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है और वे उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर अपनी नीतियां तैयार करते हैं।

सैन्य अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण सेवा में सम्मिलित किया जाना

524. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभियांत्रिकी कोर से सैन्य अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण सेवा में सम्मिलित करने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय सर्वेक्षण सेवा में शुरूआत से ही ऐसे अधिकारी सम्मिलित किए जाते रहे है;

(घ) क्या इस प्रथा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(च) गत दस वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय सर्वेक्षण सेवा में अभियांत्रिकी कोर से कितने अधिकारी सम्मिलित किए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा नीति के तहत, अभियांत्रिकी कोर अथवा सिगनल कोर अथवा विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर्स कोर से सैन्य अधिकारी जो कम से कम तीन वर्ष तथा अधिक से अधिक छ: वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा कर चुके हों और जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष योग्यता रखते हों, भारतीय सर्वेक्षण सेवा (एस.ओ.आई.) में सम्मिलित किये जाने के पात्र हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पिछले दस वर्षों के दौरान भारतीय सर्वेक्षण सेवा में इंजीनियर अधिकारियों की ओर से कोई अधिकारी शामिल नहीं किया गया है।

प्रसूति अस्पताल

525. **श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आर.के. पुरम में प्रसूति अस्पताल की स्थिति शोचनीय हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अस्पताल के उचित रख रखाव के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक

526. **श्री के. जी. शिवप्पा :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की ओर ध्यान नहीं दिए जाने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या 250/- रुपये की पेंशन राशि को बढ़ाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों तथा अन्य स्त्रोतों से अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें उन्होंने पेंशन प्रदान किए जाने की मांग की है। इन सैनिकों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 2 से 6 वर्ष तक की अल्पावधि के लिए नियुक्त किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया तथा उन्हें स्वीकार्य युद्ध/सेवा उपदान का भुगतान किया गया था। चूंकि उन्होंने न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी इसलिए नियमानुसार उन्हें सेवा पेंशन प्रदान नहीं की गई।

[हिन्दी]

न्यायाधीशों के पद

527. **श्री एन. जे. राठवा :**

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

श्री राम विलास पासवान :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति मिलियन लोगों के हिसाब से न्यायाधीशों की औसत संख्या कितनी है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से प्रति मिलियन लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करके 50 कर दी जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल कितने न्यायाधीश हैं;

(ङ) इनमें से अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां और महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है;

(च) क्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन रिक्तियों को अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों और महिला अभ्यर्थियों से भरने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(झ) उच्च न्यायालयों में एक दिन में अनुमानतः कितने मामले दायर किए जाते हैं और कितने मामलों का निपटारा किया जाता है;

(ञ) विभिन्न न्यायालयों में अभी भी कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ट) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करके लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या (1991 की जनगणना) के लिए 14.02 न्यायाधीश हैं।

(ख) और (ग) ग्यारहवें विधि आयोग ने अपनी 120 वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ, यह सिफारिश की थी कि प्रति दस लाख जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या बढ़ा कर प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश कर दी जाए। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों का संस्थित किया जाना और बकाया रहना, जनसंख्या के आधार से अधिक सुसंगत हैं। अतः सिफारिश स्वीकार करने योग्य नहीं पाई गई है। जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित मामलों का संबंध है, उनकी पद संख्या राज्य सरकारों द्वारा, उनके अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से, अवधारित की जाती है।

(घ) से (च) सूचना विवरण-I में संलग्न है।

(छ) और (ज) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार की जाती हैं, जिसमें किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का कोई उपबंध नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को समय-समय पर पत्र भेजे हैं जिनमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे बार में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्प संख्या समुदायों के ऐसे व्यक्तियों और महिलाओं का पता लगाएं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हों, जिससे कि उन्हें इस समय जो स्थिति विद्यमान है उसकी अपेक्षा उच्च न्यायालयों में बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

(झ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ञ) सूचना विवरण-II में संलग्न हैं।

(ट) लंबित मामलों को निपटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भर्ती करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद सं. (19.7.95 को यथा विद्यमान)	वास्तविक पद	रिक्त पद	न्यायाधीशों की संख्या (23.3.95 को यथा विद्यमान)		
					अनु. जाति	अनु. जनजाति	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद	70	69	1	2	-	1
2.	आंध्र प्रदेश	36	36	-	-	2	1
3.	मुंबई	54	37	17	3	-	1
4.	कलकत्ता	48	36	12	-	-	1
5.	दिल्ली	31	29	2	-	-	1
6.	गुवाहाटी	17	14	3	-	3	1
7.	गुजरात	30	23	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	8	5	3	-	-	1
9.	जम्मू-कश्मीर	11	8	3	1*	-	-
10.	कर्नाटक	30	24	6	1	1	-
11.	केरल	25	20	5	1	-	1
12.	मध्य प्रदेश	31	24	7	-	-	-
13.	मद्रास	29	22	7	1*	-	-
14.	उड़ीसा	15	10	5	-	-	1
15.	पटना	37	32	5	1	-	1
16.	पंजाब और हरियाणा	37	30	7	-	-	1
17.	राजस्थान	26	21	5	-	1	2
18.	सिक्किम	3	2	1	-	-	-
	योग :	538	442	96	10	7	13
II.	उच्चतम न्यायालय	26	21	5	1	-	1

* 31.10.1994 को यथा विद्यमान

विवरण-II

न्यायालय का नाम		लंबित मामलों की सं.
उच्चतम न्यायालय		ग्रहरण किए जाने वाले मामले (वास्तविक फाइलें - (1.4.95 को यथा विद्यमान) विस्तारित नहीं की गई) 26043 नियमित मामले - 21933 (वास्तविक फाइलें - (1.4.95 को यथा विद्यमान विस्तारित नहीं की गई)
उच्च न्यायालय		लंबिम मामलों की संख्या (31.3.95 को यथा विद्यमान)
1.	इलाहाबाद	7,79,313* (31.12.94 को यथा विधमान)
2.	आंध्र प्रदेश	1,19,645
3.	मुबंई	2,06,283
4.	कलकत्ता	2,42,614
5.	दिल्ली	1,38,482* (31.12.93 को यथा विधमान)
6.	गुवाहाटी	26,641* (30.6.94 को यथा विधमार)
7.	गुजरात	91,703
8.	हिमाचल प्रदेश	16,580
9.	जम्मू-कश्मीर	90,507
10.	कर्नाटक	1,37,613* (1.3.95 को यथा विधमान)
11.	केरल	1,77,807
12.	मध्य प्रदेश	67,759
13.	मद्रास	3,51,104* (31.12.94 को यथा विधमान)
14.	उड़ीसा	48,932
15.	पटना	90,161
16.	पंजाब और हरियाणा	1,43,371* (28.2.95 को यथा विधमान)
17.	राजस्थान	93,401
18.	सिक्किम	38

* आंकड़ें कौष्ठक में उल्लिखित अवधि से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

चिकित्सालयों की हालत

528. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना चिकित्सालयों में नवीनतम चिकित्सकीय उपकरणों और यंत्रों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सेना चिकित्सालयों को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और इस पर कुल कितना व्यय किया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं को चिकित्सा टेक्नोलॉजी में हो रहे परिवर्तनों तथा निदान एवं चिकित्सा संबंधी विकासात्मक गतिविधयों के अनुरूप बनाए रखने हेतु उनका आधुनिकीकरण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणवार तरीके से किया जाता है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिक का विकास

529. **श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर योजनावार खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों का विलय

530. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों ने रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों का विलय करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सेना मुख्यालयों से रक्षा मंत्रालय को इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रेडियोग्राफी संबंधी शिकायतें

531. **डा. पी. वल्लल पेरुमान : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने मंगलौर क्षेत्र (कर्नाटक) में रेडियेशन नियमों का उल्लंघन करते हुए रेडियोग्राफी कार्य, जो श्रमिकों के लिए हानिकारक है, करने वाली कुछ कंपनियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी कंपनियां इस क्षेत्र में उक्त नियमों का उल्लंघन कर रही हैं; और

(ग) सरकार ने दोषी कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने मंगलौर क्षेत्र में काम कर रही निम्नलिखित आठ कम्पनियों के खिलाफ विकिरण बचाव नियम, 1971 का उल्लंघन किए जाने के संबंध में कार्रवाई की है;

(1) मैसर्स ऐसकॉन टेक्नीकल सर्विसेज प्रा. लि. कोयम्बटूर।

(2) मैसर्स मेटल एंड मिनरल्स टेस्टिंग लेबोरेटरी, कलकत्ता।

(3) मैसर्स इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी इन्सपेक्शन कम्पनी, मद्रास।

(4) मैसर्स एस.आई.टी.ए.एस. एन.डी.टी. इंजीनियर्स, बंगलौर।

(5) मैसर्स परफैक्ट मेटल टैस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऐजेन्सी, कलकत्ता।

(6) मैसर्स आई. डी. एंड आर. एल. प्राइवेट लि., कलकत्ता।

(7) मैसर्स गामैक्स सर्विसेज, बम्बई।

(8) मैसर्स जीसी इन्डस्ट्रियल सर्विसेज, थाने।

(ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने इन सभी आठों कम्पनियों को कारण बताओ-नोटिस जारी किए थे जिसमें उनसे विकिरण बचाव नियम, 1971 के संबंध में देखे गए उल्लंघनों के बारे में मद-वार स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। पहली तीन कम्पनियों के कैमरे जिनके संबंध में गंभीर उल्लंघन होना पाया गया, को स्थल पर ही सील कर दिया गया था। इन कम्पनियों को मैसर्स मंगलौर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (एम.आर.पी.एल.) काम्पलेक्स में रेडियोग्राफी कार्य करने के लिए तीन माह के लिए रोक दिया गया है। एम.आर.पी.एल. स्थल पर मैसर्स एस.आई.टी.ए.एस. एन.डी.टी. इंजीनियर्स, बंगलौर के रेडियोग्राफी कार्य को तीन माह के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इस कम्पनी ने विकिरण बचाव नियम, 1971 का भी गंभीर रूप से उल्लंघन किया था। शेष चारों कम्पनियों को इस बारे में वचनबद्धता-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि वे विकिरण बचाव नियम, 1971 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे। इन निदेशों का इन कम्पनियों ने पालन किया है।

[हिन्दी]

पदोन्नतियां

532. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में कई तकनीकी तथा गैर तकनीकी पद हैं जहां भविष्य में पदोन्नति की कोई गुंजाइश नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पद हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के अनेक कर्मचारी इन पदों पर कार्यरत हैं तथा उन्हें गत पांच वर्षों से कोई पदोन्नति नहीं मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा सरकार द्वारा इन पदों पर शीघ्र पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाए किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति रिक्तियों की उपलब्धता, संवर्ग संरचना, संबंधित अधिकारी की वरिष्ठता, संवर्ग के विस्तार की दर आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करती है। इसमें एकरूपता नहीं अपनायी जा सकती है। चूंकि पदोन्नतियां विभिन्न संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा, विभिन्न स्तरों पर की जाती हैं, अत: सूचना को केन्द्रीकृत रूप से मानीटर करना संभव नहीं है। तथापि गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से कुछ तकनीकी तथा गैर तकनीकी वर्ग के अधिकारियों को स्वस्थानी पदोन्नति देने के बारे में अनुदेश विद्यमान हैं।

[अनुवाद]

विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार

533. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय और महिला तथा बाल विकास विभाग ने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ग "ग" औ "घ" में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो केरल में 1993-94 और 1994-95 के दौरान रोजगार कार्यालय-वार ऐसी कितनी नियुक्तियां की गईं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) श्रम मंत्रालय ने, जो कि मुख्य रूप से इन अनुदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित है, सूचित किया है कि राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के सूचनार्थ मसौदा अनुदेश तैयार किए जा रहे हैं और रोजगार कार्यालयों की भूमिका तभी शुरू होगी जब यह अनुदेश जारी कर दिए जाएंगे।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

534. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये संशोधन कब से लागू किये जायेंगे?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के पुन:संहिताकरण के लिए 14.5.93 को राज्य सभा में पहले ही एक विस्तृत कम्पनी विधेयक, 1993 पुर:स्थापित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-2 विद्यमान कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करना शामिल है। इस विधेयक के पुर:स्थापना के समय से, सरकार ने विधेयक/अधिनियम में किए जाने वाले और परिवर्तनों के लिए व्यापार तथा उद्योग, व्यावसायिक निकायों तथा व्यक्तियों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त किये हैं। इन सुझावों की जांच की गई है तथा इनमें से कुछ को उपयोगी पाया गया है। पूर्ववर्ती कम्पनी विधेयक, 1993 में बड़ी संख्या में किए जाने वाले परिवर्तनों पर विचार करते हुए सरकार इस विधेयक को वापस लेने तथा साथ-2 यथा समय एक नया विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव करती है।

[हिन्दी]

क्षय रोग नियंत्रण

535. श्री दत्ता मेघे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 को महाराष्ट्र के शहरी तथा ग्रामीण इलाके में महिला तथा पुरूष क्षय रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र में क्षयरोग के उन्मूलन के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोई सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1994-95 में 1,34,893 क्षयरोगियों का पता लगाया गया था। क्षयरोगियों का लिंगवार वितरण को मानिटर नहीं किया जाता है।

(ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत महाराष्ट्र के सभी 30 जिले शामिल किए गए हैं तथा 26 जिलों में अल्पावधि केमोथिरेपी शुरू की गई है। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण (प्रायोगिक फेस-II) की संशोधित नीति विश्व बैंक सहायता से बम्बई तथा पुणे शहरों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्व-रोजगार

536. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वर्षवार और राज्यवार कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ख) 1995-96 के लिए इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) 1995-96 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसा जिलों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्राधिकारियों को जिले में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन करने की और अधिक स्वतंत्रता देने के लिए किया गया है।

विवरण

ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	17340	18047	20330
2. अरूणाचल प्रदेश	487	886	672
3. असम	8026	9970	9249
4. बिहार	32649	28566	24504
5. गोवा	2552	275*	667*
6. गुजरात	11209	12037	11794
7. हरियाणा	7067	6536	3733
8. हिमाचल प्रदेश	1581	810	1121
9. जम्मू व कश्मीर	855	1469	2647
10. कर्नाटक	13407	15171	17542
11. केरल	7919	5549	5854
12. मध्य प्रदेश	22156	54111	30415
13. महाराष्ट्र	21418	23063	11405
14. मणिपुर	218	617	452*
15. मेघालय	316	358	50
16. मिजोरम	1186	1348	847
17. नागालैंड	247	596	977
18. उड़ीसा	15595	9985	15656
19. पंजाब	4237	3870	3324
20. राजस्थान	12549	10813	9830
21. सिक्किम	161	184	156
22. तमिलनाडु	18985	16082	20940
23. त्रिपुरा	2502	1689	2680
24. उत्तर प्रदेश	57645	63649	62394
25. पश्चिम बंगाल	15223	17421	20711
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	361	476	448
27. दमन व द्वीव	00	30	145
28. दादरा व नागर हवेली	74	25	95
29. लक्षद्वीप	28	4	11
30. पांडिचेरी	0	184	356
अखिल भारत कुल :	275993	303821	279005

* अनंतिम

12.01 म.प.

वोहरा समिति के प्रतिवेदन के बारे में

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, कल गृह मंत्री जी ने वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने रखी। उस पर बहस करने का मौका कुछ दिन बाद मिलेगा क्यों कि उससे पूर्व आपके निर्देश के अनुसार एक व्यापक रिपोर्ट या वक्तव्य भी गृह मंत्री जी देंगे। इस वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को देख कर मन में कुछ आशंकायें पैदा हो रही हैं जिन के बारे में स्पष्टीकरण होना जरूरी है। क्या यह वोहरा कमेटी की पूरी रिपोर्ट हैं? अगर पूरी रिपोर्ट नहीं है तो क्या आपसे इजाजत ली गई कि उसके साथ जो अनैक्सचर था, उसको सदन के सामने न रखा जाये, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब सदन के सामने वोहरा कमेटी की रिपोर्ट कह कर कोई डाकुमैंट रखा जाता है तो अपेक्षा यह रहती है कि वह प्रमाणित रिपोर्ट है और पूरी रिपोर्ट हैं। उसका कोई हिस्सा अगर रोक दिया गया है और सदन को नहीं दिया गया है तो सदन को भी सूचना देनी चाहिये और आपसे अनुमति लेनी-चाहिये। मुझे कम से कम इसकी जानकारी नहीं है। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट जिस में माफिया गैंग्स और राजनेताओं के संबंध के बारे में, जानकारी देने का प्रयास सरकार ने किया है, उसमें इस बात की स्वीकारोक्ति है कि संबंध है। न केवल स्वीकारोक्ति है लेकिन शब्दों

प्रयोग किया गया है कि

[अनुवाद]

माफिया गिरोह देश में समानान्तर सरकार चला रहे हैं।

[हिन्दी]

इससे अधिक कोई तीव्र या स्वीकारोक्ति दूसरी कोई नहीं हो सकती है। उसमें दाऊद इब्राहिम, इकबाल मिर्जी और मेमन बन्धुओं के नाम हैं। ये तीन प्रॉपर नाम लिये गये हैं। ये तीनों माफिया गैंग्स लीडर्स के नाते नटोरियस हैं, प्रसिद्ध हैं। किसी राजनेता का उसमें नाम नहीं हैं। प्रमुख रूप से महाराष्ट्र सरकार की भर्त्सना है, महाराष्ट्र सरकार की आलोचना हैं। सरकार का मतलब राजनेता भी होता है और ब्यूरोक्रैट भी होता है। कुल मिलाकर जिस के ऊपर इसका रिफ्लैक्शन हो गया तो हो गया। उसके बारे में महाराष्ट्र की जनता ने अपनी राय भी दे दी।

मैं संसदीय प्रोपराइटी का सवाल उठा रहा हूं। हो सकता है मैं अध्ययन करूं तो शायद यह प्रिवलेज का सवाल बन सकता है। मेरा सवाल यह है कि क्या वोहरा कमेटी की 12 पृष्ठ की यह रिपोर्ट जिस के लिये परसों यह कहा गया हम इसकी केवल एक या दो कापियां ही दे सकते हैं, भाषांतर नहीं दे सकते हैं, हम सोचते थे कि शायद 200-400 पेज की रिपोर्ट होगी लेकिन वह 12 पेज की रिपोर्ट है और आप उसका भाषांतर नहीं दे सकते हैं। आपसे आग्रहपूर्वक कहा गया कि इसको प्रीसिडैंट करके नहीं मानना चाहिये ऐसा कभी एक बार होता है।

इसके बाद ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये। मैं समझने में असमर्थ हूं। अगर सरकार ने इसके अनैक्सचर जिस में शायद लोगों के नाम हैं, वे अपने प्रयास से सदन से छुपा कर रखे हैं, नहीं दिये हैं तो मैं समझता हूं कि उन्होंने सदन की गंभीर अवमानना की है और आपसे अनुमति नहीं ली है तो और भी गम्भीर बात है। इसके बारे में स्पष्टीकरण आज ही होना जरूरी है क्योंकि इस पर बहस 2-3 दिन बाद होगी।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आडवाणी जी ने जो सवाल उठाया है, समूचे मीडिया में और राजनैतिक क्षेत्र में यह बात गंभीर रूप से फैली है कि यह रिपोर्ट काट-छांट कर यहां रखी गई है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि जब इस रिपोर्ट को रखने का आग्रह किया गया तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर श्री विद्याचरण शुक्ल जी ने कहा था कि यह रिपोर्ट हम तत्काल नहीं रख सकते, यह लंबी रिपोर्ट है। यदि आपको स्मरण हो तो उन्होंने यह भी कहा था कि उसमें करीब 100 पेज हैं और इतनी जल्दी इसका अनुवाद भी नहीं हो सकता और हमको इसमें समय लगेगा। जो रिपोर्ट रखी गई, वह 12 पेज की है। जिस तरह से भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हुआ है उस बारे में जिस तरह से अखबारों में लेख निकलते हैं, उस तरह की वह रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट हमने नहीं मांगी थी। हमने वोहरा कमेटी की संपूर्ण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए कहा था, सेन्सर करने के लिए नहीं कहा था। यह गम्भीर मामला है और शक चारों तरफ फैला हुआ है। सरकार को आज ही इस शक को दूर करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो ऐनेक्सचर हैं क्या वह उसमें से निकाले गए हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों को उसमें से निकालने का काम हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो ठीक है। अगर हुआ है तो गलत है। लेकिन हम इस संपूर्ण रिपोर्ट को सदन में चाहते है। यही हमारी मांग है जिससे यह बहस कारगर और सक्षम हो सके और देश की जनता को इसका लाभ हो सके और हमारा सार्वजनिक जीवन साफ हो सके। . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (मिदनापुर) संसदीय कार्य मंत्री इस बात की पुष्टि करें अथवा इससे इंकार करें, जैसा वह ठीक समझें, कि उन्होंने इस सदन में यह कहा था कि यह प्रतिवेदन लगभग 100 पृष्ठ का है। ऐसा रिकार्ड में है। अब जैसा मेरे सहयोगियों ने कहा है यह प्रतिवेदन केवल 12 पृष्ठों का रह गया है। विभिन्न सूत्रों द्वारा यह कहा जा रहा है कि मूल प्रतिवेदन के साथ कुछ अनुबंध और भी हैं। मुझे यह नहीं पता कि यह सच है अथवा नहीं और वह इस बात की पुष्टि कर सकते हैं अथवा इस से इंकार कर सकते हैं, यदि वह अनुबंध श्री वोहरा के मूल प्रतिवेदन के साथ संलग्न थे तो स्पष्टतया उन्हें सभा से नहीं छिपाया जा सकता। अन्यथा यह विशेषाधिकार का हनन होगा। समस्त रिपोर्ट अनुबंध-सहित प्रस्तुत की जानी चाहिये। ऐसी भी जानकारी मिली है कि उन्होंने लगभग 60,000 करोड़ रूपये का मूल्यांकन किया था। उनके अनुसार, उन्होंने अन्य आसूचना एजेंसियों के सहयोग से इस बात का पता लगाया है कि इन कुछ माफिया सौदों में 60,000 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है। ये सब बातें अनुबंध में होने की संभावना है। अत: हम इस बारे में बहुत बल दे रहे हैं। जैसा कि श्री आडवाणी ने कहा है कि अनुबंधों के साथ, यदि कोई हैं, तो पूर्ण रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। अन्यथा हम यह 12 पृष्ठ की रिपोर्ट स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं . . . (व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाएं निर्मूल हैं। लेकिन इस मामले पर कुछ कहने से पहले मैं गृह मंत्री से उस व्यक्ति विशेष के बारे में पता लगाऊंगा।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, वह किससे पता लगायेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस बारे में गृह मंत्री से पता लगाऊंगा और अन्तत: सदन को सूचित करूंगा क्योंकि इस बात की जांच गृह मंत्री द्वारा की जानी आवश्यक है। मैं इस विषय पर इस समय जानकारी नहीं दे सकता। अत: मैं इस बारे में बाद में सदन को सूचित करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यह रिपोर्ट है। आप कृपया रिपोर्ट का अध्ययन करें। पृष्ठ 3 पर पैराग्राफ सं. 37 और उसके बाद पैराग्राफ सं. 6.1 है जो निदेशक (आई.बी.) से संबंधित है। अन्य पैराग्राफ अर्थात् 4, 5 और 6 कहां हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को स्पष्ट करने दीजिये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में टाइप संबंधी त्रुटि है। यहां तक की मूल रिपोर्ट में भी यह सारा मसौदा है। संख्या देते हुए यह त्रुटि हुई है। बिन्दू 3.7 के बाद 6.1 संख्या दी गई है (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : कैसे? महोदय, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपने एक प्रश्न उठाया है। उन्हें उत्तर देने दें और यदि इस मामले में कोई त्रुटि होगी तो मैं आपको प्रश्न करने की अनुमति दूंगा।

मंत्री महोदय आप स्थिति स्पष्ट करें।

श्री बी. एम. सईद : मूल प्रतिवेदन में भी बिन्दू 3.7 के बाद बिन्दू 6.1 आरम्भ किया गया है। मूल प्रतिवेदन में भी यह त्रुटि है। ऐसा ही अंग्रेजी के संस्करण में है...(व्यवधान) यदि वे मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं देते तो मैं क्या कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमने मूल प्रतिवेदन की भी जांच कर ली है। इसमें भी बिन्दू 3.7 के बाद बिन्दू 6.1 है। यह टाइप संबंधी त्रुटि है। मैं यही कहना चाहता हूं। हमने मूल प्रतिवेदन की भी जांच की है और कोई बात छिपाई नहीं गई है। केवल संख्या देने में त्रुटि हुई हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, जहां तक श्री राम विलास जी द्वारा उठाई गई विशेष विसंगति का प्रश्न है हम श्री सईद द्वारा कही गई यह बात स्वीकार करने को तैयार हैं कि मूल रिपोर्ट में भी पेराग्राफ की संख्या देने में विसंगति है। मेरा विचार है कि जब इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जाती है तो संख्या संबंधी इस प्रकार की त्रुटि को गृह मंत्रालय द्वारा भी दूर किया जाना चाहिये जैसा आप अथवा आप के सचिवालय के पास यह अधिकार है कि विधेयकों के मामले में यदि कोई इस प्रकार की त्रुटि अथवा असंगति होती है तो उसे वे दूर कर सकता है।

लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह पूर्ण प्रतिवेदन है? जब संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा है कि वह गृह मंत्रालय से इस बात का पता लगायेंगे, क्या श्री सईद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। श्री सईद को यहां और अभी यह उत्तर देना चाहिये कि क्या यह प्रतिवेदन पूरा है अथवा नहीं। प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। संसदीय कार्य मंत्री निश्चित रूप से यह कहेंगे कि वह इस संबंध में सम्बद्ध मंत्रालय से पता करेंगे।

अत: इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मेरा यह विचार है कि रिपोर्ट के पृष्ठ 2 पर बम्बई सिटी पुलिस और बम्बई अंडरवर्ड के बीच गुप्त संबंध के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 1986 में तैयार रिपोर्ट का उल्लेख है। मेरा यह विश्वास है कि यह रिपोर्ट अनुबंध का एक भाग भी होगी। सामान्यतया, संसद को प्रस्तुत प्रत्येक रिपोर्ट, जिसमें पूर्व रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया जाता है, जिसे संसद में पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो, में अनुबंध सम्मिलित होता है। अन्यथा इसका क्या अर्थ रह जाता है?

क्या हमें कांट-छांट वाली इस प्रकार की रिपोर्ट को आधार मान कर चर्चा करनी होगी? अत: श्री सईद स्पष्ट रूप से यह उत्तर देने की स्थिति में होगी कि यह रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट है अथवा नहीं। क्या रिपोर्ट में ऐसे कोई अनुबंध है जो किसी आधार अथवा अन्यथा संसद में पहले प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इन दो प्रश्नों का श्री सईद द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिये ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं एक पैराग्राफ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी अनुमति लेकर बोलें। सर्वप्रथम आप अपना स्थान गृहण करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृप्या अपना स्थान गृहण करें। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

कृपया आप यह बात ध्यान में रखें कि आप जो भी जानकारी रिकार्ड से चाहते हैं वह आपको रिकार्ड से दी जाने की अनुमति दी जायेगी। लेकिन यदि आप सब एक साथ उठकर बोलने लगेंगे तो न तो मुझे कुछ समझ में आयेगा और न ही मंत्री महोदय समझ पायेंगे और कुछ भी रिकार्ड नहीं हो सकेगा। इसीलिये मैं कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति देता हूं। मैं कुछ और सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन मैं सभी सदस्यों को जो बोलना चाहते हैं अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि आपको रिपोर्ट पर टिप्पणी करने, रिपोर्ट में शामिल खंडों पर बोलने तथा श्री आडवाणी और श्री शरद जी द्वारा उठाये गये उन मुद्दों पर केवल सीमित रूप में बोलने का अवसर मिलेगा कि क्या यह पूर्ण रिपोर्ट है अथवा नहीं। क्या इस बारे में कोई अस्पष्टता है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा ध्यान आकर्षित न करें। आप गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे ध्यान आकर्षित करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस रिपोर्ट के पैरा 2.2 में कुछ अद्वितीय उल्लेख किया गया है :

"चर्चा के दौरान मुझे यह महसूस हुआ कि कुछ सदस्यों को खुले तौर पर अपने विचार व्यक्त करने में हिचक हुई। मैं भी इस ओर ध्यान

दे रहा हूं और मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि सरकार वास्तव में ऐसे मामलों पर कार्यवाही की इच्छुक है। तदनुसार, मैंने समिति के प्रत्येक सदस्य को अनेक निजी पत्र लिखे जिनमें उनसे उनके सुविचारित सुझाव और सिफारिशें देने का अनुरोध किया।''

दूसरा वाक्य है ''उनके उत्तर संक्षिप्त में नीचे दिये गये हैं'' इसका यह अर्थ हुआ कि सब पत्रोत्तर प्रतिवेदन में अवश्य संलग्न होंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसे स्पष्ट करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्री आडवाणी द्वारा उठाये गये मुद्दों की अनेक कोण से पुष्टि होती है। लोप हुए पैराग्राफ, इस संदर्भ और इस अन्तर से यह पता लगता है। गृह मंत्री ने यह कहा है कि यह एक बड़ी रिपोर्ट है और वह यह नहीं समझते कि इस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद एक अथवा दो दिन में कैसे किया जा सकता है। इन सब बातों से अन्ततः यह बोध होता है कि मैं शब्द 'अन्ततः' पर जोर देता हूं कि इसमें कोई ...

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों के विचार सुने बगैर आप अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं अपने विचार ही व्यक्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह समिति की रिपोर्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अतः मैं अनुरोध करता हूं **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय प्रत्येक सदस्य श्री आडवाणी द्वारा उठाया गया प्रश्न दोहरायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं।

श्री नीतीश कुमार : अतः मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने सहयोगी से बैठ जाने के लिये भी कहें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप को मांग करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी अब आप बैठ जायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं यह अनुरोध करूंगा...

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे अनुरोध न करें। मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करने दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मूल रिपोर्ट आपको दिखाई जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। पहले इसे स्पष्ट किया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप सबको प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। लेकिन किसी के कुछ कहने से पहले यदि आप जोर से बोलते हैं और सभा में शोर करते हैं तो हमें यह कैसे पता लगेगा कि वह क्या कहना चाहते हैं। हम पहले उन्हें सुनें।

(व्यवधान)

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदय, मुझे इस मामले में गृह मंत्री से पता लगाना होगा। मैं...**(व्यवधान)**

कृपया एक मिनट मेरी बात सुनें। मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि यदि वह स्वयं कुछ कहना चाहते हैं तो वह सभा में आ सकते है और सभा को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे मामला समझने दें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा एक सरल प्रश्न है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी मैं सभा में प्रत्येक सदस्य से स्पर्धा नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब ठीक, ठीक ही होना चाहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : अब आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से गृह मंत्री को सदन में आना चाहिये और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये श्री सईद ने शायद रिपोर्ट देखी है अथवा नहीं देखी। चूंकि वह यहां बैठे हैं और कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री ही उनकी ओर से बोल रहे हैं, मैं यह समझता हूं कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अतः हम उन पर बोझ डालना नहीं चाहेंगे। गृह मंत्री सदन में आयें और स्थिति स्पष्ट करें।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा परसों दिया गया एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था :

''वोहरा रिपोर्ट के बारे में हमने गृह मंत्री से चर्चा की है। ऐसी कोई समिति नहीं है लेकिन वोहरा रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी। जो माननीय सदस्य इस बारे में पूछ रहे हैं, वे इसका अध्ययन करें। मेरे विचार से रिपोर्ट लगभग 100 पृष्ठ की है।''

मेरे विचार से उन्होंने यह वक्तव्य पूरी जांच के बाद दिया होगा। मेरे विचार से यह नियम और परम्परा भी है कि सभा पटल पर कोई भी दस्तावेज पूर्ण जांच के बिना न रखे जायें। जांच का कार्य कम से कम भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति यह जांच नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार की जांच की गई थी तो ऐसा कैसे हुआ? गृह मंत्री आ गये हैं। यदि वह कुछ कहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर, क्या आप अपनी बात पूरी करना चाहेंगे।

श्री चन्द्र शेखर : सभा में हमेशा ऐसा होता है जब यह समझना

असम्भव होता है कि क्या किया जाये। संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है और वह वक्तव्य रिकार्ड में है। उनके पास 12 पृष्ठ की रिपोर्ट हैं। मैंने यह रिपोर्ट नहीं देखी है और न ही मेरी रिपोर्ट देखने में कोई रूचि है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि इस बारे में कोई निश्चित परम्परा अपनाई जानी चाहिये। मंत्री महोदय कहते हैं कि वह इस बारे में जांच करेंगे। क्या यह रिपोर्ट सभा में बिना जांच के प्रस्तुत की गई थी। सभा पटल पर रिपोर्ट रखने के बाद कोई भी मंत्री यह नहीं कह सकता कि वह इसकी सत्यता के बारे में गृह मंत्रालय से पता करेगा। संसदीय कार्य मंत्री को यह जानना चाहिये कि क्या वह प्रमाणित रिपोर्ट थी अथवा पूर्ण रिपोर्ट। संसदीय कार्य मंत्री का यह कथन है कि यह रिपोर्ट नहीं है, यह तो कागजात हैं। उन्हें कम से कम आपको यह बताना चाहिये था कि सभा को कागजात का एक भाग दिया जा रहा है और पूरे कागजात अथवा रिपोर्ट नहीं। संसद को अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिये। मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, रिपोर्ट की केवल तीन प्रतियां तैयार की गई थी। एक प्रति मुझे दी गई थी, दूसरी प्रति आन्तरिक सुरक्षा राज्यमंत्री को दी गई थी और तीसरी प्रति प्रधान मंत्री को दी गई थी। मैंने दोनों प्रतियों को मिलाया है। सभा में जो प्रति रखी गई थी और जो प्रति मेरे पास है उस में श्री वोहरा के हस्ताक्षर हैं और जहां तक मेरी जानकारी है रिपोर्ट का कोई अनुबन्ध नहीं है। अनेकं सदस्यों के लगातार दबाव में आकर मेरे सहयोगी ने शायद यह कह दिया होगा कि सम्भवतया रिपोर्ट के साथ कोई अनुबंध होगा। मेरी जानकारी यह है कि ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप यहां नहीं थे। शायद यह धारणा है कि उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री एस.बी. चव्हाण : चूंकि रिपोर्ट के साथ कोई अनुबंध नहीं हैं अतः उसे सभा पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री चन्द्रशेखर ने अभी-2 रिपोर्ट से उद्धृत किया है। इस उद्धरण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि श्री वोहरा का कुछ पत्राचार हुआ है, यही बात समिति के सदस्यों ने भी कही है। श्री शुक्ल ने अपने वक्तव्य में बताया है कोई समिति नहीं है। क्या किसी समिति का गठन किया गया था अथवा नहीं?

अध्यक्ष महोदय : हम इन सब बातों की जांच करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने किन-किन व्यक्तियों से पत्राचार किया और वे पत्र कहां हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे तो यह मुद्दा स्पष्ट हो जायेगा। यदि श्री शुक्ल कुछ कहना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम जब समिति कक्ष में इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे तो एक प्रश्न यह पूछा गया था कि रिपोर्ट का अनुवाद करने में कितना समय लगेगा। इस बात पर जोर देने के लिये कि इस में समय लगेगा शायद मैंने यह कह दिया होगा क्योंकि मैंने अपने सहयोगी से पता किया है और गृह मंत्री ने बताया है कि इस कार्य में दो या तीन दिन लगेंगे। श्री चव्हाण ने मुझे यही बतायाा था। अतः मैंने कहा था कि रिपोर्ट काफी पृष्ठों की हैं इसलिये इसके अनुवाद में इतना समय लगेगा। मैं अपनी इसी बात पर जोर देता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं जब खड़ा हुआ था तो आपने कहा कि बैठ जाओ। अब यदि मान लो ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी समय दे दूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, हमने एक सवाल आशंकाओं के आधार पर उठाया। उसमें राम विलास जी ने एक और कनक्रीट डिसक्रीपैन्सी प्वाइंट आउट की कि इस रिपोर्ट में पैराग्राफ 3.7 के बाद पैराग्राफ 6.1 आता है, चौथा, पांचवा पैराग्राफ है ही नहीं, गायब है। उसका जवाब हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, होम अफेयर्स ने यह दिया है कि वह डिसक्रीपैन्सी ओरिजनल में भी है इसलिए इसमें डिसक्रीपैन्सी आ गई है। फिर चन्द्र शेखर जी ने एक डिसक्रीपैन्सी प्वाइंट आउट की। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने आज से दो दिन पहले कहा कि लगभग 100 पेज की रिपोर्ट है जिसके कारण भाषान्तर करना सम्भव नहीं होगा। उसका स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है कि केवल मात्र सदन को इम्प्रैस करने के लिए कि बहुत दिक्कत है, मैंने 100 पेज कह दिया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 100 पेज से 12 पेज कैसे हो गए? हमारे मन की आशंकाएं ये हैं कि यदि कोई भी कमेटी इस प्रकार की रिपोर्ट देगी तो सब्सटैनशल रिपोर्ट है या नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पहला सवाल तो यह है कि कमेटी है या नहीं, दूसरा सवाल यह है कि पूरा है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने इसे समिति की संज्ञा दी है। यह वोहरा समिति की रिपोर्ट है। यही शीर्षक है **(व्यवधान)** उसमें कहा है कि सरकार ने एक समिति का गठन किया था। जिसके अध्यक्ष गृह सचिव थे और सचिव (आर) और डी.आई.बी. उसके सदस्य थे।

[हिन्दी]

और फिर भी कहते हैं कमेटी है या नहीं। ये जितनी बातें हैं, केवल मात्र हमारे मन की आशंकाओं को पुष्ट करती हैं कि कुछ न कुछ बात सदन से छिपाई जा रही है। क्या छिपाया जा रहा हैं?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सदस्यों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी नहीं, सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर

नहीं किये हैं। अध्यक्ष ने ही इस पर हस्ताक्षर किये हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : और उन्होंने इसे समिति के सदस्यों को भी नहीं दिखाया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये। सत्ता पक्ष द्वारा दिये गये उत्तर पूर्णतया असंतोषजनक हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बारे में जांच की जानी चाहिये...

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में जांच की जानी चाहिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप मूल रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं मूल रिपोर्ट के लिये नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : मूल, मेरे विचार . . .

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, मैं मूल रिपोर्ट आपको दिखाने को तैयार हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप मूल रिपोर्ट देखें और हमें सन्तुष्ट करें कि वास्तव में डिसक्रीपैन्सी है, गलती हो गई या कोई अनैक्सचर्स उसके साथ हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करूंगा।

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : मूल रिपोर्ट में भी हेरा-फेरी की जा सकती है। यहां जो वक्तव्य दिया गया है वह झूठ का पुलिंदा है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। शुक्ला जी ने जो सफाई दी, एक मंत्री को इस तरह की सफाई, उन्होंने 100 पेज भी नहीं कहा, उन्होंने न्यूमरस पेजेस कह दिया और यह रिकार्ड में है। पार्लियामेंट्री अफेयस मिनिस्टर यानि सरकार ने साफ-साफ कहा कि 100 पेज हैं। यदि मान लें आप इगनोरेंट हैं, आप नहीं जानते थे तो आपने अंदाज से हम सबको टालने के लिए यह बात कही कि यह रिपोर्ट जल्दी रख दो। आपने या तो इस बहस को टालने के लिए काम किया या फिर आपने इगनोरेंस में कहा। आपको साफ-साफ कहना चाहिए था कि मुझको जानकारी नहीं थी, मैंने टालने के लिए इस बात को कहा। ...(व्यवधान) मैं आपका प्रोटैक्शन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या प्रोटैक्शन चाहिए?

श्री शरद यादव : मंत्री असावधान न रहें। इतना बड़ा देश है जिसे आज भी ये लोग चलाते है। यह इस तरह से कैजुअल वे में नहीं चल सकता। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि शुक्ला जी की जो सफाई आई, उसमें वे 100 पेज से हट गए। अब वह कह रहे हैं, न्यूमरस पैजिज मैंने कहा था। यानि इन्होंने 100 पेज कहा, आपने किसलिए कहा, क्यों कहा, 100 पेज मालूम था या नहीं था? आपने अंदाज से कहा, नहीं अंदाज से कहा तो क्यों कहा? इस बात की सफाई आपको सदन के लिए देनी है, नहीं तो यह इतना बड़ा जो सदन है, यह मजाक हो जाएगा। यह मजाक न बने, यह आपको देखना है। दूसरी चीज, आडवाणी जी की जो बात है, मैं उसमें ज्यादा एड नहीं करना चाहता। इस रिपोर्ट को आप देख लेंगे तो पता चल जायेगा कि इसमें कोई बात छिपाई गई है या नहीं छिपाई गई है, यदि उससे आप सैटिसफाई हो जायेंगे तो सवाल हल होगा। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी को इस बात के ऊपर फिर से सफाई देनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। क्योंकि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने ऐसा ही किया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं उन प्रश्नों को उठा रहा हूं, जो इससे भी ज्यादा गम्भीर हैं।

अध्यक्षा जी, यह सदन कुछ नियम से चलता है, कुछ परम्पराओं और मर्यादाओं से भी चलता है। इस सदन के नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि लोक सभा के अध्यक्ष नेताओं की बैठक बुलाकर उनसे विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन आपने एक अच्छी परम्परा कायम की है कि सदन के प्रारम्भ होने से पहले और सदन के बीच में भी जब आप जरूरी समझते हैं, आप ऐसी बैठक बुलाते हैं ताकि काम सुचारू रूप से चले। सरकार का प्रतिनिधित्व उसमें संसदीय मंत्री जी करते हैं। मैं आपको खाली स्मरण दिला रहा हूं...

अध्यक्ष महोदय : चन्द्रशेखर जी ने एक बार बड़े पते की कही थी कि जो भी कमेटी में होता है, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, उससे फिर परेशानी हो जाती है। उन्होंने जो हाउस में बोला, आप उसके बारे में बोलिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप खाली एक बात जरा सुन लें। कभी-कभी कृपया करके अपवाद कर दिया करिये।

अध्यक्ष महोदय : अब तो इतने अपवाद हो रहे हैं कि वह नियम हो जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : अगर गम्भीर बात होती है तो कृपा करके कभी-कभी अपवाद स्वरूप मान लिया करिये।

इस कमेटी के बारे में विरोधी दल की तरफ से मांग थी और हम लोगों ने कहा था कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए तो संसदीय मंत्री ने कहा था कि नहीं, यह कमेटी है नहीं। विभाग के अन्दर हम ऐसे काम जानकारी लेने के लिए करते रहते हैं और यह विभाग को संचालित करने के लिए किया जाता है। यह बात अक्षरश: सत्य नहीं थी, क्योंकि यह जो कमेटी है, इसमें नंबर दिया गया है, सरकार के आदेशानुसार दिनांक 9 जुलाई, 1993 को समिति का गठन किया गया, तो पहली बात तो हमको यह मिसलीड की गई कि यह कोई कमेटी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट के आर्डर से एक कमेटी बनी थी और पांच मैम्बर्स की कमेटी थी। दूसरा यह कहा गया कि यह चूंकि कमेटी नहीं है, विभाग के अन्दर का काम है, इसलिए इसको हम सदन

में नहीं रख सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे यह पता लगता है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, इंकार किया गया और एक हफ्ते अखबारों में यह चर्चा होती रही कि सरकार में दो राय है। एक राय है कि कमेटी की रिपोर्ट को पेश करो। दूसरी राय है कि नहीं पेश करो। गृह मंत्री ने भी एक जगह कहा था कि नहीं, इसको पेश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह अच्छी बात हुई कि सदन की कुछ मांग पूरी हुई। सरकार के मन में कुछ सदबुद्धि आई और इन्होंने इस रिपोर्ट को सदन में रखा।

मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसे ही कामों से मन में संदेह बढ़ता है और इसकी वजह से कभी-कभी सदन में आप देखते हैं कि उत्तेजना भी होती है। हम लोग कोई अनावश्यक, औचित्य के खिलाफ काम नहीं करते लेकिन जब सरकार की तरफ से ऐसी बड़ी भूलें होती हैं, मर्यादाओं को तोड़ा जाता है, बातों को छिपाने का प्रयास होता है, तोड़-मरोड़कर रखने की कोशिश होती है, तभी जाकर इस तरह की मांग उठती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस बात को जरूर निर्देशित करें कि जब इस तरह की बैठक होती है तो उसमें सच्चाई से, जो वस्तुस्थिति हो, उसको सामने रखना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसी बात है जो देश हित में नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है तो हम भी उस पर जोर नहीं देंगे, मगर हर चीज को छिपाने की प्रवृत्ति बंद की जाये।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : यह सभा की प्रतिष्ठा का मामला है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यहां एक त्रुटि है। वह क्या है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह गम्भीर रिपोर्ट है अथवा नहीं। पैरा 7.4 कहां गया?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पैरा 7.4 कहां गया। यह भी गायब है।

श्री राम विलास पासवान : आप मेरा 7.3 पढ़ें। उसके बाद पैरा 7.5 आता है। पैरा 7.4 कहां गया?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्री वोहरा को यहां बुलाया जाना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले में बहुत सतर्क हैं और इस मामले में अधिक रूचि लेने के लिए आपको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि यहां उठाये गये सब मुद्दे तर्क संगत हैं। उनको हल किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह बहुत गम्भीर मामला है। राजनीति में अपराधीकरण एक ऐसा मामला है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। क्या आप रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्री वोहरा को बुलाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। पहले हमें यह जानना चाहिये और यह दिमाग में रखना चाहिये कि क्या दो रिपोर्ट थी अथवा तीन रिपोर्ट। सीमित प्रतियां उपलब्ध थीं। अब, आडवाणी जी ने ठीक ही कहा है कि "मूल रिपोर्ट मंगाई जाये और मूल रिपोर्ट को इस रिपोर्ट से मिलाया जाये।" गृह मंत्री ने भी कहा है कि वह मूल रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मूल रिपोर्ट के साथ मेरे कक्ष में आयें। मैं अन्य नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि वे भी वहां आयें ताकि वह भी रिपोर्ट का मिलान कर सकें।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्री वोहरा को सदन में बुलाया जाना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें कैसे बुला सकते हैं? आप किस नियम के अंतर्गत ऐसा कर रहे है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जायें। आप तर्क कर सकते हैं। शोर न मचाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, आप मुझे बतायें कि उन्हें किस नियम के अन्तर्गत बुलाया जा सकता है। आप नियमों का अध्ययन करें। मैं ऐसा आपके विचारों और भावनाओं को देखते हुए नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिये। मैं विचार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ऐसा नहीं कहिये कि ऐसा नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दीजिए। इस तरह शोर न मचाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उचित नोटिस दें। मैं निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नोटिस में यह बतायें कि ऐसा किस नियम के अन्तर्गत किया जा सकता है। मैं विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझसे आप जो करवाना चाहते हैं उसे लिखित में दें। मैं विचार करूंगा और निर्णय लूंगा। मैं इस प्रकार कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उचित नोटिस दें। मैं निर्णय लूंगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, अपराधीकरण का जो मामला है, वह जनता को बहुत उत्तेजित कर रहा है और उस संदर्भ में परम्परा न होते हुए भी आपके कहने पर, विपक्ष के नेताओं के कहने पर सरकार ने स्वीकार किया की इस अपराधीकरण के सिलसिले में दो साल पहले बनी हुई समिति दो साल पहले दिया हुआ प्रतिवेदन सदन के सामने रखेगी और कल रखा गया जिस की विश्व भर में उसकी चर्चा है और हमको लगा कि इस में इस बात की तो स्वीकृति है कि यह माफिया गैंग एक समानान्तर सरकार चला रहे हैं लेकिन इसमें तथ्य नहीं है। वे कई तथ्य सरकार ने अपने पास छुपा कर रखे हैं क्या? यह मेरे मन में आशंका प्रकट हुई। धीरे-धीरे करके यहां पर और भी तथ्य जुड़े जिसके कारण हमारी आशंका और गहरी हुई और मैं मानता हूं कि आपके मन में भी गहरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अभी कुछ गहरा नहीं हुआ है। मेरे मन में पूरे तथ्य सुनने के बाद मेरे मन बनेगा, सारे तथ्य सुनने के पहले नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं नहीं कहता हूं कि आप अभी किसी नतीजे पर पहुंचे, अन्तिम नतीजे पर पहुंचे। परन्तु यह सरकार कुछ न कुछ छुपा रही है, जानबुझ कर छुपा रही है और उसके लिए आपका कहना है कि हमको प्रीविलेज मोशन देने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह कहना है कि ...**(व्यवधान)**... मुझे यह कहा जा रहा है कि जो अफसर थे, जिन्होंने यह रिपोर्ट दी थी, उनको यहां पर बुलायें जैसा कि यह कोर्ट है और जहां पर एवीडेंस लिया जा सकता है। अगर ऐसा हो सकता हो तो किस रूल में हो सकता है, लिखकर दे दें, हम देख लेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर होगा तो यह विशेषाधिकार समिति में हो सकता है, अगर होगा तो? यहां नहीं हो सकता तो यहां आने का कारण नहीं है। लेकिन आपका अधिकार जरूर है। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा है कि मैं आपके पास सभी कागज देता हूं तो आप उससे संतुष्ट हो जाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उससे संतुष्ट नहीं होऊंगा।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने कहा - "मेरी जानकारी के अनुसार कोई अनुबंध नहीं है" यह उन्होंने कहा और इससे पहले मुझे लगा कि गृह राज्यमंत्री यह बात स्पष्ट रूप से कहने को तैयार नहीं थे।

[अनुवाद]

यदि यह पूरी रिपोर्ट है, तो मेरे विचार से यह प्रत्यक्षतः विशेषाधिकार का मामला है। ऐसा मेरा विचार है। लेकिन मैं इस पर जोर नहीं देता।

[हिन्दी]

क्योंकि मुझे लगता था कि इसको प्रीविलेज का इश्यू बनाकर और वोहरा को सम्मान किया जाये तो उसकी बजाय सदन के जो सारे अधिकारों के रक्षक हैं, उनके सामने अगर सदन के बहुत सारे सदस्यों ने हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री सहित ने आशंका प्रकट की कि यहां पर संसदीय कार्यमंत्री सदन में कहते हैं कि 100 पेज की रिपोर्ट है और उसके बाद 12 पेज की रिपोर्ट मिले तो उससे अधिक क्या हो सकता है, प्राइमा फेसी। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने "100 पृष्ठ" शब्द का उपयोग क्यों किया जिसे अब बदल कर "अनेक पृष्ठ" कर दिया गया है।

इसलिए ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके कारण संसद की आशंका को उस आशंका के रक्षक के रूप में आपको इन आशंकाओं को निर्मूल करना चाहिए।

[अनुवाद]

इस अध्याय को बन्द नहीं किया जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : तथ्यों को जाने बिना माननीय विपक्षी दलों के नेताओं को कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष जी, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उस रिपोर्ट को स्वयं नहीं देखा है। इसलिए कि मैंने अभी कमेटी की उस रिपोर्ट को देखा जिसको कमेटी कहा जाता है। उसके सारे सदस्य वे हैं जो गृह मंत्रालय से संबंधित हैं और उसमें आई.बी. और रॉ के सेक्रेटरी या डी.जी. हैं लेकिन हम समझते हैं कि हुआ यह होगा, मुझे मालूम नहीं जो सरकार में होता रहता है कि जब रिपोर्ट दी गयी होगी तो जो रिफरेंसेज हैं, वे आई.बी. और रॉ की रिपोर्ट से होंगे, वे रिफरेंसेज डीलिट किये गए होंगे। हर सरकार यह करती है और सरकार को करना चाहिए। क्योंकि मैं यह बात बताता हूं कि अगर रॉ और आई.बी. की रिपोर्ट रखने की परम्परा और अफसरों को यहां बुलाने की परम्परा हो जायेगी तो देश को चलाना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। लेकिन मुझे दुख है कि संसदीय राज्य मंत्री क्षमा करेंगे और गृह मंत्री ने इस पहलू को देखा है। जो रिपोर्ट तैयार की गई होगी कैबिनेट के लोगों को भी सारी रिपोर्ट न मालूम हो इसलिए वह पैरा वहां पर डीलिट किये होंगे, मुझे अंदेशा है जो सरकार की कार्रवाईयों की थोड़ी-बहुत जानकारी मुझे है लेकिन इस बात को कहने में सरकार को क्यों हिचक होती है? कुछ ऐसी रिपोर्ट रॉ या आई.बी. की है जो हम सारे सदन को नहीं दे सकते।

यह इनको कहना चाहिए था, इन्होंने शुरू से ही यह बात कही होती

तो यह झंझट नहीं होता...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : यह हम नहीं कह सकते।

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, अनावश्यक विवाद इसलिए खड़ा हो जाता है कि यहां पर बिना सोचे समझे जो मन में आता है वहीं व्यक्तव्य दे दिया जाता है और उससे फिर झंझट बढ़ जाता है। आपकी बड़ी कृपा होगी, आप इन लोगों को यहां बुला लीजिए और जो नेता जानना चाहें उनको भी बुला लीजिए और इसको देख लीजिए। लेकिन विवाद को बढ़ा कर वहां तक मत पहुचाइंये जहां रॉ और आई.बी. के लोगों को संसद बुलाने लगे, अभी तो जजिज ने बुलाना शुरू किए हैं। उसके बाद यह देश कहां जाएगा, यह मुझे नहीं मालूम है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह हाउस कानून बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए है, एविडेंस रिकार्ड करने के लिए नहीं है।

(**व्यवधान**)

राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो वोहरा साहब का नाम भी नहीं जानता था। जब से राजेश पायलट जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि हम वोहरा कमेटी की रिपोर्ट रखेंगे और क्रिमनलाइजेशन के ऊपर एक रिपोर्ट आई है तब से हम लोगों ने वोहरा का नाम कमेटी के रूप में जानना शुरू किया।...(**व्यवधान**) यह जो 1993 का रिपोर्ट रखा गया है इसमें मैंने जो 2-3 शब्द आपको दिखाये हैं,...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप 2-3 दफा बोल चुके हैं। आपको बहुत बोलने के लिए टाइम दिया गया है।

(**व्यवधान**)

राम विलास पासवान : मैं इस पर नहीं बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो आप किस पर बोल रहे हैं?

(**व्यवधान**)

राम विलास पासवान : मैं यह कह रहा हूं कि मैंने आज तक इस सदन में बहुत सारी रिपोर्ट देखी हैं और हम लोग भी आपके आर्शीवाद से 1977 से यहां पर है, लेकिन यह अजूबा रिपोर्ट पहली बार आई है कि कमेटी कोई रिपोर्ट बनाये और यह 12 पन्नों का स्टेटमेंट लाकर के रख दिया जाए और कहें कि ऑथटिकट करके यही रिपोर्ट दी गयी है। हो सकता है कि इन्होंने दी हो, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही गंभीरता से माननीय सदस्यों की राय को पहले दिन लिया। मैं समझता हूं कि वोहरा कमेटी की आड़ में यदि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस नहीं दिया होता तो हो सकता था कि पहले दिन पार्लियामेंट की जो कार्यवाही थी और हम लोग इस प्वाइंट पर अड़े हुए थे कि पहले उसके ऊपर डिसकशन हो जाए, जो क्रिमनलाइजेशन के साथ संबंधित है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस कमेटी की रिपोर्ट को लाएंगे और उसके साथ हम अपनी रिपोर्ट भी देंगे। आपने कहा था कि रिपोर्ट दो दिन के बाद भी दे सकते है। इसलिए उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह कहना है कि कृपया निष्कर्ष नहीं निकालें।

[हिन्दी]

आप पहले उनसे पूछें तो सही।

(**व्यवधान**)

राम विलास पासवान : गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि यही रिपोर्ट है। आपको तीन कॉपी ऑथटिकेट करके दी हैं। एक प्राइम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर और एक कॉपी आपको दी गई है।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं दी गई है।

(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : एक राजेश पायलट जी को दी गई थी।

राम विलास पासवान : अच्छा ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसे गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए आप सोच-समझ कर बाद में बोलिए।

(**व्यवधान**)

राम विलास पासवान : महोदय, होम मिनिस्ट ने तो कह दिया। . ..(**व्यवधान**) हम लोगों को शंका है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वह बहुत ही एक्सटेंसिव थी, उसको काफी विचार करके तैयार किया गया। चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधान मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिनको काटा जा सकता है, लेकिन काटने का मतलब यह नहीं है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट को ही काट दिया जाये और फिर भर दिया जाये। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम पक्ष के सदस्यों को शंका है यह रिपोर्ट पूरी नहीं है। आप कैसे इस शंका का निदान करेंगे। अध्यक्ष जी, यह आपके ऊपर है, अब आप ही इसके ऊपर रूलिंग देने का काम कीजिए।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, यहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप सदन के सदस्यों के राईटस के कस्टोडियन हैं। सवाल यह है कि एक चीज में सारे सदन की सहमति है कि रिपोर्ट के बारे में कुछ एप्रीहेंशन हो गए है और देश में यह जाएगा कि यह रिपोर्ट सही है या नहीं, यह एक शंका पैदा हो गई है।

सवाल यह है कि इसको कैसे सुलझाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के संसदीय जीवन में ट्रांसपीरेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। जब एप्रीहेंशन हो गया, और यह दो-तीन सवालों को लेकर हुआ। मैं नहीं जानता कि वी.सी. शुक्ल जी ने 100 पेज के बारे में बताया।

[अनुवाद]

क्या उनकी उस समय रिपोर्ट तक पहुंच थी? क्या उन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है। मुझे नहीं मालूम।

[हिन्दी]

क्या उन्होंने सारी रिपोर्ट की शक्ल देखी है और वे कह सकते है

कि यह 80, 90 या 100 पेज की है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि देखी नहीं थी।

श्री रवि राय : मैं नहीं जानता, लेकिन एक सवाल यह है, जिस पर होम मिनिस्टर बार-बार जोर देते है कि सिर्फ 3 कापियां थीं। एक उनके पास, एक इंटरनल सिक्योरिटी चार्ज मिनिस्टर श्री पायलट जी के पास और एक प्रधान मंत्री जी के पास थी। अध्यक्ष महोदय, 8 दिन पहले बार-बार मीडिया में यह चीज आती थी कि इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर के पास है और वे सलेक्टिवली लीक कर सकते है। यह खबर में था कि वे सलेक्टिवली कर सकते है। इसलिए जब शंका पैदा हो गई तो जब प्रधान मंत्री जी के पास कॉपी थी तो मेरा अनुरोध है कि आप प्रधान मंत्री जी से बात कर लीजिए। मैं नहीं जानता अध्यक्ष महोदय, मैं इसके खिलाफ हूं कि प्रिवलेज मोशन नहीं होने से वोहरा साहब को नहीं बुला सकते, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो पहले हमारे रक्षा सचिव और गृह सचिव रह चुके हैं...।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप यहां तक मत ले जाइए। कल किसी ने कह दिया कि आप भी बराबर नहीं बोले हैं तो मुश्किल हो जायेगा।

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, मैं उनको हाउस में बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कमरे में भी आए तो कोई एक मेंबर उठ कर कह दें कि आप भी बराबर नहीं बोले तो मुश्किल हो जाएगा।

श्री रवि राय : मेरा कहना यह है कि आप प्रधान मंत्री जी से बात कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री रवि राय : प्रधान मंत्री जी से बात कर के इसको सुलझाने के लिए कोई रास्ता बना सकते है। आप नेताओं को बुला सकते हैं, प्रधान मंत्री जी को बुला कर सीधे उनको कानफीडेंस में ले सकते हैं। कोई और तरीका नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें इस रिपोर्ट से बहुत अधिक आशा नहीं थी। सरकार का गृह सचिव एक ऐसी विस्तृत रिपोर्ट नहीं दे सकता जिसमें सभी दृष्टिकोण को शामिल किया गया हो। इस संबंध में जांच के लिये एक स्वतंत्र आयोग गठित किया जाना चाहिये। यह पृथम विषय है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या श्री वोहरा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वोहरा समिति की रिपोर्ट दिये जाने से मामले में कुछ किया जा सकता है।

मैं श्री चन्द्रशेखर द्वारा दिये गये इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि इसके कुछ भाग का रॉ और आई.बी. के नाम पर लोप कर दिया जाये आदि।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुरक्षा...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या सुरक्षा? आपको अपराधियों, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और माफिया से बीच संबंधों की पोल खोलनी होगी। इस रिपोर्ट में एक भी पंक्ति की सुरक्षा के नाम पर लोप नहीं किया जा सकता। यह मेरा विचार है। यदि मंत्री यह कहते हैं कि यह रिपोर्ट है तो मेरे विचार से वास्तव में कोई गम्भीर बात है। हमें इसकी जांच करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप हमें सलाह दें कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सच्चाई तक पहुंचने में कोई भी गलती नहीं है। हम इस हद तक जा सकते हैं। यदि हमें श्री वोहरा का वक्तव्य प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें सच्चाई की जड़ तक पहुंचना चाहिये क्योंकि सदन से बाहर हमारी भर्त्सना की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि जो काम एक न्यायालय को करना चाहिये वह हमें करना चाहिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : न्यायालयय क्या कर सकती है? रिपोर्ट के लिये ऐसा किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी, नहीं। मेरा इस बारे में आपसे मत भिन्न है। सामान्यतया, यदि किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साक्ष्य लेने का प्रश्न होता तो ये बातें न्यायालय द्वारा की जाती हैं। लेकिन चूंकि मामला सदन में आया है और इस पर चर्चा करने में इतना अधिक समय लगा है और हम अब तक यह भी नहीं जानते कि आप इस बात का कैसे पता लगायेंगे कि मूल रिपोर्ट क्या है और, इसकी प्रति क्या है। हमें यह नहीं मालूम...

अध्यक्ष महोदय : आपकी इस बारे में क्या सलाह है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरी सलाह यह है कि आपको इस मामले में अब कुछ मेहनत करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या मेहनत। मुझे क्या करना चाहिये? मुझे क्या मेहनत करनी चाहिये?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेहनत से मेरा अभिप्राय यह है कि इस सारे मामले में दो या तीन व्यक्ति सम्बद्ध हैं। उन्हें आपको स्वयं बुलाना चाहिये। अन्य व्यक्तियों को इसमें शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैं केवल अपने ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं लूंगा क्योंकि यदि कोई सदस्य उठकर यह कह देता है कि मैं भी ठीक बात नहीं कर रहा हूं....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है। जैसा आप ठीक समझें। हम आपको सहयोग और सहायता देने को तैयार हैं। आपको सम्बद्ध व्यक्तियों को अपने कक्ष में बुलाना चाहिये और हमें उन मुद्दों को स्पष्ट करवाने का प्रयास करना चाहिये। क्या कोई समिति थी अथवा नहीं। कौन सी मूल रिपोर्ट थी, कौन सी उसकी प्रति थी। क्या कोई अनुबंध संलग्न थे –

इन सब बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

मैं श्री वोहरा को तब से जानता हूं जब वह रक्षा मंत्रालय में सचिव थे और मेरी जानकारी के अनुसार वह बहुत अनुभवी और ईमानदार अधिकारी हैं। वह आपको उन मुद्दो के बारे में बता देंगे जिन्हें वह स्पष्ट कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री शरद दिघे।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा से यह अनुरोध करूंगा कि इस संसदीय मामले पर विचार करते समय हमें कोई गलत परम्परा नहीं स्थापित करनी चाहिये। आज एक पार्टी सत्ता में है। कल दूसरी पार्टी सत्ता में आ सकती है। यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई आन्तरिक रिपोर्ट है और संसदीय कार्य मंत्री ने इस बारे में सतर्कतापूर्ण वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है "मेरे विचार से रिपोर्ट लगभग 100 पृष्ठों की है"। उन्होंने कहा है "मेरे विचार से"। उन्होंने सावधान होकर ऐसा कहा है क्योंकि उन्हें इस बारे में पूर्ण विश्वास नहीं था। लेकिन अन्ततः सभा पटल पर जो रिपोर्ट रखी गई वह केवल 12 पृष्ठ की थी और वह माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रमाणित थी। अनेक बार, यदि मैं संसद सदस्य की हैसियत से कोई दस्तावेज पेश करता हूं और उसे प्रमाणित करता हूं, तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। यदि आप कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें और कहें कि यह प्रमाणित है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। यहां गृह मंत्री जैसे जिम्मेवार व्यक्ति ने रिपोर्ट प्रमाणित की है और वह कहते हैं "मैने जांच की है, यह दस्तावेज है" वास्तव में मामला यहीं समाप्त कर दिया जाना चाहिये। लेकिन मामला वहां समाप्त नहीं हुआ। पैराग्राफों की संख्या के बारे में कुछ विसंगतियां होने के कारण कुछ शंकाए उठीं। अतः अन्ततः यह सुझाव दिया गया कि मूल प्रति अध्यक्ष महोदय को दिखाई जानी चाहिये और यदि वह इसका सत्यपान कर देते हैं, तो इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। मेरा विचार है कि हमें इस स्थिति में मामला वहीं समाप्त कर देना चाहिये। हमें मामला और आगे नहीं बढ़ाना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि "श्री वोहरा को अथवा किसी अन्य अधिकारी को बुलाओ" यह बहुत गलत परम्परा होगी।

मैं नम्रता से यह सुझाव देता हूं कि यह माननीय अध्यक्ष का कार्य नहीं है। उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मेरा यह कहना है कि अध्यक्ष महोदय का यह कार्य नहीं है कि वह सरकारी अधिकारियों को बुलाये, उनसे जिरह करें और सच्चाई का पता लगायें। सभा न्यायालय नहीं है। हमें इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिये। जब माननीय गृह मंत्री ने प्रमाणित कर दिया और अन्ततः यदि मूल प्रति माननीय अध्यक्ष को दिखा दी जाती है और वह संतुष्ट हो जाते हैं तब मामला वहीं समाप्त किया जाना चाहिये। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि यही रिपोर्ट की अन्तिम और वास्तविक प्रति है और तदनुसार कार्यवाही करनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन प्रति मुद्रित की गई हैं लेकिन केवल दो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे विचार से मामला यहीं समाप्त किया जाना चाहिये। इस बारे में बहुत उपयोगी सुझाव दिये गये हैं।

मैं सभी महत्वपूर्ण सुझावों पर ध्यानपूर्वक, अतिसावधानी से विचार करूंगा और जो भी सुझाव उपयुक्त और व्यवहार्य होंगे स्वीकार कर लिये जायेंगे और तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

वादविवाद में भाग लेने के लिये धन्यवाद। सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

12.58 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह् भोजन के लिये 2.00 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.06 म.प.

लोक सभा मध्याह् भोजन के पश्चात 2 बजकर 6 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री पी. सी. चाको पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वोहरा समिति प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : मैं, श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से वोहरा समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)* सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7929/95]

न्यूजप्रिंट (उत्पादन का विनियमन और वितरण) आदेश, 1995

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत न्यूजप्रिंट (उत्पादन का विनियमन और वितरण) आदेश, 1995, जो 23 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 570(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7930/95]

संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1993-94 का चवालीसवं वार्षिक प्रतिवेदन। संघ लोक सेवा की सलाह को स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री मारग्रेट आल्वा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

---

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 1 अगस्त, 1995 को सभा पटल पर रखा गया था।

(1) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1993-94 का चवालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) उक्त प्रतिवेदन के अध्याय आठ में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला एक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7931/95]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1995, जो 4 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 90 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1995, जो 4 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 91 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 7932/95]

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) विवरण संख्या 39 नौवां सत्र, 1987 आठवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7933/95]

(2) विवरण संख्या 26 छठा सत्र, 1990 नौवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7934/95]

(3) विवरण संख्या 29 पहला सत्र, 1991 दसवीं लोक सभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 793595]

(4) विवरण संख्या 24 तीसरा सत्र, 1992 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7936/95]

(5) विवरण संख्या 22 चौथा सत्र, 1992 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7937/95]

(6) विवरण संख्या 19 पांचवा सत्र, 1992 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7938/95]

(7) विवरण संख्या 18 छठा सत्र, 1993 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7939/95]

(8) विवरण संख्या 14 सातवां सत्र, 1993 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7940/95]

(9) विवरण संख्या 13 आठवां सत्र, 1993 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7941/95]

(10) विवरण संख्या 11 नौवां सत्र, 1994 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7942/95]

(11) विवरण संख्या 6 ग्यारहवां सत्र, 1994 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7943/95]

(12) विवरण संख्या 4 बारहवां सत्र, 1994 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7944/95]

(13) विवरण संख्या 2 तेरहवां सत्र, 1995 दसवीं लोकसभा
[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7945/95]

2.08 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मैं 25 अप्रैल, 1995 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1995

(2) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1995

(3) वित्त विधेयक, 1995

(4) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1995

(5) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1995

(6) असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेवक, 1995

(2) मैं दसवीं लोकसभा के तेरहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केवल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियम) विधेयक, 1995

(2) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1995

(3) कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1995

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995

(5) राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक, 1995

(6) संविधान (सतहत्तरवां) संशोधन विधेयक, 1995

2.09 म.प.

[अनुवाद]

समिति के लिये निर्वाचन

केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग विवरण) अधिनियम, 1994 की धारा 7(2) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग विवरण) अधिनियम, 1994 की धारा 7(2) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.10 म.प.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।

देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

''देश के विभिन्न भागों में सुखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।''

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : महोदय, दक्षिण-पश्चिम मानूसन पश्चिम बंगाल के गंगा नदी वाले क्षेत्र में 7 जून, 1995 को आया और 8 जून, 1995 को यह केरल पहुंचा। केरल में मानसून के आने की सामान्य तारीख 1 जून है, इसलिए इस वर्ष मानसून लगभग एक सप्ताह देरी से आया। मानसून के विलम्ब से आने के परिणामस्वरूप देश के कुछ भागों में वर्षा देरी से आरम्भ हुई। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, पूर्वी राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में मानसून लगभग 7 से 13 दिन देरी से आरम्भ हुआ। फिर भी 13 जुलाई, 1995 तक दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया था जो राजस्थान के सुदूर पश्चिमी जिलों में मानसून की कवरेज के लिए सामान्य तारीख 15 जुलाई से दो दिन पहले था।

26 जुलाई 1995 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए देश के मौसम संबंधी 35 उपमण्डलों के बारे में उपलब्ध वर्षा संबंधी जानकारी से पता चलता है कि वर्षा की स्थिति अब काफी संतोषजनक है। मौसम संबंधी 35 उपमण्डलों में से 26 में अधिक अथवा सामान्य वर्षा हुई है और केवल 9 ऐसे उप-मण्डल हैं जहां कम वर्षा हुई है। ऐसा कोई भी उप-मण्डल नहीं है जहां वर्षा बहुत ही कम हुई हो। फिर भी बहुत से उप-मण्डलों में, जहां वर्षा कम हुई है, यह कमी थोड़ी ही

है, जो - 19 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है और यह सामान्य सीमा के भीतर मानी जाती है जैसे कोंकण तथा गोवा (-20 प्रतिशत), उड़ीसा (-22 प्रतिशत), पूर्वी उत्तर प्रदेश (-24 प्रतिशत), हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली (-20 प्रतिशत) और पंजाब (-24 प्रतिशत)। तथापि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा उपमण्डलों में -29 प्रतिशत, बिहार के मैदानी इलाकों में -28 प्रतिशत, पश्चिमी उत्तर प्रदेशों के मैदानों में -32 प्रतिशत और सौराष्ट्र, कच्छ तथा द्वीव में -34 प्रतिशत की कमी रही है। 26 जुलाई 1995 की स्थित के अनुसार देश के 185 जिलों में सामान्य वर्षा हुई और 66 अन्य जिलों में अधिक वर्षा हुई। 133 जिलों में कम वर्षा हुई और 17 जिलों में बहुत ही कम वर्षा हुई। फिर भी, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कुछ दिनों में देश में अच्छी वर्षा हुई है और स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अपनी चार महीने की अवधि में से लगभग दो महीने पूरे कर लिये हैं और अब तक देश के अधिकतर भागों में अधिक वर्षा पड़ चुकी है, इसलिए देश के विभिन्न भागों में सुखे की स्थिति के बारे में कोई भी अनुमान इस समय लगाया जाना संभव नहीं होगा। यद्यपि देश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा देरी से आरम्भ हुई, देश के अधिकतर भागों में फसलों की बुवाई के लिए पर्याप्त वर्षा हुई है।

यह सूचित किया गया है कि चावल के रोपण का काम अधिकतर क्षेत्रों में जारी है। रोपित चावल की खड़ी फसल और उच्च भूमि छिटका बुवाई चावल के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मोटे अनाजों की बुवाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। खड़ी फसल की स्थिति संतोषजनक है। उत्तरी भारत में कपास की बुवाई पूरी हो गई है। जबकि देश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में यह काम अभी चल रहा है। उत्तरी भारत में गन्ने की बुवाई का काम पहले ही पूरा हो गया। तिलहनों तथा दलहनों की बुवाई चल रही है। अधिकतर क्षेत्रों में कवर किये गये क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक रही है। बुवाई का काम अभी भी चल रहा है। नवीनतम स्थिति कुछ समय के बाद ही पता चलेगी।

कर्नाटक के अलावा किसी अन्य राज्य ने सूखे की स्थितियों के विद्यमान होने के बारे में रिपोर्ट नहीं दी है। कर्नाटक सरकार ने 8 जुलाई, 1995 तक हुई वर्षा के आधार पर अपर्याप्त वर्षा के कारण स्थिति से निपटने के लिए अपेक्षित राहत उपायों की मांग करते हुए केन्द्रीय सहायता हेतु एक ज्ञापन भेजा था। उस समय भीतरी दक्षिण कर्नाटक तथा भीतरी उत्तरी कर्नाटक उप-मण्डलों में वर्षा अपर्याप्त हुई थी, जबकि तटीय कर्नाटक में सामान्य वर्षा पड़ी थी। कुल 20 जिलों में से 18 जिलों में सूखे की स्थिति में होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। तथापि 26 जुलाई, 1995 को समाप्त सप्ताह तक स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन आया। कर्नाटक के मौसम संबंधी सभी उप-मण्डलों में सामान्य वर्षा हुई। कुल 20 जिलों में से 2 जिलों में अधिक वर्षा हुई है, 17 में सामान्य वर्षा तथा केवल 1 जिले में कम वर्षा हुई हैं। चूंकि गत कुछ दिनों में अच्छी वर्षा हुई है, मुझे उम्मीद है कि स्थिति में कुछ सुधार आया होगा।

राज्यों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि 10 राज्यों के कुल 63 जिले चालू दक्षिण पश्चिम मानसून में आई बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं। असम बाढ़ की दो चपेटों से प्रभावित हुआ है जिसमें कुल 18 जिले प्रभावित हुए और 48 लोगों की जाने गई तथा 12,644 पशु मारे गए। जम्मू तथा कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से भारी तथा निरन्तर वर्षा पड़ रही है जिसके कारण भयंकर बाढ़ आई। 12 जिलों में 68 लोगों के मरने की सूचना मिली है। मध्य प्रदेश, गुजरात बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और पंजाब से लोगों के मरने की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने मकानों को कुछ नुकसान होने की रिपोर्ट दी है। देश में कुल मृतकों की संख्या 205 बताई गई है। इसके अतिरिक्त, 42,295 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। असम तथा बिहार से प्राप्त बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र के आंकड़ों के अनुसार 3.33 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर बाढ़ का असर पड़ने की सूचना मिली है।

दसवें वित्त आयेाग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आपदा राहत योजना के अनुसार यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे सुखा तथा बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत तथा पुर्नवास उपाय करें। वर्ष 1995-96 में देश के विभिन्न राज्यों के लिए आपदा राहत निधि हेतु 1130.26 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। जिसमें केन्द्र का हिस्सा 847.71 करोड़ रुपए हैं। केन्द्रीय सरकार ने आपदा राहत निधि की प्रथम व द्वितीय त्रैमासिक किस्तों के 423.55 करोड़ रुपए पहले ही निर्मुक्त कर दिए हैं। कर्नाटक के पास वर्ष 1995-96 के लिए 39.49 करोड़ रुपए की आपदा राहत निधि है जिसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा 29.62 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही कुल 14.81 करोड़ रुपए की पहली और द्वितीय त्रैमासिक किस्तें निर्मुक्त कर दी हैं। कर्नाटक तथा अन्य राज्य सरकारें किसी प्रकार के सूखे या बाढ़ के आने पर उनके पास उपलब्ध आपदा राहत निधि की संचित राशि का प्रयोग करते हुए राहत तथा पुर्नवास कार्य, यदि आवश्यक हो, शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार संबंधी योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूस्थल विकास कार्यक्रम का प्रयोग करके प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन कर सकती हैं।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंता से पूर्ण रूप से सहमत हूं तथा इस अवसर पर सदन को पुन: आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत सरकार सुखा तथा बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सक्षम बनाने में हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : सभापति जी, मुझे खेद है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा के समय कृषि मंत्री जी को सदन में रहना चाहिए था, इस विषय पर उनकी उपस्थिति जरूरी थी परन्तु वह उपस्थित नहीं हैं। मुझे आपत्ति नहीं है कि श्री अरविन्द नेताम जी ने यहां कृषि मंत्रालय की तरफ से एक वक्तव्य दिया मगर क्या वे सदन को कोई निश्चित आश्वासन दे सकेंगे कि सरकार इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठायेगी, इस बारे में वे कितनी बात बता सकेंगे। इस पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगा है।

यहां कृषि मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह वास्तविकता से बहुत दूर है और अगर मैं यह कहूं कि इस वक्त के माध्यम से सच्चाई पर पर्दा डाला गया है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि वाकई ही सच्चाई पर पर्दा डाला गया है। अभी जब वे पढ़ रहे थे कि इस साल सारे देश में बहुत संतोषजनक वर्षा हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है तो मेरे दाहिने तरफ से श्री नीतीश कुमार जी ने और बाईं तरफ से श्री मोहन सिंह जी ने स्पौन्टेनियस सहज प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, उनके मुंह से एक दम निकला कि यह बात सही नहीं है जो सरकार की तरफ से यहां कही जा रही है।

लेकिन उसको बताना नहीं चाहते। उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। आप ठीक बात कह रहे हैं। मालूम है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही मुझे भी कहना हैं।

सभापति महोदय, कम से कम 30 करोड़ लोग भयंकर सूखे से प्रभावित हैं। सारा उत्तर प्रदेश, मेरठ और गाजियाबाद से लेकर आजमगढ़, बलिया, देवरिया, वाराणसी, झांसी और इलाहाबाद तक सारा उत्तर प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है। मैं मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस को और गहराई से पता लगाइये कि देश में सूखे से स्थिति बहुत खराब हो गई है। श्री जगन्नाथ मिश्रा जी यहां बैठे हुए हैं, वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूर्णिया के इलाके को छोड़कर ऐसा नीतीश जी कह रहे थे, पूरे बिहार में पानी का बहुत बड़ा अभाव है। अवर्षण की स्थिति है। इसके कारण किसान की आधे से अधिक फसल अब तक तबाह हो गयी है। मैं आप से कहता हूं कि आप सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं?

मेरे पास 28 जुलाई की अखबारों की कटिंग है सिर्फ 4 दिन पहले की यह बात है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में अनेक प्रकार से इस सूखे की ओर ध्यान दिलाया गया है। अनेक शीर्षकों के अंतर्गत यह बात बताई गयी है - ''किसानों के दरवाजे पर सूखे की दस्तक'', ''खरीफ की फसल नष्ट'', ''रबी की फसल पर भी व्यापक असर'', ''खेतों में धुल उड़ रही है'', ''पूरा उत्तर प्रदेश सूखा ग्रस्त होने के कगार पर'', ''मौसम की मार से किसान बेहाल'', ''वर्षा न होने से किसान व्याकुल'', आदि से ये अखबार भरे पड़े हैं और आपने यह रिपोर्ट यहां पढ़ दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन आपको रिपोर्ट देता है? मैं आपकी इस रिपोर्ट को चुनौती दे रहा हूं। और मैं आपसे मांग करता हूं कि भारत सरकार की आप एक उच्चस्तरीय समिति बनाइये और संसद की समिति बनाइये जो जांच करे। आखिर संसद की समितियां बनती हैं वे जांच करती हैं अगर कोई साम्प्रदायिक दंगा हो गया है, कोई भूचाल आ गया है, कोई बड़ा संकट आ गया है तो संसदीय समिति जाती हैं, जांच करती हैं। जम्मू-कश्मीर में समिति गई है। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा औचित्य इस मांग का होगा कि संसदीय समिति बने और वहां सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर जांच करे। कम से कम आपके मौसम विभाग के जो लोग आपको यह रिपोर्ट देते है जरा उसकी परीक्षा तो करा लीजिए। आपको अंधेरे में रखकर इस देश के किसान के साथ यह लोग अन्याय कर रहे हैं और इस सूखे का प्रभाव खाली आज नहीं पड़ेगा बल्कि आने वाली रबी की फसल भी इस सूखे के कारण नहीं हो पायेगी।

आज इस देश में बिजली का अभाव है। मिश्रा जी आप बिहार और उत्तर प्रदेश को तो जानते हैं वहां प्रतिदिन 3 या 4 घंटे से ज्यादा बिजली किसान को नहीं मिल रही है। बिहार में बिजली एकदम नहीं मिल रही है। इन दोनों सूबों में 25 करोड़ लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी और उड़ीसा में भी यही स्थिति है और इसी प्रकार की स्थिति देश के विभिन्न भागों में है। तो मैंने तो 25-30 करोड़ की ही संख्या बताई है जो मैंने कम करके बताई है। अगर आप पूरी रिपोर्ट लेंगे, तो देश का आधा भाग सूखे से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। किसान की बुवाई नहीं हो पाई है और जो उन्होंने बो दिया है वह सरकार की मदद से नहीं बल्कि अपने परिश्रम से, अपने नलकूप से जो कुछ पानी वह दे पाया, वह सब सूख गया और आप कह रहे हैं कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है और सूखे की स्थिति का इस समय अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है। सभापति जी बड़े ताज्जुब की बात है। मंत्री जी कब तक अनुमान लगाएंगे? इसी वजह से बिजली नहीं दी जायेगी। इसी वजह से जो नलकूप खराब है उनको ठीक नहीं किया जाएगा, इसी वजह से नहरों को गहरा नहीं किया जायेगा, नहरों में पानी नहीं जाएगा। किसानों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और सरकार कहती है कि इस समय अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो क्या जब सब तबाह हो जाएगा, तब अनुमान लगायेंगे।

दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 133 जिलों में कम वर्षा हुई, 17 जिलों में बहुत ही कम वर्षा हुई। यह भी स्वीकार कर रहे है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है जब उत्तर भारत का किसान आपका वक्तव्य पढ़ेगा तो उसे बहुत निराशा होगी कि हमारी स्थिति का पता नहीं है, हमारी सारी आशाओं पर कुठाराघात हो रहा है। आप दिल्ली में क्या देखते हैं? दिन में बादल आ जाते है, रात में पुरवैया चलती है, बादल छट जाते हैं, आकाश में तारे चमकने लगते हैं और बादल चले जाते हैं। यह स्थिति सिर्फ दिल्ली की नहीं हैं, दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश,

बिहार, मध्य प्रदेश के इलाकों में यह स्थिति पैदा हो गई है।... **(व्यवधान)**

मंत्री जी कहते हैं कि चावल के रोपण का काम, अधिकतर क्षेत्रों में जारी है। क्या मजाक है? धान रोपा जाता है, चावल नहीं रोपा जाता। धान जब होता है तो उससे चावल निकलता है। जरा अपने अधिकारियों को यह समझाइए कि चावल और धान में फर्क है। आपके अधिकारियों को यह भी पता नहीं है। ऐसे अधिकारी बैठे है जिनको किसानों की जिन्दगी का पता नहीं है, किसानों की समस्याओं का पता नहीं है, गांवों की कोई जानकारी नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कृषि विभाग में ऐसे अधिकारी बिठाये जाते हैं जिनको इस देश के 70-80 फीसदी लोगों का, जो इस देश की बुनियाद हैं, उनकी समस्याओं का ही पता नहीं है। सूखा पड़ेगा तो उद्योग धंधे चौपट होंगे, सूखा पड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। जैसे बूटा सिंह जी ने बयान दिया, ठीक वही बयान आप दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह पूरी सरकार अंधकार के कूप में डूबी हुई है। जब बूटा सिंह जी ने कहा कि दाल 14 रुपये किलो बिक रही है तो सबने कहा कि हमें वह दुकान बता दीजिए ताकि हम वहां से 14 रुपये किलो दाल खरीद कर ले आयें। आप कोई भी दाल 34 रुपये किलो से कम नहीं है। नेताम जी तो शायद कभी-कभी खरीदते भी होंगे लेकिन बूटा सिंह को तो नहीं खरीदनी पड़ती। मक्का, बाजरा और खरीफ की सब फसलें सूख रही है। सारी दालें चाहे उड़द हो, मूंग हो या अरहर हो, चौपट हो रही है। यदि आप ऐसे अंधकार में रहेंगे तो बड़े भारी संकट को निमंत्रण देंगे। आप गलतफहमी में बैठे रह जाएंगे। कीमतें बढ़ जाएंगी, गल्ले का अभाव हो जाएगा, गन्ना सूख जाएगा तो चीनी का अभाव हो जाएगा और आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट बिजली का हो जाएगा। बिजली नहीं मिलेगी तो कारखाने बंद हो जाएंगे। पानी नहीं बरसेगा, ताल, पोखरे नहीं भरेंगे, बांधों के अन्दर पानी नहीं जाएगा तो बिजली कहां से पैदा होगी। इस स्थिति पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यह वास्तविकता पर पर्दा डालने वाला ब्यान है।

मैं सरकार से 2-3 मांग करना चाहता हूं। पहली तो यह है कि एक उच्चस्तरीय कमेटी भेजिए। अधिकारियों को मत भेजिए क्योंकि उन्होंने तो आप को गलत फहमी में रखा, वह तस्वीर सामने आ गई है। इस सदन की एक उच्चस्तरीय कमेटी भेजिए ताकि आप को वास्तविकता का पता लग जाए। इस बहस के बाद आप जिले-जिले से फिर से रिपोर्ट मंगाइए और उन राज्यों का नाम बताइए। आप कहते है कि किसी राज्य ने हमसे सहायता मांगी नहीं है।

खाली कर्नाटक ने मांगा। आप पूछिये, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार क्या कर रही हैं? वह क्यों कान में तेल डालकर सोये हैं? उनके ऊपर भी मैं आरोप लगाता हूं, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने भी आपको वास्तविकता से परिचित नहीं कराया है तो वह भी इस बात के लिए अपराधी और जिम्मेदार होंगे, मगर सच्चाई आप खुद ही बताइए। ...**(व्यवधान)**

सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : इस चर्चा को 193 में करिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : एक्चुअली इसकी तो पूरे 4-5 घंटे की बहस की मांग हुई थी, लेकिन खैर, वह नहीं हो पाया और यह विषय काल अटेंशन में आ गया। मैं कृषि मंत्री से कहता हूं, आप जरा बिजली मंत्री से भी बात करें। बिजली की टोटल अव्यवस्था है, 60 फीसदी नलकूप बंद हैं, किसान पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र आजमगढ़ के एक गांव में घूम रहा था तो सारी मीटिंग के बाद बहुत बड़ी संख्या में महिलाऐं आ गईं, मैंने समझा कि यह शायद अपनी कोई बात कहने वाली हैं, लेकिन सबने हाथ जोड़ कर कहा कि हमारे बगल का नलकूप पिछले छह महीने से बंद है, अब हमारी सारी फसल सूख रही है। आप खाली हमारा नलकूप चलवा दीजिए तो आज खाली नलकूप के लिए यह स्थिति है।

हम लोग गरीब इलाके से आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर जिलों के हम लोग गरीब इलाकों से आते हैं। क्या होता है कि अगर बाढ़ में मकान गिर जाता है तो सरकार 300 रुपये की सहायता देती है। अब आप कल्पना करिये कि 300 रुपये में कौन सा मकान बनेगा, लेकिन उसके लिए महज 300 रुपया मिलता है। अभी हमारे क्षेत्र में 65 घर जल गये। सारे घर दलितों के, गरीबों के थे, मैं वहां गया, देखकर आया ...**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : 300 रुपये में से भी 200 रुपये ही मिलते हैं, 100 रुपये तो बीच वाले ले लेते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : तो यह स्थिति है, 300 रुपये मिलते हैं। वहां बड़ी मुश्किल से प्रति परिवार केवल एक हजार रुपया गया। जब मैं गांव में गया तो सारे गांव के लोगों ने कहा कि हम भुखमरी के शिकार है। हमें जो एक हजार रुपया मिला, उससे हमने छप्पर लगा दिया, अब हमारे पास खाने को नहीं है। हमने जिलाधीश से कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। हमने कमिश्नर से कहा तो उन्होंने मेहरबानी करके भुखमरी के मातहत उनको चार-चार सौ रुपये भिजवा दिये। उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है। मैंने कुछ लोगों से मांग करके धोती, साड़ी और कम्बल ले जाकर उनको बंटवाया। वह गरीब लोग हैं, आज उनके ऊपर इस सूखे का इतना बड़ा कहर गिर रहा है और आपको यहां बैठे-बैठे उसकी वास्तविकता का पता नहीं है। सरकार का जो रुपया है, इस क्षेत्र में बहुत कम है। सूखा, बाढ़ और यह जो संकट आते हैं, उसके लिए इनके पास कुल 11.36 करोड़ रुपया है, पहले तो आप इस रकम को बढ़वाइये, 11.36 करोड़ रुपया कुछ नहीं होता। एक जगह अगर बड़ी कोई एक ट्रेजेडी हो जाय, कोई एक नैचुरल ट्रेजेडी हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आ गया तो उसके लिए पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपये

चाहिए। उसके लिए 11.36 करोड़ रुपये आपके पास हैं, इसको मेहरबानी करके आप बढ़वाइये। नम्बर-दो, राज्यों को और इस मद में पैसा दीजिए। यह राज्यों की जिम्मेदारी डालकर आप कहते हैं कि यह सारी जिम्मेदारी राज्यों की हैं, है राज्यों की, मगर केन्द्र सरकार ऐसी बड़ी आपातकालीन समस्याओं पर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसलिए आप इस पैसे को बढ़ाइये और स्वयं केन्द्र सरकार इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। मैं यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इस बड़े संकट का मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि यह राष्ट्रीय संकट बन जायेगा, यह राज्यों का अलग-अलग संकट नहीं होगा, अगर आधे लोग सूखाग्रस्त होंगे और काफी जिलों में आपके कहने के मुताबिक 300, 350 आदमी बाढ़ में मर गये। जम्मू कश्मीर में 50 मर गये, कुछ बंगाल में मरे, कुछ मध्य प्रदेश में मरे, कुछ केरल में मरे, सब मिलाकर 350 आदमी बाढ़ में मरे है। जिन लोगों के मकान गिरे हैं, उनके मकानों को बनाने के लिए क्या पैसा मिलेगा, क्या राज्य सरकार के 300 रुपये से, 200 रुपये से वह मकान बनेंगे? आप मेहरबानी करके ऐसी योजना बनाइये कि अगर बाढ़ में लोगों के मकान गिरते हैं तो उन मकानों को बनाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार लें। इसलिए कि राज्य सरकारों के पास साधन नहीं हैं, एक तो मैं यह मांग करता हूं। दूसरे, फौरन राजस्व की वसूली बंद करिये, लगान की वसूली बंद करिये, छात्रों की फीस माफ करिये, वहां सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने की व्यवस्था कीजिए और गल्ला पहुंचाइये।

सबसे बड़ा काम यही है कि बिजली को सुव्यवस्थित कराइये ताकि नहरों में पानी जाये और नलकूप चलें। आगे से बड़ी योजनायें बनाये ताकि ऐसा संकट देश में बार-बार न आये। देश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाइये। उसके लिए पैसे का प्रावधान करें।

मुझे उम्मीद है कि कृषि मंत्री जी मेरी बातों को सुनकर अपने अधिकारियों की रिपोर्ट पर नहीं जायेंगे और इसे अति महत्व का विषय समझकर तुरंत आवश्यक कदम उठायेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चित्त बसु जी, आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया भाषण न दें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे समय सीमा और नियम संबंधी सीमा की जानकारी है।

वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि देश के विभिन्न भागों में बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ आई है। हमारे पास उपलब्ध वक्तव्य और राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट और समाचार से ऐसा विदित होता है कि राज्यों के निम्नलिखित भाग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

पहला राज्य बिहार है। बिहार में न केवल सूखा पड़ा है बल्कि बाढ़ भी आई है। आसाम भी दो बार आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। पंजाब भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। कश्मीर घाटी भी बाढ़ से प्रभावित हुई है। मेघालय में भी बाढ़ आई है। माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से हमें सूखे के बारे में भी जानकारी मिली है।

सभापति महोदय : आप स्थिति स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। भाषण न दें। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री चित्त बसु : मैं केवल स्पष्टीकरण का अनुरोध कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य में ये सब आंकड़े भी दिये गये हैं।

श्री चित्त बसु : इन में जिलों का उल्लेख नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें। मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु : सूखे से प्रभावित और भी क्षेत्र हैं। मैं यह नहीं बता रहा हूं कि कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है। क्या उनके मंत्रालय, सरकार ने यह विरोधाभास नोट किया है कि एक ही राज्य में कुछ गांवों में बाढ़ आई है और उसी राज्य में कुछ जिले सूखे से प्रभावित हैं। यह विरोधाभास है। और यह विरोधाभास कुल मिलाकर व्यापक योजना, जिसमें बाढ़ नियंत्रण उपाय तथा दीर्घावधि हल के लिये सुचारू प्रबन्ध शामिल हैं के कारण हैं।

स्पष्टीकरण के लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विरोधाभास के पहलु को स्वीकार अथवा महसूस करती है और क्या उसने कोई व्यापक योजना अथवा कोई कार्यवाही इस कठिनाई को दूर करने और स्थिति का मुकाबला करने के लिए की है। समस्या का एक यह पहलु है। यह समस्या का स्थायी हल है।

लेकिन समस्या का एक अन्य पहलु भी है वह राहत और पुर्नवास उपायों संबंधी प्रश्न है। मेरे विचार से आप जानते हैं कि वर्तमान प्रणाली असंतोषजनक है तथा इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिये। वर्तमान प्रणाली क्या है? मेरे विचार से आप उसकी व्याख्या करेंगे। दसवें वित्त आयेाग ने प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिये एक निश्चित धनराशि की सिफारिश की है। राज्य सरकार उस निधि से धनराशि निकालेगी और उपलब्ध राशि से आपद राहत निधि (सी.आर.एफ.) के माध्यम से राहत और पुनर्वास उपाय आरम्भ करेगी। सब राज्यों की यह सामान्य शिकायत है कि दसवें वित्त आयेाग ने राज्यों के साथ न्याय नहीं किया और इसके परिणाम स्वरूप ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होंगे। आप अपने प्रश्न तक सीमित रहें।

श्री चित्त बसु : मैं मंत्री महोदय की असमर्थता के लिये जिम्मेदार नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : दसवें वित्त आयेाग का उल्लेख किया गया है।

सभापति महोदय : हमें सबको बाढ़ और सूखे के बारे में दी जाने वाली राहत के मानदण्डों की जानकारी है। हमें इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मैं सरकार की असमर्थता के लिये जिम्मेदार नहीं हूं। मैं यहां मामले उठाने के लिये हूं और सरकार निश्चित रूप से सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करती है अकेले नहीं। आप इस विषय पर आपद राहत निधि पर चर्चा किये बिना कैसे विचार कर सकते हैं? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया समझे। क्या कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करेंगे।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : यही मुख्य विषय है।

सभापति महोदय : क्या आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करेंगे? हमें नियमानुसार कार्य करना चाहिये। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन असंतोषजनक पद्धतियों का पुनरीक्षण किया जायेगा। यदि हां, तो कब और कैसे? यही बात है और मेरा विचार है कि जब तक मैं यह नहीं कहता, वे इसे नहीं समझेंगे **(व्यवधान)**

महोदय, राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद केन्द्र का एक दल दौरा करेगा। तब वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उसी आधार पर केबिनेट यह निर्णय लेगी कि क्या केन्द्र द्वारा कुछ राहत सहायता दी जानी चाहिये अथवा नहीं और यदि दी जानी चाहिये तो कितनी? मैं आपसे यह पूछता हूं कि क्या प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने का यह संतोषजनक तरीका है।

जी, नहीं। मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : यह ध्यानाकर्षण क्षेत्राधिकार से बाहर है।

श्री चित्त बसु : जी, नहीं। क्या आप मुझे प्राकृतिक आपदाओं संबंधी प्रश्न उठाने की अनुमति देंगे। **(व्यवधान)** तब यह ध्यानाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह ठीक है। और अधिक प्रश्न नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : संक्षेप में अथवा विशिष्ट प्रश्न पूछें।

श्री चित्त बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर निगरानी रखने के लिए कोई कार्यवाही की है कि पूर्ण प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया जाये और पुनरीक्षण इस प्रकार किया जाये कि राज्य सरकार को कोई शिकायत न हो और राज्य सरकार द्वारा शीघ्र राहत उपाय किये जा सकते हैं और राज्य सरकारों को शीघ्र ही आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाये। मैं दो राज्य सरकारों का उदाहरण देता हूं ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु जी, नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आसाम **(व्यवधान)** मुख्यमंत्री आसाम के बारे में क्या कहते हैं? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मुझे आपको भाषण बंद करने के लिये कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको प्रश्न पूछना है और मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु : उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया है कि राज्य को प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिये वित्तीय आयोग ने 47 करोड़ रुपये प्रति वर्ष देने की सिफारिश की है। चालू वर्ष में सूखे के लिये कुल राशि ...**(व्यवधान)** यह राशि 23 करोड़ रुपये थी। यह मेरी शिकायत है और यही मेरा प्रश्न है। जबकि वित्त आयोग ने यह राशि आवंटित ...**(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहता हूं कि शेष राशि आसाम सरकार को अभी तक क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : आसाम सरकार भी यह कहती है....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपको सभा के नियम और प्रक्रिया की जानकारी है।

श्री चित्त बसु : मैं जानता हूं।

सभापति महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री चित्त बसु : तो क्या हुआ?

सभापति महोदय : मैंने यादव जी को अधिक समय दिया है क्योंकि जहां तक किसानों का संबंध है यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। उन्होंने विस्तृत वक्तव्य दिया है और मंत्री महोदय यहां उत्तर देने के लिये हैं। आप विशेष रूप से एक अथवा दो प्रश्नों का उल्लेख कर सकते हैं और आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप वक्तव्य पढ़ रहे हैं और लम्बा भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मैं सविनय कहता हूं **(व्यवधान)** मुझे नियम की सीमा की जानकारी है **(व्यवधान)** मैं स्वयं अपनी सहायता कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उनका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। हम इसे समाप्त करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपना सुझाव दिया है। आप अपना स्थान क्यों नहीं ग्रहण करते?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप बैठते क्यों नहीं। अपना विशेष प्रश्न पूछें।

श्री चित्त बसु : मैं पहले ही तीन विशिष्ट प्रश्न पूछ चुका हूं और चौथा पूछने वाला हूं।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु जी आपको स्पष्टीकरण संबंधी केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति है। यही प्रक्रिया है।

श्री चित्त बसु : नियम स्पष्ट है। मैं कुछ स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछ सकता हूं। चार अथवा एक प्रश्न पूछने की कोई सीमा नहीं है। सीमा कहां है? नियम क्या हैं?

सभापति महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया मुझे आप अपना भाषण समाप्त करने को मजबूर न करें।

श्री चित्त बसु : मैंने तीन प्रश्न पूछे हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : हां, वह निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु : चौथा प्रश्न यह है कि आसाम के मंख्यमंत्री द्वारा धनराशि उपलब्ध न करने के बारे में शिकायतें की गई हैं जबकि दसवें वित्त आयोग द्वारा धनराशि आवंटित की जा चुकी है। अत: मैं इस बारे में कारण जानना चाहता हूं। दूसरे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी शिकायत की है कि उन्होंने 256 करोड़ राशि सूखा राहत के लिए मांगी थी। केन्द्रीय सरकार ने अब तक आपद राहत निधि के लिये 39.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। इस आवंटित राशि में से केवल 15 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्नाटक सरकार को सूखा स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अब तक केवल 15 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। मैं सरकार से इस आशय का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का अनुरोध स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से आपके अन्तिम प्रश्न का उत्तर देने के लिये नहीं कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है। आपको यह समझना चाहिए। बाढ़ और सूखे के कारण उत्पन्न हुए वर्तमान संकट संबंधी यह सीमित प्रश्न है। राज्य को केन्द्रीय सहायता पृथक मामला है। मंत्री महोदय के लिये इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य नहीं हैं।

श्री चित्त बसु : यदि आप इस प्रकार का विनिर्णय देते हैं, तो मुझे दुख है लेकिन इसके गम्भीर परिणाम होंगे। आपने सूखे और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्रस्ताव स्वीकार किया है। इस दिशा में की गई आवश्यक कार्यवाही में राहत कार्य शामिल है। राहत के लिये वित्त का प्रश्न शामिल होना आवश्यक है। उक्त प्रश्न में केन्द्रीय सहायता का प्रश्न भी शामिल है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : ये मेरे चार प्रश्न हैं।

सभापति महोदय अच्छा अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। अन्य सदस्य का नाम पुकारने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण करना चाहूंगा कि उन्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिये। वरिष्ठ सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी नियमों को जानते हुए भी इस विशेष प्रस्ताव के क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहे हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, अब आप अपना स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जिस विषय पर बहस शुरू हो रही है इस पर मेरे से पूर्व दो वक्ता बोल चुके हैं। मेरा यह कहना है कि यह कोई नयी चीज नहीं हैं, लेकिन हम सरकार से जानना चाहते है कि 47 वर्षों की आजादी के बाद भी इस सदन में बाढ़ और सूखे पर हर वर्ष बहस होती है। मैं भी यहां 10-11 साल से देख रहा हूं, लेकिन बाढ़ और सूखे से स्थाई रूप से निपटने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है? क्या अभी तक सरकार ने कोई योजना बनाई है? क्या यह सत्य नहीं है कि यह बाढ़ और सूखे से देश को अरबों रुपए का घाटा होता है तथा किसानों को भी भारी मात्रा में धन जन का नुकसान होता है। लोगों की जानें जाती हैं। क्या सरकार ने इतना रुपया राहत कार्यों के लिए रखा है? हम आपसे जानना चाहते है कि अगर किसी राज्य में सूखा पड़ गया और वह राज्य गरीब है, उनके पास साधन नहीं तो क्या उस राज्य के नागरिकों को, किसानों-मजदूरों को बचाना आपका कर्त्तव्य नहीं है? आपने बताया है कि बिहार में सूखाड़ नहीं है, जो की सच्चाई से कोसों दूर है। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में सुखाड़ है और वह सुखाड़ आपकी वजह से है। अंग्रेजों के जमाने की अरवल सिंचाई योजना मेरे क्षेत्र में है, जिससे कई जिलों में सिंचाई होती है। लेकिन आज तक आप उस के रख-रखाव का काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से उसके द्वारा सिंचित क्षेत्र 33 प्रतिशत कम हो गया। आज वह इलाका बंजर बनता जा रहा है। यदि आप अंग्रेजों द्वारा दी गई इतनी महत्वपूर्ण योजना का रख-रखाव नहीं कर सके तो आप कुशल प्रशासक नहीं कहला सकते।

सभापति महोदय, बिहार की कुछ योजनाएं जो लंबित पड़ी हुई हैं, यदि उनको कार्यरूप दे दिया जाए तो बिहार को बाढ़ और सुखाड़ दोनों से बचाया जा सकता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना पुन पुन मोरहर परियोजना है, जिसकी अनुमानित लागत एक अरब है और यह योजना धनाभाव के कारण खटाई में पड़ी हुई है। यदि केन्द्र सरकार बिहार को सूखे से बचाना चाहती है तो दक्षिणी बिहार की इस योजना के लिए इस वर्ष केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सहायता प्रदान करे और इस योजना को शीघ्र शुरू करवाऐं नहीं तो सिर्फ बहस करने से काम होने वाला नहीं है। यदि यह समझ लिया जाए कि रामाश्रय प्रसाद के बोल लेने से या अन्य माननीय सदस्यों के बोल लेने से काम समाप्त हो जायेगा, ऐसा नहीं है।

आजकल जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ये तीन बार बिहार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनके समय के राजकीय नलकूपों का क्या हुआ। लाखों-करोड़ों की वह योजना थी, लेकिन सारे नलकूप आज बिगड़े हुए हैं, उनकी देखभाल नहीं हो रही है। आज अगर राजकीय नलकूप योजना ठीक प्रकार से चल रही होती तो बिहार सूखे का मुकाबला कर सकता था। बिहार के मुख्यमंत्री बार-बार पैसे की मांग करते हैं। जब तक सहायता नहीं दी जाएगी, तब तक खाली यहां पर बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा।

मेरा निवेदन है कि जिन बिंदुओं की तरफ मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उनके बारे में मंत्री महोदय अपने जवाब में बताएं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना भाषण समाप्त करेंगे? श्री दास, कृपया उनके उदाहरण का अनुसरण न करें।

(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं अपना भाषण केवल दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न की तरह पूछिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा में सब विषयों पर चर्चा का अवसर मिलता है। हमें नियमानुसार चलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र नाथ दास : आप मेरा समय ले रहे हैं...**(व्यवधान)** सभापति महोदय, मैंने वक्तव्य का अध्ययन किया है। इस वक्तव्य में और वास्तव में सरकार द्वारा प्राप्त राहत राशि नें भारी अन्तर है। अत: मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार को उचित समय पर अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिऐ ताकि राज्य सरकार इस संकट का मुकाबला कर सकें। बाढ़ और सूखा प्रति वर्ष की बात हो गई है। मैंने विभिन्न शब्दों में कुछ विचार व्यक्त किये हैं।

प्रत्येक वर्ष प्रभावित होने वाले कुछ क्षेत्र 7.7 मिलियन हेक्टेयर है। प्रतिवर्ष प्रभावित होने वाली फसल का क्षेत्र 3.5 मिलियन हेक्टेयर है। बाढ़ से प्रति वर्ष 1439 लोगों की मृत्यु होती है और बाढ़ से प्रतिवर्ष 900 करोड़ रुपये की हानि होती है।

यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आपको इसकी जानकारी वक्तव्य से भी मिल सकती है। इस वर्ष भी देश के विभिन्न भाग बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुए हैं। आसाम राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूंचबिहार जैसे क्षेत्र भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। संचार व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हुई है। संचार व्यवस्था को भी ठीक किया जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आवंटित नहीं की है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनरोध है कि वह संचार प्रणाली को ठीक करने के लिये धनराशि आवंटित करें। राहत राशि देना कोई स्थायी हल नहीं है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समस्या का स्थाई हल निकालने के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है जिससे देश की जनता को इस संकट से छुटकारा मिल सके।

मैं इस बारे में निम्नलिखित स्पष्टीकरण चाहता हूं :-

1. क्या भविष्यवाणी की वर्तमान व्यवस्था समस्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त है, यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?
2. क्या समेकित दीर्घावधि बाढ़ प्रबन्ध• और सूखा नियंत्रण योजनायें वास्तव में बनाई गई हैं? यदि हां, तो मैं निगरानी प्रक्रिया सहित इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी जानना चाहूंगा।
3. निजली गंगा और ब्रहम्पुत्र क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण संबंधी व्यापक योजना की स्थिति क्या है।
4. भू-कटाव के कारण उत्पन्न गाद के परिणामस्वरूप नदी-तल और समुन्द तल में वृद्धि हो रही है। क्या सरकार के पास तल को गहरा करने संबंधी कोई कार्यक्रम है? यदि हां, तो मैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी विस्तार से जानना चाहता हूं।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर मोड़ने की वृहद् योजना तैयार करनी चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे (वर्धा) : सभापित महोदय, मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है यह अधूरा है। मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि उन्होंन केवल कर्नाटक के ही सूखाग्रस्त एरिये का उल्लेख किया है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और महाराष्ट्र का आधे से ज्यादा हिस्सा सूखाग्रस्त है। शोलापुर जिला, मराठवाड़ा और विदर्भ का ज्यादातर हिस्सा सुखाग्रस्त है। यहां पर बारिश ही नहीं हुई और जब बारिश 20 जुलाई के आस-पास हुई थी तब तक प्री-मानसून रेन में

लोगों ने जो बोया था वह सूख गया। परिणामस्वरूप बीज खरीदने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं था। खाद खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था जिससे खाद भी उन्हें समय पर नहीं मिला। इसलिए जो फसल जिस समय बोनी चाहिए थी वह समय भी निकल गया। अब रबी की फसल शेष रह जाती है और उसके लिए भी हमारे यहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। वहां लोगों को किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिली है। खेत-मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। ऐसी हालत में फिर से इसका पुनर्वालोकन किया जाए और इसके बारे में उचित उपाय किये जाएं। किसान कम से कम रबी की फसल बो सके, इस दृष्टि से उनको कुछ न कुछ मदद मिलनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि उनको खाद की, बीज की, कर्जे की कुछ न कुछ मदद मिलनी चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

3.00 म.प.

सभापति महोदय : अब और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिये थे उन्हें स्पष्टीकरण प्राप्त करने का समय दिया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैंठे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, हर साल इस पर 193 के अंतर्गत डिसकसन होती है लेकिन इस बार कालिंग अटेंशन के अंतर्गत हो रहा है। इस पर अपनी चिंता प्रकट करने के लिए या तो इसे 193 में कनवर्ट कीजिये या रूल्स सस्पैंड कीजिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप सभा के नियमों का पालन करना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : जी नहीं। यह मुद्दा नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार आपको इस पर वक्तव्य देने की अनुमति नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर जारी रखें। आप अपना उत्तर प्रस्ताव से संबंधित बातों तक ही सीमित रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। यह बात ध्यान में रखें।

श्री नीतीश कुमार : जी हां। हम यह बात समझते हैं।

सभापति महोदय : अत: आप एक सीमा से बाहर नहीं जा सकते। आप कोई और नियम का सहारा ले सकते हैं। यदि आप चर्चा चाहते हैं, तो आप कोई और प्रक्रिया अपना सकते हैं। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है।

कृपया यह बात समझ लें। मैं किसी भी सदस्य को इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें। इस बात की अनुमति नहीं है। आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : यदि आप चाहें, तो आप बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

सभापति महोदय : अब आप अपने स्थान पर बैठें। हमें इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करने की अनुमति नहीं है। प्रस्ताव के प्रस्तावक, श्री चन्द्रजीत यादव को लगभग 20 मिनट का समय अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अध्यक्षपीठ को इस बात की पूरी जानकारी है। हमें अनावश्यक

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवाद में नहीं पड़ना चाहिये। चर्चा का क्षेत्र, प्रत्येक सदस्य द्वारा जिसका नाम सूची में है, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने तक ही सीमित है। सब सदस्यों ने पांच से दस मिनट तक के लंबे भाषण दिये हैं। इस मामले से संबंधित सभी बातों की सभा को जानकारी दी जा चुकी है। वक्तव्य में जानकारी देने में कुछ कमी हो सकती है। यह बात भी मंत्री महोदय की जानकारी में लाई जाती है।

अब मंत्री महोदय उत्तर दें। कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। मैं मंत्री महोदय से उत्तर देने का अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कोई और चर्चा नहीं।

श्री नीतीश कुमार : हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। हम सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल रहे हैं... **(व्यवधान)** हम अध्यक्षपीठ से अनुरोध कर रहे हैं। आप हमारे अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मंत्री द्वारा कहीं जाने वाली बात के अतिरिक्त और कुछ रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप वक्तव्य के बाद इसकी अनुमति दे सकते हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इतना अधिक महत्वपूर्ण मामला चर्चा के लिए उठाने के बाद, यदि आप मंत्री महोदय को सुनना नही चाहते, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। कृपया मंत्री महोदय की बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से देश में सूखे और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने का इस सदन को अवसर दिया है।

सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून अगर पूरे देश में समय पर नहीं आता है और यदि आता भी है तो बीच में अगर कोई गतिरोध आता है तो देश की जनता और माननीय सदस्यों की चिंता जाहिर होना स्वाभाविक ही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है जहां 70 प्रतिशत देश की आबादी इस व्यवसाय में लगी है।

यह बात सही है कि शुरू में जैसे मैंने अपने मूल वक्तव्य में कहा कि मानसून एक हफ्ता देर से शुरू हुआ और कुछ दिन चलने के बाद बीच में गैप हुआ। इस गैप से देश में सरकार को भी चिंता जरूर हुई, पर बाद में जब फिर से मानसून इस देश में आया, तो उससे पूरे देश की स्थिति खासकर कृषि की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मैं यह नहीं कहता सब बिल्कुल ठीक है पर मैंने मूल वक्तव्य में विस्तार से दिया है कि कितनी औसतन वर्षा कहां हुई है और कहां-कहां वर्षा की डेफिशिएंसी है। माननीय चन्द्रजीत यादव ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में काफी चिंता जाहिर की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। यह तो जग जाहिर है कि कितनी वर्षा कहां हुई। इसलिए मैंने जो 35 मीटीरियोलोजिकल सब डिवीजन हैं, उनके आंकड़ें भी इसमें दिये हैं। जो आप बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं, उसमें न ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और न बिहार सरकार की तरफ से ऐसी कोई सूचना हमको मिली की स्थिति बहुत खराब है।

श्री नीतीश कुमार : अगर वहां की सरकार इनकम्पीटैण्ट है तो इसका मतलब यह है कि आप भी बैठे रहिये।

श्री अरविन्द नेताम : मैं यह नहीं कह रहा हूं। हमें सूचना मिली है कि मानसून के देर से आने की वजह से थोड़ी सी देरी बीज बोने में हुई है। पर जितनी भी खरीफ की फसल हैं, चाहे पैडी हो, ऑयल सीडज हों या पल्सैज हों, इसमें हमें जो इनफोरमेशन राज्य सरकारों से मिली है, उनके रकबों में कहीं कमी होने की संभावना नहीं है। अभी दो महीने और मानसून बाकी है। अगस्त के महीने के शुरू में ही यह निर्णय करना कि स्थिति बहुत खराब हो गई है, यह जल्दबाजी होगी। इसलिए मैंने मूल वक्तव्य में कहा है कि दो महीने बाकी है और बाद में इसका ऐनालैसिज किया जा सकता है।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : खेत सूख गये हैं, पानी नहीं मिल रहा है और आप अनुमान लगाएंगे? ...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : हमारे यहां एक कहावत है कि 'का बरसा जब कृषि सूखानी।' जब सूखा पड़ गया तो वर्षा क्या करेगीं? ...! **(व्यवधान)**

श्री अरविन्द नेताम : सभापति जी, मैं कह रहा था कि मानसून 10-12 दिन डिले हुआ है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया यह बात समझ लें कि आपके इस प्रकार शोर मचाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : किसान परेशान हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : केन्द्र सरकार भेदभाव बरतने का काम कर रही है और बिहार सरकार सक्षम हैं...**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दो महीने और मानसून के बाकी हैं। तब तक तो देश तबाह हो जायेगा। इनको तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। ....**(व्यवधान)**

श्री अरविन्द नेताम : बिहार प्लेटो में वर्षा की स्थिति - 14 प्रतिशत है जो सामान्य के करीब है। बिहार प्लेस में -28 प्रतिशत है, वह भी सामान्य के करीब है। उसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में -24 प्रतिशत है और प्लेन्स ऑफ यूपी में -32 प्रतिशत हैं। वैस्टन और हिल्स ऑफ यूपी में -15 प्रतिशत है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार : ये आंकड़े कहां से बनाये हैं आपने?

श्री अरविन्द नेताम : मीटीरियोलॉजिकली सब डिवीजन से। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती सरोज दूबे, यह सब क्या हैं? आपने इस विषय पर कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दूबे : हम लोग अपने क्षेत्रों में स्थिति देखकर आए हैं तब कैसे न बताएं। ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : हम लोग कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप हस्तक्षेप कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती दुबे, जी आपने इतनी गंभीर स्थिति पर बोलने का नोटिस नहीं दिया और अब आप बिना अध्यक्षपीठ की अनुमति के शोर मचा रही है। आप कृपया अपनी सीट पर बैठें। आप इस प्रकार कब तक शोर मचाती रहेंगी?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : हम प्रस्तुत किये जा रहे आंकड़ों के बारे में आपत्ति कर रहे हैं। हम सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल रहे हैं।

सभापति महोदय : आप किसलिए आपत्ति कर रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : हमें इस ओर उनका ध्यान आकर्षित...

सभापति महोदय : ये सब तथ्य और आंकड़े हैं।

श्री नीतीश कुमार : हम इस बारे में ही आपत्ति कर रहे हैं कि मंत्री महोदय ने आंकड़े कहां से प्राप्त किये है? यही हमारा प्रश्न है।

बिहार में सूखे की स्थिति है हम बिहार से आये है। केवल दो दिन पूर्व हम बिहार से आये हैं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह क्या है? आप इस प्रकार क्यों शोर मचा रहे हैं? क्या आप यह समझते हैं कि इससे आपको कोई मदद मिलेगी आप जो शोर मचा रहे है उससे आपकी बात कोई भी समझने में असमर्थ हैं। तब, क्या इससे आपको मदद मिलेगी?

श्री नीतीश कुमार : कृपया आप हमारी मदद करें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : तथ्य यह है कि इस विषय पर पांच माननीय सदस्यों ने बोलने की सूचना दी थी और उन्हें बोलने का अवसर दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब यदि आप इस प्रकार बोलते रहेंगे, तो हम सभा की कार्यवाही कैसे जारी रख सकेंगे?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, अनेक सदस्यों ने, बोलने की सूचना दी थी। लेकिन आज की कार्यसूची में केवल पांच सदस्यों का नाम शामिल किया गया है।

सभापति महोदय : केवल उन्हीं ही सदस्यों को बोलने का अधिकार हैं।

श्री नीतीश कुमार : वे भाग्यशाली व्यक्ति हैं।

सभापति महोदय : केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाती है जिनका नाम कार्यसूची में शामिल होता है।

श्री नीतीश कुमार : हमें यह पता है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब आप मंत्री महोदय के उत्तर में बाधा न डालें। वह जो यहां पढ़ रहे हैं वे वास्तविक आंकड़े हैं। आप उनसे इंकार नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत सी राज्य सरकारों ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब आप अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? कुछ राज्य सरकारों, जैसे बिहार राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में सूचित नहीं किया है। यही बात मंत्री महोदय ने कहीं है। आपको वस्तु स्थिति की जानकारी होनी चाहिये। आप कृपया उनकी बात सुने। मैं कोई हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दूंगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह मंत्री महोदय के भाषण में बाधा न डालें। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप बिहार गवर्नमेंट के बारे में कैसे कह रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने नहीं किया है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : आप इस बारे में डा. जगन्नाथ मिश्र से पूछ सकते हैं...**(व्यवधान)** महोदय हम अपने राज्य में सूखे जैसी स्थिति के कारण उत्तेजित हैं।

सभापति महोदय : आपकी अपनी राज्य सरकार की असफलता की घोषणा की जा रही है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, वह मेरी राज़्य सरकार नहीं हैं। मैं उसे मान्यता नहीं देता हूं।

सभापति महोदय : आप यह बात भी समझ लें कि शोर मचाकर आप राज्य सरकार के खिलाफ भी आरोप लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, माननीय चन्द्रजीत जी और चित्त बसु साहब ने कैलेमिटी रिलीफ फंड का जिक्र किया। चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि सी.आर.एफ. के माध्यम से राज्यों को जो मदद मिलती है उसको बढ़ाना चाहिए। मैं सारे सदन को बताना चाहता हूं कि दसवें वित्त आयोग ने नवे वित्त आयोग की तुलना में राशिा बढ़ाई है।

नवे वित्त आयोग में 4020 करोड़ रुपया था जबकि दसवें वित्त आयोग में 6304 करोड़ है। इस प्रकार सी.आर.एफ. की राशि बढ़ाई है। जो दसवें वित्त आयोग के द्वारा सभी राज्यों को मदद के रूप में मिलेगी।

सभापति महोदय, यह सी.आर.एफ. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और 10 वां वित्त आयोग बैठकर तय करता है और सभी बातों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि इसमें केवल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही जिम्मेदार है। इसमें सभी राज्य मिलकर अपनी अपनी बात कहते हैं और उसके आधार पर यह सी.आर.एफ. तय होता है। यह सब दसवें वित्त आयोग ने तय किया है। और उसी दायरे में मुझे काम करना है तथा उसी दायरे में मुझे मदद करनी है।

श्री चित्त बसु : क्या इसको सुधारने का काम करेंगे?

उसको सुधारने का मौका राज्य सरकारों को मिलता है और वे फाईनेंस कमीशन के सामने अपनी बात कह सकते हैं। उसी हिसाब से राहत राशि बढ़ाई जाती है और सी.आर.एफ. भी बढ़ाया गया है। जब-जब भी राज्य सरकारों की तरफ से इस ढंग की मांग आती है तो केन्द्र सरकार की तरफ से, अपनी मिन्स्ट्रिी की तरफ से, सी.आर.एफ. की लिमिट के तहत, हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। वर्षा की स्थिति, फसल की स्थिति और बुआई की स्थिति के बारे में हम पूरी तरह राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये हुये हैं और उनकी जो भी मदद हो सकती है, केन्द्र की तरफ से उसे देने का प्रयास कर रहे हैं। सभी राज्य सरकारों को हमने सी.आर.एफ. की दो इन्सटालमेंटस, जितना उनका हिस्सा है उसके मुताबिक, रिलीज कर दी हैं। इस फण्ड के माध्यम से उनकी जो भी मदद हो सकती है हम करने के लिये तैयार है ताकि वे अपने राज्य में कृषि क्षेत्र में हुये नुकसान को पूरा कर सकें। यदि कोई राज्य सरकार हमसे एडवांस में राशि चाहती है, यदि किसी राज्य में स्थिति विकट हो गयी है, तो हम एडवांस में भी सी.आर.एफ. की राशि रिलीज करने के लिये तैयार हैं। इसमें हमारी मिनिस्ट्री और सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई राज्य सरकार हमसे डिमांड करेगी तो उसकी हम मदद करने की कोशिश करेंगे।

अभी चित्त बसु साहब ने कर्नाटक के बारे में कहा। यह ज़रूर है कि कर्नाटक सरकार ने शुरू में मानसून की स्थिति खराब होने की वजह से एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी थी, उस पर हमने एक्शन लिया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने हम लोगों की पीड़ा को बिल्कुल नहीं समझा है। हम लोगों में देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था लेकिन मंत्री जी लोगों की पीड़ा का उपहास कर रहे हैं...(व्यवधान) आज किसानों की हालत खराब है। इन्होंने किसानों की पीड़ा को समझने का काम नहीं किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनको सुनने का धैर्य रखें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इनके पास सिवाय गलतबयानी के कुछ कहने के लिये नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे आशा है आप किसी सदस्य के दबाव में नहीं आ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : कर्नाटक सरकार ने हमसे जो मांग की थी, मैं चित्त बसु साहब को बताना चाहता हूं और कर्नाटक सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाद में मानसून आने से राज्य में स्थिति में काफी सुधार आया है। जैसा मैंने अभी कहा, कर्नाटक को भी हमने सी.आर.एफ. की दो इन्स्टालमेंटस दे दी हैं। वर्षा न होने से कर्नाटक में पहले जो स्थिति खराब थी, अब वैसी स्थिति नहीं है बल्कि पूरे कर्नाटक में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। फिर भी यदि राज्य सरकार चाहेगी और सी.आर.एफ. की मांग करेगी तो हम उसमें राज्य सरकार की मदद करेंगे...(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि राहत पहुंचाने काम राज्य सरकारों का है, चाहे वह राहत सूखे की स्थिति से निपटने के लिये देने का सवाल हो या बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये देने का सवाल हो, खासकर गांवों में इसे किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा मैंने अपने मूल वक्तव्य में कहा, केन्द्र सरकार के पास और भी योजनाएं हैं और उनका लाभ भी राज्य सरकार जरूर ले सकती है। अभी जवाहर रोजगार योजना का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा कई सैन्ट्रली स्पौन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका भी मैंने जिक्र किया...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : जवाहर रोजगार योजना के बारे में आप क्या जवाब देंगे, उसके लिये तो जगन्नाथ मिश्र जी बैठे हुये हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अभी माननीय सदस्य ने बाढ़ और सुखे के संबंध में कहा। मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं... (व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मंत्री जी बाढ़ और सूखे के लिये राहत के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं.. .(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी, नहीं। आप उनको सुन नहीं रहे हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : वह हमें केवल यही बता रहे हैं कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : हमने करीब, 1,623 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण के लिए रखे है, जिसमें से स्टेट सैक्टर में 1366 करोड़ रुपये हैं।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हम विरोध में सदन छोड़कर जा रहे हैं।

3.21. म.प.

इस समय श्री श्रीकांत जेना और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : सभापति महोदय, देश में सूखे से किसानों के ऊपर भारी मार पड़ रही है और यहां मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अभी अनुमान लगाने की स्थिति नहीं हैं।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। कृपया अपनी ताकत न गवायें। यदि आप सभा भवन छोड़ना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। आप पहले ही आंशिक रूप से सभा भवन छोड़ चुके हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो कृपया जाइए, लेकिन इस प्रकार शोर न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : सभापति महोदय, फ्लड कंट्रोल के लिए भी आठवीं योजना में काफी पैसा सेंट्रल सैक्टर और स्टेट सैक्टर में रखा गया है और इस प्रकार से यह योजना 1954 से लगातार जारी है और हर बार की पंचवर्षीय योजना ने काफी पैसा रखा गया है। इसमें मुख्य काम तो राज्य सरकारों को ही करना होता है। यह काम चूंकि राज्य सरकारों को करना है इसलिए उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे नई योजना हो, चाहे पुरानी योजना हो, यह उसी को सोचना है कि इसको किस प्रकार से पूरा करना है।

ड्राउटप्रोन एरिया के बारे में भी भारत सरकार की एक अलग योजना है जिसको अलग-अलग समय में अलग-अलग ढंग से लागू किया गया है। 1977 में इसको रूरल वर्क्स प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट किया गया था। 1993 में इसे दूसरा नाम दे दिया गया और इसमें करीब 627 ब्लाक्स, 96 डिस्ट्रिक्टस के माध्यम से 13 स्टेटस में काम चल रहा है। इसमें भारत सरकार की तरफ से मदद दी जाती है और सेंट्रल और स्टेट सैक्टर दोनों में अलग-अलग राशि दी जाती है। इस प्रकार से लगातार सूखे से बचने के लिए डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया है।

1974 में नैशनल एग्रीकल्चर कमीशन के आधार पर जहां-जहां आवश्यक हो, सभी के लिए भारत सरकार की ओर से मदद दी जाती है। इसलिए मैं सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस निर्णय पर पहुंचना कि सूखे की स्थिति बहुत खराब है। जिस ढंग से वर्षा शुरू हुई है और मानसून आया है, उससे स्थिति में काफी सुधार हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इस प्रकार से मानसून चलता रहा, तो जो भारत सरकार का अन्नोत्पादन का लक्ष्य है वह पूरा होगा। उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और अगर खरीफ की फसल में कोई कमी रह भी गई, तो हम उसको रबी की फसल में पूरा कर लेंगे और इसके लिए हम भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों के साथ मिल बैठकर बात करेंगे और इस कमी को पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मंत्री महोदय को आसाम के बारे में कुछ और विस्तार में जाना चाहिये। यह वहां की बहुत ज्वलंत समस्या है।

सभापति महोदय : वक्तव्य में इसका उल्लेख किया गया था। श्री किरिप आप सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री किरिप चलिहा : इस बारे में स्थायी हल निकाला जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : परमानेंट साल्यूशन तो मैंने बताया कि फ्लड कंट्रोल की अलग से स्कीम है और उसको भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रही है और सभी पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में इसको किया गया है। इस प्रकार से सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के जरिए से देश को यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में मानसून आने से जो स्थिति इम्प्रूव हुई, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं खासकर कृषि के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यदि कोई कमी होगी तो उसको हम रबी में पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

3.25 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

बावनवां प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं, श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 1 अगस्त, 1995 को सभा में पेश किए गए बावनवें प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के पैरा 2 की मद संख्या (1) और (2) को छोड़कर जिन्हें अब तक निपटाया जा चुका है, से सहमत हैं।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 1 अगस्त, 1995 को सभा में पेश किए गए बावनवें प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के पैरा 2 की मद संख्या (1) और (2) को छोड़कर जिन्हें अब तक निपटाया जा चुका है, से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.26 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक)**दक्षिण पूर्व रेलवे की नौपादा परलाखामुंडी-गुनुपुर छोटी लाइन को शीघ्र परिवर्तित करने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति (बहरामपुर) : पूर्व बजटों की भांति रेलवे ने 1995 के अपने बजट में चिर प्रतीक्षित नौपदा-परलाखामुंडी-गुनुपुर छोटी लाइन को परिवर्तित करने तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिये इसका विस्तार दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आने वाले उड़ीसा में रायगढ़ तक करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की है।

इस रेल लाइन के विकास के लिये, जिसकी आधारशिला उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण चन्द्र गजपति ने इसमें व्यक्तिगत रूप से स्वयं रूचि लेकर और वित्तीय व्यवस्था करके रखी थी, के सुधार के लिए अब तक भारी आंदोलन हुए हैं।

उक्त परियोजना का सर्वेक्षण उड़ीसा के पूर्व रेलवे राज्यमंत्री ने आरम्भ किया था और पता लगा है कि सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना को आरम्भ न करने से क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में, गत वर्ष मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर माननीय प्रधान मंत्री ने इस परियोजना को आरम्भ करने की सिफारिश की थी।

अत: मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चिर प्रतीक्षित परियोजना को शीघ्र आरम्भ करें जिससे मुख्य रूप से आदिवासियों तथा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दो सीमावर्ती राज्यों की यात्रा संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

3.27 म.प.

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

(दो) **पंजाब में नावांशेरा और राहों के बीच गाड़ियों को पुन: चलाये जाने की आवश्यकता**

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : राहों, फिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक कस्बा है। यह नम क्षेत्र वाले सौ गांवों से घिरा हुआ है। भारत का विभाजन होने से पूर्व भी रेलगाड़ी परिवहन का प्रमुख साधन थी। लेकिन खाड़ी युद्ध के बाद राहों और नावांशेरा के बीच चलने वाली गाड़ियों को छोड़ कर गाड़िया फिर से चला दी गई थी। वर्तमान रेल पटरी केन्द्रीय सरकार द्वारा बिछाई गई थी लेकिन उस पर होने वाला व्यय राहों के उस समय के विधान सभा सदस्य ने वहन किया था तथा इस प्रयोजनार्थ भूमि भी उन्होंने दान दी थी। उस समय केन्द्रीय सरकार और विधान सभा सदस्य से एक समझौता हुआ था कि सरकार इस पटरी पर चलने वाली गाड़ियों को तब तक बन्द नहीं करेगा जब तक भारतीय रेलवे विद्यमान है। गाड़ियों का चलाया जाना बंद किया जाना उपरोक्त समझौते की पारस्परिक भावनाओं तथा इस क्षेत्र के हितों और सुविधा के विरूद्ध है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि नावांशेरा और राहों के बीच रेल सेवा पुन: आरम्भ की जानी चाहिये ताकि इस क्षेत्र की विकास और समृद्धि हो सकें।

[अनुवाद]

(तीन) **मध्य प्रदेश में बिलासपुर और शहडोल के बीच पुन: स्थानीय रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगडे (विलासपुर) : सभापति महोदय, विलासपुर से शहडोल के बीच एक लोकल रेलगाड़ी चला करती है जिसमें व्यापारी एंवं दैनिक यात्रीगण यात्रा करते हैं। यह रेल सेवा कुछ दिनों से बंद कर दी गई है जिसके कारण विभिन्न वर्ग के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस रेल सेवा को शुरू करने के लिए आन्दोलन भी किया जा रहा है। इस रेल सेवा के मार्ग के महत्वपूर्ण शहरों जैसे कोटा, बेलगनहा, खोन्डरी, खुनसरा, पंडारा रोड एवं अनुपपुर के विकास कार्यो पर इस रेल सेवा के बंद हो जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कटनी एवं विलासपुर के बीच विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह कार्य पूरा हो जाने के बाद उक्त रेल सेवा पुन: आरम्भ कर दी जाएगी। अत: लोगों की भावना के आधार पर सरकार से अनुरोध है कि उक्त रेल सेवा शीघ्र चलाई जाए। साथ ही हीराकुंड

एक्सप्रैस निजामुद्दीन से संबलपुर चलती है। इसका पंडारा रोड पर ठहराव स्थल बनाया जाये।

[अनुवाद]

(चार) **देहरादून में ओ.एन.जी.सी. का कार्यालय बनाये रखे जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : सभापति महोदय, समाचार पत्रों एवम् अन्य माध्यमों से पता चला है कि भारत सरकार देहरादून से ओ.एन.जी.सी. कार्यालय को हटाकर अन्य किसी स्थान पर ले जाने की सोच रही है। इस संदर्भ में आम जनता का संदेह इसलिए बढ़ा है कि देहरादून ओ.एन.जी.सी. से कई अधिकारियों व कर्मचारियों को कम कर दिया गया है।

ओ.एन.जी.सी. कार्यालय का देहरादून क्षेत्र के लिए एक विशेष महत्व है। जनता में इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं से भारी आक्रोश पैदा हो गया है और जनता बहुत आन्दोलित है। इस विषय पर पहले भी मैंने पैट्रोलियम मंत्री जी से पूछा था और मुझे लिखित आश्वासन दिया गया था कि यह कार्यालय वहां से हटाया नहीं जायेगा।

मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह आश्वासन दे कि ओ.एन.जी.सी. के कार्यालय को देहरादून से नहीं हटाया जायेगा।

(पांच) **उत्तर प्रदेश में तामेश्वरनाथ, खलीलाबाद और कोपिया में ऐतिहासिक अवशेष का शीघ्रातिशीघ्र विकास किए जाने की आवश्यकता**

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, तामेश्वर नाथ विकास खंड खलीलाबाद, जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक तथा धार्मिक रूप से अत्यंत ही मान्यता प्राप्त अति महत्वपूर्ण स्थान है। एक ओर जहां हिंदू धर्म मानने वालों के लिए शिवलिंगों में से एक शिवलिंग इस स्थान पर है, वही ऐसे अनेक प्रमाण मिले है कि भगवान बुद्ध जब अपना राजकाल छोड़ संयास के लिए चले थे, तो इसी स्थान पर वे अपने राजसी वस्त्र और सवारी त्यागकर, सिर मुंडाकर सन्यास के लिए आगे बढ़े थे। वर्षों से महाशिवरात्रि के पर्व पर इस स्थान पर मेला लगता चला आ रहा है, जो आज भी लगता है। इस मेले में हिन्दू धर्म भक्त, मेला प्रेमी तथा बौद्ध भिक्षु हजारों की संख्या में आते हैं।

इस स्थान के साथ ही खलीलाबाद विकास खंड जनपद बस्ती, उत्तर प्रदेश के कोपिया में अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में कपिलवस्तु यही है। इस स्थान पर पोखरे के दाहिने ओर का स्तूप इसे और प्रमाणित करता है। इसी प्रकार धर्म सिहवा, विकास खण्ड साथा, जनपद सिद्धार्थनगर में भी एक प्राचीन धर्म स्तूप है, जो यह प्रमाणित करता है कि यह बौद्ध भिक्षुओं का धर्मस्थल था, जो धर्म संघ के नाम से जाना जाता था।

इन तीनों स्थानों पर पोखरे के दाहिने तरफ के स्तूप एवं खेत की जुताई एवं खनन के समय ईंटे, अवशेष तथा बहुमूल्य वस्तुऐं ठीक उसी प्रकार के मिलते रहते हैं,, जिस प्रकार के पिपरहवा, सारनाथ और कसया में पाये जाते है।

ये तीनों इतिहासकारों एवम् पुरातत्व विभाग के लिए शोध के विषय है। इस संबंध में सर्वे आफ इण्डिया ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार कार्य को अविलंब रूप से शुरू किये जाने हेतु निर्देश प्रदान करें।

(छह) **बिहार में नवादा जिले में कोसी नदी से भूमि के कटाव को रोकने के लिए उस पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

श्री प्रेम चन्द राम (नवादा) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नवादा से सक्ररी बनाम मिनी कोशी नदी गुजरती है। जिसका बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण सिंचित जमीन का कटाव होता रहता है, जिस से हर वर्ष खेती योग्य जमीन खराब हो जाती है। साथ ही हर वर्ष इस मिनी कोशी नदी में बाढ़ आने के कारण भी जल भराव से भूमि खेती योग्य नहीं रह पाती है। इस सकरी बनाम मिनी कोशी नदी में बांध बनाने से जहां हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी, जिससे इस पिछड़े क्षेत्र में पैदावार बढ़ जाएगी, वहां बांध बनने के कारण जल विद्युत आदि इस क्षेत्र में उत्पादन हो सकेगा, जिससे इस पिछड़े हुए क्षेत्र की जनता को विद्युत की समस्या से राहत प्राप्त होगी।

अत: मेरी भारत सरकार से मांग है कि वह नवादा जिले में सक्ररी मिनी कोशी नदी पर एक बांध बनाये जाने के विषय में शीघ्र कार्यवाही करें, जिससे कि बांध जल्दी बन सकें और इस पिछड़े क्षेत्र की जनता को राहत मिल सकें।

[अनुवाद]

(सात) **बिहार को कोयले पर दी जा रही रायल्टी बढ़ाये जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : भारत वर्ष में बिहार एक पिछड़ा राज्य है, जबकि यहां की भूमि खनिज सम्पदायुक्त है। देश का 35.8 प्रतिशत कोयला, लौह अयस्क का 30.3 प्रतिशत, सिलिकासैंड का 29 प्रतिशत भंडार अकेला बिहार में है। बिहार को कोल रायल्टी एवं भाड़ा समानीकरण से प्रत्येक वर्ष करोड़ों का घाटा होता है।

अत: सरकार से आग्रह है कि कोल रायल्टी में वृद्धि की जाये और भाड़ा समीकरण की योजना से होने वाली हानि की पूर्ति की जाए।

(आठ) **आबूधाबी के 'लेबर कैम्प' में निरुद्ध भारतीय श्रमिकों की शीघ्र वापसी के लिये कदम उठाये जाने और उनको मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता।**

[अनुवाद]

***श्री वी. एस. विजराघवन** (पालघाट) : 67 भारतीय श्रमिकों, जिन्हें यूनाईटिड अरब अमीरात (यू.ए.ई.) में स्थित कंपनी ने नौकरी देने का वचन दिया था, आबूधाबी के 'लेबर कैम्प' में गत दो महीने से

*मूलत: मलयालम में उठाये गये मुद्दे के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अवरूद्ध रखा गया है। उक्त कंपनी ने इन श्रमिकों को, जिन्होंने वहां पहुंचने पर 40,000 से 50,000 रुपये तक खर्च किए थे, अभी तक वायदा की गई नौकरियां नहीं दी हैं। गत दो महीने से उक्त श्रमिक 'लेबर कैम्प' में निरूद्ध हैं और उन्हें उचित भोजन और चिकित्सा सुविधा. उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने भारतीय दूतावास और यू.ए.ई. के श्रम मंत्रालय से सहायता का अनुरोध किया है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और उन्हें भारत वापिस लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि श्रमिकों द्वारा व्यक्त की गई राशि को संबंधित भर्ती एजेंटों से वसूल करने के लिए भी कार्यवाही करें।

3.37 म.प.

कर्मकार- प्रतिकार (संशोधन) विधेयक
राज्य सभा द्वारा यथापारित - जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 12 श्री पी. ए. संगमा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री जार्ज फर्नांडीज :

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, कल जब समय हो गया था तब मैं राष्ट्रीय श्रम आयोग के बारे में बता रहा था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस राजाध्यक्ष थे। मैंने उनके आयोग की कुछ सिफारिशों को, उनके द्वारा की हुई कुछ टिप्पणियों को यहां पर रखने का काम शुरू किया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के पेज नं. 165 से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। इसमें वर्कमैन कम्पैनसेशन के बारे में उन्होंने जो असेसमेंट किया, उसको पूरा पढ़ना यहां संभव नहीं है इसलिए मैं उसके महत्वपूर्ण अंश को पढूंगा। असेसमेंट करते हुए वह कहते हैं कि:

[अनुवाद]

''इस अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप कुछ त्रुटियां सामने आई हैं जिनके कारण कर्मचारियों को तेजी से राहत पहुंचाने में बाधा आ रही है। यद्यपि यह अधिनियम 45 वर्ष से अधिक पुराना है तथापि अपवंचन के कुछ मामले सामने आये हैं। इस संबंध में किये गये उपायों की एक कमजोरी यह है कि अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे की सारी जिम्मेवारी मालिकों पर डाली गई है लेकिन इस जिम्मेवारी को सुनिश्चित करने के लिए मालिकों को बाध्य नहीं किया गया है।

इसमें आगे कहा गया है

> ''इस अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे की राशिा के भुगतान में होने वाले विलंब और कठिनाइयां किसी से छिपी नहीं हैं। संगठनों ने सुझाव दिया है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ संगठनों के अनुसार अधिनियम वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता और उनमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है...'' यह 1969

इसमें आगे कहा गया है

> ''कि दूसरी ओर मालिकों के संगठनों का सामान्य यह विचार है कि अधिनियम में कोई विशेष संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार मुआवजे की राशि के भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण कर्मचारी मुआवजा आयुक्तों की संख्या में भारी कमी होना है, जिससे मुआवजे संबंधी मामलों का तेजी से निपटान नहीं हो पाता।''

[हिन्दी]

हम मंत्री जी से इस मुद्दे पर उनका ठोस जवाब चाहेंगे। क्योंकि हम यहां कुछ ऐसे आंकड़े रखने जा रहे हैं जो उन्हीं के दस्तावेज से हैं। जिस पर उनको काफी खुलासा यहां पर देना होगा।

[अनुवाद]

''अधिनियम को और बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है यदि संबंधित कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के पास मुआवजा राशि जमा कराने के बारे में नियम बनाये गये हो''

[हिन्दी]

मैं फिर कुछ पैराग्राफ छोड़ रहा हूं।

[अनुवाद]

''अधिनियम में चिकित्सा और उपचार सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसकी कोई दुर्घटना होने पर श्रमिकों को बहुत आवश्यकता होती है। उसकी अर्जन क्षमता न रहने की स्थिति में उस क्षति को पूरा करने के लिए पुर्नवास के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

फिर इसको छोड़कर मैं आगे जाता हूं कि यह रिकमेंडेशन क्यों की गयी है। उस रिकमेंडेशन के कुछ जुमले मैं यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि जब मैंने यह प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है तो आप इसको सलेक्ट कमेटी के पास भेज दीजिये। मैंने पहले वाक्य में यह कहा कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूं तो उसके पीछे जो मेरा तर्क है, वह मंत्री जी को और इस सदन को स्पष्ट हो जाये, यह मैं चाहता हूं।

[अनुवाद]

न्यायाधीश गजेन्द्र गडकर देश के महान न्यायाधीशों में से एक हैं।

> ''हमारा राष्ट्रीय श्रम आयोग को सुझाव है कि कर्मचारियों को मुआवजे के लिए एक केन्द्रीय निधि की योजना तैयार की जानी चाहिए। सभी नियोक्ताओं को कुल मजदूरी का कुछ प्रतिशत भाग मासिक अंशदान के रूप में इस निधि में जमा करना चाहिए। जिससे प्राप्त होने वाले लाभ और प्रशासन पर व्यय होने वाली राशि को पूरा किया जा सकें। निधि पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नियंत्रण होना चाहिए। घायल

कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निगम के माध्यम से उसके स्थानीय कर्मचारियों द्वारा उसी प्रकार भुगतान किया जाना चाहिए जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अन्तर्गत विभिन्न लाभों के लिए भुगतान किया जाता है। निगम द्वारा घायल कर्मचारियों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसी प्रकार की व्यवस्था कल्याण आयुक्तों द्वारा, जो कोयला, अभ्रक तथा लोह-अयस्क निधि पर नियंत्रण रखते हैं, खानों के संबंध में की जानी चाहिए। छोटे मालिकों के लिए ऐसा अंशदान देने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि इन्हें बड़ी राशि में एकत्र नहीं किया जायेगा। इससे कानून के उल्लंघन से भी बचा जा सकेगा और कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सावधिक भुगतान प्राप्त होगा और घायल कर्मचारियों को आवश्यक चिकित्सा भी उपलब्ध हो सकेगी। दावों के संबंध में निर्णय का कार्य विभिन्न राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत स्थापित त्रिपक्षीय बोर्डों को सौंपा जा सकता है, निधि के अंतर्गत अनुसूची में उल्लिखित सभी कर्मचारियों को, चाहें उनकी मंजूरी कितनी ही हो, शामिल किया जाना चाहिये। केन्द्रीय निधि संबंधी योजना, जिसकी ऊपर सिफारिश की गयी है, की स्थापना में समय लग सकता है। मेरा सुझाव है कि उक्त योजना के आरम्भ किये जाने तक, अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि तत्संबधी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा सकें।''

[हिन्दी]

मैं और उनके रिकमेंडेशन को आगे नहीं पढूंगा। केवल एक आखिरी जुमला इसमें से और पढूंगा।

[अनुवाद]

''कानून के वर्तमान उपबंधों के अंतर्गत शारीरिक रूप से सक्षम कर्मचारी फालतू होने के कारण मुआवजे का दावा कर सकता है जिसमें आजकल चलायी जा रही ''गोल्डन हैंड शेक" की भी व्यवस्था भी शामिल है और उसे प्राप्त कर सकता है। जबकि एक घायल और विकलांग कर्मचारी को पर्याप्त मुआवजा दिये बिना नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि दुर्घटना अथवा बिमारी के कारण वह काम करने योग्य नहीं रहता है। इस कानूनी असमानता को दूर किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त औद्योगिक दुर्घटना के कारण विकलांग हुए कर्मचारी को अधिक मुआवजा प्राप्त होने का अधिकार होना चाहिये। यह निर्वाह भत्ते के रूप में भी हो सकता है, यदि कर्मचारी विकलांग होने के कारण बेरोजगार हो जाता है। इससे मालिकों को अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कर्मचारियों को उचित रोजगार उपलब्ध कराने में प्रेरणा मिलेगी। सबसे आवश्यक बात यह है कि इस प्रकार की स्थिति पैदा होने को रोकने के लिए वह उचित सावधनी बरतेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें कोई सिफारिश को 27 साल के बाद भी हम इस पर अमल नहीं कर पाये हैं। अब मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसमें कौन सरकार कब रही, कब आयी, कब गयी, इस बहस में हम नहीं जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा कि हम बहुत शर्मिन्दा होकर इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा 47 साल का जीवन मजदूर आंदोलन में गया है और इस मुद्दे पर मैंने 45 साल पहले मुकदमा लड़ा था। एक मुकदमा मैंने बम्बई में लड़ा था। बन्दरगाह का एक मजदूर काम कर रहा था, उसे चोट लग गई, और वह गिर पड़ा। अस्पताल में दाखित हुआ, और एक साल अस्पताल में रहा। अस्पताल से बाहर आने के बाद उसे टयूबरक्यूलोसिस हो गई। हिल सन एंड दिंशा स्टीवडोर्स यूनियन की ओर से हमने वह मुकदमा दायर किया। आज उसे लगभग 45 साल हो रहे हैं मुकदमें में उन्होनें कहा कि चोट लगी थी, फिर टी.बी. कहां से हो गई। हमने देश और दुनिया की जानकारी को हासिल करके 6 महीने तक मुकदमा चलाया। श्री एच.एम. सीरबाई को मेरे खिलाफ खड़ा होना पड़ा और हम वह मुकदमा जीत गये। उसके बाद इस वर्कमैन कम्पनसेंशन कानून में यह जो बीमारी थी वह अपने काम के चलते हो सकती है, चोट के चलते हो सकती है, वह संशोधन हो गया।

यह हमने लगभग 45 साल पहले किया था। इसलिए मैं जो बातें यहां पर रख रहा हूँ, वहां कोई मजदूरों का प्रश्न करके नहीं रख रहा हूं। हम जानते हैं कि मजदूरों की क्या हालत होती है। उसकी तस्वीर कोई हमारे अपने अनुभव से नहीं, बल्कि सरकार के इस मंत्रालय की एन्युअल रिपोर्ट को मैं सामने रखने जा रहा हूं।

महोदय, कल मैंने कहा था, यह कानून असम में मालिकों के लिए है, मजदूरों के लिए नहीं है। इसके कुछ सबूत मैं इसलिए रखने जा रहा हूं, क्योंकि मंत्री जी से मुझे कुछ अपेक्षा है। मैं उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ उनसे अपेक्षा है, क्योंकि वे इन सवालों को जानते हैं वे इन मुद्दो के बारे में काफी अध्ययन कर चुके हैं। जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में, मुझे माफ करना, उनके भी बस की बात नहीं है, लेकिन कानून में जो संशोधन की जरूरत है, अगर आज के दिन में उसमें संशोधन करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, इस कानून को वापिस लेते हैं या सिलैक्ट कमेटी को भेजते हैं और अगले दो-तीन महीने इसमें काम करते हैं, तो इस देश के मजदूरों के बीच में हमेशा-2 के लिए वे अमर रहेंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि किसी को तो यह काम करना है।

मंत्री जी से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, हर साल वर्कमैन कर्म्पेसेशन के अन्तर्गत कितने लोगों को चोट लगती है, जो मजदूर इस कानून से कवर होते हैं? मंत्री जी क्या आप बता पायेंगे। मैं आपसे कहता हूं, आप दस साल में भी नहीं बता पायेंगे। जब नहीं है कुछ, तो क्या जानकारी देंगे आप। मैं यह भी जानना चाहता हूं, कितने कन्ट्रैक्टर

मजदूर पिछले साल में मरे हैं? क्या इसके भी पिछले साल के आंकडे़ आपके पास हैं? मैं आपको ही दस्तावेज से आपको बताता हूं। अगर आपको दे देते हैं, तो अलग बात है। औद्योगिक सुरक्षा सांख्यिकी सारणी, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95 पृष्ठ 355, इस रिपोर्ट को आपने बजट अधिवेश के दौरान प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार केवल 12 राज्यों की जानकारी इनके पास है। यह जानकारी भी 1992 की है और वह भी प्रोविजनल तथा 12 राज्यों के नाम है। आंकडे़ सिर्फ सात राज्यों के हैं और पांच राज्यों के तो 1992 के प्रोविजनल आंकडे़ भी नहीं आए है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप क्या जानकारी देंगे। इन्डस्ट्रियल एक्सीडेंटस की जानकारी आपके पास नहीं है, तो कान्ट्रैक्टर मजदूरों की क्या जानकारी देंगे। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की क्या जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ में लाखों लोग कान्ट्रैक्टर के जरिए सरकार के बडे़ उद्योगपति उनका शोषण करते हैं। उनसे लड़ाई लड़ने वाले शंकर गुहा की हत्या हो गई, लेकिन आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। मालिक लोग, जो बडे़-बडे़ लोग हैं, उससे संबंधित हैं और वे दिल्ली में पदमभूषण हो जाते हैं। उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। जो कैज्युअल मजदूर हैं, उनका 10-12 रुपए में शोषण हो रहा है। लोग वहां मछली की तरह से मर रहे हैं। सरकारी कारखानों के साथ जुडे़ हुए कान्ट्रैक्ट मजदूर मर रहे हैं - क्या इस बारे में आपके पास जानकारी है? अधिकारी लोग तो कुछ लिख कर देते है। अधिकारी लोग जब लिख कर देते हैं, तो उनकी अकल की भी एक कल्पना है।

मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने बताया कि 12 राज्यों की जानकारी है। छोड़ दीजिए, पूर्वांचल की बात, क्योंकि वहां उद्योग नहीं है। वैसे कुछ होने चाहिए, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जिन राज्यों के आंकडे़ नहीं हैं, उनमें असम है और यह राज्य बिल्कुल खेतिहर राज्य नहीं है, वहां कई उद्योग हैं। उड़ीसा बहुत बड़ा औद्योगिक राज्य है, लेकिन पिछड़ा है, जैसे बिहार में, वैसे ही। इस राज्य की भी कोई जानकारी नहीं है। इस राज्य का भी नाम इसमें नहीं है। हरियाणा में तो ईंट भट्टे में जब एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसी में ही लोगों को जला देते हैं। कितने एक्सीडेंट वहां होते हैं, उसका भी कोई हिसाब नहीं है।

उसकी रिपोर्ट नही है, कोई जानकारी नहीं है। फरीदाबाद इतना बड़ा औद्योगिक शहर है उसकी कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में भी भट्टी में लोग जला दिए जाते हैं, तंदूर तो बाद में आया है। मैंने मुकदमें चलाए हैं, जहां काम करते हुए एक्सीडेंट में मरे हुए मजदूर को उठा कर भट्टी में जला दिया गया। दिल्ली में मैंने 3 साल उसका मुकदमा चलाया। इसकी आपके पास जानकारी कहां है? दिल्ली के तो आंकडे़ ही नहीं है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और गोवा के नहीं है और जिन 12 राज्यों के नाम यहां पर हैं उनमें से बिहार, केरल ने कोई जानकारी नहीं भेजी है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने नहीं भेजी है। आपने इसमें जो लिखा हुआ है इन सब को मैंने अभी पढ़ा है। इन्होंने जो आंकडे़ दिए हैं उससे 500 होते हैं। आप मुझे जानकारी देंगे, आपके अधिकारी लोग आपको जानकारी देंगे जो आप सदन में पेश करेंगे। आप फिर इनके आंकडे़ देखिए, 73622 नॉन फेटल आंकडे़ होते हैं। इसको हमने गिना है यह 66778 हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी बड़ी-2 खूबसूरत कागज या तस्वीरें छापो, कुछ भी बांटो, मगर इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब यह तो इनके एक्सीडेंटस के बारे में इनके पास जानकारी है। उसी पन्ने के सामने के पन्ने में हड़ताल का यह रिकार्ड है, सभी राज्यों के आंकडे़ हैं। 1994 तक के आंकडे़ हैं। जहां मजदूरों को मारना है, उनके आंकडे़ इनके पास पूरे हैं। उसको जहां दबाना है, हड़ताल में उसको भेजना है, जहां उनको इंसाफ देने का वक्त आता है, वह मालिक की गलती के चलते उसको कहां चोट लग सकती है, वह मर जाता है, घायल हो जाता है वहां प्रोविजनल आंकडे़ 1992 के हैं।

महोदय, इसमें जो उन्होंने कंपनसेशन की जानकारी दी है वह तो अति भयावह है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर आज समय नहीं है तो कल इसका जवाब दीजिए। पेज 330, चेप्टर 2, रोमन 11, सोशन सिक्योरिटी, इसमें आपने वर्कमैंस कंपनसेशन एक्ट में 1923 के अंतर्गत कितने लोग मरे, कितने परमानेंट डिसेबलमेंट हो गए, कितने टेंपरेरी डिसेबलमेंट हो गए, कितना कंपनसेशन आपने मरे हुए लोगों को, परमानेंट डिसेबलमेंट वालों को और टेंपरेरी डिसेबलमेंट वालों को दिया, इसकी आपने पूरी जानकारी दी है। अगर आप यह जानकारी पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हम लोग यहां स्वागत कर रहे हैं कि कुछ में ठीक कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है और कुछ बढ़ा रहे हैं। मैं देखकर हैरान हो गया, जब मैंने देखा कि जो टेंपरेरी डिसेबलमेंट हैं, जिनको कंपनसेशन मिलना चाहिए उनके पास टेंपरेरी डिसेबल के मुकदमे 1988 में कुल 93,008 रहे। उनको औसतन कंपनसेशन पर हेड 55 रुपए मिला।

[अनुवाद]

अस्थायी विकलांगता के लिये वर्ष 1988 में 51,83,000 रुपये का भुगतान किया गया। यह राशि 55 रुपये प्रति व्यक्ति बैठती है।

[हिन्दी]

महोदय, यह तो मजाक है। पेज 330 में है। 1989 में टोटल टेंपरेरी डिसेबलमेंट 1,67,583 परसंस हैं, और कंपनसेशन औसतन सौ रुपए प्रत्येक को मिला।

[अनुवाद]

कुल मुआवजा 174,33,000 रुपये दिया गया। यह राशि 100 रुपये प्रति व्यक्ति बैठती है।

[हिन्दी]

1990 में कुल मिलाकर टेंपरेरी डिसेबलमेंट के हिसाब से 12,615 लोग हैं और अब 1,67,000 से 12,615 हैं। ये मामले जो सेटल हो

गए हैं उनका है। वह बता देंगे, वह खुलासा हम जानते हैं, जितने केसेस सेटल हो गए और 1990 में जो सेटलमेंट हो गये उसमें लोगों को औसतन 900 रुपए मिले।

1990 में 990 रुपए पर हैड है और 1992 में 100 रुपए पर हैड है।

सभापति महोदय : आप कितना समय और लेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय, जहां तक फैटल एक्सीडेंट की बात है, क्या इसका कोई आंकड़ा मंत्री जी के पास है, है तो मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं और मेरी चुनौती में मंत्री महोदय ख्वाहमख्वाह फंस न जाएं। मंत्री जी जो भी आंकड़ा देंगे, मैं उसको चुनौती देकर उस आंकड़े को गलत साबित कर दूंगा। इसलिए मंत्री महोदय समझ लें कि सरकार को इसके बारे में कोई परवाह नहीं है, कोई सोच नहीं है।

यह तो 20000 से बढ़ा कर 50000 रुपए किया जा रहा है, इसकी क्या स्थिति है। आज मिनिमम वेज किन्हीं राज्यों में 60-70 रुपए है, किन्हीं राज्यों में कम भी है। यदि मिनिमम वेज 40 रुपए औसतन मान ली जाए तो मजदूर की मृत्यु हो जाने पर दिय जाने वाला 50000 रुपया मुआवजा उसके 1250 दिन के, 3 साल 6 महीने के न्यूनतम वेतन के बराबर है। यदि कोई मजदूर 18-20-25-30 साल की उम्र में मर जाता है तो उसके मां-बाप, बीबी-बच्चों और आश्रितों को आप 3 साल 6 महीने का न्यूनतम वेतन देंगे। यह इंसाफ के किसी निर्णय में ठीक नहीं बैठ सकता। इसी तरह से परमानेंटली डिसेबल परसन, जो मशीन, कारखाने या कंस्ट्रक्शन की कमी की वजह से 20-25-30 साल की उम्र में परमानेंटली डिसेबल होकर, हाथ-पैर कट जाने पर उम्र भर के लिए घर बैठ गया, उसको आप 24000 के बजाए 60000 रुपए मुआवजा देंगे, जो कि स्टेचुटरी न्यूनतम वेतन के हिसाब से उसके 4 साल 1 महीने और 10 दिन के वेतन के बराबर है। उसके मां-बाप हैं, भाई-बहन हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मकान का किराया है, वह कहां जाएगा? क्या इसका जवाब है किसी के पास? क्या इसी बढ़ोत्तरी को करके आप तालियां पीटना चाहते हैं? मिल मालिक तो इसका जवाब देंगे नहीं, क्योंकि यह कानून तो मालिकों का ही है। मालिक जो आज हिन्दुस्तान में इतना मुनाफा कमा रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। सुबह पहले पन्ने पर देखा कि सिग्रेट बनाने वाली कंपनी आईटीसी ने 55 परसेंट डिवीडेंड डिक्लेअर किया है। कोकाकोला जो मैं तो नहीं पीता, लेकिन 6 रुपए में बिकती है, उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव आफीसर के पिछले साल की तनख्वाह 15 करोड़ रुपए थी, जबकि मरने वाले मजदूर को आप 50000 रुपए दे रहे हैं और परमानेंटली डिसेबल हो कर घर बैठ जाने वाले मजदूर को आप 60000 रुपए दे रहे हैं।

4.00 म.प.

कोका कोला के चीफ एक्जीक्यूटिव की पिछले साल की तनख्वाह 15 करोड़ रुपये है। हम लोग उनको दावत देंगे, रेड कार्पेट बिछाएंगे। फिर उनके मजदूरों को तो पांच सौ रुपये में रखने के लिए एग्जिट-पॉलिसी उनको दे देंगे और यहां के पैसे पर उनकी तनख्वाह और बढ़ेगी, बोनस और बढ़ेगा। लेकिन जब हम अपने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए कहते हैं कि उनके कम्पनसेशन में सुधार कीजिए तो बात नहीं जमेगी। मैं इसका एक कानूनी पहलू भी बताना चाहता हूं। मैंने कल रेलवे का जिक्र किया था और रेलवे की अभी जो रिपोर्ट इस सदन में बजट के साथ पेश हुई थी एक्सीडेंट के बारे में उसका एक वाक्य पढ़कर सुनाता हूं -

[अनुवाद]

मुआवजे का भुगतान रेलवे दुर्घटना मुआवजा नियम, 1990 के अंतर्गत आता है। इस नियम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई व्यक्ति घायल हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप पर वह कोई भी कार्य करने के अयोग्य हो जाता है तो उसे दो लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है।

[हिन्दी]

उसकी कितनी भी तनख्वाह हो, अगर कोई आदमी मर जाता है और वह परमानेंटली इनकेपेसिटेट हो जाता है तो उनको दो लाख रुपये मिलेंगे और आगे -

[अनुवाद]

अन्य दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे की राशि 16,000 रुपये से 1,80,000 रुपये तक है।

[हिन्दी]

अब इसमें कानूनन एक मुद्दा आ जाएगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तब भारत सरकार की जो रेलवे है उसका जो कानून है उसके हिसाब से इतना मिलना है। तो यह विषमता किस लिए बनी हुई है?

मैं किसी कारखाने में काम करूं, किसी खदान में काम करूं, बंदरगाह में काम करूं और मैं मर जाऊं तो मुझे केवल 50 हजार रुपये मिलेंगे या मैं हमेशा के लिए अपंग हो जाऊं तो 60 हजार रुपये में मुझे चुप करके बैठा देंगे। अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि इस मामले में ज्यादा सोच-विचार करने की आवश्यकता है। मंत्री जी इस कानून को वापस ले करके इसमें सुधार करके लाएं या फिर हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें कि एक सिलेक्टर कमेटी को इसे भेजा जाए।

मंत्री जी ने अपने इस कानून को लाते समय यह भी बताया है कि जब इस कानून को ला रहे हैं तो कुछ सुधार हम भी कर रहे हैं कि अभी तक जो कुछ बीमारियां या चोटें जो कम्पनसेशन के लिए नहीं जोड़ी गयी थी पेस्टीसाइट से जुड़े हुए मजदूरों को इस कानून में लाने के लिए एक संशोधन इसमें है। लेकिन पेस्टीसाइट को हैंडिल करने वाले मजदूर को कम्पनसेशन मिलेगा अगर उस पेस्टीसाइट के चलते उसकी हालत बिगड़ जाती है। पेस्टीसाइट को इस्तेमाल करने वाला जो गांव का किसान है उसका क्या होगा, या किसी बाग-बगीचे में काम

करने वाला कोई मज़दूर है उसका क्या होगा ? उसके लिए कुछ होगा या नहीं होगा और होगा तो कब होगा? यह कानून 1923 का है और नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट 1969 की है तथा हम लोग आज 1995 में हैं।

मैं आई.एल.ओ. की पिछले साल की रिपोर्ट के 2-3 वाक्य पढ़कर आपको सुनाता हूं। आई.एल.ओ. कहता है कि -

[अनुवाद]

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि कीटनाशक औषधि से प्रति वर्ष 3.5 मिलियन और 5 मिलियन व्यक्ति विषाक्त होते हैं और इनमें से 40,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।

[हिन्दी]

यूरोप या अमरीका में तो यह सब चीजें होती नहीं है। वहां अगर एक ऐसी चीज हो जाए तो एक ही चीज पर सरकार हटा दी जाएगी। लेकिन यहां तो 100 कांड दिन में हो जाए तो सरकार और मजबूत हो जाती है। वहां तो संभव नहीं है। यह सारी जो मृत्यु हो रही है यह सब तीसरी दुनिया में हो रही हैं और तीसरी दुनिया का मतलब भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश और थोड़ा बहुत चीन से है।

बाकी इसमें कोई नहीं आता है। पैस्टिसाइडस के चलते बहुत लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में मरते होंगे। पेट में गोला होता है या दर्द होता है तो डाक्टर सुई लगाता है और वह दर्द 7 दिन में चला जाता है। 40-50 किस्म की औधोगिक कारणों से होने वाली बीमारियां जिन को

[अनुवाद]

नौकरी के बाहर और नौकरी के दौरान काम पर दुर्घटना होना।

[हिन्दी]

की डैफिनेशन दी जाती है, लेकिन कहां इसका इलाज हो रहा है, कहां इसका अमल हो रहा है और कहां इस कानून का सही मायने में ईमानदारी से अमल हो रहा है। इसलिये आई.एल.ओ. अपनी रिपोर्ट में कहता है :

[अनुवाद]

अमरीका सरकार का अनुमान है कि कीटनाशक दवाइयों के दीर्घावधि संपर्क में आने से विश्व में प्रतिवर्ष 70,35,000 व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। कनाडा के लोगों का अनुमान है कि विकासशील देशों में प्रतिवर्ष 10,000 व्यक्तियों की कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से मृत्यु हो जाती है और 4 मिलियन व्यक्तियों में विष के लक्षण मिलते हैं।

[हिन्दी]

इसलिये हैंडलिंग आफ पैस्टिसाइडस के लिये यह कानून लागू होना चाहिये। इसको इस्तेमाल करने वाले लोग खेत मजदूर और छोटे किसान हैं। उनकी और कैजुअल कर्मचारियों की बात भी इसमें आनी चाहिये। आप इन सब लोगों को इसमें जोड़ें। इस कानून में संशोधन करना चाहिये क्योंकि इस कानून से कुछ नहीं होने वाला है। आप इस पर पूरा सोच-विचार करिये, इसको वापस लीजिये। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपनी तरफ से एक कमेटी बनायें।

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : हमारा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन वकर्स का जरूर होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप वर्कर्स को 55 रुपया दे रहे हैं। उनके लिए हम लोगों को यहां रोने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने भाषणों में जरूर कहते है कि उनके लिये यह कीजिये, वह कीजिये, लेकिन उनकी हालत कुछ और ही है। चूंकि आपने दो बार पूछा कि कितना समय लोगे, इसलिये और जानकारी यहां पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा, लेकिन लिख कर मंत्री जी को और सब को दूंगा। आप इस कानून को यह कह कर मत चलाइये, इसको वापिस लीजिये और सुधार कर अगले सत्र में लाइये। अगर अगला सत्र नहीं होता है तो अगली जो संसद बनेगी और सरकार बनेगी, वह इसको ठीक ढंग से दुरूस्त करने में लग जायेगी।

यहां मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करता हूं कि इस रूप में इस कानून का समर्थन करना मजदूरों के साथ घोर अन्याय होगा और मामूली अन्याय नहीं होगा बल्कि एक प्रकार की खिलवाड़ होगी। आप ऐसा सोचते हैं कि हम उनके लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। जबकि उनके लिये कुछ नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री सी. श्रीनिवासन (डिन्डिगुल) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राज्यसभा द्वारा यथापारित कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, पर बोलने का अवसर दिया।

मैं अपने दल और इस विधेयक से लाभान्वित होने वाले लाखों कर्मचारियों की ओर से इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं तथापि मैं इस ओर ध्यान दिलाना अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि वर्तमान विधेयक पूर्ण उपाय नहीं है।

4.09 म.प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

यद्यपि इस विधेयक में मास्टर्स, सीमैन, जहाज़ के अन्य कर्मीदलों और कप्तान और विमान के कर्मीदलों, ड्राइवरों सहायकों और अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है, तथापि श्रमिकों की अन्य आवश्यक श्रेणियों जैसे असंगठित क्षेत्र के कर्मचरियों और नैमित्तिक श्रमिकों जैसे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और नैमित्तिक श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया है। मुझे इस बारे में ध्यान दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कर्मचारी वर्ग में शामिल 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में है और उनकी संख्या 280 मिलियन के लगभग है। उनमें से अधिकांश श्रमिक खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं और वर्तमान संशोधन में उनको संरक्षण देने की कोई व्यवस्था

नहीं है। अत: सब क्षेत्रों में चाहे वह संगठित हो अथवा असंगठित, सरकार द्वारा एक कृतिक बल की नियुक्ति की जानी चाहिए जो विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ आकस्मिक घटित दुर्घटनाओं का आंकलन करें और उनको दिये जाने वाले मुआवजे की राशि के बारे में भी सुझाव दे जो उन्हें उचित रूप से दिया जा सकें।

महोदय, यह उचित समय है जब हमें महिलाओं पर किये जाने वाले अत्याचारों के बारे में सांवधिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। यह सामान्य जानकारी है कि कार्य स्थलों पर महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बनाये जाने चाहिये। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि विधेयक में यौन शोषण की शिकार महिलाओं के लिए पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था की जाये। ऐसे मामले में मुआवजे की राशि, समाज में महिलाओं की गरिमा को देखते हुए, सामान्य मामलें में दी जाने वाली राशि से दुगनी होनी चाहिये।

देश में प्रवासी श्रमिकों की भी समस्या विद्यमान है। लोगों को विदेश, विशेष रूप से खाड़ी देशों में ले जाये जाने का लालच दिया जाता है और उनका शोषण किया जा रहा है। कभी-कभी उन्हें काफी समय तक मंजूरी देने से भी इंकार किया जाता है और दुर्घटनाओं के मामले में उनकी देखभाल नहीं की जाती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन मामलों पर पृथक तरीके से विचार किया जाना चाहिये और इस बारे में सरकार और मेजबान देश के बीच एक समझौता होना चाहिए जो दोनों देशों के लिये बाध्यकारी हो ताकि विदेशों में चाहे वे गैर-सरकारी अथवा सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे हों, प्रभावित कर्मचारियों को उचित मुआवजा दिया जा सकें।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि निर्वाह कर्मचारियों - महिला कर्मचारियों और बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये पूरे उपाय किये जाने चाहिए। निर्माण कर्मचारी लगातार दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं उनको भी, चाहे वह ठेका अथवा नैमित्तिक अथवा नियमित कर्मचारी हो, इस अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। महिला कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसलिए तमिलनाडु में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डा. पुराथी थालैवी ने 30 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित रखी हैं और प्राइमरी अध्यापिकाओं के लगभग सब पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे हैं। इससे तमिलनाडु सरकार की महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के प्रति चिंता का बोध होता है।

यद्यपि बाल श्रमिक परम्परा समाप्त करने की सरकार की वचनबद्ध नीति है, तथापि यह केवल कानूनी किताबों तक ही सीमित रह गई है। सरकार ने भी स्वयं यह स्वीकार किया है कि बाल श्रमिक परम्परा पूर्णतया समाप्त नहीं की जा सकती। स्थिति की व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए यह और भी आवश्यक हो गया है कि चालू विधेयक में इस बात की व्यवस्था की जाये जिससे दुर्घटना की स्थिति में बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सकें।

अंत में मैं यह कहूंगा कि विधेयक समयानुसार नहीं लाया गया है। मुद्रास्फीति की दर में इतनी अधिक वृद्धि और मुद्रा परिचलन में वृद्धि, जिसके लिये नई आर्थिक नीति को धन्यवाद दिया जा सकता है, को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में मात्र, 50,000 से 60,000 रुपये के मुआवजे की व्यवस्था किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यूनतम मुआवजे की राशि 2 लाख रुपये और अधिकतम मुआवजे की राशि 3 लाख रुपये की जानी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1995 का समर्थन करता हूं। विपक्षी दलों द्वारा चाहे इस विधेयक की कितनी ही आलोचना की गई हो, निश्चित रूप से संशोधित किये जा रहे विधेयक में कुछ स्वागत योग्य प्रावधान है। वास्तव में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सरकार पर तीखे प्रहार किये हैं।

श्री फर्नान्डीज द्वारा श्रमिक वर्ग के लिए व्यक्त की गई चिंता से हम अवगत हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि उन्होंने 47 वर्ष की दीर्घावधि तक श्रमिकों की सेवा की है। सभा में सबकी श्रमिको के प्रति सहानुभूति है। उनसे किसको सहानुभूति नहीं है? लेकिन मुआवजे की दर के बारे में विचार भिन्न-2 है। उन्होंने अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उसकी भावना से सहमत हूं। लेकिन मुझे एक बात पर आश्चर्य है। उन्होंने लगभग एक घंटे का भाषण यहां कल और आधा घंटे का भाषण आज दिया। मैं इस तथ्य की सराहना कर सकता हूं कि उन्होंने अपना समस्त जीवन मजदूर संघ आंदोलन के लिये समर्पित किया। उनके श्रमिक वर्ग की स्थिति के बारे में अपने विचार और अनुभव हैं। लेकिन मुझे एक बात पर आश्चर्य है। श्री जार्ज फर्नान्डीज न केवल देश के प्रमुख मजदूर संघ वादी हैं, बल्कि उन्हें केबिनेट मंत्री बनने का भी असाधारण अवसर, न केवल एक बार, बल्कि दो बार प्राप्त हुआ। मजदूर संघ के प्रति 47 वर्ष तक समर्पित रहने की अवधि में, वह कम से कम 4 बार विपक्ष में बैठे और वह भी आगे की सीट पर। मैं उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था...

सभापति महोदय : कृपया किसी अन्य सदस्य के भाषण का उल्लेख न करें। आप अपना भाषण दें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, यह क्या है? उन्होंने एक घंटे तक भाषण दिया, आपने उनका भाषण सुना। मैं अपना भाषण अभी आरम्भ कर रहा हूं। मेरा भाषण कम से कम 40 मिनट का होगा, अन्यथा मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा।

सभापति महोदय : लेकिन इतना समय कहां हैं?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : समय बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। उन्होनें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और कानून विद श्री गजेन्द्र गडकर का उल्लेख किया है। मैं कल बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि श्री फर्नान्डीज का भाषण उनके सामान्य भाषण से भिन्न था,

और कम से कम दो बार उन्होंने अपनी सामान्य तरीके से नहीं जैसे वह पहले करते रहे श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरी बार श्री राजीव गांधी का उल्लेख किया। उन्होंने दो बार उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा जी श्रमिकों की समस्या के प्रति चिंतित थी और श्रमिक कानून का संहिताकरण करने के लिए उन्होंने श्री गजेन्द्र गडकर को श्रमिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री फर्नान्डीज ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि आयोग की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। उनकी क्रियान्विति यथासंभव और यथाशीघ्र की जानी चाहिये। इस बारे-में कोई दो राय नहीं है। गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में श्रमिक आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशें वर्ष 1969 में प्राप्त हुई थीं उसके बाद श्री जार्ज फर्नान्डीज दो बार मंत्री बन चुके हैं? वह क्या करते रहे थे। वह श्रमिक वर्ग के लिये अब इतने आंसू बहा रहे हैं। मेरे सुविज्ञ मित्र श्री फर्नान्डीज को इस दिशा में कार्य करने से किसने रोका था?

महोदय, यह कानून ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1923 में बनाया गया था। इसके बाद, यदि मैं सही हूं तो इसमें अब तक 21 संशोधन किये जा चुके हैं। यह अधिनियम का प्रस्ताविक और प्रस्तुत 22 वां संशोधन है। इस प्रकार 22 संशोधन किये जा चुके हैं और यह विधेयक 72 वर्ष पुराना है? औसतन प्रति तीन वर्ष बाद एक संशोधन किया गया है लेकिन वर्ष 1984 के बाद कोई संशोधन नहीं किया गया है। लगभग एक दशक अर्थात् 11 वर्ष तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। उड़ीसा में जगन्नाथ संस्कृति हैं। प्रत्येक 12 वर्ष बाद भगवान जगन्नाथ का अवतार होता है। इसे नव अवतार कहा जाता है। इस प्रकार यह ग्यारहवां वर्ष है।

वर्ष 1984 के बाद, विधि आयोग की रिपोर्ट अथवा सिफारिश के आधार पर जो वर्ष 1989 में प्रस्तुत की गई थी और कुछ राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर अब श्रम मंत्रालय ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

वर्ष 1989 के तुरंत बाद 1990 में किसकी पार्टी केन्द्र में सत्ता में थी? वह भी श्री जार्ज फर्नान्डीज की पार्टी थी और वह केबिनेट मंत्री थे। उस समय भी वह क्या कर रहे थे? अब जब वह विपक्ष में बैठे हैं तो उनके दिमाग में यह बात आई। अब जब वह विपक्ष में आ गये है तो अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। मैं उनकी चिंता की वास्तविकता के बारे में क्या कह सकता हूं। विश्लेषण करके उत्तर देना सरकार का काम है। किसी को सरकार की इस प्रकार आलोचना नही करनी चाहिये। आपको आलोचना करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति जी, माननीय सदस्य क्या बिल पर बोल रहे हैं। . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : आपने उनको सुना नहीं। सच कड़वा होता है। यह काफी है। मैं सीधे विधेयक के बारे में बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : जार्ज साहब तो 11 महीने मंत्री रहे लेकिन वर्तमान मंत्री जी तो चार साल से हैं...**(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जो भी है, उनके काफी लोग बोलते हैं कि मंत्री जब हो जाते हैं तो उनको कुछ याद नहीं आता है शायद दूसरे कामों में फस जाते हैं, जो भी हो...**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : चिंतामणि जी, आप तो मंत्री नहीं हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं चिंतामणि जी नहीं हूं। जो भी है, काफी है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : श्री दाऊ दयाल जोशी जी मैं उनके भाषण का आपकी तरह आनंद ले रहा था। जो कुछ हम यहां बोलते है उसका हमारे आचरण से कुछ संबंध होना चाहिये। हमें स्वयं को विरोधाभासी सिद्ध नहीं होने देना चाहिए। यह उचित तरीका नहीं है।

विधेयक के बारे में, मेरा मत है कि इसमें कुछ स्वागत योग्य उपलब्ध है। विधेयक के क्षेत्र में कर्मचारिों की 16 श्रेणियां अथवा 16 व्यवसायों को जोड़कर वृद्धि की गई है। उनको अनुसूची दो में स्थान दिया गया है।

इसके क्षेत्राधिकार में अभी और वृद्धि की गयी है। इसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है जिनकी नियुक्ति भारत में हुई है लेकिन जिन्हें विदेश भेज दिया गया है और रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों जैसे जहाज के कप्तान और अन्य कर्मचारियों आदि को भी जो खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं, शामिल किया गया है। अनेक लोग खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं। उन सब लोगों को अब इसका लाभ मिलेगा। क्षेत्राधिकार के मामले में भी इस कानून के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को अब कुछ लाभ मिलेगा। अब वे, अपने क्षेत्र के सम्बद्ध आयुक्त के सामने, जहां वे सामान्यतया रहते हैं, मामला प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सब बातें इसमें शामिल हैं। अब पत्रकारों को इसमें शामिल कर लिया गया है। पत्रकारों को भी विदेशों में भेजा जाता है और कभी-कभी वे विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

एक बात और है। वह अन्त्येष्टि पर होने वाला व्यय है। पहले उसे इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब इसे विधेयक में शामिल कर लिया गया है। इस विधेयक की जांच न केवल विधि आयोग द्वारा की गई थी बल्कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी की गई थी। उन्होंने कुछ अच्छी सिफारिशें की थीं उन्हें विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। सरकार को इस बारे में कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। यदि मैं श्रम कानून के बारे में यह कहूं कि हमारे श्रम कानून का विश्व में कोई मुकाबला नहीं है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। हमारा कानून

बहुत प्रगतिवादी है। लेकिन इसकी क्रियान्वित में कुछ सुधार की गुंजाइश है। कभी-कभी इसकी क्रियान्वति उचित रूप से नहीं की जाती। कभी-कभी कानून की उचित क्रियान्वति नहीं की जाती। कभी-कभी उसमें वह भावना ही नहीं होती। इस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं तो चाहूंगा कि इसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 40,000 रुपये से 50,000 रुपये का मुआवजा देने की व्यवस्था है। दुर्घटना भी एक आपद है। जब कोई दुर्घटना होती है तो काम कर रहे व्यक्तियों की मृत्यु होती है। उनकी अप्राकृतिक मृत्यु होती, दुर्घटनावश मृत्यु होती है। यह बहुत मार्मिक है। उनके मामलों पर पूर्ण सहानुभूति से और ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। इसके साथ ही हमें इस संबंध में व्यावहारिक होना चाहिये। अन्यथा ऐसा ही होगा। जैसा कि आर्थिक सिद्धांत में कहा गया है कि यदि सबकी इच्छाएं पूरी हो जायें तो कोई भिखारी ही न रहे। आपको घोड़े पर चढ़ने की कला आनी चाहिये। अन्यथा आप गिर जायेंगे और अस्पताल पहुंच जायेंगे। घोड़े पर चढ़ने के लिये भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमें व्यवहार में भी ऐसा ही होना चाहिये। प्राकृतिक आपदा में जो हमारी क्षति ऐसी है उसकी पूर्ण पूर्ति नहीं होती। इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व हम सूखा और बाढ़ संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे।

सूखा और बाढ़ की स्थिति से हजारों और लाखों व्यक्ति प्रभावित होते हैं। बाढ़ के दौरान सरकार मुआवजे के रूप में कुछ राहत भी देती है। यह बात आग से होने वाली दुर्घटनाओं पर भी लागू होती है। अतः आपको जो नुकसान होता है, जो नुकसान गरीब आदमी को होता है, उसकी पूरी भरपाई नहीं होती। यहां भी सांकेतिक मुआवजा अथवा राहत दी जाती है। यह उससे अधिक होनी चाहिये। यदि आप इस प्रकार गणना करते हैं कि यदि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तो उसका कुल सेवाकाल कितना बाकी था, वार्षिक अथवा मासिक वेतन कितना था, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। मुआवजा आदि देने के लिये यह गणना का उचित तरीका नहीं है। यह व्यवहारिक तरीका नहीं है। लेकिन साथ ही, यह भी ठीक है कि उसे यथा सम्भव मुआवजा दिया जाना चाहिये। उसे अधिकतम राशि देने का गम्भीर प्रयास किया जाना चाहिये। वास्तव में मुआवजे की राशि में कुछ वृद्धि हुई है। किसी कर्मचारी के पूर्णतया विकलांग होने पर इसमें यह वृद्धि 24,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये और कर्मचारी की मृत्यु होने पर यह राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। वास्तव में यह न्यूनतम दर होनी चाहिये। 89 वीं रिपोर्ट में ये आंकड़े नहीं दिये गये हैं। इस बीच गंगा में बाढ़ आ गई। 1989-95 के बीच मुद्रास्फीति हुई। इस प्रकार आंकड़े तैयार किये जाने चाहिये और इन आंकड़ों की तदानुसार पुनरीक्षा की जा सकती है। निश्चित रूप से मैं यह नहीं कहूंगा कि यह विधेयक वापिस लिया जाना चाहिये क्योंकि संशोधित किये जा रहे विधेयक में उपबन्धों की अनुपस्थिति में, कर्मचारियों को जो कुछ भी इस समय वर्तमान दर पर मिल रहा है उसमें विलम्ब हो जायेगी।

जहां तक श्रम कानून का संबंध है हमें श्रमिकों की मार्मिक स्थिति को समझना चाहिये और श्रम कानून को अद्यतन कर हमें कुछ व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस विषय पर विचार करना चाहिये।

यदि अभी ऐसा करना सम्भव नहीं है तो आने वाले समय में ऐसा किया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि कानून को अद्यतन करने के लिये प्रक्रिया जारी है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इन 40,000 हजार अथ्वा 50,000 रुपये के बारे में सुझाव हैं कि इसमें नैमित्तिक और ठेका कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। यह सुनने में अच्छा प्रतीत होता है। लेकिन नैमित्तिक श्रमिकों और ठेका श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब भी हम प्रोत्साहनों की घोषणा करते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत इन नैमित्तिक श्रमिकों, ठेका श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, कृषि श्रमिकों को इनका लाभ प्राप्त नहीं होता। यहां तक कि जब वेतन अथवा मजूरी में बढ़ोतरी की गई थी तब भी उनमें से अधिकांश के वेतन अथवा मजूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। उन्हें ठेकेदारों से 500 अथवा- 600 रुपये प्रतिमास वेतन प्राप्त होता है। इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मैं इसे ठीक नहीं समझता।

यहां तक कि स्थायी पदों पर भी नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति की जा रही है। मैं यह प्रश्न माननीय श्रम मंत्री से पूछना चाहता हूं। वह प्रगतिवादी और गतिशील श्रम मंत्री है। हम यह जानते हैं कि निजी क्षेत्र में यह प्रक्रिया बहुत प्रचलित है। लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र में भी स्थायी पदों पर नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है। सरकारी कार्यालयों में भी ऐसी ही प्रवृति है। उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिये। उन्हें 50,000, 60000 रुपये से आरम्भ करना चाहिये। वे इसे अद्यतन बनाने की प्रक्रिया में है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के उपबंध पूरी तरह इस विकार को दूर नहीं कर सकते। इस में बीमा लाभ भी शामिल किया जाना चाहिए।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने पिछले दो तीन दिनों में कुछ योजनाओं की विस्तार से चर्चा की है। कृषि श्रमिकों के लिये बीमा और फसल योजना पर विशेष जोर दिया गया है। यदि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके लिये कोई बीमा योजना होनी चाहिये जिसमें मृतक अथवा दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों की आय में कुछ वृद्धि हो सकें। इसको प्रोत्साहन भी देना चाहिये। जब किसी व्यक्ति की काम पर मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाने चाहिये। मुआवजे का भुगतान किये जाने के अतिरिक्त, जिसका उस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है, मृतक के आश्रितों को अथवा करीबी रिश्तेदारों को यथा संभव रोजगार दिय जाना चाहिये।

जहां तक नैमित्तिक श्रमिकों, यंत्र प्रयोग करने वाले कृषक श्रमिकों और घरेलू नौकरों का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है। संशोधित किये जा रहे विधेयक के उपबंधों का अध्ययन करने पर मुझे पता लगा कि इसमें नैमित्तिक और ठेका मजदूरों को शामिल किया गया है लेकिन इस बारे में कुछ प्रतिबन्ध हैं। यदि वे कुछ घरेलू काम में लगे है, तो वे इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते लेकिन यदि उन्हें वे किसी विशेष व्यापार अथवा कारोबार प्रयोजन के लिये नियुक्त किया जाता है तो वे इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

महोदय, मध्यम दलों के किसानों के संबंध में मैं कहूंगा कि यदि अधिकतम भूमि संबंधी कानून को गम्भीरता और ईमानदारी से लागू किया जाये, तो तब बड़े किसान नहीं रहेंगे। वे अधिकतम सीमा से आगे नहीं जा सकते। हम यंत्रीकृत खेती की ओर अग्रसर हो रहे है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। कृपया मुझे पांच मिनट का समय दें।

वास्तव में हमारी घरेलू नौकरों, ड्राइवरों के प्रति बहुत सहानुभूति है। जैसा कि मैंने कहा यदि कोई मध्यम दर्जे का किसान किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखता है और उसकी कीटनाशक दवाइंयो छिड़कते समय अथवा ट्रैक्टर चलाते समय मृत्यु हो जाती है, तो मालिक उसके आश्रितों और निकटतम संबंधियों को 50,000 रुपये अथवा इतनी धनराशि कहां से देगा? लेकिन मैं यह नहीं कहता कि राशि का भुगतान मृतक के संबंधियों को नहीं किया जाना चाहिये। अत: इस प्रयोजनार्थ एक निधि स्थापित की जानी चाहिये। निधि की स्थापना सरकारी स्तर पर की जानी चाहिये।

आज के समाचारपत्रों में मैंने एक समाचार पढ़ा था कि माननीय प्रधान मंत्री ने कल बड़े औद्योगिक गृहों से कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हुए यह अपील की थी और उन्होंने उनकी अपील पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा था कि वे उन क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिये काफी धनराशि खर्च करेंगे जहां वे अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं। तदानुसार एक निधि की स्थापना की जानी चाहिये जिसमें औद्योगिक गृहों द्वारा अनुपातिक और बड़ी मात्रा में अंशदान किया जाना चाहिये और सरकार को भी इसमें सहायता देनी चाहिये। इस निधि में से भुगतान किया जाना चाहिये। अन्यथा, यह बहुत उचित प्रतीत होता हैं तार्किक है और हमें यह प्रसन्नता है कि सबको धनराशि प्राप्त होनी चाहिये। यदि ऐसा किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यदि एक खाना बनाने वाला निजी रसोईघर में एक निजी घर में गैस जलाता है और यदि उसे कुछ हो जाता है और यह कानून के अंतर्गत आता है, तो क्या कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति कानून में निर्दिष्ट अथवा आवश्यकताओं के अनुसार मुआवजे का भुगतान करेगा? महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। भीषण रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इस शताब्दी के पहले दशक 1901 से 1910 में यह कार्यरत एक हजार नियुक्त व्यक्तियों के प्रति 76 थी।

इसके बाद 1941-50 के दशक में, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, यह घट कर 0.29 प्रतिशत रह गई थी। लेकिन 1991-92 में, जिस वर्ष के अद्यतन आंकड़ें उपलब्ध है, यह 0.48 प्रतिशत थी। अत: यह निश्चित रूप से वृद्धि की ओर है। मृत्यु संख्या दर में कमी लाई जानी चाहिये।

जैसा आप जानते हैं, स्वास्थ्य है तो सुख है। स्वास्थ्यप्रद कार्य स्थिति पैदा की जानी चाहिये। यही हमारे औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें यंत्रीकृत खेती भी शामिल है, की प्रारम्भिक मूल आवश्यकता है। सुरक्षा स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिये। कार्य करने की स्थिति उचित होनी चाहिये ताकि दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम हो और मृत्यु दर को कम किया जा सके।

मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मुझे यह पता लगा है कि श्रमिक कानून को अद्यतन किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मेरा सरकार से और मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि इन सब बातों पर विचार करते समय मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाये।

मैं साधारण बीमा संबंधी अपनी दलील को पुन: दोहराता हूं। इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिये। अन्यथा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

मैं यह पुन: कहूंगा कि मृत्यु की क्षति की कमी भी पूर्ति नहीं की जा सकती। चाहे कितनी ही राशि का भुगतान किया जाये। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा था कि 2 लाख अथवा 5 लाख की राशि का भुगतान मृतक के संबंधियों अथवा निकटतम संबंधियों को दिया जाना चाहिये ताकि वह अपना जीवनयापन कर सकें। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति की दुर्घटना में हुई अचानक मृत्यु की कमी भी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। जो भी वित्तीय सहायता दी जाए उससे वह अपने परिवार का खर्च चला सकें। जब किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उस कर्मचारी की विधवा को उसका पति कभी वापिस नहीं मिल सकता। इस प्रकार उसके दुर्भाग्यशाली बच्चों को उनका पिता नहीं मिल सकता। इस प्रकार मृत्यु की क्षति की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। हम तो केवल कुछ सहायता कर रहे हैं, इसके लिए भी अन्तिम सीमा आकाश है। हमें अधिकतम भुगतान राशि देने का प्रयास करना चाहिये।

पेंशन का मामला, मेरे विचार से सरकार के विचाराधीन है। प्रत्येक कर्मचारी को पेंशन दिये जाने संबंधी योजना पर तेजी से काम करना चाहिये। मंत्री मंडल ने बोनस के बारे में निर्णय ले लिया है और इस संबंध में एक विधेयक पहले ही पुर:स्थापित किया जा चुका है। इस विधेयक को भी शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पारित किया जाना चाहिये। जहां तक बीमा और अन्य श्रम कानूनों का संबंध हैं मैं कुछ शर्त के साथ यह कहता हूं कि जब हमारी श्रमिकों की समस्यों के प्रति इतनी सहानुभूति है क्योंकि वे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम सब यह चाहते

हैं कि उनकी स्थिति में सुधार हो तो श्रमिकों के कल्याण संबंधी विधेयकों को संसद में विचार करने और पारित करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इस कार्य में अनेक वर्ष लगेंगे। क्रियान्विति के बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। अन्यथा जैसा कि हम देखते हैं अनेक विधेयक संसद में विचार करने और पारित होने के लिये वर्षों से लम्बित पड़े रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : सभापति महोदय, वर्कमैन्स कम्पनसेंशन एक्ट पर माननीय नेताओं ने विस्तार से अपनी बातों को रखने का काम किया है और सभी पाणिग्रही जी ने भी रखने का काम किया है, मैं पूरे विस्तार में न जाकर सिर्फ कुछ मुद्दे पर जिस पर चर्चा हो रही है, उसमें अपने आप को शरीक कर रहा हूं और दो तीन मुद्दे जो मुख्य रूप से हैं सिर्फ उन पर बल देने के लिए अपनी बात को कहना चाहूंगा और खासकर माननीय मंत्री जी नहीं है। इस देश के कर्मकारों को माननीय मंत्री जी से बहुत उम्मीद थी। जो कमेरे वर्ग से आते हैं उन्हीं लोगों से ही गरीबों का उत्थान और विकास हो सकता है। इस बारे में ज्यादा सोचते हैं लेकिन यह देखकर दुख होता है। माननीय मंत्री जी, किसी शायर ने कहा था...

शोलों में जो लगता है, कांटों में जो खिलता है
वही फूल गुलशन की तकदीर बदलता है।

लेकिन माननीय मंत्री जी उस गुलशन की तकदीर न बदलकर पी. वी. नरसिंह राव जी की जाकिट के फूल बने हुए हैं, इनसे समाज को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है और खासकर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का उद्देश्य कर्मकारों या उनके आश्रितों को उन औद्योगिक दुर्घटनाओं और व्यवसायिक बीमारियों के मामले में मुआवजा दिलाना है जिसके परिणामस्वरूप अपंगता या मृत्यु हो जाती है और उनके मुआवजे में बढ़ोतरी करने हेतु लाया गया यह संशोधन विधेयक एक उचित प्रस्ताव है लेकिन इसे पूर्ण नहीं कहा जायेगा। यह इसी तरह से है जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा और किसी भूखे व्यक्ति को रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है। वही काम सरकार मजदूरों के साथ करने जा रही है। जो बढ़ा है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और खासकर जो सरकारी क्षेत्र हैं उसमें जो बिल या विधेयक पास होता है, उसके जो रिकमेंडेशन होते हैं, उनको कुछ हद तक माना जाता है। लेकिन खासकर जो निजी कंपनियां हैं, उसमें किसी भी बिल का अनुपालन नहीं होता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्राइवेट कम्पनियों और निजी क्षेत्रों के जितने भी संस्थान हैं, वहां भी इस बिल की जो रिकमेंडेशन हैं, उसका पालन सही ढंग से हो। खासकर प्राइवेट कम्पनियों और निजी क्षेत्रों के जितने भी संस्थान हैं, वहां भी इस बिल की जो रिकमेंडेशन हैं, उसका पालन सही ढंग से हो। खासकर प्राइवेट संस्थानों में ठेकेदारी प्रथा बड़े जोरों से चली हुई है और ठेकेदारी प्रथा विवादास्पद मामला है, जिसका कोई हिसाब नहीं हैं। मैं खासकर सरकार से निवेदन करूंगा कि ठेकेदारी प्रथा को भी तत्काल ही समाप्त किया जाये ताकि मजदूरों को कर्मकारों को सही हक और अधिकार मिल सके और खासकर बुनकरों और चमड़ा उद्योग में काम करने वालों की स्थिति और भी दयनीय है। ये लोग प्रदूषित वातावरण में काम करते हैं, उसमें रोगग्रस्त होना स्वाभाविक है। इन लोगों को रोगग्रस्त होने से मुक्ति दिलाने का भी कोई उपाय सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। मुख्य रूप से जो मूल अधिनियम 1923 में अधिनियमित किया गया है और उसके बाद इसमें अनेकों बार संशोधन किया गया है, अन्तिम संशोधन 1984 में किया गया था जब मृत्यु या अस्थायी अपंगता में कर्मकारों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में वृद्धि की गई थी। तत्पश्चात 1989 में विधि आयोग ने भी इस राशि में और वृद्धि करने की सिफारिश की थी और आज 1995 है। छः वर्षों में जिस कदर हर चीज के दाम बढ़े हैं। कल जार्ज साहब विस्तार से बता रहे थे कि 6 महीने में हर खाद्य पदार्थों की कितनी कीमत बढ़ी हुई हैं और माननीय मंत्री जी, कर्मकारों का मृत्यु होने पर 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 हजार रुपया और जो काम करते हुए अपंग हो जाते हैं उनको 24,000 के स्थान पर 60,000 हजार रुपया देने जा रहे हैं। यह बहुत ही कम है। इसको आज के मूल्य सूचकांक पर विचार करें तो 20,000 से 50,000 और 24,000 से 60,000 कर दिया गया है, यह बहुत ही कम है। इस पर तत्काल विचार करते हुए गम्भीरता से इस राशि को और बढ़ाना चाहिए। मेरे विचार से इसको बढ़ाकर कम से कम दो लाख रुपए तक करना चाहिए। साधारण तौर पर जो व्यक्ति रेल से यात्रा करता है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को दो लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा करता है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको पांच लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जो मजदूर अपना खून-पसीना एक करके राष्ट्र के निर्माण में दिन-रात एक किए रहता है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। हम समझते हैं कि अगर थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता की भावना इस देश में किन्हीं लोगों के बीच में है, तो वह यही वर्ग है जिसमें थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता की भावना बची हुई है। हम समझते हैं कि जो व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा करता है या तो वह सरकारी सुविधा द्वारा करता है या फिर जिसके पास ब्लैकमनी है, वह करता है। ऐसे लोगों की जब मृत्यु हो जाती है, तो उनको पांच लाख रुपया दिया जाता है। जब मजदूर खून-पसीना एक करके इस देश की सड़कों का निर्माण करते हैं, फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं, रेल मार्ग का निर्माण करते हैं, महलों का निर्माण करते हैं, खेतों में काम करते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको दी जाने वाली राशि को हम 20 हजार से 50 हजार करने जा रहे हैं।

मैं ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री जी से दो-तीन बातें गौर करने

के लिए निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कोई भी कर्मकार यदि काम करते हुए, औद्योगिक या व्यावसायिक बीमारी के कारण मर जाता है, तो उसके आश्रित को नौकरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए और उसका मुआवजा 50 हजार से बढ़ा कर दो लाख रुपए कर देना चाहिए। इसके अलावा मुख्य रूप से जो निजी क्षेत्र है, उसमें भी इस बिल का सही मायनों में क्रियान्वयन होना चाहिए। इसके लिए माननीय मंत्री जी को निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए।

मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, कृषि कर्मकार हैं या असंगठित क्षेत्र में जो कर्मकार लगे हुए हैं या बीड़ी कर्मकार हैं, उन लोगों को भी इसमें शामिल करके राशि को बढ़ाने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस देश में जितने भी ऐसे लोग हैं, उनकी सदियों से उपेक्षा हुई है। किसी शायर ने कहा हैं -

फुटपाथ पर खड़ा था,
वह भूख से मरा था,
कपड़ा उठा कर देखा,
तो पेट पर लिखा था,
सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी,
यह गुलिस्तां हमारा।

लेकिन यह देखकर दु:ख होता है, जो दिन रात एक करके राष्ट्र के निर्माण में काम करता है, उसको दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है और जब सुख-सुविधा की बात आती है और ऐसा लगता है कि इनको पैसा देना है, तो कम कम करके बढ़ाओ। जो इस देश के सुविधा भोगी लोग हैं, जैसे हम ही लोग, जब भत्ता बढ़ाने की बात आती है, तो आराम से बढ़ा लेते हैं। यही स्थिति सरकारी आफीसर लोगों की भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक डायरैक्टर से मिलने गया, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके आफिस के दरवाजे पर लिखा हुआ था, सरकारी काम में व्यवधान न डालें। मैंने चपरासी से पूछा - माननीय पदाधिकारी किस काम में लगे हुए हैं? उसने कहा - मीटिंग हो रही है। मैं जबरदस्ती करके कमरे में घुसा, तो देखता हूं कि पदाधिकारी आफिस में आम खा रहे हैं और बोर्ड पर लिखा हुआ है, कृपया सरकारी काम में व्यवधान न डालें। यह व्यवस्था है और जब उनकी सुख सुविधा की बात आती है, तो हम इतने उदार हो जाते हैं। लेकिन कमेरे वर्ग के लोगों की जब बात आती है, उनको सुख सुविधा मुहैया कराने की बात आती है, तो हम इतने कंजूस हो जाते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सुविधा को और थोड़ा उदार बनाने की जरूरत है और यह राशि जो आपने 20 हजार से 50 हजार और 24 हजार से 60 हजार करने जा रहे हैं, इसको बढ़ा कर दो लाख रुपए करने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, माननीय जार्ज साहब जब बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वे यहां से नहीं बोल रहे थे। जार्ज साहब देखते-2 40-45 बरस में क्या हो गया, मजदूर आंदोलन पिट रहा है। आपकी पीढ़ी से पूर्व व्यक्तियों ने जो मजदूर आंदोलन खड़ा किया था, आज उस आंदोलन का हश्र क्या हो रहा है।

मैं राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र कोटा से आता हूं, जहां पर बहुत बड़े-2 कल-कारखाने हैं।

जे के सिंथेटिक एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। बांगड़ का सुदर्शन टैक्सटाइल्स है। बिरला का सीमेंट कारखाना है। श्रीराम का सोडा ऐश फर्टिलाइजर है और रेयंस के बड़े-2 कारखाने हैं। सोमैया का ओ पी सी पावर केबल्स का कारखाना है। माननीय जार्ज साहब जब कुछ साल पहले कोटा गए थे तब उन्होंने देखा होगा कि सुदर्शन टैक्सटाइल का धुंआ क्यों बंद हो गया, ओ पी सी क्यों बंद हो गई। आज की सरकार उद्योगों की तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहती। आप जो अपना रोना रो रहे थे यह सही है कि इस सरकार की सोच आज सही नहीं रही, इस सरकार की सोच तो आज उद्योगपतियों की तरफ है, आज के उद्योगपति ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, आधुनिकीकरण के नाम पर कैसे फले-फूलें। मजदूरों की किस को चिंता है।

महोदय, देश के प्रधान मंत्री जी ने 4 साल में एक बार भी हिन्दुस्तान के गरीब मजदूरों को बुला कर उसके दुखदर्द को सुनने की आवश्यकता नहीं समझी। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी तो उद्योगपतियों से अपील करते हैं। जब भी बैठकें होती हैं, उद्योगपतियों के साथ बैठ कर बैठकें होती हैं। इसमें हमारा भी दोष है। हम मजदूरों को संगठित करके खड़े नहीं कर पाए हैं। मजदूर आंदोलन क्यों पीट गया? देश के उद्योगपतियों द्वारा एक योजनाबद्ध षडयंत्र खड़ा किया गया है। मेरे कोटा नगर में बड़े-2 जुलूस निकलते थे, जिसमें हजारों मजदूर लाल केसरिया झंडा लेकर चलते थे। अभी 3 दिन पहले की बात है कि 4 यूनियनों का प्रदर्शन था। मैं उस प्रदर्शन में अपनी बात कहने के लिए गया। वहां मजदूरों की संख्या डेढ़-दो सौ के लगभग ही थी। मैंने उनको कहा कि तुम 4 यूनियनों के लोग हो, जिसमें हिन्द मजदूर, बीएमएस आरसी टू तथा एक और यूनियन के लोग थे। सीटू के लोगों ने मैनेजमेंट के साथ मिल कर बोनस के सवाल पर पैसे खा कर फैसले कर लिए, उसी बात को माना जाए वरना तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। आपने हिन्दुस्तान के मजदूर को लड़ने के लिए तैयार किया। दुनिया के मजदूर एक हों और हिन्दुस्तान के मजदूर आपस में सिर फोड़ें। मैंने कलेक्टर को कहा कि आप जांच करो, अपराधियों को दंडित करो कि कैसे सिर फोड़ दिये। ये कारखाने इसलिए बंद हो रहे हैं, मजदूरों ने इसलिए लड़ना बंद कर दिया, श्रम मंत्री जी आप इस बात की जांच करवा कर देखें कि आज से 30 साल पहले देश के अंदर कितने मजदूर थे, कितने कल-कारखाने थे?

यहां मोहन रावले जी बैठे हैं। वह आए दिन बम्बई के कपड़ा मिल

मजदूरों की बात करते हैं। आज हिन्दुस्तान के कितने मिल मजदूर दर-दर की ठेकरें खा रहे हैं।

5.00 म.प.

उनकी चिमनी से धुआं क्यों नहीं निकलता, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कहता हूं कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, श्रम मंत्री जिम्मेदार है। सिक यूनिट बना कर हजारों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया। आज दुनिया में सिंथेटिक से हट कर लोग काटन की तरफ जा रहे हैं, दुनिया में काटन जा रहा है, लेकिन मिल मजदूर भूखों मर रहा है। इसलिए कि हमारी जो सोच थी, वह गलत थी। हमारी सोच दो हाथों को काम देने की होनी चाहिए थी। मैं यह नहीं कहता कि विज्ञान के साथ नहीं चलना चाहिए, चलो, मगर यह भी देखना आवश्यक है कि मजदूर बेरोजगार न हो। आज कल-कारखानों के अंदर धीरे-धीरे मजदूरों की संख्या कम होती जा रही है, इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए। आपने नाममात्र का टुकड़ा डाला है और कहा है कि विधि आयेग की और राज्य सरकारों की यह रिपोर्ट थी, जिसके आधार पर मरने वालों का मुआवजा 20000 से बढ़ाकर 50000 रुपया और स्थायी रूप से अपंग होने वालों के लिए 24000 से बढ़ाकर 60000 रुपया किया जा रहा है। 1000 रुपया अंत्येष्टि के समय दिया जाएगा। आज शहरों में तो मशीनी शव दाहगृह बन गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपए में अत्येष्टि हो ही नहीं सकती। आपको मालूम है कि अंत्येष्टि में 12 मन लकड़ी लगती है और लकड़ी का आज क्या भाव है। स्थायी समिति की रिपोर्ट पर ही आप आद्योपांत विचार कर लेते, उसके बाद निर्णय लेते तो ठीक रहता। लेकिन आपने स्थायी समिति की सिफारिशों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि सभी पक्षों की तरफ से इस बिल का आज विरोध हो रहा है और अनेक सदस्यों ने इस पर पुनर्विचार करने के लिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सुझाव दिया है। अभी पिछले दिनों मैं नागपुर गया तो एक उद्योगपति ने मुझे बताया कि मैं मैन-लैस कारखाना खोलना चाहता हूं। यानी मजदूरों के बिना उसका कारखाना खोलना चाहता हूं। यानी मजदूरों के बिना उसका कारखाना चलता रहेगा। बिना व्यक्तियों के कारखाना चलेगा तो इस देश की युवा पीढ़ी को आप कहां खपाएंगे, जब इनको पढ़ने-लिखने के बाद कल-कारखानों में नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी पार्टी ने बड़े जोर से नारे लगाए थे "जवानों को काम दो वरना गद्दी छोड़ दो" लेकिन आज जवान भूखों मरने की स्थिति में खड़ा है। हमने नारा लगाया था "बेरोजगारी भत्ता दो -वरना गद्दी छोड़ दो" लेकिन आज कौन सी सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है? बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार और कर्नाटक में जनता दल की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया था, लेकिन 2 साल के अंदर उसको वापिस लेना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज हैं, जिसमें सारा पैसा खत्म हो गया, सारी योजनाएं समाप्त हो गईं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : बिहार में मिल रहा है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कितना मिल रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा है।

ठेकेदारी प्रथा के बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पाणिग्रही जी ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपको ठेकेदारी प्रथा पर अंकुश लगाना पड़ेगा, यदि आपको वास्तव में श्रम जीवियों के प्रति सहानुभूति हैं। मरने वालों को 50000 और अपंग को 60000 रुपया मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा।

जब तक ठेकेदारी प्रथा पर अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वैसे तो आपकी सरकार जा ही रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर दो साल बाद जैसा जार्ज फर्नान्डीज साहब कह रहे थे कि मूल्य-सूचकांक के आधार पर मजदूरों के मुआवजे में वृद्धि की जाए। कया आप जानते हैं कि लोहिया स्कूटर कितना मुनाफा कमा रहा है? जब मैंने स्कूटर खरीदा था तब उसकी कीमत 3,500 रुपये थी लेकिन आज वह 39 हजार रुपये का है। आप अंदाजा लगाएं कि कितना प्रतिशत लाभ अधिक हुआ हैं?

जे.के. सिंथेटिक का जो यार्न है उसमें कुल साढ़े तीन रुपये लगता है लेकिन उसकी कीमत 78 रुपये हैं। अब अगर वह मालदार नहीं होगा तो कौन होगा? एक तरफ खनन की कीमत नहीं बढ़ती, मजदूरी के रेट नहीं बढ़ते लेकिन जब चाहे बिरलाज सीमेंट की कीमतें बढ़ा देते हैं।

मैं तीन पत्र लगातार लिख रहा हूं। खनन क्षेत्र में काम करने वाली पुष्पाबाई बैरवा को प्रसूति मुआवजा नहीं मिला। मेरे खनन क्षेत्र में एक मजदूर मर गया। अब जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के नाम पर एक आयोग बैठाया हुआ है उनका हित-चिंतन करने के लिए, उसने उसको भी एक पत्र लिखा। मैंने उसकी चिट्ठी आपको भेजी है। उसने लिखा है कि वह बार-बार श्रम-मंत्रालय को पत्र भेज रहा है और मुझे खेद है कि 13 पत्र भेजने के बावजूद भी कोई उत्तर इस मजदूर के हित में नहीं आया है। अभी चार दिन पहले उसने जो चिट्ठी मुझे भेजी है उसमें कोटा के कलेक्टर को नियमों का हवाला देते हुए लिखा है कि अगर मजदूर मर गया है तो 10 हजार रुपये कोटा कलेक्टर दें। यहां लोकसभा में आने से पहले, मैं कोटा कलेक्टर को टेलीफोन करके आया हूं। तीन साल बाद प्रसूति का मुआवजा न मिलें, मजदूर की टांग कट गई और उसको मुआवजा नहीं मिले ऐसा कहीं होता है। कोई न कोई बहाना लगाकर कि दारू पी रहा था या अचानक गिर पड़ा आदि-2, गरीबों को मुआवजे से वंचित किया जाता है।

उड़ीसा में बहुत बड़ा खनन क्षेत्र है। मेरे यहां भी बहुत बड़ा खनन क्षेत्र है। इसलिए आप इस बिल के अंदर खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कोई क्लाज जरूर डालें जिससे कि गरीबों को राहत मिल सकें।

सीमेंट कारखानों में काम करने वाले मजदूर क्षय रोग से पीड़ित होकर मरते हैं। मैं कल की बात बताऊं। कल एक मालिक ने गुड़

बांटा, उसमें एक मजदूर को नहीं मिला क्योंकि उसे उसका अधिकार नहीं था तो गुड़ की डली के लिए उसने दूसरे मजदूर को चाकू मार दिया और वह मजदूर मर गया।

माननीय मंत्री महोदय मालिक गुड़ नहीं दे सकता। आखिर इन मजदूरों की चिंता कौन करेगा। मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। जार्ज फर्नान्डीज जैसे नेता मजदूरों के भले की बात कहते-2 बूढ़े हो गये हैं। इन मजदूरों के लिये कौन लड़ेगा? आज मजदूरों का कोई ठिकाना नहीं है। मजदूरों की संख्या दिन-प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। मजदूर यूनियनें आपस में लड़ कर सब कुछ तहस-नहस करती जा रही हैं। मजदूरों के नाम पर वाइट कलर वाले कपड़े पहनने वाले लोग लड़ते हैं, जो आपकी टेबल पर बैठ कर बातचीत करते हैं और अपना लाभ अर्जित करने की कोशिश करते हैं। गरीब किसानों की वकालत बहुत कम लोग ही करते हैं। अगर आप मजदूरों के हित में काम करेंगे तो मजदूर आपको दुआ देंगे और अगर उनके हित में काम नहीं किया तो गरीब मजदूर मारा जायेगा और उनका सत्यानाश होगा। आपने उनके लिये जो कुछ भी किया है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

जार्ज साहब ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की मांग की है। आज मजदूरों को आपसे बहुत अधिक अपेक्षायें और आशायें हैं। 50-60 हजार की राशि जो उनके लिये रखी गई है, वह नगण्य है। आप इसमें एक धारा यह जोड़ दें कि मूल्य सूचकांक के आधार पर हर राज्य मुआवजे की राशि के संबंध में विचार करेंगे। 12 साल बाद आप इस बिल पर विचार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके प्रति आपके मन में कुछ वेदना है। यदि वास्तव में वेदना है तो मजदूरों के हित पर विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, श्रम मंत्री द्वारा पुर:स्थापित कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

सम्माननीय सभा द्वारा संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया गया था। जिसका उद्देश्य वित्तीय विधेयकों और अन्य ऐसे विधेयक, जो उसे सौंपे जायें उनकी प्रभावकारी जांच करना और उनके बारे में अपने सुझाव देना था दुर्भाग्यवश इन स्थायी समितियों द्वारा दिये गये सुझाव और सिफारिशों को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। मैं श्रम संबंधी समिति का सदस्य हूं। हमारी अनेक बैठकें हुई जिनमें हमने इस संशोधन विधेयक के उपबन्धों की जांच की। हमने छ: महत्वपूर्ण सुझाव श्रम मंत्रालय को दिये। स्थायी समिति की इन बैठकों में श्रम मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि न केवल इस स्थायी समिति की सिफारिशों बल्कि अधिकांश सभी स्थायी समिति की सिफारिशों को सरकार गम्भीरता से नहीं लेती है। एक स्थायी समिति ऐसे विधेयक की विस्तोर से जांच करती है क्योंकि संसद के पास जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन छ: सुझावों पर जो श्रम संबंधी स्थायी समिति ने दिये हैं गंभीरता पूर्वक विचार करें। समिति ने उक्त सुझाव दल गत राजनीति से उठकर एक मत में दिये हैं।

जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है उन्होंने देश में श्रमिकों की दुर्दशा के बारे में सही उल्लेख किया है। श्रम शक्ति हमारे देश की सम्पत्ति है। जैसा कि मेरे सहयोगियों ने उल्लेख किया है वह विभिन्न स्थानों पर कड़ी मेहनत कर आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। वे राष्ट्र के लिए और अधिक आस्तियां जुटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से श्रम शक्ति को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। यह कर्मकार प्रतिकर अधिनियम का बाईसवां संशोधन है। मूल अधिनियम वर्ष 1923 में लागू हुआ था जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस कानून में कुछ बाधाएं और समस्याएं हैं जिन्हें इसे लागू करते हुए समय अनुभव किया गया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कल्याण संबंधी कानून है। यह अच्छी बात है कि हम विधान बना रहे हैं लेकिन जब हम कानून के क्रियान्वति संबंधी भाग की ओर ध्यान देते हैं तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां से बड़ी संख्या में शिक्षित लोग देश के अन्य भागों में नौकरी के लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ एक बड़ी संख्या में शिक्षित युवक फरीदाबाद और नोएडा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वे विभिन्न गैर-सरकारी और सरकारी कंपनियों में कठोर परिश्रम कर रहे हैं। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वे बड़ी कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। जब इन में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें मुआवजा प्राप्त करने के लिये बहुत समय लगता है। मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया बड़ी जटिल है।

वास्तव में यह स्वागत योग्य विधान है। जब कार्य के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें निश्चित अवधि में पर्याप्त मुआवजा मिलता है जिसके कि वे हकदार हैं। मुअवजा देने में असाधारण विलम्ब अधिनियम की मुख्य बाधा है। जब यह अधिनियम लागू किया जा रहा था तब प्रभावित व्यक्तियों को लाभ समय पर प्राप्त नहीं हो रहा था। केवल कानून बनाने से ही देश के निर्धन कर्मचारियों अथवा श्रमिकों को कोई सहायता नहीं मिलेगी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस अधिनियम के लागू करने संब्रधी भाग की ओर ध्यान दें।

इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु अथवा घायल होने पर भुगतान करने की व्यवस्था है। ऐसे अधिकांश मामलों में मुआवजा प्राप्त होने में असाधारण विलंब होता है। प्रभावित कर्मचारियों को मुआवजा प्राप्त करने में लालफीताशाही, औपचारिकताओं

और जानबूझकर मालिक द्वारा की गई लापरवाही का सामना करना पड़ता है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि यह अधिनियम अंग्रेजों के कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम का अनुसरण करता है, लेकिन इसमें कुछ अन्तर है।

अंग्रेजी अधिनियम सब कर्मचारियों पर लागू होता है जबकि भारतीय अधिनियम केवल निश्चित वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होता है। इन वर्गों की सूची अधिनियम की अनुसूची दो में दी गई है। यह अधिनियम वर्ष 1923 में पारित किया गया था। तब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे और इंग्लैंड की भांति भारतीयों पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम न लागू करने के उनके अपने कारण रहे होंगे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हममें व्यापक विधान बनाया है जिसके अंतर्गत देश के सब कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

विधि आयोग और राज्य सरकारों ने अनेक बार अपनी सिफारिशें भेजी हैं और उन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अधिनियम में कुछ संशोधन किए थे। यह 22 वां संशोधन है। सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों के कुछ क्षेत्रों को इसमें शामिल भी किया गया था।

समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किये गये हैं। अनुसूची दो का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को अनुसूची दो में कुछ संशोधन करने तथा कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को भी इसमें शामिल करने की शक्ति प्रदान की गई हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार को इस अनुसूची पर पूर्णतया पुनः ध्यान देना चाहिये और इसका पुनरेक्षपण करना चाहिये।

गत बीस वर्षों में अनेक खतरनाक उद्योग अस्तित्व में आये है और इन उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को खतरे का सामना करना पड़ता है। अतः उन्हें इस अधिनियम में पूर्णतया शामिल किया जाना चाहिये।

अनेक नए उद्योग स्थापित हुए है। वातावरण में प्रदूषण के कारण अनेक नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जिससे कर्मचारियों को खतरे का सामना करना पड़ता है। अतः उन्हें भी इस अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम में नैमित्तिक कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर त्रुटि है। लाखों ऐसे कर्मचारियों को जो उद्योगों में कार्य कर रहे हैं और जिन्हें नियमित नहीं किया गया है इस महत्वपूर्ण अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अतः अधिनियम में संशोधन कर इसमें नैमित्तिक कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिये।

महोदय, मेरे विचार से इस विधेयक के अन्तर्गत केवल कुछ सीमित कर्मचारियों को ही शामिल किया गया है। इस में अप्रवासी कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। खाड़ी देशों और अन्य देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक कार्य कर रहे हैं। मैं वहां कार्य कर रहे भारतीयों की स्थिति के बारे में चर्चा करना नहीं चाहता। वे खतरनाक स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। उनके नियम बहुत सख्त हैं। कर्मचारी अपने मालिकों के विरूद्ध कोई आवाज भी नहीं उठा सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वहां भारतीय श्रमिकों के समक्ष आ रही इस समस्या पर ध्यान दें।

इस अधिनियम में उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिन्हें मजूरी के रूप में 1000 रुपये प्रतिमास प्राप्त हो रहे हैं। यह सीमा बहुत कम है।

यह संशोधन वर्ष 1975 में किया गया था। अब स्थिति बदल गई है। जो कर्मचारी पहले मुआवजे के अधिकारी थे अब इस अधिनियम की परिधि से बाहर चले गये हैं। पहले ही 20 वर्ष बीत चुके हैं। अतः जिन कर्मचारियों को उस समय 1000 रुपये मिल रहे थे उनकी सीमा को 2000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। अतः इस राशि को बढ़ाने की तुरन्त आवश्यकता है ताकि जो लोग इस श्रेणी के अन्तर्गत आ रहे हैं उन्हें भी इस अधिनियम का लाभ मिल सके।

अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान है कि मुआवजे का हकदार होने के के लिये दुर्घटना से पूर्व किसी भी कर्मचारी को लगातार बारह महीनों तक सेवारत होना चाहिए और यदि इसमें चौदह दिन से अधिक समय की बाधा आती है तो वह मुआवजे का हकदार नहीं होगा। इससे केवल मालिकों को ही लाभ होगा। यह उपबन्ध कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध है।

इस उपबंध का उपयोग निश्चित रूप से मालिक द्वारा मुआवजे का भुगतान न करने के लिये किया जायेगा। अतः इस प्रकार एक कर्मचारी को वर्ष में 15 दिन नौकरी से बाहर रखा जा सकता है। इससे मालिक उक्त अधिनियम के उपबन्ध से आसानी से बच निकल सकता है।

अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस अधिनियम में संशोधन करें ताकि इन कर्मचारियों को भी मुआवजे का लाभ मिल सके।

अब मैं मुआवजे में वृद्धि के बारे में उल्लेख करूंगा। स्थायी समिति ने मुआवजे के रूप में भारी राशि देने की सिफारिश की थी। विधि आयोग ने भी वर्ष 1989 में मुआवजे की न्यूनतम राशि की, मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए, पुनरीक्षा करने की सिफारिश की थी। मृत्यु के मामले में उसने बहुत कम राशि देने की सिफारिश की थी। अतः मृत्यु के मामले में इस राशि को 20,000 रुपये में बढ़ाकर कम से कम 80,000 रुपये किया जाना चाहिए। स्थायी रूप से विकलांग होने की अवस्था में मुआवजे की राशि 24,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 90,000 रुपये की जानी चाहिए।

अब मैं अन्त्येष्टि पर होने वाले व्यय के बारे में उल्लेख करूंगा। श्रम मंत्रालय द्वारा यह एक नया जोड़ा गया है। एक गरीब श्रमिक और उसका परिवार यह सहन नहीं कर सकता। अतः माननीय मंत्री ने इस संशोधित अधिनियम में अन्त्येष्टि पर होने वाले व्यय को शामिल किया

है। लेकिन इस प्रयोजनार्थ केवल 1000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मेरे विचार से इस राशि को कम से कम 1500 रुपये किया जाना चाहिए। कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर प्रभावित परिवार द्वारा अंत्येष्टि पर व्यय की जाने वाली राशि मालिक अथवा जिस कंपनी में वह काम कर रहा हो, उससे वसूल की जानी चाहिये। मैं सोचता हूं कि माननीय श्रम मंत्री इन सब पहलुओं पर ध्यान देंगे। वह श्रम संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच करेंगे तथा पूर्ण स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेंगे। महोदय, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम हैं। काफी लंबे समय बाद सरकार ने प्रतिकर अधिनियम में संशोधन करने की पहल की है। श्रमिकों को और भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बदली हुई परिस्थितियों में उदारीकण के प्रभाव के कारण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के कारण और उसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेश तथा कुल मिलाकर देश की स्थिति, और देश के औद्योगिक विकास को देखते हुए, श्रमिक कानून में संशोधन किया जाना चाहिए और श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त कर्मकार प्रतिकर अधिनियम को संरक्षण दिया जाना चाहिये और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये ताकि हमारे श्रमिक राष्ट्र निर्माण कार्य में प्रभावकारी भूमिका अदा कर सकें।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालापुरम) : सर्वप्रथम मैं कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में शामिल करने के लिये मंत्री महोदय को कुछ सुझाव दूंगा। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें समय-2 पर विधेयक लाती रही हैं। लेकिन उनकी उचित रूप से क्रियान्विति नहीं की गयी है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को, विशेष रूप से मालिकों से मुआवजा प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान करने में असाधारण विलंब होता है। कभी-कभी उन्हें अदालतों में जाना पड़ता है और वे अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक में संशोधन करें ताकि विधेयक में दण्ड संबंधी खंड को शामिल किया जा सकें। और जब कभी मालिक कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान करने में असफल रहे तो कर्मचारी आरोप पत्र दाखिल कर न्यायालय की शरण में जा सकें। तभी कर्मचारियों को मुआवजे की उचित तथा समय पर राशि मिल सकेगी। मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि विधेयक के अन्तर्गत निजी उद्योगों को भी लाया जाये। उद्योगों का उदारीकण किये जाने के परिणामस्वरूप देश में अनेक निजी उद्योगों ने प्रवेश किया है। अतः विधेयक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिये।

मैं यह भी कहनाा चाहूंगा कि मूल्रों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि बहुत कम है और इसमें वृद्धि की जानी चाहिए ताकि ग़रीब कर्मचारी अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

मेरा एक और सुझाव है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है और अनेक प्रेस वक्तव्य जारी किए है कि न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकारें देश में असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये कोई विधान अथवा अधिनियम अथवा विधेयक ला रही है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि पर आधारित निर्वाचन क्षेत्र और उसमें कोई उद्योग नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश नारियल कर्मचारी हैं। आंध्र प्रदेश में एक लाख से अधिक नारियल श्रमिक हैं, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 65,000 से अधिक नारियल कर्मचारी हैं। लेकिन न तो केन्द्रीय सरकार और न ही राज्य सरकारें उनके संरक्षण के लिए कोई विधेयक अथवा अधिनियम लाई है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने समय-समय पर माननीय मंत्री के अनेक प्रेस वक्तव्य देखे थे और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, विशेष रूप से नारियल कर्मचारियों के कल्याण के लिये व्यापक विधेयक लायें। वे बहुत खतरनाक कार्य कर रहे हैं क्योंकि वे नारियल के पेड़ों पर चढ़ते हैं, नारियल तोड़ते हैं, उनका प्रसंस्करण करते हैं, देश के लिये बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और नारियल का उत्पादन कर देश की आय में इतनी अधिक वृद्धि करते हैं जब कभी कोई नारियल कर्मचारी पेड़ से गिरता है तो वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है लेकिन उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। नारियल कर्मचारियों के लिये कोई दुर्घटना बीमा योजना नहीं है। उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में एक लाख से अधिक नारियल कर्मचारी हैं। जब कभी राज्य में ताड़ी कर्मचारी की मौत हो जाती है। तो उसे मुआवजे के रूप में 25,000 की राशि दी जाती है जबकि नारियल कर्मचारी भी उसी प्रकार का काम कर रहे हैं, उन्हें न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही केन्द्र सरकार द्वारा मुआवजे की कोई राशि दी जाती है।

अतः इस बारे में मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि असंगठित क्षेत्र, विशेष रूप से नारियल कर्मचारियों और इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए।

इस विधेयक में संशोधन कर नारियल कर्मचारियों को भी औद्योगिक कर्मचारियों की तरह इस विधेयक के अंतर्गत लाया जाना चाहिये। तभी उन्हें उनकी खतरनाक नौकरी के लिये मुआवजा मिल सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि देश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के कल्याण के बारे में वे और अधिक ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक पर मैं यहां बोल रहा हूं। मुझे सबसे पहले तो यह कहना है कि यह बिल मजदूरों के लिए हैं। चूंकि यह बिल

मजदूरों के लिए है इस सरकार को इस बिल में संशोधन करने में आजादी के बाद भी 48 वर्ष लग गए। इस बिल को अक्तूबर, 1984 में एक बार संशोधन हुआ था, उसके बाद 1989 में विधि आयोग की दो रपटें आईं और राज्य सरकारों की तरफ से सिफारिश की गई, तब यह संशोधन लाया गया है। इसमें भी छ: साल लग गए। इस प्रकार से यह तो सच्चाई है कि मजदूर वर्ग के लिए इतना टाइम लगना उचित भी है क्योंकि यहां या दुनियाभर में कोई भी सरकार बनती है, वह किसी वर्ग विशेष की हिफाजत के लिए बनती है और जिस वर्ग की हिफाजत के लिए वह बनती है उसकी हिफाजत करती है। यहां हमारे देश में भी जो सरकार है, जिस वर्ग की हिफाजत के लिए बनी है, उस वर्ग की हिफाजत कर रही है। चूंकि यह मजदूर वर्ग की हिफाजत के लिए नहीं है। इसलिए मजदूर वर्ग की हिफाजत के लिए तो कानून बनाने में देर होगी ही। यह सरकार मजदूर वर्ग की पक्षधर नहीं है।

सभापति महोदय, इसी सदन में चाइल्ड लेबर कानून में दो बार संशोधन हो चुका है, लेकिन आज तक वह ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है। इसलिए जो हश्र उस कानून का हुआ है वही हश्र इस कानून का होने वाला है। मैं अपने लेबर मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि आपकी नाक के नीचे दिल्ली में लाखों मजदूर छोटे-2 और बड़े-2 उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनका शोषण किस तरह से हो रहा है, आपको इसकी जानकारी होगी। उनके मरने और एक्सीडेंट होने पर पैसा देने की बात तो बिल्कुल गलत है। बहुत से ऐसे व्यक्ति है जो 400-500 रुपये महीने पर काम कर रहे हैं। आप ही बताइए कि क्या कोई इंसान 400-500 रुपया महीना कमा कर दिल्ली में रह सकता है? इसके बाद भी उसे पांच छ: साल के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे मजदूर हमारे पास आते रहते हैं, कोई कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कोई कहता है कि मैं बिहार से आया हूं। हम उनको आपके पास भेजते हैं। पहली सरकार जिसमें राम विलास जी थे, उनके पास भी मैंने भेजा था। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? जब आप मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दिला सकते तो ये काम कहां करेंगे। आप उनके बहुत शुभचिन्तक बन रहे हैं।

जोशी जी ने ठीक ही कहा है कि आपकी सरकार मजदूर आंदोलन को खत्म करने की सोच रही है। यदि मजदूर अपने हक के लिए लड़ते हैं तो आप कानून बना लेते हैं। हमने अखबार में पढ़ा है कि जगन्नाथ मिश्रा ने बंगाल और केरल की सरकार की तारीफ की है कि उनकी सरकार ने लैंड रिफार्म किया है। राज्य सरकार के अधिकारों के अंतर्गत जो आता है वह उसने किया है। लेकिन बाकी जगहों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरे राज्यों में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां की सरकारें लैंडलोर्ड पक्षीय हैं। आपने इतने सालों से कानून बना-बनाकर क्या किया है? आप उसमें संशोधन करने जा रहे है कि उनके मरने पर अभी जो 20,000 हजार रुपया मिलता है, हमने उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया है और एक्सीडेंट होने पर 24,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक देंगे। मंत्री जी, आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि यदि कोई गरीब व्यक्ति बिल्कुल अपंग हो गया और उसने 20 साल और जीना है तो वह 60,000 रुपये में कैसे जी सकता है। मजदूरों के प्रति आपका ह्रदय और इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यदि उनके प्रति आपका ह्दय और इच्छा शक्ति होती तो आप यह बात सोचते। ...(व्यवधान) यदि लैंडलार्डस को कुछ देने की बात होती तो वह कार्य बहुत जल्दी हो जाता।

आज बच्चे राजनैतिक नेताओं के यहां पर कार्य कर रहे हैं, आपके अफसरों के यहां भी कार्य कर रहे हैं, चाय के प्याले उठा रहे हैं। बच्चे इन कार्यो में लगे हुए हैं। लेकिन आपने उन बच्चों के लिए कानून बनाकर क्या किया? मैं घूम रहा था, मैंने देखा है कि ठंडक के मौसम में छह साल का बच्चा लायन होटल में काम कर रहा था, हम वहां रूक गये। एकदम सवेरा था, सुबह के पांच बजे थे। मेरी उसके प्रति श्रद्धा हुई, वैसे गरीबों के प्रति मेरी श्रद्धा शुरू से है और आज भी इस बिल का विरोध उसी के लिए हैं। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं यादव जाति का हूं और होटल भी यादव जाति के आदमी का ही है।

अभी हाल में मैंने अपने क्षेत्र में गांव में देखा कि एक यादव ने अपने बच्चे को 5000 रुपये में एक आदमी के यहां गिरवी रखा है, वह छह वर्ष का बच्चा है। जहानाबाद में एक लोनी गांव है, वहां एक आदमी के यहां अभी गिरवी रखा है। उसका बाप 5000 रुपये मांग रहा था, तो उसने कहा कि नहीं देंगे, तो उसने एक बच्चे को 5000 रुपये में गिरवी रख दिया। उसने कहा कि ऐसे ही रखना है तो तुम रखो, रुपया हम नहीं देंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं? उन बच्चों के लिए जो कानून बनाया है। आपने कानून बनाया तो क्यों नहीं उन बच्चों को काम से हटाकर उसकी पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त किया। कहते हैं कि यह नहीं होगा तो आपके कानून बनाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कानून आपके बहुत हैं। मैंने कई बार सुझाव दिया था कि वैसे बच्चों का सर्वे करायें और सर्वे कराकर उन बच्चों का आवासीय विद्यालय बनवायें, उसमें आपका कितना ही खर्च हो लेकिन ऐसे विद्यालयों में उन बच्चों को रखें। फिर भी अगर उसका बाप उसको रखने में कंजूसी करता है तो उसको सजा दो, हैंग कर दो, फांसी दो, लेकिन वहां कुछ होना नहीं है।

आज पांच वर्ष की उम्र में हिन्दुस्तान में बच्चे अपने बाप को कमा कर 100-200 रुपये महीने में दे रहे हैं...(व्यवधान) तो यह सवाल भी लेबर का ही सवाल है। अभी लेबर को यह जो दे रहे हैं, यह आपने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कुछ किया है जिनका कहीं कोई निशान नहीं है। वह ईट भट्ठे का काम करते हैं और ठेकेदार उसको भट्ठे पर पहुंचा रहे है, आज लाखों मजदूर पर भट्ठे का काम करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या हैं। अगर भट्ठे काम काम करते हुए वह गिर गया, मर गया तो उसको उसके घर में फेंक आते हैं।

रहा सवाल यह कि जहां तक आपने जो कानून बनाया है, यह

कानून आपने इतने वर्षों से बनाया है और वह भी ऐसा 50 हजार और 60 हजार का आपने बनाया है तो यह जरा गौर करने का विषय है, जैसा सभी लोगों ने विस्तार से कहा है। हमारे विद्यमान नेता फर्नान्डीज साहब ने कल और आज काफी कहा है, आप उनसे सीखिएगा, हम तो आपको कितना सिखा सकते हैं, हमारे पास तो इतनी काबलियत नहीं हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है, हममे इतनी समझदारी तो जरूर है कि मजदूरों के लिए जो यह कुछ देने का कानून बना है, वह बहुत ही कम है। उससे वह जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए इन मजदूरों के लिए आप कुछ बढ़ायें।

मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार आने के लिए तैयार है, तो गद्दी पर आ जाएगी तो क्या वह मजदूरी की बात नहीं करेगी? मजदूरों की बात तो उसको करनी ही है, लेकिन वह मजदूरों की सरकार नहीं रहेगी, वह पूंजीपतियों की, बड़े-2 लोगों की सरकार रहेगी। लेकिन अगर मजदूरों की बात नहीं करेगी तो मजदूरों को गुमराह कैसे करेगी, इसलिए मजदूरों को गुमराह करने के लिए कुछ बात तो मजदूरों की करनी ही होगी, इसको अलग तो छोड़ेंगे ही नहीं।

इसलिए हम आपसे यह मांग करेंगे कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना उचित है। इसलिए भेजना उचित है कि फिर से इसके ऊपर वह विचार कर सकें। इसमें क्या बिगाड़ है? जब 100 वर्ष में आपका कुछ नहीं बिगड़ा तो 4-6 महीनें में क्या बिगड़ेगा अगले छह महीने तक तो आप हैं ही आप इस बिल को फिर ले आइये। नहीं तो जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, जाने की तैयारी में आप इसे चला रहे हैं कि देखो हम मजदूरों का काफी काम कर रहे हैं, लेकिन आप बचने वाले नहीं हैं, मजदूर आपका विरोधी हो गया है, मजदूर आपसे भाग रहा है। आपने मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ गलत किया, गरीब लोगों ने आपको इस गद्दी पर 47 वर्षों तक रखा, गरीबों ने रखा, धन्नासेठों ने नहीं रखा, लेकिन जब वह जान गया कि यह हमारी सरकार नहीं है, एक वर्ग की सरकार है, यह धनी वर्ग की सरकार है, यह धनी वर्ग की लोक सभा है तो इसी वजह से वह आपसे हट रहे हैं और आप धीरे-2 समाप्त हो रहे हैं।

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजें, यही मेरी राय और इच्छा है।

श्री रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

खून देकर भी जब पसीने की कीमत न मिले
ऐसे हालात बगावत के हुआ करते है।

यह जो 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये और 24 हजार रुपये से 60 हजार रुपये मुआवजे की राशि बढ़ाने की बात कही है, यह सस्ती लोकप्रियता और वाहवाही लूटने के लिए अंतिम क्षणों में गरीबों की सहानुभूति लेने का इस सरकार ने प्रयास किया है। हमारे मध्य प्रदेश में मेरे जिले दमोह में बिड़ला ग्रूप की डायमंड सीमेंट फैक्टरी है। पिछली 3 जून को जब सत्र का अवसान हो रहा था तो वहां पर करीब 100 लोग चिमनी बर्स्ट होने से खत्म हो गये। मैंने तब इस मामले को शुन्य काल में उठाया था। जो लोग मारे गये थे उनको चिमनी में डालकर खत्म कर दिया गया जिससे कोई केस न बने और कोई मुआवजा न देना पड़े। मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपका यह विधेयक या कानून उन 100 मृतकों के परिवारों का संरक्षण कर सकता हैं? कई बार ऐसी घटनायें हो चुकी हैं। ये घटनायें इसलिए होती हैं कि जो मजदूर वहां लाये जाते हैं वे अन्य प्रदेशों से लाये जाते हैं। उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और वे कांट्रेक्ट बेस पर लाये जाते हैं और काम करते हैं। ये 100 लोग खत्म हो गये, उनकी मृत्यु हो गई, चिमनी में डालकर भस्म कर दिया गया, लेकिन उनके परिवार वालों को कोई सहायता नहीं दी गई, यह मजदूरों की हालत है।

आज आप मुआवजे की राशि 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये करके उनके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजा जाए और इस पर पुर्नविचार किया जाये।

हमारे क्षेत्र दमोह के साथ पन्ना, छतरपुर और जबलपुर का जो इलाका है, वहां बीड़ी मजदूर काम करते हैं। इस विधेयक में बीड़ी मजदूरों का कोई जिक्र नहीं है। वे लोग जो काम करते हैं, उनका पूरा परिवार इसमें काम करता हं। तम्बाकू की गंध से अधिकांश लोग टी. वी. के मरीज हो जाते हैं। इन बीड़ी मजदूरों के दम पर बड़े-2 सेठ लोग अपने उद्योग चला रहे हैं और ऐशो-आराम कर रहे हैं। लेकिन वे मजदूर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और उनका जीवन नष्ट हो रहा है। इसी तरह से जो सीमेंट फैक्टरी है उसमें अधिकांश लोगों को अस्थमा और टी.वी. जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन उनके जीवन की सुरक्षा का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है।

माननीय सभापति जी, इसी तरह उदारीकण और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आपने बड़े-2 उद्योग लगाने के लिए सहमति व्यक्त की है। ये सब कांट्रेक्ट बेस पर गरीब लोगों को लगाकार उनका शोषण करेंगे, यह देखना भी आपका काम है। आज जो बिल लाये हैं, इस संशोधन विधेयक में आपको यह तय करना पड़ेगा कि जो आज का मूल्य सूचकांक है, उसके आधार पर और समय समय पर वृद्धि जिस प्रकार होती जाये, उसी तरीके से और उसके मुआवजे का प्रावधान करना चाहिये। यदि इस तरीके से आपने विचार किया और उसको प्रस्तुत किया तो निश्चित रूप से गरीबों का भला होगा। मैं इन्हीं शब्दों को साथ इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेजने का प्रस्ताव करते हुए इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सब दलों ने आवंटित समय से अधिक समय लिया है। अब पांच और वक्ता बचे हैं। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण निर्धारित समय सीमा में समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव।

5.51 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वोहरा समिति के प्रतिवेदन के संबंध में कुछ बातों का स्पष्टीकरण

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, मैं आपसे सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति देने का अनुरोध कर सकता हूं? अथवा यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे केवल पांच मिनट में पढ़ सकता हूं। यह वोहरा समिति के प्रतिवेदन से संबंधित उठाये गये कुछ मुद्दों के बारे में है। इस बारे में मैंने सूचना दी है।

सभापति महोदय : जी, हां। अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में अनुमति दे दी है। मंत्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अत: **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री एस.बी. चव्हाण : मैं टेबल पर रख देता हूं लेकिन आपकी जानकारी के लिए पढ़ भी देता हूं।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्यों ने वोहरा समिति रिपोर्ट के पैरा क्रमांक तथा अनुक्रम के बारे में शंकाएं जाहिर की हैं। पैरा की संख्या 1, 2, 3 आदि दी गई है। उदाहरण के लिए उप पैरा को क्रमांक 1.1, 1.2, 1.3 दर्शाया गया है। दुर्भाग्यवश, स्वयं श्री एन.एन. वोहरा द्वारा हस्ताक्षर की गई मूल रिपोर्ट में टंकण संबंधी गलती हुई है और पैरा 3 के बाद अगले पैरा की संख्या 6 दिखाई गई है जबकि इसकी संख्या 4 होनी चाहिए थी। इस प्रकार सभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट में पैरा क्रमांक 3.7 के पश्चात 6.1 दर्शाया गया है। मैंने सभा में पहले ही कहा है कि यह वास्तव में एक टंकण संबंधी भूल है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को मूल रिपोर्ट दिखाई है जिसमें दुर्भाग्यवश टंकण की यह भूल हो गई है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं कि क्या मूल रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक या परिशिष्ट भी हैं? मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि सभा पटल पर रखी गई रिपोर्ट स्वयं में संपूर्ण है। रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक या परिशिष्ट नहीं है। मैंने तत्कालीन गृह सचिव और रिपोर्ट के रचीयता श्री एन.एन. वोहरा से स्वयं इस संबंध में बात की है। और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि रिपोर्ट के साथ कोई अनुलग्नक या परिशिष्ट नहीं है तथा सभा पटल पर रखी गयी रिपोर्ट संपूर्ण है।

मैं पत्र सभा पटल पर रखने की आपसे अनुमति चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 7964/95]

सभापति महोदय : अब हम चर्चा आरम्भ कर सकते है। श्री राम कृपाल यादव ...

(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : यह कैसे संभव है कि सभा पटल पर प्रतिवेदन रखने से पूर्व मंत्री ने टंकण संबंधी गलती में शुद्धि नहीं की?

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं उसमें शुद्धि नहीं कर सकता। मुझे प्रति वैसी ही देनी थी।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि स्टाफ में, यहां तक कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, इस गलती को नहीं पकड़ सका।

सभापति महोदय : इस बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम वक्तव्य के बारे में इस प्रकार चर्चा नहीं कर सकते। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : यह सारी गलतफहमी गृहमंत्री जी के कारण नहीं हुई है बल्कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा था उसके कारण हुई है। उसी के कारण सारी अव्यवस्था हुई है। उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जी जिम्मेदार हैं जो यह लगातार कहते रहे कि इसकी नकल करने में हमको इतने दिन लगेंगे जबकि हम सभी सांसद कहते रहे कि आप इसको सदन के पटल पर रखिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। अब आप अपने स्थान पर बैठें ...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं अब यह समाप्त होता है, मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। श्री राम कृपाल यादव जी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम पर बोल रहे हैं। यादव जी अब आप अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

5.55 म.प.

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक जारी

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, कल से हम इस सदन में कर्मकारों से संबंधित संशोधन विधेयक, 1923 पर चर्चा कर रहे हैं। लंबे समय के बाद सरकार ने इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया है। सरकार की चिंता मजदूरों के लिए है और कुम्भकरण की तरह सोई हुई सरकार की नींद खुली है। इसके लिए हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव, आप इन सब व्यवधानों की ओर ध्यान न दें। आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें और अपना भाषण जारी रखें।

सभापति महोदय : श्री यादव, यदि आप चाहें तो आप बोल सकते हैं। अन्यथा में अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा। आपको बोलने का समय दिया गया है। आप अवश्य बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं बोल रहा हूं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार की जो मंशा है, वह मंशा साफ नहीं लगती है। हमें नहीं लगता है, भारत जैसे गरीब देश में आप मजदूरों के साथ न्याय करना चाहते हैं। मैं विस्तारपूर्वक चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य, जार्ज साहब, ने विस्तारपूर्वक चर्चा की है।. आज की वर्तमान स्थिति में मजदूरों की जो दुर्दशा है और मजदूरों के प्रति सरकार का जो रवैया है और उनके लिए जो कल्याणकारी योजनायें हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन को और देश को बताने का काम किया है। आपने इस देश में लंबा शासन किया है और आज आपने मजदूरों के हितों की बात की है। आप इतने सालों के बाद मजदूरों के लिए विधेयक लाए हैं कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके परिवारों की मदद करना चाहते हैं और इस छोटी सी रकम से आप उनकी मदद करना चाहते हैं। अगर आपकी मजदूरों के प्रति भावना ठीक होती, तो निश्चित तौर से आपने इस राशि को बढ़ाने का काम किया होता और विपक्ष में बैठे हुए साथी भी उसका स्वागत करने का काम करते। हम इस विधेयक का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस की भावना का स्वागत करते हैं और जिस रूप से आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप कृपया उस पर पुनर्विचार करें।

माननीय मंत्री जी आपने कहा है कि आप इस देश के मजदूरों की हर तरह से मदद करना चाहते हैं और कर्मकार व खेतिहर मजदूरों के बारे में भी आपने इस विधेयक में प्रावधान किया है तथा कहा है कि हम उनकी भी मदद करना चाहते हैं। यह देश खेत में काम करने वाले मजदूरों का देश है, लेकिन इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे मजदूर भी हैं, जिनकी कोई गिनती आपके बहीखाते में नहीं है और जिसकी चर्चा माननीय जार्ज साहब ने की है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं बिहार प्रदेश से आता हूं। यह प्रदेश भारत में सबसे गरीब प्रदेश है, जहां गरीब मजदूर अधिकांश संख्या में हैं, जो रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर करते हैं। दूसरे प्रदेशों में जाकर कल-कारखानों में काम करते हैं, उनके बारे में भी शायद आपको कोई ख्याल नहीं है।

6.00 म.प.

दिल्ली में लाखों की तादाद में लोग मरे। बिहार के मजदूर कल-कारखानों में काम करते हैं मगर उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके विषय में कोई सोचने वाला नहीं है। वे काम करते-2 मर जाते हैं मगर उनकी कोई मदद नहीं करता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, आप जरा बैठ जाइए। माननीय सदस्यों, चार और सदस्यों ने चर्चा में भाग लेना है। हम आज दूसरे दिन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ सदस्य जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं वह यहां कल उपस्थित नहीं होंगे। यदि आप सब सहमत हों कि आपके सहयोगी चर्चा में भाग ले सकें, तो हम सभा का समय आधा घंटा बढ़ा दें जिससे हम चर्चा आज पूरी कर सकें।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं। जी, नहीं।

सभापति महोदय : ठीक है। श्री राम कृपाल जी आप अपना भाषण कल जारी रखें।

अब सभा कल 11 बजे म.पू. तक के लिये स्थगित होती है।

6.01 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा गुरूवार, 3 अगस्त, 1995/12, श्रावण 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।